




भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिए

(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार



विषय सूची

	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
पहला अध्याय: राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन		
परिचय	1.1	1
राज्य की वित्तीय स्थिति	1.2	1
राज्य सरकार का वित्तीय परिचालन	1.3	1
निधि स्रोत व प्रयुक्ति	1.4	2
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	9
राजस्व व्यय	1.6	10
पूँजीगत व्यय	1.7	13
व्यय की गुणवत्ता	1.8	13
वित्तीय प्रबन्ध	1.9	14
लोक ऋण	1.10	17
अर्थोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्ट	1.11	18
राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के सूचकांक	1.12	22
दूसरा अध्याय: विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण		
परिचय	2.1	30
विनियोग लेखाओं का सार	2.2	30
विनियोग लेखापरीक्षा परिणाम	2.3	31
आपदा राहत निधियों का अपवर्तन	2.4	35
आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	2.5	36
लोक निर्माण विभाग में व्यय एवं बजट नियंत्रण	2.6	37
तीसरा अध्याय: सिविल विभाग		
प्रवर्ग-क-समीक्षाएं		
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
रोगों का निवारण तथा नियंत्रण	3.1	43
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	3.1 क	45
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	3.1 ख	56
अन्धापन नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	3.1 ग	63
राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम	3.1 घ	69
तकनीकी शिक्षा विभाग		
तकनीकी शिक्षा तथा शिल्पकार प्रशिक्षण	3.2	77

	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रवर्ग-ख-लेखापरीक्षा परिच्छेद		
वन कृषि तथा संरक्षण विभाग		
बीज परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला पर निरर्थक निवेश	3.3	87
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग		
खरीद करने में अनियमितताएं	3.4	87
निरर्थक उपस्कर	3.5	92
उद्योग विभाग		
औद्योगिक शालिकाओं के निर्माण पर निरर्थक निवेश	3.6	94
राजस्व विभाग		
विकास निधियों का अपवर्तन	3.7	94
ग्रामीण विकास विभाग		
अपूर्ण कार्यों के कारण सरकारी धन का अवरोधन	3.8	96
शहरी विकास विभाग		
लघु एवं मध्यम शहरों के एकीकृत विकास स्कीम का अनुचित कार्यान्वयन	3.9	98
विविध विभाग		
उत्तरदायित्व प्रवृत्त करने तथा सरकार के हितों की रक्षा करने में वरिष्ठ कर्मचारियों की विफलता	3.10	99
दुर्विनियोजन, गबन आदि	3.11	100
चौथा अध्याय: निर्माणकार्य व्यय		
प्रवर्ग-क-समीक्षाएं		
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
सिंचाई स्कंध की एकीकृत लेखापरीक्षा	4.1	103
पेयजल	4.2	120
प्रवर्ग-ख-लेखापरीक्षा परिच्छेद		
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
उठाऊ सिंचाई स्कीम शालीमार फोलगाट पर व्यर्थ व्यय	4.3	137
निविदाओं की अविवेकपूर्ण प्रक्रिया के कारण परिहार्य अतिरिक्त दायित्व	4.4	137
लोक निर्माण विभाग		
परवाणू में मजदूर बस्ती का निर्माण- व्यर्थ परिव्यय तथा अपव्ययी व्यय	4.5	139


	परिच्छेद	पृष्ठ
समन्वय के अभाव में एक सड़क पर निष्फल व्यय	4.6	140
भूमि-प्रभारों की अधिक अदायगी और ठेकेदार को अनुचित लाभ	4.7	141
पुलों के ढह जाने से हानि	4.8	142
ठेकेदारों से सामग्री लागत तथा अन्य देयों की वसूली न करना	4.9	144
अनुपयुक्त योजना के कारण सड़क के उपयोग में विलम्ब	4.10	144
ब्याज तथा अनिवार्य भूमि-अर्जन प्रभारों का परिहार्य भुगतान	4.11	145
सड़कों पर नवीकरण परत बिछाने पर परिहार्य व्यय	4.12	146
सड़क निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय	4.13	147
पांचवां अध्याय: भण्डार एवं स्टॉक		
वन कृषि तथा संरक्षण विभाग		
भण्डार एवं स्टॉक लेखे	5.1	149
लोक निर्माण विभाग		
सामान का फर्जी जारी करना	5.2	153
छठा अध्याय: स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता		
सामान्य	6.1	155
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विभाग		
हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड		
वायु प्रदूषण तथा अपव्यय प्रबन्धन से सम्बन्धित पर्यावरण अधिनियमों तथा नियमों की लेखापरीक्षा	6.2	157
विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन न करने के कारण निधियों का अवरोधन	6.3	163
आवास विभाग		
हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड की कार्यप्रणाली	6.4	164
ग्रामीण विकास विभाग		
इंदिरा आवास योजना तथा गांधी कुटीर योजना के अन्तर्गत अमान्य सहायता	6.5	169
समाज तथा महिला कल्याण विभाग		
छात्रवृत्ति के भुगतान पर अनधिकृत व्यय	6.6	170
शहरी विकास विभाग		
अनुदान	6.7	171

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट-I	सरकारी लेखे	175
परिशिष्ट-II	अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों/विनियोजनों को दर्शाने वाली विवरणी	176
परिशिष्ट-III	वास्तविक आवश्यकता से अधिक किए गए अनुपूरक प्रावधानों से सम्बन्धित मामलों को दर्शाने वाली विवरणी	177
परिशिष्ट-IV	अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान से सम्बन्धित मामलों को दर्शाने वाली विवरणी	178
परिशिष्ट-V	निरन्तर बचत/आधिक्य के ब्यौरे	179
परिशिष्ट-VI	मुख्य कारणों सहित महत्वपूर्ण बचतों का विवरण	180
परिशिष्ट-VII	निधियों का अभ्यर्पण	182
परिशिष्ट- VIII	वसूलियों से मुख्य भिन्नताएँ	184
परिशिष्ट- IX	अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन से सम्बन्धित मामले	185
परिशिष्ट- X	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षयरोग से ग्रसित रोगियों के पंजीकरण तथा उनके उपचार परिणामों को दर्शाने वाली विवरणी	187
परिशिष्ट- XI	नए, आवर्ती तथा विफल मामलों के लार परिवर्तन की उपलब्धि दर्शाने वाली विवरणी	188
परिशिष्ट- XII	उत्तीर्ण, रोजगार एवं बेरोजगार शिक्षार्थियों का विवरण	189
परिशिष्ट- XIII	निर्र्थक उपस्करों को दर्शाने वाली विवरणी	190
परिशिष्ट- XIV	मार्च 2001 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/पैरों का वर्षवार ब्यौरा	191
परिशिष्ट- XV	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में चर्चित गंभीर अनियमितताओं को दर्शाने वाली विवरणी	192
परिशिष्ट- XVI	तत्काल आवश्यकता-राशियों का आहरण तथा उनका सरकारी लेखों से बाहर रखने को दिखाने वाली विवरणी	193
परिशिष्ट- XVII	सिंचाई संभाव्य की प्रयुक्ति दर्शाने वाली विवरणी	194
परिशिष्ट- XVIII	निष्क्रिय सिंचाई स्कीमें दर्शाने वाली विवरणी	195
परिशिष्ट- XIX	निजी भूमि पड़ने के कारण अवरूद्ध पड़े सड़क निर्माण कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी	196
परिशिष्ट- XX	उन निकायों व प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाली विवरणी जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	197
परिशिष्ट- XXI	1996-2000 के दौरान मकानों, फ्लैटों तथा प्लाटों के लक्ष्य तथा उपलब्धियां दर्शाने वाली विवरणी	199

प्रावकथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के I व II अध्याय 31 मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जांच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल करते हैं।
3. शेष अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और लोक निर्माण और सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों में लेन-देन की लेखापरीक्षा, भण्डार तथा स्टॉक की लेखापरीक्षा, स्वायत्त निकायों और विभाग द्वारा संचालित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा से संबंध रखते हैं।
4. सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उठी टिप्पणियों वाला प्रतिवेदन और राजस्व प्राप्तियों पर ऐसी टिप्पणियां रखने वाला प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।
5. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों उन में से हैं जो वर्ष 2000-2001 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा उनमें से जो पूर्व वर्ष में ध्यान में आए थे परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके। 2000-2001 की बाद की अवधि से संबंधित मामले, जहां कहीं आवश्यक है, भी शामिल किए गए हैं।



इस प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2000-2001 के वित्त एवं विनियोग लेखाओं पर दो अध्याय तथा सरकार के कतिपय चयनित कार्यक्रमों व गतिविधियों तथा वित्तीय लेन-देनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित चार समीक्षाओं व 29 परिच्छेदों में निहित चार अन्य अध्याय सम्मिलित हैं। प्रतिवेदन में निहित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया जाता है।

1. राज्य वित्त की समीक्षा

- ☞ वर्ष 2000-2001 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 669 करोड़ ₹ की कमी हुई तथा राजस्व व्यय में 508 करोड़ ₹ की वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप राजस्व घाटे में 1177 करोड़ ₹ की वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटा भी वर्ष के दौरान 1656 करोड़ ₹ की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है जो 1999-2000 में 189 करोड़ ₹ से बढ़कर 2000-2001 में 1845 करोड़ ₹ हो गया।
- ☞ ब्याज भुगतानों में 201 करोड़ ₹ (34 प्रतिशत) की अत्यधिक वृद्धि हुई तथा यह कर राजस्व (729 करोड़ ₹) से वर्ष के दौरान 69 करोड़ ₹ बढ़ गई। यह मुख्यतः आन्तरिक ऋण के लिए ब्याज भुगतानों में 151.48 करोड़ ₹ की वृद्धि के कारण हुआ। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का 18 प्रतिशत था।
- ☞ राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधियों में राजस्व प्राप्तियों का सापेक्ष अंश 1999-2000 में 70 प्रतिशत से घटकर 2000-2001 में 61 प्रतिशत हो गया। लोक ऋण से प्राप्तियां 23 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गईं।
- ☞ निधियों (4980 करोड़ ₹) का उपयोग मुख्यतः राजस्व व्यय जो कि 1999-2000 में 72 प्रतिशत के प्रति 2000-2001 में कुल व्यय का 87 प्रतिशत थी, को पूरा करने हेतु किया गया।
- ☞ कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 1999-2000 में 13 प्रतिशत से घटकर 2000-2001 में 11 प्रतिशत हो गया।
- ☞ 1996-2001 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य को सहायता राजस्व प्राप्तियों के चार से नौ प्रतिशत के मध्य तथा राजस्व व्यय के चार तथा आठ प्रतिशत के मध्य थी।
- ☞ 2000-2001 के दौरान एक मुख्य तथा नौ मध्य सिंचाई परियोजनाओं से वसूल किया गया राजस्व पूंजीगत परिव्यय का केवल 0.025 प्रतिशत था, जो 4.32 करोड़ ₹ के प्रत्यक्ष कार्यचालन व्यय को आवृत्त करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था।
- ☞ 31 मार्च 2001 को 17 अपूर्ण परियोजनाएं थी, जिनमें 30 करोड़ ₹ अवरूद्ध थे।
- ☞ 31 मार्च 2001 को संग्रहणार्थ लंबित बकाया राजस्व 261 करोड़ ₹ था। इन बकायों में 1999-2000 की तुलना में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- ☞ प्रेषण, उचन्त बकाया, आदि के प्रभाव द्वारा समायोजन के बाद लोक ऋण में 1934.45 करोड़ ₹ की निवल वृद्धि थी। इसने पूंजी व्यय 548.71 करोड़ ₹ को पूरा करने तथा विकास एवं अन्य प्रयोजनों के लिए उधार 40.27 करोड़ ₹ देने के उपरान्त 1345.47

करोड़ ₹ का अधिशेष उत्पन्न किया। राजस्व घाटे (1283.17 करोड़ ₹) तथा 49.84 करोड़ ₹ (निवल) के ओवरड्राफ्ट के दायित्व को पूरा करने के बाद 12.46 करोड़ ₹ का घाटा था।

☞ 1996-2001 के दौरान राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण में 251 प्रतिशत, भारत सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों में 78 प्रतिशत तथा अन्य दायिताओं में 129 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

☞ सरकार 277 दिन भारतीय रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम नकद शेष अनुरक्षित नहीं कर पाई और उसने 82 दिन 848 करोड़ ₹ का अर्थापाय अग्रिम, 103 दिन 729 करोड़ ₹ का ओवरड्राफ्ट तथा 92 दिन 2631 करोड़ ₹ के कोष बिलों पर पुनर्घूट प्राप्त की।

☞ 1999-2001 में नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम में राज्य सरकार की इक्विटी को आंशिक रूप से अर्थपोषित करने हेतु सरकार को लगभग 600 करोड़ ₹ के संसाधनों की आवश्यकता थी। तदनुसार राज्य सरकार ने नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम से परियोजना के प्रारम्भ होने की तिथि से लगभग पांच वर्षों तक निःशुल्क विद्युत की प्राप्ति के प्रतिभूतिकरण पर हिमाचल प्रदेश तथा अवसंरचना विकास निगम के माध्यम से 1999-2001 के दौरान 757 करोड़ ₹ का ऋण जुटाया। ऋणों की राशि “6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण” शीर्ष के अन्तर्गत सरकारी खाते में जमा करवाई गई। इन ऋणों में से नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम को मार्च 2001 तक इक्विटी की कोई अदायगी नहीं की गई। निःशुल्क विद्युत बिक्री से 350 करोड़ ₹ की वार्षिक आय सरकार द्वारा पहले 1994-2000 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से लिए गए 899.93 करोड़ ₹ के सांविधिक नकदी पहले ही पर्याप्त समझी गई (जनवरी तथा मार्च 1996) थी। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश सड़क तथा अवसंरचना विकास निगम के माध्यम से ऋण जुटाने के लिए निःशुल्क विद्युत की उन्हीं प्राप्ति का प्रतिभूतिकरण न्यायोचित नहीं था।

इसके अतिरिक्त नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम को इक्विटी शेयर की अदायगी हेतु राज्य सरकार द्वारा 1999-2001 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम से 500.68 करोड़ ₹ के ऋण जुटाए गए। ऋणों की राशि भी सरकारी खाते में रखी गई तथा 1999-2001 के दौरान इन ऋणों में से नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम को इक्विटी की कोई अदायगी नहीं की गई।

इस प्रकार हिमाचल प्रदेश सड़क तथा अवसंरचना विकास निगम (757 करोड़ ₹) तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (500.68 करोड़ ₹) के माध्यम से 1999-2001 के दौरान जुटाए गए 1257.68 करोड़ ₹ के ऋण अर्थापाय स्थिति को सही रखने के लिए एक संसाधन के रूप में सरकारी खाते में रखे गए।

(अध्याय-1)

राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के सूचकांक

☞ विश्लेषण से प्रतीत होता है कि वर्ष 2000-2001 के दौरान नकारात्मक बीसीआर में वृद्धि, ब्याज अनुपात में काफी वृद्धि तथा जीएसडीपी के प्रति कुल कर अनुपात में कमी थी। परिणामस्वरूप इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह प्रतिकूल प्रभाव इसलिए पड़ा कि पूर्व वर्ष में 861.50 करोड़ ₹ राजस्व प्राप्ति के रूप में क्रेडिट किए गए तथा 1994-2000 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम से लिए गए गैर सांविधिक लिक्विडिटी रेशों बांड ऋणों में से 498 करोड़ ₹ ऋणों की वसूली के रूप में लेखाबद्ध किए गए जिसकी सरकार ने गारण्टी दी थी तथा ऋणों की उस पर देय ब्याज सहित अपेक्षित राशि भी दी। यह पिछले वर्ष

राजस्व/राजकोषीय घाटे को छुपाने में परिणत हुआ। इस परित्याग से 2000-2001 के दौरान राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे में अत्यधिक वृद्धि हुई जिस कारण राज्य की अर्थ-व्यवस्था की दुर्बलता और बढ़ गई। परिणामस्वरूप इस वर्ष ब्याज भुगतानों में 102 करोड़ ₹ (34 प्रतिशत) की अत्यधिक वृद्धि हुई जो 69 करोड़ ₹ के कर राजस्व से कहीं अधिक हो गई। इसी प्रकार वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां विशेष रूप से कर-भिन्न राजस्व घट गया। वित्त की इस स्थिति के कारण सरकार को बढ़ते राजस्व घाटे को पूरा करने के उद्देश्य से बढ़ते उधारों का सहारा लेना पड़ा। वास्तव में सरकार द्वारा वर्ष के दौरान एचपीआरआईडीसी (567 करोड़ ₹) तथा एलआईसी (185.68 करोड़ ₹) के लिए गए ऋण कुल 752.68 करोड़ ₹ जो एनजेपीसी को इक्विटी अंश के भुगतान के लिए थे उन प्रयोजनों हेतु उपयोग में नहीं लाए गए जिनके लिए ये थे परन्तु इन्हें सामान्य राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त किया। इस प्रकार, राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष प्राप्तियों तथा व्यय के मध्य अन्तर को पूरा करने के लिए उधारों का आश्रय लेकर विभिन्न उपाय प्रयोग में ला रही थी। इस कारण राज्य की परिसम्पत्तियों तथा राजस्व की बढ़ती सम्भाव्यता के सृजन की क्षमता सीमित हुई। यहां तक की सीमित पूंजीगत व्यय से भी निवेश पर नगण्य प्रतिफल के कारण पर्याप्त लाभ नहीं हो सका।

(परिच्छेद 1.12)

2. विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

- ☞ सरकार द्वारा राज्य विधानमण्डल द्वारा संस्वीकृत राशियों से सारभूत रूप से अधिक किए गए व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमित करवाया जाना था। 1996-2001 के दौरान किए गए 10166.28 करोड़ ₹ के अधिक व्यय का जुलाई 2001 तक नियमन अपेक्षित पड़ा था।
- ☞ 2000-2001 के दौरान 37 मामलों में कुल 435.76 करोड़ ₹ की बचतें थीं। इसमें से 19 अनुदानों के 24 मामलों में प्रत्येक मामले में 50 लाख ₹ या इससे अधिक की 434.32 करोड़ ₹ की कुल बचत थी।
- ☞ वर्ष के दौरान नौ मामलों में प्राप्त कुल 61.99 करोड़ ₹ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल बजट प्रावधानों से कम था।
- ☞ 1998-2001 की अवधि के दौरान 10 अनुदानों व एक विनियोजन के 11 मामलों में छः से 1723 प्रतिशत की निरन्तर बचत/आधिक्य हुए।
- ☞ 5 मामलों में अभ्यर्पित की गई राशि समग्र बचत से 4.19 करोड़ ₹ बढ़ गई। पुनः आठ अनुदानों के मामले में 49.18 करोड़ ₹ अभ्यर्पित किए गए थे, यद्यपि अनुदान से व्यय बढ़ गया था और अभ्यर्पण हेतु कोई भी बचतें उपलब्ध नहीं थीं।
- ☞ 12 अनुदानों/विनियोजनों के 25 उपशीर्षों के मामले में 7.17 करोड़ ₹ अविवेकपूर्ण रूप से पुनर्विनियोजित किए गए थे क्योंकि या तो मूल अनुदान पर्याप्त थे या पुनर्विनियोजन हेतु कोई भी बचतें उपलब्ध नहीं थीं।
- ☞ लेखाओं के 511 लेखाशीर्षों/उप लेखाशीर्षों में से 342 लेखाशीर्षों/उप लेखाशीर्षों (67 प्रतिशत) के विषय में सितम्बर 2001 तक बचतों/आधिक्यों हेतु व्याख्याएं प्राप्त नहीं हुई थीं।

दो विभागों द्वारा 1996-2000 के दौरान विभिन्न स्कीमों/विकास निर्माण कार्यों के निष्पादन, मुआवजे आदि के भुगतान हेतु वास्तविक आवश्यकता से पूर्व आहरित किए गए 4.05 करोड़ ₹ में से 3.34 करोड़ ₹ (82 प्रतिशत) बैंकों/डकघरों में अप्रयुक्त पड़े थे।

सरकारी अनुदेशों के विपरीत सात उपायुक्तों तथा एक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा 1.51 करोड़ ₹ की राशि की आपदा राहत निधियां अक्टूबर 1998 तथा दिसम्बर 2000 के दौरान उन कार्यों पर व्यय की गई जो प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित नहीं थे।

(अध्याय-1)

3. रोगों का निवारण व नियंत्रण

रोगों के निवारण व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य एड्स, क्षयरोग, अंधापन तथा कुछ रोग का निवारण तथा नियंत्रण करना है। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत इसके कार्यान्वयन हेतु अभिलेखों की जांच से उद्घाटित हुआ कि इनका उचित ढंग से अनुश्रवण नहीं हुआ तथा अकसर इनका मूल्यांकन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में निर्मांकित मुख्य तथ्य ध्यान में आए:-

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

राज्य में पहले एचआईवी पॉजिटिव मामले का पता 1987 में लगा। मार्च 2001 के अंत में स्कीनिंग किए गए 26,939 व्यक्तियों में से 278 एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। इनमें पूर्ण परिपक्व वाले एड्स के 87 मामले सम्मिलित हैं। स्कीनिंग किए गए व्यक्तियों की वर्तमान सीरम-पॉजिटिविटी दर 10.3/1000 थी।

लगभग 226 कर्माश्रियल सेक्स वर्कर जिन्होंने मनाली में (160) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-22 (66) के साथ-साथ विभिन्न स्थानों में अपना जाल बिछाया हुआ था, की परियोजना सर्वेक्षणों के दौरान शिनाख्त की गई। परियोजना अवधि के पूर्ण होने के उपरान्त इन उच्च जोखिम वाले समूहों में सुरक्षित सेक्स व्यवहार हेतु कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार एचआईवी संक्रमण का फैलाव कम करने से सम्बन्धित समूचा उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था।

1999 तथा 2000 के दौरान आयोजित किए गए तीन परिवार स्वास्थ्य जागृति अभियानों की सफलता 1.09 करोड़ ₹ का व्यय करने के बाद भी एक तथा 17 प्रतिशत के मध्य थी।

अपेक्षानुरूप प्रत्येक जिले में स्वैच्छिक रक्त परीक्षण केन्द्र स्थापित नहीं किए गए थे। अतः एचआईवी पॉजिटिव मामलों का पता लगाने हेतु स्वैच्छिक जांच की सुविधा सुचारु रूप से उपलब्ध नहीं थी।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

लार की परीक्षा हेतु आठ माइक्रोस्कोपी केन्द्र परिशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रारम्भ से चालू नहीं किए गए थे। कार्यक्रम का समुचित अनुश्रवण नहीं किया गया क्योंकि राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी स्थापित नहीं की गई थी। राज्य क्षयरोग अधिकारी द्वारा सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियां प्रारम्भ नहीं की गईं।

3.09 करोड़ ₹ की उपलब्ध निधियों के प्रति हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी, शिमला, सिरमौर तथा सोलन जिला के राज्य क्षयरोग अधिकारी/जिला क्षयरोग अधिकारी परिशोधित राष्ट्रीय

क्षयरोग कार्यक्रम के अन्तर्गत 1996-2001 के दौरान 2.23 करोड़ रु0 प्रयुक्त कर सके। बकाया 0.86 करोड़ रु0 विभिन्न बचत बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़े थे।

- ☞ अक्टूबर 1996 तथा मार्च 2001 के दौरान क्षयरोग सेनिटॉरियम, टांडा के अतिरिक्त स्टॉफ की विभिन्न श्रेणियों के वेतन तथा भत्तों पर किया गया 76.80 लाख रु0 का व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा।
- ☞ विभिन्न श्रेणियों के पर्यवेक्षकों द्वारा क्षेत्रीय इकाइयों तथा माइक्रोस्कोपी केन्द्रों के निरीक्षण में कमी की प्रतिशतता तीन तथा 100 के मध्य थी।

अंधापन के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा 1996-2001 के दौरान मोतियाबिन्द मामलों का प्रभाव जानने हेतु सर्वेक्षण नहीं किया गया।

- ☞ 1996-2001 के दौरान जिला अंधापन नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा प्राप्त सहायता अनुदानों में से 31 लाख रु0 बैंकों में अप्रयुक्त रहे।
- ☞ 1996-2001 के दौरान लाईलाज अंधे व्यक्तियों की न तो पहचान की गई थी न ही व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें पुनर्स्थापित किया गया था।
- ☞ 1996-2001 के दौरान राज्य में कोई नेत्र बैंक स्थापित नहीं किया गया, जैसा कि अपेक्षित था।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

मार्च-मई 1999 में संशोधित कुष्ठरोग उन्मूलन के अभियान के प्रारम्भ किए जाने के बावजूद कुष्ठरोग की प्रचलित दर 1999-2000 में 0.5/10,000 से बढ़कर 2000-2001 में 0.6/10,000 हो गई।

- ☞ मार्च-मई 1999 में संशोधित कुष्ठ रोग उन्मूलन अभियान के दौरान खोज दलों द्वारा 9.98 लाख जनसंख्या की गणना/सर्वेक्षण नहीं किया गया।
- ☞ सिरमौर जिला में दो चल क्षयरोग उपचार इकाइयों ने चिकित्सा अधिकारियों के बिना कार्य किया तथा स्टॉफ को अभिविन्यास प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया। इसके फलस्वरूप प्रचलित दर 1999-2000 में 0.07/10,000 से बढ़कर 2000-2001 में 1.70/10,000 हो गई।
- ☞ जैसाकि अपेक्षित था, दवाइयों तथा अपेक्षित स्टॉफ के उपलब्ध होने के बावजूद हमीरपुर जिला में वर्ष 1996-2001 के दौरान कुष्ठ रोगियों को औषधि वितरण बिन्दुओं के माध्यम से बहु औषध चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाई गईं।

(परिच्छेद 3.1)

4. तकनीकी शिक्षा तथा शिल्पकार प्रशिक्षण

अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा विभाग की मुख्य गतिविधियों में बहुशिल्पों का सुदृढीकरण तथा विकास, उद्योगों के लिए विभिन्न व्यवसायों में स्थायी रूप से कुशल कामगार उपलब्ध करवाना तथा कामगारों को व्यवस्थित प्रशिक्षण के द्वारा औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता तथा प्रमात्रा बढ़ाना सम्मिलित है। आधुनिकीकरण, विविधता तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की पुनः संरचना तथा बहुशिल्पों के

विकास हेतु विश्व बैंक की सहायता से दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें “व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना” तथा “बहुशिल्पों का सुदृढीकरण तथा विकास” क्रमशः 1988-89 तथा 1991-92 से कार्यान्वित की गई। लेखापरीक्षा के ध्यान में आए महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत् थे:-

- 1996-2001 के दौरान डिप्लोमा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को बीच में ही छोड़ देने वालों की प्रतिशतता 5 तथा 13 के मध्य थी।
- 1996-2001 के दौरान केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के 12 संस्थानों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में कमी 84 तथा 100 प्रतिशत के मध्य थी।
- राज्य में 14 संस्थानों में 19 व्यवसायों के औजार तथा उपस्कर (2,177 मंटे) कम पाए गए जिससे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा बहुशिल्पों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हुई।
- मानकों के अनुसार संस्वीकृत पद आवश्यकता से 10 तथा 52 प्रतिशत के मध्य कम थे।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किए जाने वाले 692 अपेक्षित निरीक्षणों के प्रति केवल 106 निरीक्षण (15 प्रतिशत) किए गए तथा 1996-2001 के दौरान 54 अपेक्षित निरीक्षण के प्रति बहुशिल्पों में केवल 10 निरीक्षण (18 प्रतिशत) किए गए।
- हरवरी 1994 से दिसम्बर 1999 के दौरान विभिन्न बहुशिल्पों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 74.84 लाख रु० की खरीदी गई मशीनों तथा उपस्करों की विभिन्न मंटे उनकी खरीद/प्राप्ति से प्रयुक्त नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 3.2)

5. सिंचाई स्कंध की एकीकृत लेखापरीक्षा

सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य विभाग का मुख्य कार्य जलापूर्ति, मल-निर्यास तथा सिंचाई स्कीमों का निर्माण तथा अनुक्षण करना है। विभाग का सिंचाई स्कंध विभिन्न सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की योजना, निष्पादन, प्रचालन, अनुक्षण तथा अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है। विभाग के सिंचाई स्कंध की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित कुछ पहलुओं की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि सरकार ने सिंचाई के अन्तर्गत समस्त कृषियोग्य अधिगृहीत क्षेत्र को आवृत करने के लिए एक समयबद्ध रीति से एक दीर्घकालीन नीति तैयार नहीं की थी। तकनीकी रूप से प्राक्कलन संस्वीकृत करवाए बिना ही सिंचाई स्कीमें निष्पादित की गईं तथा वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही “वास्तविक नई स्कीमें” बजट में सम्मिलित की गईं। तत्काल आवश्यकता के बिना ही कोष से विशाल राशियां आवहृति की गईं तथा सरकारी खाते के बाहर रखी गईं। दोषपूर्ण अन्वेषण, योजना, डिजाइनिंग तथा निष्पादन के कारण अनेक स्कीमें अकार्यात्मिक/कुकार्यात्मिक हो गईं। अबियाना प्रभारों का निर्धारण करने हेतु जुटाए गए स्टॉफ के वेतन पर किया गया व्यय वास्तविक रूप से निर्धारित किए गए अबियाना प्रभारों की राशि से बहुत अधिक बढ़ गया। लाभप्राप्तियों के सामाजिक-आर्थिक उत्पादन पर सिंचाई स्कीमों का प्रभाव निर्धारित करने हेतु विभाग द्वारा इन सिंचाई स्कीमों का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

- 1998-2001 के दौरान वित्त विभाग को बजट प्राक्कलनों, आधिकार्यों/अभ्यर्पण विवरण तथा अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया।
- 2.93 करोड रु० की नए व्यय की अनुसूची में 73 “वास्तविक रूप से नई स्कीमों” को सम्मिलित करने के लिए 1998-2001 के दौरान वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं

- किया गया। बाद में इनमें से 15 स्कीमें या तो व्यावहारिक नहीं पाई गई या इनके निष्पादन हेतु स्थल उपलब्ध नहीं थे।
- वित्त विभाग ने तर्क्य आधार पर साख-पत्र जारी किए तथा साख-पत्र निस्तारित करने हेतु विहित त्रैमासिक प्रतिशतता का अनुसरण नहीं किया गया।
- संसारपुर टेरेस स्थित अधिशाषी अभियन्ता, चम्बा, शाह नहर मण्डल संख्या-1 तथा बुदुखर स्थित शाह नहर परियोजना मण्डल संख्या-11 ने बिना तत्काल आवश्यकता के 1997-2000 के दौरान 2.86 करोड़ रू का आहरण किया तथा इसे सरकारी खाते से बाहर रखा।
- वर्ष 1998-2000 के दौरान वित्त विभाग द्वारा 550.28 करोड़ रू के प्राधिकृत साख-पत्र के प्रति विभाग ने 606 करोड़ रू व्यय किए। विभाग ने प्राधिकृत साख-पत्र से अधिक व्यय किए गए 55.72 करोड़ रू के अधिक व्यय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। निःसंदेह साख पत्र स्कीम में निर्धारित नियंत्रण तंत्र व्यवहार में नहीं आया।
- बग्गी, बड़सर, बिलासपुर, कुल्लू, नाहन, रामपुर तथा उन्ना-11 मण्डलों द्वारा 3.88 करोड़ रू की लागत पर निर्मित तथा अनुरक्षित आठ सिंचाई स्कीमें अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं आयोजना, दोषपूर्ण आयोजना, डिजाइनिंग तथा निष्पादन के कारण अकार्यात्मक तथा कुकार्यात्मक हो गईं।
- यद्यपि विद्युत कनेक्शन तथा मुख्य निर्माण कार्यों के अभाव में स्कीमें प्रारम्भ नहीं की गई थी, तो भी बग्गी, बड़सर तथा बिलासपुर मण्डलों ने तीन सिंचाई स्कीमों द्वारा 292 हेक्टेयर कृषि योग्य अधिगृहीत क्षेत्र को 1997-2000 के दौरान गलत रूप से आवृत्त किया हुआ प्रतिवेदित किया।
- बग्गी, नालागढ़, पांवटा साहब तथा सुन्नी मण्डलों के अन्तर्गत पांच सिंचाई स्कीमों के निर्माण तथा अनुक्षण पर किया गया 74.89 लाख रू का व्यय निरर्थक हो गया क्योंकि विभिन्न कारणों से स्कीमें निष्क्रिय पड़ी थी।
- बग्गी, बड़सर, बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू-11, नालागढ़, पालमपुर, पांवटा साहब, रामपुर, सुन्नी तथा उन्ना-11 मण्डलों में केवल 3.75 लाख रू की राशि के अबियाना के निर्धारण हेतु जुटाए गए स्टॉफ के वेतन पर 1998-2001 में 58.10 लाख रू व्यय किए गए।
- बग्गी, बड़सर, बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू-11, नालागढ़, पालमपुर तथा पांवटा साहब मण्डलों द्वारा 1968-99 के दौरान 18.19 करोड़ रू की लागत पर निर्मित की गई 261 सिंचाई स्कीमों के लेखे बंद नहीं किए गए थे।

(परिच्छेद 4.1)

6. पेयजल

पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न ग्रामीण तथा शहरी जलापूर्ति स्कीमों के माध्यम से राज्य के लोगों के लिए सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करना है। कार्यक्रम का प्रभावशाली रूप से अनुक्षण नहीं किया गया तथा मार्च 2001 तक राज्य की कुल जनसंख्या का 38 प्रतिशत आवृत्त नहीं हुआ। शहरों तथा गांवों की जलापूर्ति स्कीमों का अनायोजित ढंग से निष्पादन किया गया, जिसके फलस्वरूप महत्वपूर्ण समय तथा लागत बढ़ गई। अनेक स्कीमों के संसाधन क्षीण हो गए तथा इन्हें अतिरिक्त लागत पर पुनर्जीवित करना पड़ा। राज्य में कार्य के कार्यान्वयन की समीक्षा से निम्नवत् तथ्य उद्घाटित हुए:

- ☞ 1997-2000 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम के पास जमा करवाए गए 1.37 करोड़ ₹ में से 95.04 लाख ₹ का आहरण व उपयोग शिमला मण्डल संख्या-1 के द्वारा जून 1999 तथा सितम्बर 2000 के मध्य किया गया। इस प्रकार 41.86 लाख ₹ की बकाया राशि सरकारी खाते के बाहर रखी गई। इसके अतिरिक्त सरकार ने 22.51 लाख ₹ के ब्याज की हानि उठाई।
- ☞ देहरा, हमीरपुर, घुमारवीं, सरकाघाट, शिमला संख्या-1, थुरल तथा ऊना संख्या-11 मण्डलों में जलापूर्ति तथा उपचार नियमावली, 1984 में अन्तर्विष्ट अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए 1997-2001 के दौरान 208 जलापूर्ति स्कीमों से 7,193 गृह कनेक्शन प्रदान किए गए थे।
- ☞ स्कीमों को वास्तविक रूप से चालू करने की प्रत्याशा में देहरा, धर्मशाला, घुमारवीं, हमीरपुर, मण्डी, ऊना संख्या-1 व 11 मण्डलों के द्वारा जून 1998 तथा दिसम्बर 2000 के मध्य 19,573 की जनसंख्या वाले 191 बस्तियों की आवृत्ति गलत प्रतिवेदित की गई।
- ☞ देहरा, धर्मशाला, घुमारवीं, हमीरपुर, मण्डी, सरकाघाट, शिमला मण्डल संख्या-1, सोलन, थुरल, ऊना संख्या-1 व 11 मण्डलों के द्वारा बिना तकनीकी संस्वीकृति के 318 स्कीमों के निष्पादन पर 51.60 करोड़ ₹ व्यय किए गए थे।
- ☞ 40 जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन में विलम्ब के कारण 12 से 108 मास के अधिक समय के अतिरिक्त 4.12 करोड़ ₹ की लागत अधिक आई।
- ☞ हमीरपुर जिला में उठाऊ जलापूर्ति स्कीम, जौल साप्पर का 38.21 लाख ₹ की लागत पर संवर्धन किया गया तथा अगस्त 2000 में यह चालू की गई। अपेक्षित स्टॉफ न जुटाने के कारण स्कीम को कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका।
- ☞ देहरा, धर्मशाला, घुमारवीं, हमीरपुर, मण्डी, सरकाघाट, शिमला संख्या-1, थुरल, ऊना संख्या-1 तथा 11 मण्डलों द्वारा 1997-2001 के दौरान ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के भौतिक, रसायनिक तथा जीवाणिक परीक्षण करने में कमी 67 तथा 87 प्रतिशत के मध्य थी।
- ☞ 13 नगरों को परोसने वाली 14 शहरी जलापूर्ति स्कीमों के संदर्भ में 1999-2001 के दौरान इस प्रकार के परीक्षण करने में कमी 45 तथा 91 प्रतिशत के मध्य थी।
- ☞ 59.62 लाख ₹ की लागत का 10,545 लाख लीटर जल मण्डी तथा हमीरपुर मण्डलों में तीन जलापूर्ति स्कीमों के पारगमन तथा वितरण में व्यर्थ हुआ।
- ☞ 1997-2001 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को संधारित्र/घटिया संधारित्र संस्थापित न करने के कारण 1.15 करोड़ ₹ के अधिभार की अदायगी की गई और फिर इसी अवधि में घुमारवीं, नाहन, पांवटा साहब, सरकाघाट, शिमला संख्या-11, सोलन, ऊना संख्या-1 तथा 11 मण्डलों द्वारा ऊर्जा बिलों की विलम्बित अदायगी के कारण इसी अवधि में 1.41 करोड़ ₹ के अतिरिक्त प्रभार की अदायगी की गई।
- ☞ जलापूर्ति स्कीमों की कार्यप्रणाली का प्रभावशाली रूप से अनुश्रवण नहीं किया गया।

(परिच्छेद 4.2)

7. खरीद करने में अनियमितताएं

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने अप्रैल 1995 से मार्च 2000 के दौरान 39.52 करोड़ ₹ की औषधियां, मशीनरी तथा उपस्कर खरीदे। खरीदों की नमूना-जांच से निम्नवत् अनियमितताएं उद्घाटित हुई-

- ☞ निविदा की प्रक्रिया के परिहार हेतु 1997-2000 के दौरान एक निजी फर्म जिसने स्वयं को मिथ्या रूप से मैसर्ज सुपर बाजार, नई दिल्ली (भारत सरकार का एक उपक्रम) का एक पंजीकृत संभरक बताया, से 1.67 करोड़ ₹ मूल्य का चिकित्सालय फर्नीचर/उपस्कर तथा दवाइयां खरीदी गईं।
- ☞ इन खरीदों में 93.32 लाख ₹ मूल्य की चिकित्सालय उपस्कर/फर्नीचर सम्बन्धी वे मदें भी सम्मिलित हैं जो भण्डार नियंत्रक/केन्द्रीय लोक उपक्रम की दस्-संविदा फर्मों के पास उपलब्ध थी तथा इन्हें 34.64 लाख ₹ की लागत पर उपार्जित किया जा सकता था। इसके फलस्वरूप 58.68 लाख ₹ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।
- ☞ राज्य हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम से मई 1998 तथा मई 1999 के मध्य 49.70 लाख ₹ मूल्य की लिनन की वस्तुएं खरीदी गईं। यही वस्तुएं संविदा दर वाली फर्मों से 24.19 लाख ₹ में खरीदी जा सकती थी। इस कारण 25.51 लाख ₹ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।
- ☞ निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने राज्य की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए मशीनरी एवं उपस्करों की खरीद करने हेतु मार्च 1999 में कोष से 2.23 करोड़ ₹ का आहरण किया। इसमें से 2.19 करोड़ ₹ की राशि बैंक ड्राफ्टों में रूपान्तरित कर दी गई, परन्तु इसे रोकड़ बही में आहरण की गई तिथियों को निदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं को अदायगी दर्शाई गई। अगस्त 2001 को ये बैंक ड्राफ्ट कार्यालय की रोकड़ तिजोरी में पड़े हुए थे। इस कार्रवाई से बैंक को अनुचित लाभ के अतिरिक्त राज्य सरकार की अर्थोपाय स्थिति को उस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- ☞ 1995-2000 के दौरान 1.06 करोड़ ₹ मूल्य की खरीदी गई औषधियों की विनिर्माण/समापन तिथियां फर्मों/संभरकों के बीजकों/बिलों में अभिलिखित नहीं पाई गईं।
- ☞ "सामग्री तथा आपूर्ति" के अन्तर्गत सरकार की 2.18 करोड़ ₹ की संस्वीकृति (मार्च 1998) का हेस-फेर करके "मशीनरी एवं उपस्कर" के अन्तर्गत राशि का आहरण किया गया। इस राशि का बैंक ड्राफ्ट में रूपान्तरण किया गया जो फरवरी 1999 तक अप्रयुक्त रहा। संस्वीकृति में हेस-फेर करने से सम्बन्धित मामला आसूचना विभाग के पास जुलाई 2000 से अन्वेषणाधीन था।

(परिच्छेद 3.4)

8. वायु प्रदूषण तथा अपव्यय प्रबन्धन से सम्बन्धित पर्यावरण अधिनियमों तथा नियमों की लेखापरीक्षा

वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 के अनुपालना में वायु-प्रदूषण नियंत्रण खतरनाक अपव्यय के प्रबन्धन से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कालावधि 1996-2001 के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए:-

- बोर्ड के 1996-2001 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था तथा 3.71 करोड़ ₹ के अव्ययित बकाए के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। विभिन्न बैंक खातों में पड़ी अप्रयुक्त निधियों के क्रियाकलाप-बार ब्यौरे बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं थे।
- वायु-प्रदूषण के स्तर का निर्धारण करने तथा वायु-प्रदूषण करने वाले उद्योगों की शिनाख्त करने हेतु सविस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया।
- राज्य में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहनों के अनुश्रवण हेतु कोई निवारक उपाय नहीं किए गए तथा 95 प्रतिशत वाहन बिना वैध “प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाणपत्रों” के चल रहे थे।
- खतरनाक अपव्यय उत्पन्न करने वाली इकाइयों की शिनाख्त हेतु सर्वेक्षण नहीं किया गया। बोर्ड ने खतरनाक अपव्यय उत्पन्न करने वाली 304 इकाइयों की शिनाख्त की थी। इनमें से 213 इकाइयां बिना प्राधिकार के कार्य कर रही थी।
- क्षेत्रीय कार्यालय, जसूर (कागड़ा जिला) के अन्तर्गत वार्षिक रूप से 1,047 टन खतरनाक द्रव्य उत्पन्न करने वाली पांच औद्योगिक इकाइयां बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किए बिना इन खतरनाक द्रव्यों का राज्य/राज्य के बाहर परिवालन कर रही थी।
- केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली किसी प्रचालनीय प्रदूषण नियंत्रण साधनों की व्यवस्था किए बिना विगत चार दशक से वार्षिक रूप से लगभग 100 टन खतरनाक प्रकृति का बायो-मैडिकल अपव्यय उत्पन्न कर रहा था।
- 502 इकाइयों से स्वीकृति/नवीकरण/प्राधिकार शुल्क के 15.97 लाख ₹ की वसूली की जानी थी।

(परिच्छेद 6.2)

9. हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड की कार्यप्रणाली

राज्य में आवास आवश्यकता के समाधान तथा इसके लिए उपाय करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत सितम्बर 1972 में हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड की स्थापना की गई। समाज के विभिन्न आय-वर्गों की आवास सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति हेतु बोर्ड को विभिन्न आवास स्कीमों के अन्तर्गत घरों, फ्लैटों तथा भू-खण्डों के विकास के निर्माण का कार्य सौंपा गया। बोर्ड तथा पांच सिविल निर्माण मण्डलों के 1996-2001 के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नवत् तथ्य उद्घाटित हुए:-

- निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने तथा पात्र व्यक्तियों के लिए ऋण की व्यवस्था करने के बोर्ड के प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी।
- उधार ली गई निधियों से 14 बस्तियों में 22.84 करोड़ ₹ की लागत पर निर्मित किए गए घर, फ्लैट, दुकाने तथा भू-खण्ड उचित मांग के अभाव में बस्तियों को योजनाबद्ध ढंग से स्थापित न करने, अनुमान तथा मकानों के स्थलों का निर्णय किए बिना बिक न सके। बोर्ड उधार ली गई निधियों पर ब्याज के रूप में 3.65 करोड़ ₹ (लगभग) की वार्षिक दायिता का वहन कर रहा था।

- 1.27 करोड़ ₹ की लागत से दिसम्बर 1998 में ऊना जिला के बंगाणा में संस्थापित की गई बस्ती पानी उपलब्ध न होने के कारण आर्बटित नहीं की जा सकी। यह बस्ती परित्यक्त अवस्था में पड़ी हुई थी।
- कांगड़ा, कुल्लू तथा धर्मशाला जिला में भू-अर्जन पर व्यय किए गए 2.19 करोड़ ₹ अवरोद्ध रहे। इसके अतिरिक्त उधार ली गई निधियों पर 22 लाख ₹ के ब्याज की वार्षिक दायित्ता वहन करनी पड़ी, जो परिहार्य थी।
- नगरपालिका कर, पानी/बिजली प्रभारों, आदि का 1.47 करोड़ ₹ की सीमा तक अल्पोद्ग्रहण हुआ।
- निर्माण कार्यों पर प्रयुक्त की गई सामग्रियों के सुदृढीकरण को सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण किए बिना विभिन्न संविदाकारों को 1998-2000 के दौरान 35.38 करोड़ ₹ की अदायगियां की गईं।

(परिच्छेद 6.4)

10. भण्डार एवं स्टॉक

- वन कृषि तथा संरक्षण विभाग के भण्डार एवं स्टॉक लेखों की समीक्षा से निम्नवत् तथ्य उद्घाटित हुए:
- संभरकों द्वारा मई 1997 में प्रस्तावित निम्न दरों की उपेक्षा करते हुए भण्डार नियंत्रक की दर-संविदा वाली विभिन्न फर्मों से जुलाई 1997 तथा सितम्बर 2000 के मध्य कंटीली तार तथा यू-कीलें खरीदने के फलस्वरूप 10.82 लाख ₹ की अधिक अदायगी की गई।
- बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मण्डी, नूरपुर, शिमला, (शिमला वन्य जीवन), सोलन तथा सुकेत वन मण्डलों द्वारा सरकार द्वारा नियत नोडल अभिकरण से सीमेंट खरीदने की बजाय इसे 1996-2001 के दौरान खुली दरों पर खरीदने के फलस्वरूप 21.73 लाख ₹ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- बिलासपुर, डलहौजी, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नूरपुर, पार्वती, रामपुर तथा सुकेत वन मण्डलों ने बाजार में उपलब्ध अन्तः संयोजक जंजीरे खरीदने की बजाय 1996-2001 के दौरान 1,03,569 वर्गमीटर जीआई तार खरीदी तथा इसे उपस्थिति नामावली नियोजित विभागीय श्रमिकों के द्वारा तार के जाले का बनवाया। इसके फलस्वरूप 28.85 लाख ₹ का परिहार्य व्यय हुआ।
- प्रतिस्पर्धा बाजार का लाभ न उठाने, आबकारी शुल्क की अदायगी, खरीद की अनुचित पद्धति के अपनाने तथा उच्चतर दरों पर सामग्री की खरीद के कारण विभाग के विभिन्न मण्डलों द्वारा 16.07 लाख ₹ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया गया।
- स्पष्ट नीति दिशानिर्देशों के अभाव में नए पौधरोपण क्षेत्रों में बाड़ लगाने हेतु बिलासपुर, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, रामपुर, शिमला, शिमला (वन्य जीवन), सोलन तथा सुकेत मण्डलों द्वारा 1990-95 के मध्य खरीदी/उपयोग की गई कंटीली तार को पुनः प्राप्त नहीं किया गया, जिससे सरकार को 1.66 करोड़ ₹ की हानि हुई।

- दिलासपुर तथा कुल्लू मण्डलों के विभिन्न कर्मचारियों द्वारा 1995-96 तथा अगस्त 1998 के मध्य अपने स्थानान्तरण के समय 14.98 लाख ₹ मूल्य के भण्डार नहीं सौंपे गए।

(परिच्छेद 5.1)

11. निष्फल/निर्र्थक व्यय

- चम्बा जिला में शालीमार फौलगोट में उठाऊ सिंचाई स्कीम का निर्माण अपरिष्कृत पानी में गाद तथा रेत का ध्यान दिए बिना किया गया। यह स्कीम 42.91 हेक्टेयर के कृषि योग्य अधिगृहीत लक्ष्य क्षेत्र को इसे प्रारम्भ (मार्च 1992) किए जाने से सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने में विफल रही जिसके फलस्वरूप इसके निर्माण तथा अनुक्षण पर 26.96 लाख ₹ का निर्र्थक व्यय हुआ।

(परिच्छेद 4.3)

- कसौली मण्डल द्वारा भूमि की उपयुक्तता जानने के लिए संविस्तृत अन्वेषण करवाए बिना तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना परवाणू में श्रमिक बस्ती के निर्माण के फलस्वरूप 19.19 लाख ₹ के निर्र्थक व्यय सहित 36.94 लाख ₹ का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि भवन का एक भाग आवास के लिए असुरक्षित हो गया।

(परिच्छेद 4.5)

- शिमला जिला की एकान्तबाड़ी-दवाला सड़क के निर्माण में राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, रामपुर तथा कुमारसेन मण्डल के मध्य समन्वय के अभाव के फलस्वरूप इसके निर्माण पर किए गए 10.14 लाख ₹ के व्यय के निष्फल होने के अतिरिक्त 11.91 लाख ₹ की अतिरिक्त परिहार्य दायिता हुई।

(परिच्छेद 4.6)

- विभाग द्वारा सतोन में गिरी नदी के ऊपर एक पुल का उपयुक्त डिजाइन बनाने में विफल रहने तथा मंगलाड खड्ड के ऊपर एक पुल के संदर्भ में संविदा प्रावधानों के अनुसार सामान्य कार्यचालन की व्यवस्था करने के लिए पर्यवेक्षण के अभाव के फलस्वरूप 1.60 करोड़ ₹ की परिहार्य हानि हुई।

(परिच्छेद 4.8)

12. बीज परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला पर निर्र्थक व्यय

- वन मण्डल अधिकारी वन संवर्धन मण्डल, शिमला के अन्तर्गत पालमपुर स्थित बीज परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला के संस्थापन तथा उसे चलाने पर किया गया 18.48 लाख ₹ का निवेश निर्र्थक रहा, क्योंकि 1995-96 से कोई बीज परीक्षण तथा प्रमाणीकरण नहीं किया गया।

(परिच्छेद 3.3)

13. निरर्थक उपस्कर

- 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विकिरण चिकित्सकों को तैनात न किए जाने तथा अंध कक्ष सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण एक्स-रे किरण संयंत्र निरर्थक पड़े हुए थे।

(परिच्छेद 3.5)

14. औद्योगिक शालाओं के निर्माण पर निरर्थक निवेश

- अप्रैल 1999 में सम्पन्न किए गए शिमला जिला के पंडरानू में पांच औद्योगिकशालाओं के निर्माण से पूर्व आवश्यकता का निर्धारण करने हेतु निदेशक, उद्योग ने सर्वेक्षण नहीं किया। क्योंकि मई 2001 तक प्रत्याशित उद्यमकर्ताओं को इनका आबंटन नहीं किया गया था, अतः 17.20 लाख ₹ का निवेश निरर्थक रहा।

(परिच्छेद 3.6)

15. विकास निधियों का अपवर्तन

- उपायुक्त, कुल्लू, शिमला तथा ऊना द्वारा 4.13 करोड़ ₹ की क्षेत्रक विकेन्द्रीकृत आयोजना निधियों के अप्राधिकृत अपवर्तन से लाभग्राहियों को स्कीम के अन्तर्गत अभिप्रेत लाभों से वंचित किया।

(परिच्छेद 3.7)

16. निर्माण कार्यों को पूर्ण न करने के कारण सरकारी धन का अवरोधन

- 12 खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा प्राथमिक पाठशाला भवनों, महिला मण्डल भवनों, सामुदायिक भवनों आदि जैसे 118 निर्माण कार्य निष्पादित करने में विफल रहने के फलस्वरूप बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर तथा सोलन जिलों के लोगों को अभिप्रेत लाभों से वंचित किया गया तथा इससे 53 लाख ₹ की निधियों का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त उनको उपलब्ध करवाए गए 26 लाख ₹ बैंकों में रखे गए।

(परिच्छेद 3.8)

17. लघु तथा मध्यम नगरों के एकीकृत विकास से सम्बन्धित स्कीमों का अनुपयुक्त कार्यान्वयन

- उपायुक्त, मण्डी द्वारा मई 1993 से नवम्बर 2000 के दौरान 231 दुकाने तथा 2,716 वर्गमीटर का क्षेत्रफल आवृत्त करने वाली अन्य परिसंपत्तियां परियोजना प्रतिवेदन में विचाराधीन दरों से कम मूल्य पर किराए पर देने के फलस्वरूप 3.94 करोड़ ₹ की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.9)

18. विकसालाक कार्यक्रमों को कार्यान्वयन न करने के कारण निधियों का अवरोधन

- हिमऊर्जा सहायता अनुदान की शर्तों के अनुसार विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप 4.03 करोड़ ₹ की निधियों का अवरोधन हुआ।

(परिच्छेद 6.3)

19. इंदिरा आवास योजना तथा गांधी कुटीर योजना के अन्तर्गत असाम्य सहायता

- खण्ड विकास अधिकारियों, करसोग तथा रिवालसर ने इंदिरा आवास योजना तथा गांधी कुटीर योजना के अन्तर्गत गृहों के निर्माण हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शिनाख्त न किए गए 77 परिवारों को 1996-2000 के दौरान 14.32 लाख ₹ की वित्तीय सहायता प्रदान की।

(परिच्छेद 6.5)

20. छात्रवृत्ति के भुगतान पर अनधिकृत व्यय

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम ने सफाई कर्मियों तथा उनके आश्रितों को पुनर्वास तथा उन्मुक्त स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार के अनुमोदन के बिना 1996-2000 के दौरान उच्च दरों पर 1903 व्यक्तियों को स्टाइफण्ड की 38.56 लाख ₹ की अप्राधिकृत अदायगी की।

(परिच्छेद 6.6)

21. अन्य रोचक तथ्य

- मार्च 1996 की बजाय जनवरी 1994 से श्रमिकों की बढ़ी हुई मजदूरी अनुमत करने से लोक निर्माण विभाग बिलासपुर मण्डल संख्या-I के एक संविदाकार को 12.53 लाख ₹ की अधिक अदायगी की गई।

(परिच्छेद 4.7)

- शिमला मण्डल संख्या-III तथा ठियोग मण्डल के लोकनिर्माण मण्डलीय अधिकारियों द्वारा संविदा प्रावधानों के अनुसार उनसे वसूली न करने से पांच संविदाकारों को 34.76 लाख ₹ का अनुचित लाभ दिया गया।

(परिच्छेद 4.9)

- शक्तिघाट-शामघाट सड़क तथा गौरा-चायल सड़क (सोलन जिला) के सम्बन्ध में भू-अर्जन कार्यवाही प्रारम्भ करने में 348 से 476 मास के असाधारण विलम्ब तथा संतोखगढ़ में स्वान नदी के ऊपर उच्च स्तर के पुल के लिए मार्गदर्शी बांध के निर्माण हेतु अपेक्षित भू-अर्जन कार्यवाही के तीन बार व्यपगमन होने के फलस्वरूप 1.39 करोड़ रू० की परिहार्य अदायगी की गई।


(परिच्छेद 4.11)

- बैजनाथ, जोगिन्द्रनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग), कसौली, करसोग, नाहन, नालागढ़, निरमण्ड, पंडोह, (राष्ट्रीय राजमार्ग) तथा सोलन मण्डलों द्वारा विभिन्न सड़कों पर नए विलेप (कोट) की व्यवस्था करने हेतु विभाग द्वारा मितव्ययी उपाय अपनाने में विफल रहने के फलस्वरूप 1.13 करोड़ रू० का परिहार्य व्यय हुआ।

(परिच्छेद 4.12)

पहला अध्याय

राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन



पहला अध्याय

राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन

1.1 परिचय

यह अध्याय वित्त लेखे में निहित सूचना के आधार पर राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को विवेचित करता है। यह विश्लेषण राज्य सरकार की प्राप्तियों व व्यय, व्यय की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रबन्ध की प्रवृत्तियों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में सरकार की वित्तीय क्षमता के विश्लेषण पर भी एक प्रवर्ग निहित है जो कि वित्त लेखे में निहित सूचना व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई अन्य सूचना के आधार पर विकसित कतिपय अनुपातों व सूचकांकों पर आधारित है। इस अध्याय में प्रयुक्त कतिपय संकल्पनाएं परिशिष्ट-I में व्याख्यायित हैं।

1.2 राज्य की वित्तीय स्थिति

सरकारी लेखाकरण पद्धति अचल परिसम्पत्तियों अर्थात् शासन के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों आदि का विस्तृत लेखाकरण नहीं करती है तथापि सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों व उसके द्वारा वहन किए गए व्यय में से सृजित परिसम्पत्तियों को अवश्यमेव उजागर करते हैं। प्रदर्शन-I (पृष्ठ 3) 31 मार्च 2000 की तदनुसूची स्थिति के साथ-साथ 31 मार्च 2001 को दायित्वों और परिसम्पत्तियों का सार देता है। इस विवरणी के दायित्वों में मुख्यतः वह धन सम्मिलित होता है जिसमें राज्य सरकार देनदार होती है जैसे कि आन्तरिक उधार, भारत सरकार से ऋण व अग्रिम, लोक लेखे व आरक्षित निधियों से प्राप्तियां हैं और परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। प्रदर्शन-I प्रदर्शित करता है कि 2000-2001 के दौरान दायित्व 20 प्रतिशत बढ़ गए जबकि परिसम्पत्तियां केवल चार प्रतिशत बढ़ीं। ये परिवर्तन मुख्यतः सरकारी लेखे में घाटे में उच्च वृद्धि (67) प्रतिशत के कारण थी। परिणामतः सरकार की वित्तीय स्थिति में गिरावट आई।

1.3 राज्य सरकार का वित्तीय परिचालन

1.3.1 प्रदर्शन-II (पृष्ठ-4-5) राज्य सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों को वर्णित करता है। वर्ष में राजस्व प्राप्तियों (3046 करोड़ ₹) से राजस्व व्यय (4329 करोड़ ₹) बढ़ गया जिससे 1283 करोड़ ₹ का राजस्व घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (729 करोड़ ₹), कर-भिन्न राजस्व (177 करोड़ ₹), संचयी करों व शुल्कों में राज्यांश (330 करोड़ ₹) तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान (1810 करोड़ ₹) शामिल थे। कर राजस्व के मुख्य स्रोत बिक्री कर, व्यापार आदि (41 प्रतिशत), राज्य आबकारी (29 प्रतिशत), वाहनों पर कर (8 प्रतिशत) तथा पदार्थों व सेवाओं पर कर व शुल्क (7 प्रतिशत) थे। कर-भिन्न राजस्व में मुख्यतः सामान्य सेवाएं (19 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाएं (56 प्रतिशत) शामिल थीं।

1.3.2 प्रेषण, उच्चन्त शेष आदि के प्रभाव से यथासमायोजित लोक ऋण में निवल वृद्धि 1934.45 करोड़ ₹ थी। इससे पूंजीगत व्यय (548.71 करोड़ ₹), विकासात्मक व अन्य प्रयोजनों के लिए उधार (40.27 करोड़ ₹) की पूर्ति के पश्चात् 1345.47 करोड़ ₹ का अधिशेष सृजित हुआ। 1283.17 करोड़ ₹ के राजस्व घाटे तथा 49.84 करोड़ (निवल) के ओवरड्राफ्ट के दायित्व की पूर्ति के पश्चात् 12.46 करोड़ ₹ का अधिशेष था।

1.3.3 राज्य सरकार की प्राप्तियों व व्यय से सम्बद्ध वित्तीय परिचालन प्रदर्शन-II में निहित सूचना तथा प्रदर्शन-IV (पृष्ठ 7) में प्रस्तुत 1996-97 से 2000-2001 तक के पांच वर्षों के समय श्रृंखला आंकड़ों के संदर्भ में निम्नांकित परिच्छेदों में विवेचित हैं।

1.4 निधि स्रोत व प्रयुक्ति

1.4.1 प्रदर्शन-III (पृष्ठ 6) चालू व पिछले वर्ष में निधि स्रोतों व प्रयुक्ति की स्थिति देता है। मुख्य निधि स्रोत सरकार की राजस्व प्राप्तियां, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां, लोक ऋण व लोक लेखे की प्राप्तियां हैं। ये मुख्यतः राजस्व व पूंजीगत व्यय एवं विकासार्थ उधार पर व्यवहृत की गई थीं। यह स्पष्ट है कि राजस्व प्राप्तियां राज्य सरकार की निधि का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उनका सापेक्ष अंश 1999-2000 के 70 प्रतिशत से घटकर 2000-2001 में 61 प्रतिशत रह गया और ऋणों व अग्रिमों की वसूली का अंश वर्ष 1999-2000 के 10 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2000-2001 में 0.55 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1999-2000 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली में वृद्धि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से ऋणों की वसूली के कारण 498 करोड़ ₹0 क्रेडिट करने के परिणामस्वरूप थी जो 1994-2000 के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा गैर सांविधिक बांड ऋण जुटाने से थी। तथापि लोक लेखे की निवल प्राप्तियां मुख्यतः उचन्त एवं विविध लेनदेनों तथा जमा एवं अग्रिमों में वृद्धि के कारण वर्ष 1999-2000 के (-)159.45 करोड़ ₹0 से काफी बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 714.08 करोड़ ₹0 हो गई। लोक ऋण प्राप्तियां 23 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई।

निधियां मुख्यतः राजस्व व्यय के लिए व्यवहृत की गई थी जिनका अंश कुल उपलब्ध निधि के 72 प्रतिशत से बढ़कर 87 प्रतिशत हो गया तथा राजस्व प्राप्तियों (61 प्रतिशत) के अंश से अधिक रही। इससे निश्चित रूप से 1283.17 करोड़ ₹0 का राजस्व घाटा हुआ। तथापि कुल उपलब्ध निधि में से पूंजीगत व्यय 10 प्रतिशत से न्यूनतम बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया जबकि विकासार्थ उधार एक प्रतिशत रह गया।

प्रदर्शन - I
31 मार्च 2000 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

		(करोड़ रूपए)		(करोड़ रूपए)		
31 मार्च 2000 को राशि	वर्णन	31 मार्च 2000 को राशि	31 मार्च 2000 को राशि	परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2000 को राशि	
1719.81	आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट छोड़कर)	2932.69	4794.22	सकल पूंजीगत परिव्यय	5342.92	
702.32	व्याज वाले बाजार ऋण	935.42		1104.77	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	1178.81
0.17	व्याजरहित बाजार ऋण	0.17		3689.45	अन्य पूंजीगत व्यय	4164.11
402.37	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	576.37	239.44		ऋण व अग्रिम	252.35
8.74	भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	8.45		61.65	ऊर्जा ऋण	64.31
124.69	राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	229.68		86.79	अन्य विकास ऋण	84.38
50.64	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	43.89		91.00	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	103.66
371.88	अन्य संस्थाओं से ऋण	1046.71	348.00		उच्चत एंव विविध शेष	..
59.00	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापय अग्रिम	92.00	0.16		अग्रिम	0.16
3065.04	केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम	3045.18	19.31		नकद	21.74
72.26	1984-85 से पहले वाले ऋण	65.02		19.02	कोषगारों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	21.45
2167.96	आयोजनेतर ऋण	2236.39		0.24	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	0.24
506.28	राज्य योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	584.87		0.05	नकद शेष निवेश लेखे	0.05
0.48	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	0.45	1905.75		सरकारी लेखे में घाटा	3188.92
51.36	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	48.46		1785.43	31 मार्च 2000 तक संचित घाटा	1891.68
266.70	अर्थापय अग्रिम	110.00			जोड़े	
5.00	आकस्मिकता निधि	5.00		106.25	(i) चालू वर्ष का घाटा	1283.17
1746.13	लघु बचत, भविष्य निधियां आदि	2001.32		14.07	(ii) अन्य वित्तीय समायोजन आदि	14.07
..	उच्चत एंव विविध शेष	20.34				
404.27	जमा	573.53				
76.40	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	26.55				
92.47	आरक्षित निधियां	41.77				
85.82	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	75.78				
111.94	प्रेषण शेष	83.83				
7305.88	योग	8806.09	7306.88	योग	8806.09	

प्रदर्शन-II
वर्ष 2000-2001 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

मासिया (कराब रूपए)					संवितरण (कराब रूपए)					
1999-2000				2000-2001	1999-2000				2000-2001	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3715.29				3045.58						
	620.27		728.42		1447.63		1580.28	33.37	1613.65	
	1056.24		176.96		1376.35		837.43	723.68	1561.01	
	920.98		330.34		821.06		482.20	397.94	879.94	
	36.93		889.74		247.83		122.55	140.51	263.06	
	950.26		740.92		164.36		119.29	117.03	236.32	
	130.61		179.20		8.41		4.77	3.77	8.54	
106.25				1283.17	8.87		3.30	11.09	14.39	
					11.69		9.10	3.96	13.06	
					111.05		93.79	48.71	142.50	
					3.08		2.43	0.77	3.20	
					978.46		626.18	507.49	1133.67	
					403.93		228.41	217.69	444.10	
					84.79		29.66	109.20	138.86	
					48.49		32.14	22.55	54.69	
					95.73		109.11	26.32	135.43	
					69.52		5.10	63.19	68.29	
					206.83		212.46	12.27	224.73	
					0.90		..	2.03	2.03	
					68.27		11.30	54.24	65.54	
					19.10		2.54	17.88	20.42	
3821.54				4328.75	3821.54		3046.43	1282.32	4328.75	4328.75
(-198.30)				(-) 66.51	553.88		(-) 5.04	553.75	548.71	548.71
					33.78		..	19.33	19.33	
					200.95		..	228.00	228.00	
					16.03		..	24.81	24.81	
					27.14		..	36.64	36.64	
					158.52		..	164.16	164.16	

* इसमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सामान्य सेवाएं 3.64 करोड़ रु; सामाजिक सेवाएं 3.46 करोड़ रु) से सम्बद्ध आयोजनेतर व्यय के 7.10 करोड़ रु सम्मिलित हैं।

ये शुद्ध आंकड़े हैं जिनमें राजस्व व्यय की कटौती के रूप में समायोजित वसूलियां शामिल नहीं हैं।

Δ ये शुद्ध आंकड़े हैं जिनमें पूंजीगत व्यय की कटौती के रूप में समायोजित वसूलियां शामिल नहीं हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.06	सूचना एवं प्रसारण	..	0.19	0.19	
					0.83	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	..	1.70	1.70	
					0.26	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	..	0.40	0.40	
					0.11	अन्य	..	0.10	0.10	
					319.15	आर्थिक सेवाएं	(-)5.04	306.42	301.38	
					12.22	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	(-)5.04	18.55	13.51	
					0.02	ग्रामीण विकास	..	0.13	0.13	
					48.72	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	..	43.20	43.20	
					2.75	ऊर्जा	
					0.39	उद्योग एवं खनिज	..	1.61	1.61	
					250.32	परिवहन	..	240.78	240.78	
					4.73	सामान्य आर्थिक सेवाएं	..	2.15	2.15	
530.76		IV-ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां		27.36	60.26	III-ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण				40.27
	498.00	विद्युत परियोजनाओं से			2.43	विद्युत परियोजनाओं से			2.66	
	18.32	सरकारी कर्मचारियों से	19.20		37.72	सरकारी कर्मचारियों से			31.87	
	14.44	अन्य से	8.16		20.11	अन्य से			5.74	
					106.25	IV-नीचे लाया गया राजस्व घाटा				1283.17
1476.31		V-लोक ऋण प्राप्तियां		1557.20	995.44	V-लोक ऋण की चुकींती				414.03
	688.69	अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	1226.60		28.39	अर्थोपाय अग्रिमों व ओवरड्राफ्टों को छोड़कर आंतरिक ऋण			46.73	
					717.23	ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल लेनदेन			16.84*	
	617.62	केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम	330.60		249.82	केन्द्रीय सरकार को ऋणों व अग्रिमों की चुकींती			350.46	
4931.84		VI-लोक लेखा प्राप्ति		3878.50	5091.29	VI-लोक लेखा संवितरण				3164.42
	610.54	लघु बचत व भविष्य निधि	691.88		332.21	लघु बचत व भविष्य निधि			436.68	
	6.00	आरक्षित निधियां	63.39		110.12	आरक्षित निधियां			114.10	
	1908.42	जमा व अग्रिम	1146.32		419.80	जमा व अग्रिम			976.97	
	77.32	उच्यन्त व विविध	265.28		1875.79	उच्यन्त व विविध			(-) 103.06*	
	2331.56	प्रेषण	1711.63		2353.37	प्रेषण			1739.73	
					(-) 66.51	VII-वर्ष के अन्त में नकद शेष				(-)54.05
					19.02	कोषागारों व स्थानीय प्रेषण में नकदी			21.44	
					0.24	स्थाई अग्रिम सहित विभागीय नकद शेष			0.24	
					(-)85.82	रिजर्व बैंक में जमा			(-)75.78	
					0.05	नकद शेष निवेश			0.05	
6740.61				5396.55	6740.61					5396.55

* 1576.95 करोड़ ₹ की प्राप्तियां तथा 1593.79 करोड़ ₹ का संवितरण दर्शाती हैं।
 * ऋणात्मक संवितरण हेतु कारणों की छानबीन की जा रही थी।

प्रदर्शन-III

स्रोत व निधि प्रयुक्ति

1999-2000		स्रोत	(करोड़ रूपए)	
			2000-2001	
3715.29	1.	राजस्व प्राप्तियां	3045.58	
530.76	2.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	27.36	
1198.03	3.	ओवरड्राफ्ट को छोड़कर लोक ऋणों* में वृद्धि	1193.01	
(-) 159.45	4.	लोक लेखे से शुद्ध प्राप्तियां	714.08	
278.33		लघु बचत, भविष्य निधि में वृद्धि	255.20	
30.63		जमा व अग्रिमों में वृद्धि	169.35	
(-) 104.12		आरक्षित निधि में कमी	(-)50.71	
(-) 342.48		उचन्त व विविध लेन देनों का शुद्ध प्रभाव	368.34	
(-) 21.81		प्रेषण लेन देनों का शुद्ध प्रभाव	(-)28.10	
	5.	ओवरड्राफ्ट में वृद्धि	..	
5284.63		कुल	4980.03	
1999-2000		प्रयुक्ति	2000-2001	
3821.54	1.	राजस्व व्यय	4328.75	
60.26	2.	विकास व अन्य प्रयोजनों के लिए उधार	40.27	
553.88	3.	पूंजीगत व्यय	548.71	
717.16	4.	ओवरड्राफ्ट में कमी	49.84	
131.79	5.	इति नकद शेष में वृद्धि	12.46	
5284.63		जोड़	4980.03	

प्रदर्शन-I, II व III की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. पूर्वगामी विवरणियों के सारांशित लेखे वित्त लेखे की विवेचना व व्याख्या के साथ पढ़े जाने हैं।
2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकदाधार पर होने के कारण प्रदर्शन-I में प्रदर्शित सरकारी खाते का घाटा वाणिज्यिक लेखापद्धति में प्रोदभूत आधार के विपरीत नकदाधार पर स्थिति दर्शाते हैं। परिणामतः भुगतानयोग्य या प्राप्य मर्दे या मूल्य ह्रास या स्टॉक आंकड़ों में भिन्नता आदि जैसी मर्दे इन लेखाओं में प्रदर्शित नहीं होती।
3. उचन्त एवं विविध शेष जारी किए गए लेकिन भुगतान न किए गए बैंक राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य बकाया पड़े समायोजन आदि शामिल हैं।
4. लेखाओं में प्रदर्शित व रिजर्व बैंक के पास जमा के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों में 23.76 करोड़ ₹ (शुद्ध क्रेडिट) का असमायोजित अन्तर था। 3.10 करोड़ ₹ (शुद्ध डेबिट) के अन्तर का समाधान हो चुका था तथा 20.66 करोड़ ₹ के अन्तर का समाधान प्रतीक्षित था (मई 2001)।

* भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार से लिए गए अर्थोपाय अग्रिम सहित।

प्रदर्शन-IV
राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आंकड़े

		(करोड़ रुपये)				
		1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
खण्ड क. प्राप्तियाँ						
1.	राजस्व प्राप्तियाँ	1992	2170	2312	3715	3046
(i)	कर प्राप्तियाँ	412 (21)	476 (22)	572 (25)	620 (17)	729(24)
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	146 (35)	171 (36)	197 (34)	233 (38)	302(41)
	राज्य आवकाशी	133 (32)	159 (34)	185 (33)	199 (32)	209(29)
	वाहन कर	14 (4)	16 (3)	17 (3)	28 (4)	61(8)
	स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	15 (4)	19 (4)	22 (4)	25 (4)	29(4)
	विद्युत कर व शुल्क	19 (5)	7 (2)	28 (5)	*	28(4)
	भू-राजस्व	6 (1)	2 (-)	1 (-)	6 (1)	4(1)
	माल व यात्री कर	65 (16)	97 (20)	115 (20)	105 (17)	43(6)
	पदार्थों व सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	14 (3)	5 (1)	7 (1)	24 (4)	53(7)
(ii)	कर-भिन राजस्व	147 (7)	222 (10)	206 (9)	1056 (28)	177(6)
(iii)	संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	440 (22)	651 (30)	727 (31)	921 (25)	330(11)
(iv)	भारत सरकार से सहायता अनुदान	993 (50)	821 (38)	807 (35)	1118 (30)	1810(59)
2.	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
3.	कुल राजस्व तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2)	1992	2170	2312	3715	3046
4.	ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	16	18	29	531	27
5.	लोक ऋण प्राप्तियाँ	413	828	1642	1477	1557
	आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट सहित)	77(19)	112(14)	357(22)	859(58)	1227(79)
	अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	--	--	819(50)	--	--
	भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	336(81)	716(86)	466(28)	618(42)	330(21)
6.	समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (3+4+5)	2421	3016	3983	5723	4630
7.	आवृत्त निधि प्राप्तियाँ	-	-	4	-	-
8.	लोक लेखा प्राप्तियाँ	2742	3512	4054	4932	3878
9.	राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	5163	6528	8041	10655	8508
खण्ड ख-व्यय/संवितरण						
10.	राजस्व व्यय	2147	2699	3334	3821	4329
	योजनागत	651(30)	842(31)	1006(30)	1073(28)	1282(30)
	आयोजनेतर	1496(70)	1857(69)	2328(70)	2748(72)	3047(70)
	सामान्य सेवा (व्याज भुगतानों सहित)	703(33)	842(31)	1088(33)	1447(38)	1614(37)
	सामाजिक सेवाएँ	790(37)	994(37)	1265(38)	1376(36)	1561(36)
	आर्थिक सेवाएँ	649(30)	852(32)	967(29)	978(26)	1134(26)
	सहायता अनुदान व अंशदान	5	11	14	20	20(1)
11.	पूंजीगत व्यय	352	541	584	554	549
	योजनागत	353(100)	544(100)	584(100)	557(100)	554(100)
	आयोजनेतर	(-1)	(-3)	-	(-3)	(-5)
	सामान्य सेवाएँ	18(5)	20(4)	21(4)	34(6)	19(3)
	सामाजिक सेवाएँ	116(33)	144(27)	178(30)	201(36)	228(42)

* केवल 21 लाख रुपए।

31 मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष का (सिविल) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
आर्थिक सेवाएं	218(62)	377(69)	385(66)	319(58)	302(55)
12. ऋणों व अग्रिमों का संवितरण	81	151	85	60	40
13. जोड़ (10+11+12)	2580	3391	4003	4435	4918
14. लोक ऋण की चुकौती	161	484	165	995	414
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त)	6(4)	10(2)	17(10)	28(3)	47(11)
अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	109(68)	421(87)	-	717(72)	17(4)
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	46(28)	53(11)	148(92)	250(25)	350(85)
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	-	-	4(2)	-	-
16. आकस्मिकता निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	2741	3875	4172	5430	5332
17. आकस्मिकता निधि का संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	2542	3212	3368	5091	3164
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	5283	7087	7540	10521	8496
खण्ड-ग. घाटे					
20. राजस्व घाटा (1-10)	155	529	1022	106	1283
21. राजकोषीय घाटा (3+4-13)	572	1202	1662	189	1845
22. प्राथमिक घाटा (21-23)	259	830	1164	(-408)	1047
खण्ड-घ. अन्य सामग्री					
23. व्याज अदायगियां (राजस्व व्यय सहित)	313	372	498	597	798
24. राजस्व बकाया (कर तथा कर-मिन्न राजस्व प्राप्तिओं की प्रतिशतता)	155(28)	170(24)	224(29)	189(11)	261(29)
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	132	205	175	167	213
26. प्राप्त किए हुए अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट (दिनों में)	31	43	119	253	185
27. अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	1.14	0.97	2.23	6.69	4.96
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद*	7487	8511	9920	11303	12515
29. बकाया ऋण (वर्षान्त)	3700	4337	6418	7104	8621
30. बकाया गारण्टियां (वर्षान्त)	989	1634	1869	1886	3804
31. गारण्टी की गई अधिकतम राशि (वर्षान्त)	1643	2357	2507	2897	4268
32. अचूरी परियोजनाओं की संख्या	114	87	39	25	17
33. अचूरी परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	108	58	42	35	30

नोट: कोष्ठकों में प्रदत्त आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष की सकल से प्रतिशतता (पूर्णांक) दर्शाते हैं।


* सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार का आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग, राज्य सरकार के संशोधित आंकड़े। 2000-2001 के आंकड़े 10.72 प्रतिशत की औसत वृद्धि पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित किए गए हैं।

1.5 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्तियों तथा कर एवं कर-भिन्न राजस्व शामिल हैं। उनका सापेक्ष अंश आकृति-I में प्रदर्शित है। 2000-2001 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 1999-2000 के स्तर से 18 प्रतिशत कम हुईं। यह 1999-2000 में मुख्यतः कर भिन्न राजस्व में 28 प्रतिशत से 2000-2001 में 6 प्रतिशत तक घटने के कारण तथा 1999-2000 के संघीय करों तथा शुल्कों के राज्यांश के 1999-2000 के 25 प्रतिशत से 2000-2001 में 11 प्रतिशत रह गया। इन सैक्टरों के अन्तर्गत प्राप्तियों में कमी का उल्लेख अनुवर्ती उप-पैरों में किया गया है।

1.5.2 कर-राजस्व

आकृति-I
राजस्व प्राप्तियाँ 2000-2001
(करोड़ रूपए)



ये राजस्व प्राप्तियों का 24 प्रतिशत है। कर राजस्व के वर्धन में 1999-2000 में 8 प्रतिशत से 2000-2001 में 18 प्रतिशत तक की वृद्धि के कारण इनका अंश 1999-2000 में 17 प्रतिशत से आगे बढ़ा। प्रदर्शन-IV प्रदर्शित करता है कि बिक्री कर, व्यापार, आदि व राज्य आबकारी का सापेक्ष अंशदान 1999-2000 की तुलना में 2000-2001 में 70 प्रतिशत पर स्थिर रहा। तथापि, माल व यात्री कर से अंशदान 1999-2000 में इनकी प्राप्तियों की तुलना में 2000-2001 के दौरान सार्थकरूप से घटे।

1.5.3 कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व जो सरकार की राजस्व प्राप्तियों का छः प्रतिशत था वर्ष 1999-2000 के दौरान 1056 करोड़ ₹ से घटकर वर्ष 2000-2001 के दौरान 177 करोड़ ₹ रह गया। पूर्व वर्ष की तुलना में 879 करोड़ ₹ की यह गिरावट मुख्यतः हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा 1994-2000 के दौरान गैर सांविधिक लिक्विडिटी रेशो बांड के द्वारा जुटाए गए ऋणों में से अग्रिम वन सॉयल्टी (656.04 करोड़ ₹), निःशुल्क विद्युत सॉयल्टी (53.18 करोड़ ₹) तथा

ब्याज प्राप्तियों (152.28 करोड़ ₹) के रूप में 1999-2000 के दौरान 861.50 करोड़ ₹ एकमुश्त जमा करने के कारण थी।


1.5.4 संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान संघीय करों व शुल्कों (उत्पाद शुल्क व आय एवं निगम कर) में राज्यांश 64 प्रतिशत तक घट गया। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में यह 1999-2000 के 25 प्रतिशत से घटकर 2000-2001 में 11 प्रतिशत हो गया। 1996-2001 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का औसतन 66 प्रतिशत संघीय करों व शुल्कों में राज्य के अंश तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान के कारण था। यद्यपि वर्ष 2000-2001 के दौरान अंशदान में वृद्धि 70 प्रतिशत थी जो वास्तव में भारत सरकार से सहायता अनुदान में अधिक वृद्धि (692 करोड़ ₹) के कारण थी। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2001) कि ग्यारहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यांश को अत्यधिक कम किया था तथा वर्ष 2000-2001 के लिए अधिक "राजस्व घाटा अनुदान" की सिफारिश की जिस कारण ये विसंगतियां हुईं।

1.6 राजस्व व्यय

1.6.1 राज्य सरकार के कुल व्यय* में से अधिकांश व्यय (89 प्रतिशत) राजस्व व्यय था तथा 1997-98 के दौरान इसका भाग 83 प्रतिशत से बढ़ गया। जबकि राजस्व व्यय में 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु उसी अवधि में राजस्व प्राप्तियों में केवल 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। तथापि गैर योजना राजस्व व्यय में वृद्धि दर 104 प्रतिशत थी तथा 1996-2001 के दौरान योजना राजस्व व्यय 97 प्रतिशत था जैसा कि आकृति 2 में प्रदर्शित है।

आकृति 2
योजनागत व आयोजनेतर राजस्व व्यय की वृद्धि
(करोड़ रूपए)



—◆— योजनागत —■— आयोजनेतर

(करोड़ रूपए)

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
योजनागत	651	842	1008	1073	1282
आयोजनेतर	1496	1857	2328	2748	3047

* राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय

1.6.2 सेक्टरबद्ध विश्लेषण प्रदर्शित करता है कि सामान्य सेवाओं पर व्यय 1996-97 के 703 करोड़ ₹ से 130 प्रतिशत बढ़कर 2000-2001 में 1614 करोड़ ₹ हो गया। सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि 1996-2001 के दौरान क्रमशः 75 व 98 प्रतिशत थी। राजस्व व्यय के अनुपातस्वरूप 1996-2001 में सामान्य सेवाओं का अंश औसतन 34 प्रतिशत रहा। 1996-97 में सामाजिक सेवाओं का अंश 37 प्रतिशत से घटकर 2000-2001 में 36 प्रतिशत हो गया तथा आर्थिक सेवाओं का अंश 1996-97 के 30 प्रतिशत से घटकर 2000-2001 में 26 प्रतिशत हो गया।

1.6.3 ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान 1996-97 के 313 करोड़ ₹ से सीधे 155 प्रतिशत बढ़कर 2000-2001 में 798 करोड़ ₹ हो गया। ब्याज भुगतान 1999-2000 के भुगतान की तुलना में 201 करोड़ ₹ (34 प्रतिशत) से बढ़ गया तथा उसी वर्ष कर राजस्व (729 करोड़ ₹) 69 करोड़ ₹ और भी बढ़ गया। यह वृद्धि मुख्यतः आंतरिक ऋण पर 151.48 करोड़ ₹ के ब्याज भुगतान के कारण थी। इन वर्षों में राज्य सरकार के राजस्व व्यय में 18 प्रतिशत का ब्याज भुगतान था। इनका विवेचन इस प्रवर्ग के वित्तीय सूचकों में दिया गया है।

1.6.4 स्थानीय निकायों व अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2000-2001 में समाप्त पांच वर्षों के दौरान विभिन्न निकायों आदि को दी गई सहायता की मात्रा निम्नवत् थी:-

	(करोड़ रुपए)				
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
विश्वविद्यालय व अन्य शैक्षणिक संस्थाएं	30.06	66.60	56.16	68.84	74.13
नगर निगम व नगर पालिकाएं	12.06	31.75	23.52	16.77	29.99
जिला परिषद व पंचायती राज संस्थाएं	11.18	20.45	18.76	20.57	85.75
विकास अभिकरण	24.98	48.68	49.30	21.94	8.14
अस्पताल एवं अन्य दातव्य संस्थाएं	4.17	3.89	0.37	0.11	0.10
अन्य संस्थाएं	49.75	33.40	26.61	39.20	14.67
जोड़	132.20	204.77	174.72	167.43	212.78
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/ह्रास (-) की प्रतिशतता	(-) 14	(+) 55	(-) 15	(-) 4	(+)27
राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में सहायता	7	9	8	4	7
राजस्व व्यय पर सहायता की प्रतिशतता	6	8	5	4	5

1996-97 की तुलना में 2000-2001 के दौरान विकासशील अभिकरणों, अस्पतालों एवं अन्य दातव्य संस्थानों तथा अन्य संस्थानों को सहायता में भारी कमी (55.99 करोड़ ₹ की कमी) हो गई जबकि जिला परिषदों तथा पंचायती राज संस्थानों को सहायता सात गुणा से भी अधिक बढ़ा दी गई। 1996-2001 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को समग्र सहायता 61 प्रतिशत तक बढ़ा दी

गई। 1996-2001 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य को सहायता राजस्व प्राप्तियों की 4 तथा 9 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय की 4 तथा 8 प्रतिशत के मध्य रही।

1.6.5 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण व अग्रिम

सरकार सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, सहकारिताओं, गैर सरकारी संस्थानों आदि को विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण एवं अग्रिम प्रदान करती है। 1996-97 से 2000-2001 तक के पांच वर्षों की स्थिति इस प्रकार थी।

(करोड़ रूपए)					
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
अथशेष	456.15	521.53	654.30	709.94	239.44
वर्ष में प्रदत्त राशि	81.41	151.04	84.93	60.26	40.27
वर्ष में चुकता की गई राशि	16.03	18.27	29.29	530.76	27.36
अन्तिम शेष	521.53	654.30	709.94	239.44	252.35
निवल वृद्धि/कमी(-)	65.38	132.77	55.64	(-) 470.50	12.91
प्राप्त ब्याज	3.17	3.48	4.36	158.13	14.55

यह ज्ञातव्य है कि पिछले वर्षों की तुलना में 2000-2001 में अतिशेष में वृद्धि 5 प्रतिशत रही। 1999-2000 के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में वसूलियां अधिक थीं। ऐसा इसलिए था कि हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के 1994-2000 के गैर सांविधिक लिक्विडिटी रेशों बाण्ड के माध्यम से जुटाए गए ऋण में 498 करोड़ ₹ को विद्युत परियोजनाओं के ऋणों के प्रति वसूली के रूप में लिया गया था। सरकार ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2001) कि वर्ष 2000-2001 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली में कमी वर्ष 1999-2000 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से ऋणों के एकमुस्त समायोजन के कारण थी।

ऋणों के बारे में जिनके विस्तृत लेखों को विभागीय अधिकारियों द्वारा रखा जाता है, 31 मार्च 2001 को दिए गए ऋणों के प्रति कुल वसूलीयोग्य अतिदेय राशि उपलब्ध सूचनानुसार (जुलाई 2001) 26.02 करोड़ ₹ थी जिसमें ब्याज के 4.65 करोड़ ₹ भी सम्मिलित थे। बकायों का मुख्य भाग सहकारिता विभाग (3.71 करोड़ ₹) के अन्तर्गत "सहकारी सभाओं को ऋण", "कृषि विभाग को ऋण" (4.44 करोड़ ₹), तथा बागवानी विभाग (12.49 करोड़ ₹)[#] के अन्तर्गत "बागवानी के प्रोत्साहन हेतु किसानों को ऋण तथा एचपीएमसी को अल्प एवं दीर्घावधि ऋणों" से सम्बन्धित था।

[#] बागवानी विभाग द्वारा दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज की गणना नहीं की गई थी।

1.7 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय से परिसम्पत्ति सृजन होता है। इसके अलावा वित्तीय परिसम्पत्तियां सरकार से बाहर की संस्थाओं या उपक्रमों अर्थात् लोक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों तथा ऋणों व अग्रिमों आदि में निवेशित धन से बढ़ती है। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 1999-2000 के 13 प्रतिशत के प्रति 2000-01 में 11 प्रतिशत रह गया। वास्तव में कुल व्यय के प्रति पूंजीगत व्यय का अंश वर्षानुवर्ष गिरता गया तथा 1997-98 के 17 प्रतिशत के प्रति 2000-2001 में 11 प्रतिशत रह गया। प्रदर्शन-IV प्रदर्शित करता है कि अधिकांश पूंजीगत व्यय (97 प्रतिशत) आर्थिक व सामाजिक सेवाओं पर तथा योजनागत पक्ष में हुआ।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

1.8.1 सरकार विभिन्न कार्यकलापों पर धन खर्च करती है जो कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से लेकर विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों के विनियमन कार्यों तक होता है। सरकारी व्यय मोटे तौर पर योजनागत एवं आयोजनेतर तथा राजस्व व पूंजीगत में वर्गीकृत किया जाता है। योजनागत व पूंजीगत व्यय सामान्यतः परिसम्पत्ति सृजन से सम्बद्ध होता है जबकि आयोजनेतर व राजस्व व्यय को स्थापना, अनुसंधान सेवाओं पर हुए व्यय के साथ अभिज्ञात किया जाता है। अतएव सामान्य परिभाषा में योजनागत व पूंजीगत व्यय को व्यय की गुणवत्ता में अंशदायी माना जा सकता है।

1.8.2 सार्वजनिक अपव्यय, निधि अपवर्तन तथा अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध निधि भी पर्याप्तरूपेण व्यय की गुणवत्ता पर असर डालेगी। इसी प्रकार व्ययस्वरूप लेखाबद्ध करने पर लोक लेखे में निक्षेप शीर्ष में हस्तान्तरित निधि भी व्यय की गुणवत्ता में निर्णायक समझी जा सकती है। चूंकि व्यय वास्तव में सम्बद्ध वर्ष में नहीं किया गया, अतः उसे उस वर्ष के व्ययकड़ों से निकाल देना चाहिए। आर्थिक व सामाजिक सेवाओं के प्रतिकूल सामान्य सेवाओं के व्यय में वृद्धि एक अन्य संभावी सूचक है।

1.8.3 निम्नांकित तालिका इन द्योतकों की प्रवृत्ति की सूची दर्शाती है।

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
1. प्रतिशतता के रूप में योजनागत व्यय					
-राजस्व व्यय	30	31	30	28	30
- पूंजीगत व्यय	100	100	100	100	100
2. पूंजीगत व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	14	17	15	13	11
3. सामान्य सेवाओं पर व्यय					
-पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)	5	4	4	6	3
-राजस्व व्यय (प्रतिशतता)	33	31	33	38	37
4. नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पता लगे अपव्यय व निधि अपवर्तन की राशि (करोड़ रूपए)	9	1	5	86	79
5. अपूर्ण परियोजनाओं पर अपारिश्रमिक व्यय (करोड़ रूपए)	108	58	42	35	30

यह देखा जाएगा कि राजस्व में योजनागत व्यय का अंश 1999-2000 के 28 प्रतिशत से बढ़कर 2000-2001 में 30 प्रतिशत हो गया। पूंजीगत व्यय का अंश 1996-97 के 14 प्रतिशत से घटकर 2000-2001 में 11 प्रतिशत रह गया।

1.9 वित्तीय प्रबन्ध

सरकार में वित्तीय प्रबन्ध का मुद्दा कार्यक्षमता, मितव्ययिता, प्रभावशीलता व उसके राजस्व व व्यय क्रियाकलापों से सम्बद्ध होना चाहिए। इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती अध्याय इन मुद्दों से सम्बद्ध हैं और विशेषकर नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर आधारित सरकार के व्यय से सम्बद्ध हैं। कुछ अन्य ऐसे परिमाण इस प्रवर्ग में विवेचित है जिन्हें लेखाओं तथा सरकार की अन्य सम्बद्ध वित्तीय सूचना से पृथक किया जा सकता है।

1.9.1 निवेश व प्रतिफल

निवेशों के सेक्टरबद्ध ब्यौरे व सम्बद्ध प्रतिष्ठानों की संख्या निम्नांकित थी:-

सेक्टर	प्रतिष्ठानों की संख्या	निवेशित पूंजी	
		31.03.2001 को	2000-2001 के दौरान (करोड़ रूपए)
सांविधिक निगम/बोर्ड	6	465.59	13.33
सरकारी कम्पनियां	20	642.59	56.77
संयुक्त स्टॉक कम्पनियां	14	0.10	..
सहकारी संस्थाएं	*	70.53	3.95
योग	40	1178.81	74.05

विगत पांच वर्षों में निवेशों तथा लाभांश व ब्याज के माध्यम से वसूल किए गए प्रतिफलों के ब्यौरे निम्नांकित थे:-

वर्ष	वर्षान्त में निवेश	प्रतिफल	प्रतिफल की प्रतिशतता	सरकारी उधार पर ब्याज दर
(करोड़ रूपए)				
1996-97	722.84	0.54	0.074	13.85
1997-98	858.38	0.24	0.028	13.75/13.05
1998-99	972.66	0.54	0.055	12.50
1999-2000	1104.77	0.59	0.053	11/12.25
2000-2001	1178.81	0.61	0.052	10.50/12.00

इस प्रकार यद्यपि सरकार बाजार से उच्च दरों पर उधार ले रही थी लेकिन सरकारी कम्पनियों में उसके निवेश से खास प्रतिफल प्राप्त नहीं हुए।

1.9.2 सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2001 के अन्त में 79.45 करोड़ ₹ के पूंजीगत परिव्यय वाली एक मुख्य तथा नौ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2000-2001 में इनसे वसूल किया गया राजस्व (1.96 लाख ₹) पूंजीगत परिव्यय का केवल 0.025 प्रतिशत था जो कि सीधे कार्यचालन खर्चों (4.32 करोड़ ₹) के लिए भी पर्याप्त नहीं था। कार्यचालन व अनुरक्षण व्यय (4.32 करोड़ ₹) की पूर्ति के बाद इन स्कीमों में 4.30 करोड़ ₹ की शुद्ध हानि हुई।

* राज्य सरकार से सूचना अपेक्षित है।

1.9.3 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2001 को 17 अपूर्ण परियोजनाएं थी जिनमें 30 करोड़ ₹ अवरोद्ध थे। 31 मार्च 2000 (ब्यौरे प्रदर्शन IV में है) की तुलना में यह स्थिति सुधार ली गई थी। यद्यपि वर्ष 2000-2001 के दौरान पूंजीगत व्यय में कमी आई।

1.9.4 बकाया राजस्व

1999-2000 की बकाया राशियों की तुलना में इस वर्ष के दौरान संग्रहणार्थ बकाया राजस्व 38 प्रतिशत बढ़ गया था। लम्बित बकाया 1996-2001 (प्रदर्शन IV) में राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए राजस्व का 11 प्रतिशत तथा 29 प्रतिशत के बीच था।

1.9.5 घाटा

1.9.5.1 सरकारी लेखाओं में घाटा आय व व्यय के बीच आए अन्तर को प्रकट करता है। घाटे की प्रकृति सरकार की वित्तीय प्रबन्ध प्रक्रिया की महत्वपूर्ण सूचक है। इसके अलावा घाटे को वित्तपोषित करने के तरीके तथा इस ढंग से जुटाई गई निधि की प्रयुक्ति सरकार की वित्तीय बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण परिचायक है। इस प्रवर्ग की विवेचना घाटे की तीन संकल्पनाओं अर्थात् राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे व प्राथमिक घाटे से सम्बद्ध है।

1.9.5.2 राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता है। राजकोषीय घाटे को राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त सहायता अनुदान सहित) पर राजस्व व पूंजीगत व्यय (प्रदत्त निवल ऋणों सहित) की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतानों को कम करके राजकोषीय घाटा है। निम्नांकित प्रदर्शन 2000-2001 में सरकारी लेखों में घाटे का विवरण प्रस्तुत करता है:-

प्रदर्शन-V सरकार के समग्र वित्तीय लेनदेन

(करोड़ रूपए)				
समेकित निधि				
प्राप्ति	राशि		संवितरण	राशि
राजस्व	3046	राजस्व घाटा: 1283	राजस्व	4329
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	—		पूंजी	549
ऋणों व अग्रिमों की वसूली	27		ऋण व अग्रिम संवितरण	40
उप-योग	3073	सकल राजकोषीय घाटा: 1845	उप-योग	4918
लोक ऋण	1557		लोक ऋण चुकोती	414
योग	4630	क: समेकित निधि पर घाटा: 702		5332
लोक लेखा				
लघु, बचत, भविष्य निधि, आदि	692		लघु, बचत, भविष्य निधि आदि	437
निक्षेप एवं अग्रिम	1146		निक्षेप एवं अग्रिम	977
आरक्षित निधियां	63		आरक्षित निधियां	114
उचन्त एवं विविध	265		उचन्त एवं विविध	(-)103
प्रेषण	1712		प्रेषण	1739
कुल लोक लेखा	3878	ख: लोक लेखा द्वारा वित्तपोषित समेकित निधि में घाटा: 714	कुल लोक लेखा	3164
नकद रूप में वृद्धि (क:ख): 12				

यह तालिका प्रदर्शित करती है कि 1283 करोड़ ₹ का राजस्व घाटा अंशतः ऋणों व अग्रिमों (27 करोड़ ₹) की निवल वसूली तथा अंशतः उधारों से पूरा किया गया। 1845 करोड़ ₹ का राजकोषीय घाटा लोक ऋण (1143 करोड़ ₹) की निवल लब्धियों तथा अंशतः लोक लेखे से अधिशेष द्वारा वित्तपोषित किया गया। वर्ष 1999-2000 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष के दौरान राजस्व घाटा 1177 करोड़ ₹ (111 प्रतिशत) से बढ़ गया। इसका मुख्य कारण पूर्व वर्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा 1994-2000 के दौरान गैर-सांविधिक लिक्विडिटी रेशों बांड के माध्यम से लिए गए ऋणों को सरकारी लेखों में प्राप्ति के रूप में जमा किया गया था। वर्ष 1999-2000 में 189 करोड़ ₹ की तुलना में वर्ष 2000-2001 में 1845 करोड़ ₹ की महत्वपूर्ण वृद्धि से राजकोषीय घाटा वर्ष के दौरान 1656 करोड़ ₹ हो गया। वर्ष 2000-2001 के दौरान राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे का 70 प्रतिशत था।

1.9.5.3 उधार ली गई निधि की प्रयुक्ति (राजकोषीय घाटा)

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल निवल उधार को प्रकट करता है। ये उधार राजस्व घाटे की पूर्ति, पूंजीगत व्यय करने तथा विकासात्मक व अन्य प्रयोजनों के लिए विभिन्न निकायों को ऋण देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इन प्रयुक्तियों का सापेक्षिक अनुपात राज्य सरकार की वित्तीय बुद्धिमत्ता व उसके कार्यकलापों की ग्राह्यता को इंगित करेगा क्योंकि राजस्व व्यय के लिए सतत उधार दीर्घकाल में ग्राह्य नहीं होगा। निम्नांकित तालिका हिमाचल प्रदेश सरकार की विगत पांच वर्षों की स्थिति दर्शाती है।

अनुपात	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा	0.27	0.44	0.62	0.56	0.70
पूंजीगत व्यय/ राजकोषीय घाटा	0.62	0.45	0.35	2.93	0.30
निवल ऋण/ राजकोषीय घाटा	0.11	0.11	0.03	(-) 2.49	0
कुल	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

यह अवलोकित होगा कि वर्ष 2000-01 में उधार ली गई 70 प्रतिशत निधियां राजस्व व्यय की पूर्ति पर प्रयुक्त हुईं।

1.9.6 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियां

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा जुटाए गए ऋणों व शेयर पूंजी की चुकौती जैसे कुछ दायित्वों के निर्वहन तथा उनके द्वारा ब्याज भुगतान व न्यूनतम लाभांश के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतियां दी जाती हैं। वे राज्य की आकस्मिक देयताएं होती हैं। राज्य के विधानमण्डल ने संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अन्तर्गत कोई ऐसा कानून पारित नहीं किया है जिसमें राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार द्वारा प्रत्याभूतियां देने की अधिकतम सीमा

निर्धारित हो। प्रदर्शन-IV प्रदर्शित करता है कि 1996-2001 में सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों की राशियां 1643 करोड़ ₹ से बढ़कर 4268 करोड़ ₹ (160 प्रतिशत वृद्धि) हो गई। प्रत्येक वर्ष के अन्त में बकाया पड़ी राशियां भी बढ़ गई थीं। 2000-2001 में 25 लाख ₹ गारण्टी कमीशन के रूप में प्राप्त हुए थे जबकि 31 मार्च 2001 को चार सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों से वसूली हेतु 397 लाख ₹ की गारण्टी कमीशन बकाया था।

1.10 लोक ऋण

भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि कोई राज्य अपने विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा, यदि है, के अन्दर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारतीय क्षेत्र में उधार ले सकता है। राज्य विधानमण्डल द्वारा ऐसी सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून पारित नहीं किया गया था। विगत पांच वर्षों के अन्त में राज्य सरकार के कुल दायित्वों के ब्यौरे निम्नांकित तालिका में दिए गए हैं। इन पांच वर्षों में सरकार के कुल दायित्व 133 प्रतिशत बढ़ गए थे। यह आन्तरिक ऋण में 251 प्रतिशत, भारत सरकार से आन्तरिक ऋणों व अग्रिमों में 78 प्रतिशत तथा अन्य दायित्वों में 129 प्रतिशत वृद्धि के कारण था। 2000-2001 में सरकार ने 10.50 प्रतिशत से 12.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दरों पर मुक्त बाजार से 233.11 करोड़ ₹ उधार लिए थे।

(करोड़ रुपये)						
वर्ष	आन्तरिक ऋण	केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम	कुल लोक ऋण	अन्य दायित्व*	कुल दायित्व (ऋण)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात †
1996-97	842	1715	2557	1143	3700	0.49
1997-98	523	2379	2902	1435	4337	0.51
1998-99	1683	2697	4380	2038	6418	0.65
1999-2000	1796	3065	4861	2243	7104	0.63
2000-2001	2959	3045	6004	2617	8621	0.69

लोक ऋण से जुटाई गई निधि, चुकौती की राशि तथा उपलब्ध निवल निधि निम्नांकित तालिका में दिए गए हैं:

- * अन्य दायित्वों में लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां व निक्षेप आदि शामिल हैं।
- † सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े बदलने के कारण गत वर्ष से भिन्न है।

	(करोड़ रूपए)				
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
आन्तरिक ऋण#					
-प्राप्ति	77	112	357	859	1227
-चुकोती (मूलधन + ब्याज)	52	66	86	141	311
-उपलब्ध निवल निधि	25 (32)	46 (41)	271 (76)	718 (84)	916(75)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम♦					
-वर्ष में प्राप्ति	336	716	366	179	221
-चुकोती (मूलधन + ब्याज)	225	273	380	429	464
-उपलब्ध निवल निधि	111 (33)	443 (62)	(-14 (-4)	(-) 250 (-) 140	(-) 243 (-) 110
अन्य दायित्व					
-वर्ष में प्राप्ति	1446	2119	2298	2389	1777
-चुकोती + प्रदत्त ब्याज	1342	1919	1798	2299	1531
-उपलब्ध निवल निधि	104 (7)	200 (9)	500 (22)	90 (4)	246(14)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

यह स्पष्ट होगा कि भारत सरकार से उधार व अन्य दायित्वों के विषय में चुकोती दायित्व पूरा करने पर बहुत कम उधार निवेश व अन्य व्यय के लिए बचा था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्षानुवर्ष बकाया ऋण बढ़ता जा रहा है, लोक ऋणों के माध्यम से निधियों की निवल उपलब्धता और भी घटने जा रही थी।

1.11 अर्थोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबन्ध के अधीन राज्य सरकार ने 55 लाख ₹ का न्यूनतम दैनिक नकद शेष बैंक के पास रखना था। यदि किसी दिन शेष सहमत न्यूनतम सीमा से गिर जाए तो कमी को बैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा करना था। इसके अलावा यथावश्यक होने पर बैंक द्वारा विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी दिए जाते हैं। अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का सहारा लेने का मतलब यह था कि सरकार की पावती व खर्च में सही तालमेल नहीं था। नकद शेष में कमी की पूर्ति के लिए भारत सरकार के कोषागार बिलों पर भी पुनर्छूट दी जाती है।

ये बाजार से उधार तथा संस्थागत उधार को प्रकट करते हैं जिनमें अर्थोपाय अग्रिम व भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष शामिल नहीं है।

♦ भारत सरकार से अर्थोपाय अग्रिम छोड़कर।

राज्य सरकार ने 1996-2001 वर्षों में निम्नांकित सीमा तक बैंक के पास न्यूनतम शेष रखा:

वर्ष	उन दिवसों की संख्या जिनमें न्यूनतम शेष रखा गया		ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने वाले दिनों की संख्या	उन दिवसों की संख्या जिनमें भारत सरकार के खजाना बिलों पर पुनर्छूट दी गई
	अग्रिम प्राप्त किए बिना	अर्धोपाय अग्रिम प्राप्त करके		
1996-97	122	21	10	212
1997-98	135	34	9	187
1998-99	108	81	38	138
1999-2000	67	81	172	45
2000-2001	88	82	103	92

राज्य सरकार द्वारा 1996-97 से 2000-01 तक लिए गए अर्धोपाय अग्रिमों व ओवरड्राफ्टों तथा उनके ऊपर प्रदत्त ब्याज के ब्यौरे नीचे सारणीकृत थे:-

(करोड़ रूपए)					
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
(1) अर्धोपाय अग्रिम					
(i) वर्ष में लिए गए ओवरड्राफ्ट (सकल)	88.23	218.05	564.91	650.58	848.22
(ii) वर्षान्त में बकाया ओवरड्राफ्ट	33.67	33.67	59.07	59.00	92.00
(iii) प्रदत्त ब्याज	0.10	0.24	0.74	3.29	2.60
(2) ओवरड्राफ्ट					
(i) वर्ष में पुनर्छूट प्राप्त बिलों की राशि	435.48	1428.88	1724.76	1508.41	728.73
(ii) वर्षान्त में बकाया ओवरड्राफ्ट	420.94	—	793.56	76.40	26.55
(iii) प्रदत्त ब्याज	1.04	0.73	1.49	3.40	2.36
(3) भारत सरकार खजाना बिलों की पुनर्छूट					
(i) वर्ष में पुनर्छूट प्राप्त बिलों की राशि	1417.80	2824.53	1532.18	627.28	2631.47
(ii) प्रदत्त ब्याज	9.30	2.06	2.26	0.92	1.68

1.11.1 हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचनात्मक विकास निगम तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से ऋणों का जुटाया जाना

नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम से प्राप्तियों के प्रत्याभूतिकरण के प्रति नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम को किए जाने वाली बिना ब्याज के ऋण की अदायगी के लिए हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचनात्मक विकास निगम से 757 करोड़ ₹ के ऋण जुटाए गए जो 1994-2000 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जुटाए गए 899.83 करोड़ ₹ के ऋण के परिसमापन हेतु पहले ही सरकार ने 1996 में रखे हुए थे।

(क) नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम में 1999-2000 की अवधि के लिए राज्य सरकार इक्विटी वित्तपोषण के उद्देश्य से सरकार को लगभग 600 करोड़ ₹ के संसाधनों की आवश्यकता थी। तदनुसार, सरकार ने परियोजना की प्रतिस्थापना की तिथि से लगभग पांच वर्षों के लिए नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम से मुफ्त विद्युत की प्राप्तियों के प्रत्याभूतिकरण द्वारा राज्य को देय 350 करोड़ ₹ हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचनात्मक विकास निगम के माध्यम से 1999-2000 की अवधि में असांविधिक परिसमापन अनुपात बांड की प्राइवेट व्यवस्था द्वारा निधियों का संग्रहण अनुमोदित किया (फरवरी 2000)। परियोजना अभी प्रतिस्थापित की जानी है (सितम्बर 2001)। बांड मामले को हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचनात्मक विकास निगम की ओर से विद्युत वित्त निगम द्वारा हाथ में लिया जाना था जिसके लिए उनके द्वारा 0.25 प्रतिशत शुल्क प्रभारित किया जाना था।

हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचनात्मक विकास निगम ने 1999-2000 (190 करोड़ ₹) तथा 2000-2001 (567 करोड़ ₹) के दौरान 12.20 प्रतिशत एवं 12.60 प्रतिशत के मध्य की ब्याज दरों पर नान-एसएलआर बांड जारी करके 757 करोड़ ₹ के ऋण जुटाए। सरकार ने हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचनात्मक विकास निगम द्वारा जारी किए गए बांड के ब्याज एवं मूलधन दोनों के भुगतान को प्रत्याभूत किया। 757 करोड़ ₹ की समग्र राशि को लेखाशीर्ष "6003-राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण, 109-अन्य संस्थानों से ऋण, IX-अन्य एसएलआर उधारों" के अन्तर्गत सरकारी खाते में जमा कराया गया। लेखा शीर्ष "8229-विकास एवं कल्याण निधि, 110-विद्युत विकास निधि" के अन्तर्गत बकाया में से 1999-2001 के दौरान नाथपा झाखड़ी पावर निगम को 169.12 करोड़ ₹ का इक्विटी भुगतान किया गया। मार्च 2001 तक नान-एसएलआर उधारों में से नाथपा झाखड़ी पावर निगम को कोई भी इक्विटी भुगतान नहीं किया गया था।

निम्न तथ्य पाए गए:-

(i) 1994-2000 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए 899.93 करोड़ ₹ (2000-2001 से आगे भुगतान के लिए अपेक्षित) के नान-एसएलआर बांडों के परिसमापन को सरकार द्वारा नाथपा झाखड़ी पावर निगम (प्रतिस्थापना के पश्चात) से राज्य को देय मुफ्त विद्युत बिक्री का 350 करोड़ ₹ की आकलित वार्षिक वापसी पर्याप्त समझी गई (जनवरी एवं मार्च 1996)। सरकार ने पुनः नान-एसएलआर बांड द्वारा हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचनात्मक विकास निगम के माध्यम से नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम से लगभग पांच वर्षों के लिए मुफ्त विद्युत की प्राप्ति के प्रत्याभूतिकरण द्वारा 1999-2000 के दौरान 757 करोड़ ₹ का ऋण संगठित किया। इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचनात्मक विकास निगम के माध्यम से ऋण जुटाने के लिए मुफ्त विद्युत की उन्हीं प्राप्तियों का प्रत्याभूतिकरण किया जाना उचित नहीं था।

(ii) सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचनात्मक विकास निगम के माध्यम से किए गए एसएलआर उधारों को मार्च 2001 तक नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम को इक्विटी भुगतान के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया। इसे अर्थापय की स्थिति को पक्ष में संसाधन के तौर पर बनाए रखने के लिए सरकारी लेखे में रखा गया। इस प्रकार ऋण उस प्रयोजन पर प्रयुक्त नहीं किए गए जिसके लिए

ये जुटाए गए थे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने बांड धारकों को ब्याज भुगतान का परिहार्य दायित्व वहन किया क्योंकि मार्च 2001 तक नाथपा झाखड़ी विद्युत परियोजना को किया गया इक्विटी भुगतान का सरकारी दायित्व जुटाए गए ऋणों की तुलना में बहुत कम था।

राज्य सरकार द्वारा नाथपा झाखड़ी विद्युत परिषद को हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंचनात्मक विकास निगम के माध्यम से इक्विटी प्रदान करने के लिए गैर सांविधिक लिक्विडिटी रेशों बांड के द्वारा उपार्जित ऋणों को राज्य सरकार ने अपने सामान्य व्यय के वहन हेतु प्रयुक्त किया परन्तु इसके बावजूद भी राज्य सरकार का ऋणालोक नगद शेष रहा। सरकार ने कहा (सितम्बर 2001) कि इन ऋणों को केवल नाथपा झाखड़ी विद्युत परिषद को इक्विटी के अंशदान के लिए ही नहीं जुटाया गया था परन्तु ये ऋण योजना वित्तपोषण के लिए भी थे।

(ख) जनवरी 2000 में एक अन्य लिए गए सरकारी निर्णय में भारतीय जीवन बीमा निगम से 500.68 करोड़ रू का ऋण 1999-2000 (315 करोड़ रू) तथा 2000-01 (185.68 करोड़ रू) नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम को सरकार के इक्विटी अंश के भुगतान के लिए जुटाया। इन्हें लेखा शीर्ष “6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-103-भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण” के अन्तर्गत सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम से जुटाए गए ऋण में से इस प्रयोजन के लिए 1999-2001 के दौरान नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम को कोई भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार ऋण की राशि को सरकारी लेखे में अर्थोपायों की स्थिति को पक्ष में बनाए रखने के लिए संसाधन के रूप में रखा गया।

तथा यह है कि राज्य सरकार ने सरकारी उपक्रमों (जिन्हें धन की अत्यावश्यकता थी) कि तात्त्विक निधियों को अपने अन्य प्रयोजनों हेतु अपवर्तित किया। जब पुनः भुगतान का समय आया तो राज्य सरकार को वित्तीय संस्थानों से उधारों का सहारा लेना पड़ा जिससे राज्य राजस्व के ऊपर क्रमप्रपत्तिक प्रभाव पड़ा।

1.11.2 सार आकस्मिक बिलों पर अग्रिमों का अनियमित आहरण

दावों को निपटान में विलम्ब से बचने के लिए प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सार आकस्मिक बिलों पर आहरित किया जाना चाहिए बशर्ते विस्तृत आकस्मिक बिलों को नियंत्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाए तथा आगे महालेखाकार को प्रेषित किया जाए। इसके अतिरिक्त, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कोई भी नया सार आकस्मिक बिल आहरित नहीं किया जा सकता जब तक पिछले महीने के दौरान आहरित सार आकस्मिक बिलों का समायोजन विस्तृत आकस्मिक बिलों को नियंत्रण अधिकारियों को प्रस्तुत करके नहीं किया जाता।

परिवहन विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया (जून 2001) कि एक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (सहायक नियंत्रक, वित्त एवं लेखे) ने 40.58 करोड़ रू 1998-2001 के दौरान, 66 सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से पेट्रोल, तेल, स्नेहक प्रभारों, सेवा प्रभारों, बस अड्डा निर्माण, वर्षाशालिका के निर्माण, आदि के लिए व्यय को अंतिम लेखा शीर्ष को डेबिट करते हुए आहरित किए। इनमें से 22.76 करोड़ रू की राशि के 26 विस्तृत आकस्मिक बिलों को नियंत्रण अधिकारी/महालेखाकार को प्रस्तुत किया गया तथा 17.82 करोड़ रू की राशि के शेष 40 सार आकस्मिक बिलों को विस्तृत आकस्मिक बिलों के समायोजन हेतु जुलाई 2001 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

निर्देशक (परिवहन) ने बकाया सार आकस्मिक बिलों के असमायोजन के लिए निष्पादन एजेंसियों से लेखे/उपयोगिता प्रमाणपत्रों का प्राप्ति न होना बताया (जून 2001)। इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि सार आकस्मिक बिलों पर अग्रिमों के आहरण के लिए कोई भी अधिकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में घोषित नहीं किया गया था। इस प्रकार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सार आकस्मिक बिलों पर अग्रिमों का आहरण अत्यन्त अनियमित था जो विस्तृत आकस्मिक बिलों की प्रस्तुती के माध्यम से एक महीने की निर्धारित अवधि के अन्दर समायोजन न करने से बढ़ गए थे।

1.12 राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के सूचकांक

1.12.1 एक सरकार या तो वर्तमान गतिविधि के स्तर को बनाए रख सकती है या गतिविधि के स्तर को बढ़ा सकती है। गतिविधि के मौजूदा स्तर को बनाए रखने के लिए यह जानना जरूरी होगा कि वित्तीय साधन कहां तक स्थिर हैं। इसी तरह अगर सरकार गतिविधि के स्तर को बढ़ाना चाहती है तो वित्तीय साधनों के लचीलेपन की जांच करना उपयुक्त होगा। अंततः सरकार की बढ़ी प्रक्रिया में दोष प्रहार्यता है। सारी राज्य सरकारें मुख्यतः पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा अपनी गतिविधि के स्तर को बढ़ाए रखती हैं जो वार्षिक विकास योजनाओं को स्पष्ट करती हैं तथा राज्य बजट में ज्यादातर प्रावधित होती हैं। मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि आयोगनेतर व्यय सरकार के मौजूदा गतिविधि^{*} स्तर बनाए रखने को दर्शाता है जबकि योजनागत व्यय गतिविधि के विस्तार को स्पष्ट करता है। इन दोनों गतिविधियों में साधन गतिशीलता और बढ़ती सरकारी प्रहार्यता अपेक्षित है। संक्षिप्त में सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य को स्थिरता, लचीलापन, दुर्बलता और पारदर्शिता की परिभाषा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह शब्दावली निम्नानुसार परिभाषित है:

(i) स्थिरता:

स्थिरता वह अवस्था है जिसमें सरकार मौजूदा कार्यक्रमों को बनाए रखती है तथा ऋण बोझ को बढ़ाए बरकरार वर्तमान लेनदार की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

(ii) लचीलापन

लचीलापन वह अवस्था है जिसमें सरकार बढ़ती बचनवृद्धताओं के उत्तर में अपने राजस्वों को बढ़ा कर या ऋण बोझ को ज्यादा करके अपने वित्तीय स्रोतों को बढ़ाती है।

(iii) दुर्बलता:

दुर्बलता एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार निर्भर होती है। इसलिए वह अपने नियंत्रण या प्रभाव के बाहर दोनों घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय निधि स्रोतों पर प्रहार्यता होती है।

(iv) पारदर्शिता:

यह भी वित्तीय सूचना विषय है जो सरकार द्वारा प्रदत्त किया जाता है। यह मुख्यतः वार्षिक वित्तीय विवरणिका (बजट) तथा लेखों को सम्मिलित करता है। बजट के सम्बन्ध में जरूरी मापदण्डों में समय पर प्रस्तुति है जो बजट प्रक्रिया की निपुणता और आकलनों की परिशुद्धता को दर्शाती है। लेखों के बारे में समयबद्ध प्रस्तुति जिसके लिए सीमा निर्धारित है तथा लेखों की पूर्णता मुख्य कसौटी होगी।

* योजनावधि के अन्त में योजनागत को आयोगनेतर के इस विशेष रूप से स्थानान्तरण में अपवाद है।

1.12.2 वित्त लेखों में उपलब्ध सूचनाएं स्थिरता, लचीलापन और प्रहार्यता को निकालने के लिए प्रयोग की जा सकती है जो वित्त लेखों से निकाली हुई कुछ अंशकों/अनुपातों के रूप में दर्शाई जा सकती है। ऐसे अंशकों/अनुपातों की सूची अनुलग्नक में दी गई है। 1996-97 से 2000-2001 की अवधि में निम्न तालिका इन अंशकों/अनुपातों के स्वभाव को दर्शाती है:

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त सूचक

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्थिरता					
बीसीआर (करोड़ ₹)	(-) 155	(-) 330	(-) 761	(-) 105	(-)921
प्राथमिक घाटा (करोड़ ₹)	259	830	1164	(-) 408	1047
ब्याज अनुपात	0.15	0.17	0.21	0.12	0.26
पूंजीगत परिव्यय/पूंजीगत प्राप्तियां	0.74	0.61	0.62	0.31	0.32
कुल कर प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद*	0.11	0.13	0.13	0.14	0.08
राज्य कर प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद*	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशतता)	0.07	0.03	0.05	0.05	0.05
लची					
बीसीआर (करोड़ ₹)	(-) 155	(-) 330	(-) 761	(-) 105	(-)921
पूंजीगत चुकौतियां/पूंजीगत उधार	0.13	0.07	0.10	0.09	0.09
राज्य कर प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद*	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06
ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद*	0.49	0.51	0.65	0.63	0.69
कमजोरियां					
राजस्व घाटा (करोड़ ₹)	155	529	1022	106	1283
राजकोषीय घाटा (करोड़ ₹)	572	1202	1662	189	1845
प्राथमिक घाटा (करोड़ ₹)	259	830	1164	(-) 408	1047
प्राथमिक घाटा/राजकोषीय घाटा	0.45	0.69	0.70	(-) 2.16	0.57
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.27	0.44	0.62	0.56	0.70
बकाया प्रत्याभूतियां/राजस्व प्राप्तियां	0.50	0.75	0.81	0.51	1.25
परिसम्पत्तियां/दायित्वाएं	0.94	0.85	0.73	0.74	0.64

- टिप्पणी: 1. राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+शुद्ध ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियों -ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में संगणित किया गया है।
2. पूंजीगत परिव्यय बनाम पूंजीगत प्राप्तियों के अनुपात में हर आन्तरिक ऋण+भारत सरकार से ऋण व अग्रिम+लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि से शुद्ध प्राप्तियों + राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों के लिए प्राप्त चुकौती-राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों के रूप में लिया गया है।
3. वर्ष 2000-2001 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद सरकार ने संगणित नहीं किया तथा इसलिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा आकलित 10.72 प्रतिशत (अखिल भारतीय वृद्धि दर) की वृद्धि पर आंकड़े संगणित किए गए हैं।

* संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े अपनाने के कारण गत वर्ष के आंकड़ों से भिन्नता आई जैसाकि राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया था।

६ अर्थापय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट छोड़कर।

1.12.3 राज्य सरकार की वित्तीय स्वास्थ्य अवस्था के लिए इन अंशकों/अनुपातों का तात्पर्य निम्नलिखित परिच्छेदों में विवेचित है।

स्थिरता

(i) चालू राजस्व से शेष

राजस्व प्राप्तियों में से योजना सहायता अनुदान और आयोजनेतर राजस्व व्यय घटाकर इसको चालू राजस्व शेष की व्याख्या दी गई है। एक वास्तविक चालू राजस्व शेष यह दर्शाता है कि राज्य सरकार के पास योजना व्यय के लिए अपने राजस्व से अधिशेष है। तालिका दर्शाती है कि 1996-2001 के दौरान राज्य सरकार का चालू राजस्व शेष ऋणात्मक था जो यह दर्शाता है कि चालू राजस्व से अधिशेष उत्पन्न करने में राज्य असमर्थ था। वर्ष के दौरान स्थिति आगे और बिगड़ गई थी। वास्तव में गत वर्ष में 1994-2000 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम द्वारा नान-एसएलआर बॉन्ड के कारण जुटाए गए ऋणों में से 861.50 करोड़ ₹00 राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्शाने से राजस्व शेष बहुत कम हो गया था।

(ii) ब्याज अनुपात

ब्याज अनुपात उच्च होने से नये ऋण तथा अपनी राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय पूरा करने के लिए सरकार की सेवा समर्थता कम होती है।

हिमाचल प्रदेश के विषय में यह अनुपात 1996-97 में 0.15 से 2000-2001 में 0.26 तक इतना बढ़ गया कि पूर्ववर्ती उधारों पर ब्याज भुगतानों ने विकट रूप धारण कर लिया था तथा सरकार के कार्यक्रम चलाने में मुख्य दबाव बन गया था। 2000-2001 में सकल बकाया ऋण की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात द्वारा प्रदर्शित भारित औसत लागत 10.15 प्रतिशत^{*} थी तथा अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के समीप पहुंच गई। यह ऋण स्थिरता में बाधक हो सकती थी।

(iii) पूंजीगत परिव्यय/पूंजीगत प्राप्तियां

यह अनुपात दर्शाता है कि पूंजी निर्माण के लिए किस सीमा तक पूंजी प्राप्तियों का प्रयोग हुआ है। लची अवधि के लिए एक से कम का अनुपात ग्राह्य नहीं है जिससे यह सूचित होता है कि पूंजीगत प्राप्ति के एक भाग का अपवर्तन अनुत्पादक राजस्व व्यय के लिए किया जा रहा है। इसके विपरीत एक से ज्यादा का अनुपात यह दर्शाएगा कि पूंजीगत निवेश राजस्व अधिशेष से भी किया जा रहा है। इस अनुपात का प्रवृत्ति विश्लेषण राज्य सरकार के राजकोषीय निष्पादन पर प्रकाश डालता है। एक बढ़ती प्रवृत्ति का अर्थ निष्पादन में सुधार होगा।

हिमाचल प्रदेश के मामले में अनुपात यह प्रदर्शित करते हुए एक से कम रहा कि इन सब वर्षों में पूंजीगत प्राप्तियों का बड़ा भाग राजस्व व्यय को पूरा करने पर प्रयुक्त किया गया।

(iv) कर प्राप्ति बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद

कर प्राप्तियों में राज्य कर तथा केन्द्रीय करों का राज्यांश शामिल होता है। परवर्ती को राज्य में रह रहे लोगों द्वारा भुगताए केन्द्रीय करों के रूप में भी देखा जा सकता है। कर प्राप्तियों में स्थिरता का आभास होता है परन्तु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की कर प्राप्ति का अनुपात लोचशीलता में निहित होगा। जबकि कम अनुपात का अर्थ होता है कि सरकार ज्यादा कर लगा सकती है तथा इसकी लोचशीलता,

* चालू वर्ष एवं गत वर्ष के दौरान बकाया ऋण औसत की तुलना में 2000-2001 में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता।

उच्च अनुपात वित्त स्रोतों की सीमा को ही इंगित नहीं करती परन्तु लोचहीनता की तरफ भी संकेत देती है।

समय श्रेणी विश्लेषण से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल कर प्राप्तियों का अनुपात 1996-2000 में 0.11 -0.14 की सीमा में रहा परन्तु 2000-2001 में यह अनुपात 0.08 तक गिर गया। तथापि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य कर प्राप्तियों में अनुपात 1996-98 में 0.06 पर स्थिर रहा तथा 1999-2000 में 0.05 तक गिर गया यद्यपि 2000-2001 में यह 0.06 तक बढ़ा। यह अनुपात सुझाव देता है कि राज्य के कुल कर संग्रहण के प्रति राज्य के अपने करों को अंशदान महत्वहीन था। राज्य करों की कम दर के मध्य नजर राज्य सरकार को अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए भारी मात्रा (जो महंगा पड़ता है) में ऋण लेना पड़ा। इसके अतिरिक्त, यदि सरकार ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व संग्रहण का अनुपात बनाये रखा होता तो इसकी वित्तीय कठिनाइयाँ कम हुई होती। इस प्रकार, राज्य अपनी राजस्व प्राप्तियों के लिए सहायता अनुदानों पर अत्यधिक आश्रित दिखाई पड़ता है।

(v) निवेश पर प्रतिफल

निवेश पर प्रतिफल नियोजित पूंजी के उपार्जन का अनुपात है। एक उच्च निवेश पर प्रतिफल स्थिरता का सुझाव देता है।

परिच्छेद 1.9.1 सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी संस्थाओं में सरकारी निवेशों पर प्रतिफल को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मामले में निवेश पर प्रतिफल लगभग नगण्य था और 1996-2001 में 0.03 और 0.07 प्रतिशत के मध्य था। चूंकि उधार निधियों से निवेश किया जाता है नगण्य प्रतिफल इन्हें अस्थिर बना देता है।

लोचशीलता

(vi) पूंजी चुकौती बनाम पूंजी उधार

यह अनुपात दर्शाएगा कि पूंजी चुकौती के उपरान्त किस सीमा तक पूंजीगत ऋण निवेश के लिए उपलब्ध है। कम अनुपात से निवेश और अन्य व्यय के लिए पूंजी उपलब्धता अधिक होती है।

हिमाचल प्रदेश के मामले में यह अनुपात उधारों में सार्थक वृद्धि के कारण 1996-97 के 0.13 से निरन्तर घटकर 2000-2001 में 0.09 रह गया।

(vii) ऋण बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य सरकार का कुल आंतरिक स्रोत आधार है जो ऋण सेवा में प्रयोग किया जा सकता है। ऋण/सकल घरेलू राज्य उत्पाद का बढ़ता हुआ अनुपात ऋण दायित्वों को पूरा करने व इस कारण से ऋण दाता के बढ़ते हुए जोखिम से राज्य की घटती क्षमता को दर्शाता है।

हिमाचल प्रदेश के मामले में यह अनुपात 1996-97 में 0.49 से 2000-2001 में 0.69 तक बढ़ गया। विश्लेषण दर्शाता है कि इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर की तुलना में राज्य का ऋण अधिक तेजी से बढ़ा (औसतन) तथा इस प्रकार अस्थिर था।

(viii) राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा

राजस्व प्राप्तियों के प्रति अधिक राजस्व व्यय राजस्व घाटा होता है तथा ऋणों आदि द्वारा वित्तपोषित किए राजस्व व्यय को प्रदर्शित करता है। प्रत्यक्षतः राजस्व घाटा जितना ज्यादा होगा उतना ही अधिक

राज्य कमजोर होगा। राजकोषीय घाटा सभी ऋणों के पूर्ण योग को प्रकट करता है। राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा दर्शाएगा कि सरकार के ऋण किस सीमा तक अनुत्पादित राजस्व व्यय के वित्त प्रबन्ध के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः अनुपात जितना ज्यादा होगा राज्य की स्थिति उतनी ही खराब होगी क्योंकि यह इंगित करेगी कि चुकौती समर्थता को बढ़ाए बगैर राज्य का ऋण बोझ बढ़ता जा रहा है।

राज्य के बिगड़ते ऋण बोझ तथा उधार निधियों को परिसम्पत्ति सृजन के लिए उपयोग करने के घटते अवसर को दर्शाते यह अनुपात 1996-97 में 27 प्रतिशत से 2000-2001 में 70 प्रतिशत तक विशेष रूप से बढ़ा।

(ix) प्राथमिक घाटा बनाम राजकोषीय घाटा

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगियां घटाकर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अनुपात की कीमत जितनी कम होगी पूंजीगत निवेश के लिए निधियों की उपलब्धता उतनी ही कम होगी।

हिमाचल प्रदेश के मामले में यह अनुपात पिछले सभी पांच वर्षों में एक से कम रहा जो अधिक दुर्बलता का सूचक है क्योंकि पूंजी का प्रयोग परिसम्पत्तियों की वृद्धि के बजाय राजस्व घाटे के लिए किया जा रहा था।

(x) प्रत्याभूतियां बनाम राजस्व प्राप्तियां

सरकार द्वारा जारी किए कॉम्फर्ट पत्रों सहित बकाया प्रत्याभूतियां राज्य सरकार के जोखिम अनाश्रयता का रहस्योद्घाटन करती हैं तथा उनकी तुलना सरकार के भुगतान करने की समर्थता अर्थात् राजस्व प्राप्तियों से की जानी चाहिए। इस प्रकार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति कुल बकाया प्रत्याभूतियों का अनुपात राज्य सरकार की दुर्बलता की मात्रा दर्शाएगा।

हिमाचल प्रदेश के मामले में यह अनुपात 1996-97 के 0.50 से 2000-2001 में 1.25 तक बढ़ा तथा यह वर्ष के दौरान विशेष रूप से बढ़ा जबकि राजस्व प्राप्तियां घटीं। फलतः दी गई प्रत्याभूतियां राजस्व प्राप्तियों से बढ़ गईं। यह प्रवृत्ति राज्य के वित्त की दोषपूर्णता में वृद्धि तथा उच्च जोखिम अनाश्रयता को दर्शाती है।

(xi) परिसम्पत्तियां बनाम दायित्व

यह अनुपात मूल रूप से वित्तीय परिसम्पत्तियों और दायित्वों से सम्बन्धित है जैसे कि प्रदर्शनी-1 में दर्शाया गया है और सरकार की सम्पन्नता की ओर इंगित करता है। एक से ज्यादा का अनुपात इंगित करता है कि राज्य सरकार सम्पन्न (परिसम्पत्तियां, दायित्वों से ज्यादा हैं) है जबकि एक से कम का अनुपात इसका विपरीतार्थक होगा।

यह अनुपात 1996-97 में 0.94 से 2000-2001 में 0.64 तक नीचे आ गया जो दोषपूर्णता में वृद्धि का सूचक है क्योंकि पूंजी परिसम्पत्तियों की वृद्धि के बजाए राजस्व घाटे के लिए प्रयोग की जा रही थी।

पारदर्शिता

(xii) बजट

बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत करने तथा उनके अनुमोदन में कोई देरी नहीं हुई। यह विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

नियंत्रण	अनुदान का मास	अनुमानित मास
बजट	09.03.2000	29.03.2000
अनुपूरक	02.03.2001	05.03.2001

इस प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में बजट आकलन तथा वास्तविक व्यय में भिन्नताओं और बजट सम्बन्धी प्रक्रिया की गुणवत्ता तथा व्यय पर नियंत्रण का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। यह घाटे के बजट एवं व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण दर्शाता है जैसा कि प्रत्येक वर्ष अधिकतर राशियों के निरन्तर प्रत्यादान (अभ्यर्पण) व अन्तिम संशोधित अनुदान द्वारा प्रमाणित है। अन्तिम संशोधित अनुदान तथा वास्तविक व्यय के बीच पर्याप्त भिन्नताएं (आधिक्य/बचत) निरन्तर थीं। 1996-97 से कुछ अनुदानों के मामले में अधिक व्यय की नियमितताएं लम्बित हैं जैसा कि प्रतिवेदन के परिच्छेद 2.3.2 (क) में विवरणित है।

(xiii) लेखे

यह पाया गया था कि 12 कोषागारों में से एक से नौ कोषागारों के लेखे विलम्बित थे जिसके कारण उन्हें मासिक लेखों में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह एक से 11 वन मण्डलों/कार्यालयों के लेखों की प्रस्तुति विलम्बित थी। परिणामतः 2000-2001 के दौरान उन्हें मासिक नकद लेखों में शामिल नहीं किया गया।

1.12.4 निष्कर्ष

विश्लेषण दर्शाता है कि 2000-2001 के दौरान नकारात्मक बीसीआर में वृद्धि ब्याज अनुपात में विचाराणीय वृद्धि तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल कर अनुपात में कमी हुई। फलतः इससे राज्य वित्त की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह प्रतिकूल स्थिति इन तथ्यों के कारण उत्पन्न हुई कि 1994-2000 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम द्वारा असाविधिक परिसमापन अनुपात बांडों के माध्यम से जुटाए गए ऋणों में से पिछले वर्ष राजस्व प्राप्तियों के रूप में 861.50 करोड़ ₹0 जमा किए गए तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से ऋणों की वसूली के रूप में 498 करोड़ ₹0 लेखाबद्ध किए गए। सरकार ने प्रत्याभूति दी तथा उनके ऊपर ब्याज दायित्व सहित ऋण परिसमापन के लिए बजट का प्रावधान किया। नतीजे के तौर पर 2000-2001 के दौरान राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जिससे अन्ततः राज्य वित्त की बोधपूर्णता बढ़ी। परिणामस्वरूप इस वर्ष ब्याज भुगतानों में भी 102 करोड़ ₹0 (34 प्रतिशत) की विशेष वृद्धि हुई तथा 69 करोड़ ₹0 के कर राजस्व से भी बढ़ गया। इसी प्रकार राजस्व प्राप्तियां विशेषकर गैर कर राजस्व वर्ष के दौरान घट गया। इस वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत सरकार को बढ़ते राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए उधारों में वृद्धि का आश्रय लेना पड़ा। वास्तव में राज्य सरकार द्वारा नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम को इक्विटी अंश के भुगतान के लिए वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम (567 करोड़ ₹0) तथा जीवन बीमा निगम (185.68 करोड़ ₹0) के माध्यम से जुटाए गए 752.68 करोड़ ₹0 के ऋणों को उस प्रयोजन पर जिसके लिए ये जुटाए गए थे प्रयुक्त नहीं किया गया परन्तु उनका उपयोग सामान्य राजस्व व्यय हेतु किया। इस प्रकार राज्य सरकार प्रतिवर्ष उधारों का सहारा लेकर प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य के अन्तर को पूरा करने के लिए कतिपय उपायों को प्रयुक्त कर रही थी। इससे परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए राज्य की क्षमता तथा बढ़ते राजस्व के लिए सम्भाव्यता में कमी आई। यहां तक कि निवेश पर नगण्य प्रतिफल के कारण सीमित पूंजीगत व्यय का भी प्रशंसनीय लाभ नहीं हुआ।

अनुलग्नक

(संदर्भ परिच्छेद 1.12.2; पृष्ठ 23)

सूचकांक/अनुपातों की सूची व उनकी गणना का आधार

सूचकांक/अनुपात		गणना आधार
स्थिरता चालू राजस्व से शेष	बीसीआर	राजस्व प्राप्तियां (-) सभी योजनागत अनुदान (मुख्य शीर्ष 1601-02,03,04 के अन्तर्गत) तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय
प्राथमिक घाटा ब्याजानुपात	पीडी	राजकोषीय घाटा (-) ब्याज भुगतान ब्याज भुगतान (-) ब्याज प्राप्तियां
पूँजीगत परिव्यय बनाम पूँजीगत प्राप्तियां	पूँजीगत परिव्यय पूँजीगत प्राप्तियां	कुल राजस्व प्राप्तियां (-) ब्याज प्राप्तियां पूँजीगत व्यय वित्त लेखे की विवरण सं० 2 के अनुसार विविध पूँजीगत प्राप्तियां (=) आन्तरिक ऋण* + भारत सरकार से ऋण व अग्रिम* + लघु बचत, भविष्य निधि आदि से शुद्ध प्राप्ति+राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की प्राप्त चुकौती-राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण
कुल कर प्राप्तियां बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद	कुल कर प्राप्तियां	राज्य कर प्राप्तियां + संघीय करों व शुल्कों से राज्यांश
राज्य कर प्राप्तियां बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद	राज्य कर प्राप्तियां	वित्त लेखे की विवरणी 10
लोचशीलता चालू राजस्व से शेष पूँजीगत चुकौतियां बनाम पूँजीगत उधार	पूँजीगत चुकौतियां पूँजीगत उधार	यथोपरि मुख्य शीर्ष 6003 व 6004 के अधीन संवितरण (-) दोनों मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्टों की चुकौती मुख्य शीर्ष 6003 व 6004 के अधीन वृद्धि (-) दोनों मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्टों की वृद्धि प्रदर्शन IV
अपूर्ण परियोजनाएं कुल कर प्राप्तियां बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद	कुल कर प्राप्तियां	राज्य कर प्राप्तियां + संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश
ऋण बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद	ऋण	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परिच्छेद 1.10.1
दुर्बलता राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा बनाम राजकोषीय घाटा कम्फर्ट पत्र बनाम सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों सहित कुल बकाया प्रतिभूतियां परिसम्पत्तियां बनाम दायित्व	प्राथमिक घाटा बकाया प्रतिभूतियां राजस्व प्राप्तियां परिसम्पत्तियां व दायित्व	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परिच्छेद 1.9.5.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परिच्छेद 1.9.5.2 राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान प्रदर्शन IV प्रदर्शन II प्रदर्शन I

* अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट छोड़कर

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण



दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

विनियोग लेखे 2000-2001 पर एक तज़र

अनुदानों की कुल संख्या: 31

कुल प्रावधान तथा वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए)			
प्रावधान	राशि	व्यय	राशि
मूल	5278.39		
पूरक	382.37		
कुल समग्र प्रावधान	5660.76	कुल समग्र व्यय	7284.54
घटाएँ-व्यय की कटौती में अनुमानित वसूलियां	312.43	घटाएँ-व्यय की कटौती में वास्तविक वसूलियां	375.83
कुल निवल प्रावधान	5348.33	कुल निवल व्यय	6908.71

दत्तमत तथा प्रभारित प्रावधान एवं व्यय

(करोड़ रुपए)				
	प्रावधान		व्यय	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
राजस्व	3673.78	864.61	3834.32	807.24
पूंजीगत	911.74	210.63	651.94	1991.04
कुल समग्र	4585.52	1075.24	4486.26	2798.28
घटाएँ-व्यय की कटौती में वसूलियां	312.43	..	375.83	..
कुल निवल	4273.09	1075.24	4110.43	2798.28

2.1 परिचय

बजट की प्रभासित एवं दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोग लेखे प्रति वर्ष तैयार किए जाते हैं जिनमें सरकार द्वारा विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर किए गए वास्तविक व्यय की राशियों द्वारा प्राधिकृत राशियों को भी प्रदर्शित किया जाता है।

विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोग अधिनियम के प्राधिकार के अन्तर्गत है तथा संविधान के प्रावधानों के अधीन प्रभासित किया जाने वाला व्यय सही प्रभासित किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय विधि, सम्बन्धित नियमों, व्यवस्थाओं तथा निदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखाओं का सार

वर्ष 2000-2001 के दौरान 31 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्नांकित थी:-

	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	जोड़	वास्तविक व्यय	वृद्ध(-)/आधिक्य(+)
(करोड़ रूपए)					
दत्तमत I राजस्व	3456.75	217.03	3673.78	3834.32	(+)160.54
II पूंजीगत	745.46	113.49	858.95	611.67	(-)247.28
III ऋण व अग्रिम	39.46	13.33	52.79	40.27	(-)12.52
सकल दत्तमत	4241.67	343.85	4585.52	4486.26	(-)99.26
प्रभासित IV राजस्व	833.45	31.16	864.61	807.24	(-)57.37
V पूंजीगत	--	0.06	0.06	0.06	--
VI लोक ऋण	203.27	7.30	210.57	1990.98*	(+)1780.41
सकल प्रभासित	1036.72	38.52	1075.24	2798.28	(+)1723.04
आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	--	--	--	--
कुल योग	5278.39	382.37	5660.76	7284.54	(+)1623.78

* इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों तथा अर्थोपाय अग्रिमों की चुकौती के 778.57 करोड़ ₹ तथा 815.22 करोड़ ₹ शामिल हैं।

5278.39 करोड़ ₹ की मूल अनुदानें तथा विनियोगों के प्रति वर्ष 2000-2001 के दौरान 382.37 करोड़ ₹ की अनुपूरक अनुदानें तथा विनियोग प्राप्त हुए। 1940.95 करोड़ ₹ के समग्र आधिक्य तथा 317.17 करोड़ ₹ की बचतें थी। इस प्रकार, पूंजीगत-II (दत्तमत), ऋण तथा अग्रिम-III

* ये सकल आंकड़े हैं जिनमें व्यय अर्थात् राजस्व व्यय: 312.81 करोड़ ₹; पूंजीगत व्यय: 63.02 करोड़ ₹ की कटौतियां समायोजित वसूलियां शामिल हैं।

(दत्तमत) तथा राजस्व-iv (प्रभारित) के अन्तर्गत 157.98 करोड़ ₹ की अनुपूरक अनुदानों तथा विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।

2.3 विनियोग लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.1 अनुदानों/विनियोगों में बचत/आधिक्य

1623.78 करोड़ ₹ का समग्र आधिक्य 37 मामलों में बचत तथा 22 मामलों में आधिक्य का निवल परिणाम था जैसे नीचे प्रदर्शित है:

	बचत		आधिक्य		निवल बचत (-)/आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूजीगत	राजस्व	पूजीगत	राजस्व	पूजीगत
	(करोड़ रूपए)					
दत्तमत	101.47 (18 अनुदानों में)	276.91 (15 अनुदानों में)	262.01 (12 अनुदानों में)	17.11 (8 अनुदानों में)	(+)160.54	(-)259.80
प्रभारित विनियोग	57.38 (4 विनियोगों में)	...	0.01 (1 विनियोग में)	1780.41 (1 विनियोग में)	(-)57.37	(+)1780.41

2.3.2 (क) गत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधान पर आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोग पर आधिक्य के लिए राज्य विधायिका द्वारा नियमन प्राप्त करें। वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक 8106.74 करोड़ ₹ के अधिक व्यय का राज्य विधायिका द्वारा नियमन (जुलाई 2001) किया जाना अपेक्षित था जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या	आधिक्य राशि (करोड़ रूपए)
1996-97	20	1,2,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,15,17,18,20,21,23,26, 28,29 व 31	681.46
1997-98	19	2,4,5,8,9,10,11,12,13, 15,17,20,21,22,23,26, 28,29 व 31	2275.36
1998-99	20	1,2,4,8,9,10,11,12,13,14,17,18, 20,21,23,24, 25,28,29 व 31	1833.10
1999-2000	14	4,7,8,9,10,12,17,18,20,23,27, 28,29 व 31	3316.82
	जोड़		8106.74

वर्ष 1996-98 से सम्बन्धित अधिक व्यय पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया जा चुका था तथा राज्य विधानसभा द्वारा नियमन के लिए प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी। 1998-99 एवं 1999-2000 वर्षों के लिए अधिक व्यय से सम्बन्धित ज्ञापन प्राप्त हो चुका था तथा लोक लेखा समिति/राज्य विधानसभा द्वारा नियमन हेतु प्रक्रियाधीन था।

(ख) 2000-2001 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य का अपेक्षित नियमन

वर्ष 2000-2001 के दौरान राजस्व प्रवर्ग में 12 अनुदानों में कुल आधिक्य 262.01 करोड़ ₹ तथा एक विनियोग में 0.01 करोड़ ₹ था जबकि पूंजी प्रवर्ग में 8 अनुदानों में 17.11 करोड़ ₹ तथा एक विनियोग में 1780.41 करोड़ ₹ के आधिक्य थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत इन आधिक्यों (निम्नांकित विवरण) का नियमन अपेक्षित था:-

क्र०	अनुदान	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक खय	आधिक्य राशि
दत्तगत अनुदान		रुपए		
राजस्व				
1.	5-भू-राजस्व	1,06,69,50,000	1,08,59,17,644	1,89,67,644
2.	8-शिक्षा, क्रीडा, कला व संस्कृति	7,50,90,60,293	8,04,36,06,961	53,45,46,668
3.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,40,13,08,000	2,40,29,89,241	16,81,241
4.	10-लोक निर्माण	1,31,53,38,000	2,12,83,73,762	81,30,35,762
5.	12-सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण	84,79,57,000	86,59,07,810	1,79,50,810
6.	17-सड़क व पुल	1,82,59,58,000	1,87,55,81,772	4,96,23,772
7.	20-ग्रामीण विकास	94,29,10,000	1,28,16,46,372	33,87,36,372
8.	23-जल एवं विद्युत विकास	1,09,09,02,000	1,31,90,08,376	22,81,06,376
9.	24-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	8,02,77,000	9,26,24,727	1,23,47,727
10.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	2,87,44,56,000	3,19,62,59,395	32,18,03,395
11.	29-वित्त	3,97,66,42,984	4,06,52,12,650	8,85,69,666
12.	31-जनजातीय विकास	1,71,08,84,000	1,90,56,80,612	19,47,96,612
जोड़		25,64,26,43,277	28,26,28,09,322	2,62,01,66,045
पूंजीगत				
13.	4-सामान्य प्रशासन	29,19,63,000	40,46,75,037	11,27,12,037
14.	8-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	7,88,47,000	8,54,86,734	66,39,734
15.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	32,74,00,000	32,74,01,953	1,953
16.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	31,26,25,000	31,50,42,428	24,17,428
17.	13-भू एवं जल संरक्षण	2,59,60,000	3,49,56,330	89,96,330
18.	14-पशुपालन एवं डेरी विकास	1,15,000	5,47,183	4,32,183
19.	15-मत्स्य	84,00,000	90,41,552	6,41,552
20.	31-जनजातीय विकास	68,73,91,000	72,66,82,077	3,92,91,077
जोड़		1,73,27,01,000	1,90,38,43,294	17,11,32,294
राजस्व प्रभारित				
21.	1-विधानसभा एवं चुनाव	12,49,000	13,99,470	1,50,470
जोड़		12,49,000	13,99,470	1,50,470
पूंजीगत प्रभारित				
22.	29-वित्त	2,10,56,92,701	19,90,97,73,785*	17,80,40,81,084
जोड़		2,10,56,92,701	19,90,97,73,785	17,80,40,81,084

आधिक्य के कारण जुलाई 2001 तक सरकार द्वारा प्रेषित नहीं किए थे।

* इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों तथा अर्थोपाय अग्रिमों की चुकोती के 778.57 करोड़ ₹ तथा 815.22 करोड़ ₹ शामिल हैं।

2.3.3 मूल बजट तथा अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2000-2001 के दौरान प्राप्त समग्र अनुपूरक अनुदान तथा विनियोग मूल अनुदानों तथा विनियोगों का 7 प्रतिशत थे।

2.3.4 अनावश्यक/आधिक्यपूर्ण/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

(क) राजस्व प्रवर्ग में छः मामलों में 40.46 करोड़ ₹ तथा पूंजीगत प्रवर्ग में तीन मामलों में 21.53 करोड़ ₹ का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतया अनावश्यक था क्योंकि प्रत्येक मामले में व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, प्रत्येक मामले में बचत 50 लाख ₹ से अधिक थी जैसा कि परिशिष्ट-II में इंगित है।

(ख) 7 मामलों में 82.80 करोड़ ₹ की अतिरिक्त आवश्यकता के प्रति 118.80 करोड़ ₹ की अनुपूरक अनुदानें प्राप्त करने के फलस्वरूप प्रत्येक मामले में 30 लाख ₹ से अधिक, 36 करोड़ ₹ की सकल बचत हुई। सम्बद्ध विवरण परिशिष्ट-III में दिए गए हैं।

(ग) 12 मामलों में 160.18 करोड़ ₹ (राजस्व: 151.97 करोड़ ₹; पूंजीगत: 8.21 करोड़ ₹) का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जैसा कि परिशिष्ट-IV में वर्णित है, जिससे प्रत्येक मामले में एक करोड़ ₹ से अधिक राशि अनावृत्त रहते हुए कुल मिलाकर 1971.18 करोड़ ₹ का आधिक्यपूर्ण व्यय हुआ।

2.3.5 सतत बचतें/आधिक्य

1998-2001 के दौरान छः मामलों में व्यय कुल प्रावधान की तुलना में सतत रूप से 5 प्रतिशत से अधिक कम था जबकि पांच अन्य मामलों में यह सतत रूप से प्रावधान से अधिक था। सम्बद्ध विवरण परिशिष्ट- V में दिए गए हैं।

2.3.6 महत्वपूर्ण बचतें

दत्तमत अनुदानों के अन्तर्गत 378.38 करोड़ ₹ तथा प्रभारित विनियोगों के अन्तर्गत 57.38 करोड़ ₹ की अन्तिम बचतों में से 19 अनुदानों में 434.32 करोड़ ₹ (24 मामले) की सकल बचत हुई जिनमें प्रत्येक मामले में 50 लाख ₹ से कम बचत नहीं थी जिसका ब्यौरा सरकार द्वारा दिए गए बचतों के मुख्य कारणों सहित परिशिष्ट-VI में दर्शाया गया है।

2.3.7 निधियों का अभ्यर्पण

अनुदान या विनियोग में बचतों को वर्ष के समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना उनका पता चलने के तत्काल बाद सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसी बचतें कुछ अन्य इकाइयों के अधीन आधिक्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित न हो। बचतों को भविष्य के संभावित आधिक्यों हेतु आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

यद्यपि यह देखा गया कि नौ मामलों में 167.27 करोड़ ₹ (प्रत्येक मामले में 1 करोड़ ₹ तथा अधिक की बचतें) की उपलब्ध बचतों के मुकाबले 89.15 करोड़ ₹ की समग्र बचत या तो पूर्ण रूप से अभ्यर्पित नहीं की गई थी या बिल्कुल भी अभ्यर्पित नहीं की गई थी। पांच मामलों में अभ्यर्पित राशि समग्र बचत से 4.19 करोड़ ₹ बढ़ गई थी। इसके अतिरिक्त आठ अनुदानों में 49.18 करोड़ ₹ अभ्यर्पित किए गए थे जबकि व्यय अनुदान से अधिक था और अभ्यर्पण हेतु कोई बचत उपलब्ध नहीं थी। सम्बद्ध विवरण परिशिष्ट-VII में दिए गए हैं।

इन सभी मामलों में राशियां वर्ष के अन्तिम मास में अभ्यर्पित की गई थी। ये उदाहरण व्यय पर अप्रभावी अनुश्रवण तथा नियंत्रण के परिचायक थे।

2.3.8 बचतों/आधिवस्यों के लिए स्पष्टीकरण देने में विकलता

प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखाओं को बन्द करने के पश्चात् विस्तृत विनियोग लेखे जिनमें अन्तिम अनुदान/विनियोग, वास्तविक व्यय तथा परिणामी भिन्नांतर दर्शाई जाती हैं, नियंत्रण अधिकारियों को इस अपेक्षा के साथ भेज दिए जाते हैं कि सामान्य तथा महत्वपूर्ण शीर्षों/उपशीर्षों के अन्तर्गत भिन्नांतरों को स्पष्ट करें।

511 शीर्षों/उपशीर्षों के मामले में वर्ष 2000-2001 हेतु विनियोग लेखे सम्बन्धी भिन्नांतरों के लिए इस प्रकार के स्पष्टीकरण आवश्यक थे परन्तु सितम्बर 2001 तक 342 शीर्षों/उपशीर्षों (67 प्रतिशत) के मामलों में ये प्राप्त नहीं हुए।

2.3.9 वसूलियों की प्रवृत्ति

अनुदान मांगों एक विशिष्ट वर्ष में किए जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए होती हैं और व्यय की कमी के रूप में ली जाने वाली वसूलियों को उसके नीचे पाद टिप्पणियों में अलग से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार विनियोग लेखों में भी वसूलियों को उसके परिशिष्ट में पृथक से दर्शाया जाता है।

वर्ष 2000-2001 के लेखाओं की जांच में पाया गया कि राजस्व प्रवर्ग में 233.08 करोड़ ₹ के बजट आकलनों के प्रति वास्तविक वसूलियां 312.81 करोड़ ₹ थी। पूंजी प्रवर्ग में 79.35 करोड़ ₹ के बजट आकलनों के प्रति 63.02 करोड़ ₹ की वास्तविक वसूलियां व समायोजन थे। इस प्रकार राजस्व प्रवर्ग में व्यय की कमी हेतु 79.73 करोड़ ₹ की वसूलियां कम बताई गई थीं। इसी प्रकार पूंजी प्रवर्ग में 16.33 करोड़ ₹ की सीमा तक वसूलियां व समायोजन अधिक बताए गए थे। मुख्य भिन्नांतरों का ब्यौर जो मूल आकलनों का 10 प्रतिशत से अधिक तथा प्रत्येक मामले में एक करोड़ ₹ से कम नहीं है, परिशिष्ट-VIII में दिया गया है।

2.3.10 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

अनुदान या विनियोग को उन उपशीर्षों या मानक उद्देश्यों (प्राथमिक इकाइयों के नाम से अभिज्ञात) में विभक्त किया जाता है जिनमें इसे लेखाबद्ध किया जाता है। निधि-पुनर्विनियोग किसी अनुदान या विनियोग में इसकी प्राथमिक इकाइयों के मध्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व हो सकता है। निधि-पुनर्विनियोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह ज्ञात या प्रत्याशित हो कि इकाई जिससे निधि स्थानान्तरित की जानी है, में विनियोग का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जाएगा या कथित इकाई के विनियोग में बचत की जा सकती है।

12 अनुदानों/विनियोगों से सम्बद्ध 25 मामलों (उपशीर्षों) में 7.17 करोड़ ₹ की राशि का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि

- (क) उपशीर्षों के अन्तर्गत मूल प्रावधान जिनमें पुनर्विनियोग (3.70 करोड़ ₹) द्वारा निधियां स्थानान्तरित की गई थी, पर्याप्त थे और फलतः पुनर्विनियोग राशि अप्रयुक्त रही तथा
- (ख) वे शीर्ष जिनसे निधियां (3.47 करोड़ ₹) स्थानान्तरित की गई थी उनमें पुनर्विनियोग हेतु कोई भी बचत उपलब्ध नहीं थी।

सम्बद्ध ब्यौरे परिशिष्ट-IX में समाविष्ट हैं।

2.4 आपदा राहत निधियों का अन्वर्तन

आपदा राहत निधियों में से 1.51 करोड़ रु0 सात उपायुक्तों तथा खण्ड विकास अधिकारी, रैत द्वारा नये चालू कार्यों तथा विद्यमान कार्यों की मरम्मत एवं अनुसंधान के लिए अनियमित तौर पर अपवर्तित किए गए।

प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि, भू-स्खलन आदि द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की व्यथा को कम करने के लिए क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत/पुनः स्थापन जैसे राहत उपाय ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपदा राहत निधि से किए जाने थे। भारत सरकार के अनुदेशों में आगे यह प्रावधान (मई 1987) था कि इन निधियों को नये कार्यों पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए परन्तु आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त पुराने कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए। इन अनुदेशों की पुनरावृत्ति (जनवरी 1998) करते समय राज्य सरकार ने भी निर्देशित किया कि जब कभी इन्हें नये कार्यों पर व्यय करना प्रस्तावित हो तो राज्य सरकार का अनुमोदन सदैव प्राप्त कर लेना चाहिए।

सात उपायुक्तों तथा खण्ड विकास अधिकारी, रैत के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया (मई 2000-जनवरी 2001) कि आपदा राहत निधि में से अक्टूबर 1998 एवं दिसम्बर 2000 के मध्य 235 कार्यों पर अनियमित रूप से 1.51 करोड़ रु0 व्यय किए गए जिनमें 124 नये कार्य, 72 जारी कार्य तथा 39 आम मरम्मत एवं अनुसंधान कार्य शामिल थे जो प्राकृतिक आपदाओं से सम्बद्ध नहीं थे। नये कार्य मार्गों, शौचालयों, सीमा दीवारों, सिंचाई टैंकों, तहसील कार्यालयों की बढ़ौतरी तथा सरकारी अधिकारियों के राजकीय आवासों के निर्माण से सम्बद्ध थे। जारी कार्य पटवारखानों, जंजघरों तथा मरम्मत कार्यों से सम्बद्ध थे जो आपदा राहत के अतिरिक्त अन्य विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत पहले ही निष्पादित किए जा रहे थे।

उपायुक्त बिलासपुर ने बताया (नवम्बर 2000) कि राहत संहिता में दिए गए राहत उपाय दिशा निर्देश स्वरूप थे तथा विभाग इन कार्यों के लिए सरकार के बजट आवंटन तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। उपायुक्त, हमीरपुर ने बताया (दिसम्बर 2000) कि ये कार्य अधिक वर्षों में क्षतिग्रस्त कुओं/खतारियों के पुनः निर्माण/मरम्मत कार्यों से सम्बद्ध थे तथा अन्य कार्यों की विशेष मरम्मत समय की अनिवार्यता थी। उपायुक्तों कांगड़ा एवं जना ने बताया (सितम्बर-अक्टूबर 2000) कि जारी कार्यों की पूर्णता के लिए अतिरिक्त निधियों का आवंटन किया जाना अत्यावश्यक था। उपायुक्त शिमला ने बताया (नवम्बर 2000) कि व्यय को नियमित करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मामला सरकार के साथ उठाया जा रहा था। उपायुक्त मण्डी तथा सोलन ने बताया (सितम्बर-नवम्बर 2000) कि कोई भी नये कार्य स्वीकृत नहीं किए जा रहे थे तथा तत्काल मांग को पूरा करने के लिए केवल कुछ भवनों की बढ़ौतरी तथा परिवर्तन किए गए थे।

* बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी, शिमला, सोलन तथा जना

उपायुक्तों द्वारा दिए गए उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अनुदेशों के विपरीत प्राकृतिक आपदाओं से असम्बद्ध कार्यों, के लिए राहत निधियां परिवर्तित की गईं। उपायुक्तों को ऐसे कार्यों के लिए पृथक रूप से बजट आवंटन की मांग करनी चाहिए थी। इस प्रकार उपायुक्तों द्वारा प्राकृतिक आपदा राहत के अन्तर्गत न आने वाले कार्यों के निष्पादन के लिए 1.51 करोड़ ₹ अनियमित रूप से अपवर्तित किए।

मामला मई 2001 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

2.5 आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

विभिन्न स्कीमों/विकासत्मक कार्यों, भूमि क्षतिपूर्ति अदायगी आदि के निष्पादन के लिए आहरित 4.05 करोड़ ₹ में से 3.34 करोड़ ₹ (82 प्रतिशत) सरकारी लेखे से बाहर अप्रयुक्त पड़े थे।

वित्तीय नियमों में यह अनुबंध है कि कोष से कोई धन तब तक आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसकी तत्काल संवितरण या किसी स्थाई अग्रिम में से संवितरित निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यकता न हो। कोष से उन कार्यों के निष्पादनार्थ भी जिनकी पूर्णता में बहुत समय लगने की संभावना हो अग्रिमों के आहरण की स्वीकृति नहीं है। अव्ययित किसी भी राशि को तुरन्त कोष में लौटाया जाना चाहिए। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को किसी साधारण एवं विशेष नियमों से अप्रयुक्त निधियों को बैंक/डाकखानों में जमा कराने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था।

राजस्व तथा ग्रामीण विकास विभागों के तीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (फरवरी-दिसम्बर 2000) कि मार्च 1996 तथा मार्च 2000 के मध्य विभिन्न स्कीमों/विकास कार्यों के निष्पादन तथा लघु एवं सीमान्त किसानों को भुगतान के लिए 4.05 करोड़ ₹ आहरित किए गए थे। इसमें से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दिसम्बर 2000 तक 3.34 करोड़ ₹ (82 प्रतिशत) बैंकों में अप्रयुक्त पड़े हुए थे:

क्र०	विभाग/कार्यालय (आहरण एवं संवितरण अधिकारी) राजस्व	आहरित राशि (करोड़ रूपर)	आहरण का मास/वर्ष	प्रयोजन	अप्रयुक्त राशि (करोड़ रूपर)	विभाग द्वारा दिए गए कारण
1.	उपायुक्त चम्बा, (खिला राजस्व अधिकारी, चम्बा)	1.15	मार्च 1998 तथा मार्च 2000 के मध्य	अनुग्रहपूर्वक अनुदान के भुगतान " सरस्वती बाल विद्या संकल्प योजना" तथा "विकास में जन सहयोग" स्कीम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के अनुष्ण हेतु	0.83	निष्पादित एजेंसियों से मांग प्राप्त न होने के कारण राशि निस्पादित नहीं की गई थी तथा बैंकों में अप्रयुक्त पकी हुई थी।
2.	उपायुक्त सोलन, (खिला राजस्व अधिकारी, सोलन)	1.16	अगस्त 1999 और मार्च 2000 के मध्य	भारतियों का पुनः स्थापन तथा विकासत्मक कार्यों का निष्पादन	0.77	राशि निस्पादित एजेंसियों को उनसे मांग न होने के कारण निस्पादित नहीं की गई तथा बैंकों में अप्रयुक्त पकी हुई थी।

क्र०	विभाग/कार्यालय (आहरण एवं संवितरण अधिकारी)	आहरित राशि (करोड़ रूपए)	आहरण का मास/वर्ष	प्रयोजन	अप्रयुक्त राशि (करोड़ रूपए)	विभाग द्वारा दिए गए कारण
3.	उपायुक्त शिमला (उपायुक्त शिमला)	0.10	मार्च 1996 तथा मार्च 1998 के मध्य	शिमला में योजना भवन का निर्माण	0.10	पहले चयनित किया गया कार्यस्थल अनुकूल नहीं पाया गया तथा विकल्पी कार्य स्थल की खोज की जा रही थी। राशि बैंकों में अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।
4.	निदेशक एवं विशेष सचिव ग्रामीण विकास, शिमला (उप निदेशक, ग्रामीण विकास, शिमला)	1.64	मार्च 2000	जनजातीय क्षेत्र में आश्वस्त रोजगार स्कीम को कार्यान्वित करना	1.64	बजट अनुदान के व्ययगमन से बचने तथा केन्द्रीय अंशदान की प्राप्ति की प्रत्याशा से ही राशि आहरित की गई थी। तथापि यह राशि जनजातीय क्षेत्र के उपायुक्त को इस शर्त के साथ जारी की गई थी कि इन निधियों को केन्द्रीय अंशदान की प्राप्ति तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा। राशि बैंकों में अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।
	जोड़	4.05			3.34	

बैंकों में सरकारी स्कीम की निधियों के ऐसे अप्राधिकृत निक्षेपों के अति अनियमित होने के अतिरिक्त इसके फलस्वरूप स्कीमों का निष्पादन भी न हो पाया/निष्पादन में विलम्ब हुआ। अतः सरकारी लेखों के बाहर सरकारी निधियों को इस प्रकार से अप्राधिकृत रूप से रोके रखने तथा बैंकों में इनकी जमा के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा उचित निदेश जारी करने हेतु अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है।

मामला मार्च 2001 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

2.6 लोक निर्माण विभाग में व्यय एवं बजट नियंत्रण

2.6.1 परिचय

सरकारी भवनों, सड़कों एवं पुलों के निर्माण तथा मरम्मत तथा अनुसूचना के लिए निधियां विभिन्न मुख्य शीर्षों* के अन्तर्गत चार अनुदानों^६ के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है। 1999-2000 तक विभिन्न सरकारी विभागों के भवन निर्माण कार्य के सम्बन्ध में बजट नियंत्रण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता था तथा उसके लिए निधियां सम्बन्धित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत विभिन्न अनुदानों के माध्यम से

* "2059", "2216", "3054", "4059", "4216" तथा "5054"

^६ संख्या 10-लोक निर्माणकार्य, 17-सड़कें एवं पुल, 28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास तथा 31-जनजातीय विकास

उपलब्ध कराई जाती थी। 2000-2001 से आगे विभिन्न विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभागों के पूंजीगत शीर्षों के सम्बन्ध में नियंत्रण प्राधिकारी घोषित कर दिया गया। अधीक्षण अभियन्ता अपने नियंत्रणाधीन मण्डलों का नियंत्रण अधिकारी होने के नाते अपने सम्बद्ध क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के माध्यम से बजट प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता को भेजते हैं जो वित्त विभाग को बजट आकलनों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होता है।

जून-जुलाई 2001 के दौरान प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय में 1998-2001 के दौरान बजट प्रक्रिया तथा व्यय नियंत्रण की समीक्षा की गई जो बाद में पांच मण्डलों¹ से एकत्रित सूचना द्वारा संपूरित की गई। पाए गए महत्वपूर्ण तथ्यों को आगामी परिच्छेदों में विवेचित किया गया है।

2.6.2 बजट प्रावधान तथा व्यय

1998-2001 के दौरान आवंटित निधियों की समग्र स्थिति तथा उनके प्रति किया गया व्यय निम्नांकित था:-

वर्ष		बजट प्रावधान		व्यय		अन्तर आधिक्य (+)/व्यय (-)	
		योजनागत	आयोजनेतर	योजनागत	आयोजनेतर	योजनागत	आयोजनेतर
(करोड़ रुपए)							
1998-99	राजस्व	16.83	271.37	16.93	384.93	(+)0.10	(+)113.56
	पूंजीगत	239.00	--	254.07	--	(+)15.07	--
1999-2000	राजस्व	12.63	299.88	13.04	415.43	(+)0.41	(+)115.55
	पूंजीगत	290.22	--	293.81	--	(+)3.59	--
2000-2001	राजस्व	13.03	321.50	12.91	424.26	(-)0.12	(+)102.76
	पूंजीगत	279.33	0.14	253.99	--	(-)25.34	(-)0.14
	जोड़	851.04	892.89	844.75	1224.62	(-)6.29	(+)331.73

यह पाया गया कि 1998-2001 के दौरान राजस्व प्रवर्ग में आयोजनेतर के अन्तर्गत सतत आधिक्य 32 एवं 42 प्रतिशत के मध्य था। इस प्रकार, बजट आकलन वास्तविकता के आधार पर नहीं थे। 1998-2001 के दौरान 351.04 करोड़ ₹ के अधिक व्यय को नियमित नहीं कराया गया था। अधिक व्यय को नियमित न कराए जाने के लिए पूछे गए कारण (जुलाई 2001) प्रतीक्षित थे।

प्रमुख अभियन्ता के उप-नियंत्रक (वित्त एवं लेख) ने तथ्यों से सहमत होते हुए बताया (जुलाई 2001) कि अधिक व्यय मुख्यतः अधिक वर्षा से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के अनुस्क्षण, पुराने आवासीय भवनों की मरम्मत तथा अनुस्क्षण, कुछ लक्षित कार्यों की पूर्णता एवं कार्य प्रभासित स्थापना पर लगाए गए दैनिकभोगी कर्मचारियों को भुगतान के कारण हुआ। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यय की ये सभी

¹ यांत्रिकी मण्डल ढली, शिमला संख्या- I, III, राष्ट्रीय उच्च मार्ग सोलन तथा सोलन

मदें पूर्वाभास योग्य थी तथा इनके लिए सम्बद्ध वर्षों के बजट आकलनों में प्रावधान किया जाना चाहिए था।

नमूना जांच किए गए मण्डलों में निम्नांकित अतिरिक्त तथ्य पाए गए:

(i) **निधियों का अप्राधिकृत अपवर्तन**

बजट नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, योजनागत से आयोजनेतर तथा प्रतिलोमतः पुनर्विनियोग स्वीकार्य नहीं है। यह देखा गया कि दो मण्डलों में 1998-2001 के दौरान 1.75 करोड़ ₹ का व्यय अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा मुख्य शीर्षों “2059-लोक निर्माण, मरम्मत एवं अनुसंधान, आयोजनेतर” (62.77 लाख ₹) तथा “5054- सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय, योजनागत” (1.12 करोड़ ₹) से क्रमशः “4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय (योजनागत)” तथा “3054-सड़क एवं पुल (आयोजनेतर)” को राज्य विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना उपलब्ध निधियों को प्रयुक्त करने हेतु किया गया।

अधिशाषी अभियन्ता, शिमला मण्डल-III ने बताया (जुलाई 2001) कि निर्माण भवन बिल्डिंग के निर्माण के लिए 65.50 लाख ₹ का बजट आबंटन था जिसका निर्माण वर्ष 2000-2001 के दौरान नहीं किया जा सका क्योंकि निविदा प्रक्रिया विलम्ब से (फरवरी 2001) पूरी हुई तथा 62.77 लाख ₹ का राजस्व व्यय इस कार्य के लिए स्वीकृत साखपत्र के व्यपगमन के परिहार हेतु इस कार्य को डेबिट किया गया। अधिशाषी अभियन्ता, सोलन मण्डल ने बताया (जुलाई 2001) कि अग्रता वाले कार्यों पर व्यय करना पड़ा तथा अतिरिक्त निधियां यद्यपि मांगी गई थी किन्तु उपलब्ध नहीं कराई गई तथा इस प्रकार निधियों का अपवर्तन करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। ये विवाद बजट नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है।

(ii) **बजट को व्यपगमन से बचाने के लिए निधियों का अनियमित आहरण**

अधिशाषी अभियन्ता, शिमला मण्डल संख्या-11 द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 2800 टन सीमेण्ट प्राप्त करने के लिए 65.52 लाख ₹ का अग्रिम भुगतान किया गया (मार्च 2001)। इन्हें सामान की प्राप्ति होने तक उचन्त शीर्ष “विविध निर्माणकार्य अग्रिमों” के अन्तर्गत डालने की बजाए इसमें से 39.25 लाख ₹ “नये उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण” कार्य तथा 26.27 लाख ₹ “स्टॉक” को प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित किये गए।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए अधिशाषी अभियन्ता ने बताया (जुलाई 2001) कि वर्ष के बिल्कुल अन्त में प्राप्त हुए बजट आबंटन को प्रयुक्त करने के लिए व्यय को कार्यों/स्टॉक को प्रत्यक्ष रूप से बुक किया गया।

(iii) **डिपॉजिट कार्यों पर अधिक व्यय**

तीन मण्डलों में अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा विभिन्न डिपॉजिट कार्यों के निष्पादन पर 1998-2001 के दौरान प्राप्त जमा राशि से 89.55 लाख ₹ अधिक व्यय किए जाँसकिए जैसाकि निम्न विवरणित है:-

² शिमला नं०-III तथा सोलन

क्र०	मण्डल का नाम	1998-2001 के दौरान प्राप्त	मार्च 2001 तक	अधिक व्यय
		जमा राशि	किया गया व्यय	
(लाख रुपए)				
1.	शिमला नं०II	53.69	77.53	23.84
2.	शिमला नं०III	76.21	111.11	34.90
3.	सोलन	50.74	81.55	30.81
	जोड़	180.64	270.19	89.55

प्राप्त जमा राशि से अधिक व्यय के कारण सम्बद्ध अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा सूचित नहीं किये गये थे।

2.6.3 अवास्तविक आकलन

निम्नांकित मामलों में विभागाध्यक्ष द्वारा किया गया निधियों का आकलन 1998-2000 के दौरान अनुदान संख्या 17 के अन्तर्गत वास्तविक व्यय की तुलना में 51 से 59 प्रतिशत तक कम था जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्र०	लेखाशीर्षक	वर्ष	विभाग द्वारा मांगा	वास्तविक	मांग से अधिक
			गया बजट/वित्त	व्यय	व्यय
			विभाग द्वारा		(प्रतिशतता)
			आवृत्त बजट		
(करोड़ रुपए)					
1.	5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 01-निदेशन एवं पर्यवेक्षण (योजनागत)	1998-99	5.72	9.12	3.40 (59)
2.	3054-सड़कें एवं पुल 04-जिला एवं अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 05-साधारण मरम्मत (आयोजनेतर)	1999-2000	28.61	44.33	15.72 (55)
3.	3054-सड़कें एवं पुल 04-जिला एवं अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 06-विशेष मरम्मत (आयोजनेतर)	1999-2000	12.22	18.40	6.18 (51)

इस प्रकार विभाग की कार्रवाई अवास्तविक आकलन की सूचक थी।

2.6.4 बजट आकलनों एवं आधिक्यों तथा अभ्यर्पणों की विवरणी का प्रस्तुत करने में विलम्ब

विभागाध्यक्ष द्वारा बजट आकलनों तथा आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों की अंतिम विवरणी प्रशासनिक विभाग/वित्त विभाग को प्रत्येक वर्ष क्रमशः 25 अक्टूबर तथा 1 दिसम्बर तक भेजी थी। तथापि, 1998-2001 के दौरान बजट आकलन 120 से 122 दिनों, आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों की विवरणी 117 से 120 दिनों तक के विलम्ब से भेजी गई जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

क्र०	विवरण	प्रस्तुत करने की दृ. तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि		
			1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	बजट आकलन	25 अक्टूबर	24.2.1998 (122 दिन)	22.02.1999 (120 दिन)	23.02.2000 (121 दिन)
2.	आधिक्यों तथा अभ्यर्पणों की विवरणी	1 दिसम्बर	31.3.1999 (120 दिन)	28.03.2000 (117 दिन)	31.03.2001 (120 दिन)

जबकि आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों की विवरणी को वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन प्रस्तुत किया जाना निरर्थक कार्य था, बजट विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप वास्तविक आधार पर बजट आकलन/संशोधित आकलन को तैयार करने में विफलता प्राप्त हुई। प्रमुख अभियन्ता ने बताया (जुलाई 2001) कि क्षेत्रीय कार्यालयों से बजट आकलनों के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उन्हें समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस प्रकार प्रमुख अभियन्ता समुचित बजट नियंत्रण रखने में विफल रहा।

2.6.5 व्यय नियंत्रण प्रणाली का अनुचित कार्यान्वयन

निधियों के आहरण को नियमित करने तथा उनके प्रति व्यय प्रतिबन्ध लगाने के लिए राज्य सरकार ने "साखपत्र" स्कीम प्रारम्भ की (सितम्बर 1981) थी।

अभिलेखों की नमूना जांच से निम्न तथ्य उद्घाटित हुए:-

(i) साख-पत्र स्कीम के प्रावधानों के विपरीत वित्त विभाग ने 1998-2001 के दौरान मार्च के अंतिम दिन 25.74 करोड़ ₹ निस्तारित किए जिससे विभाग को निधियां उपयोग करने के लिए कोई समय नहीं मिला।

(ii) स्कीम में सीमित कार्य अवधि के कारण जनजातीय क्षेत्रों के लिए तीसरी तिमाही के अन्त तक 100 प्रतिशत साख-पत्र निस्तारित करने का प्रावधान था। तथापि, यह देखा गया कि प्रमुख अभियन्ता द्वारा 1999-2001 के दौरान नौ मामलों में 3.35 करोड़ ₹ के साख-पत्र अंतिम तिमाही में निस्तारित किए।

(iii) सभी साख-पत्रों पर लेखा शीर्ष दर्शाए बिना त्रैमासिक आधार पर, जैसा कि अपेक्षित था, जारी करने के बजाए तदर्थ/मासिक आधार पर विलम्ब किया गया (जनवरी 2000 से आगे) तथा उन मण्डलीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत अपने स्तर पर व्यय समायोजित किया गया।

2.6.6 दायित्व विवरणी को प्रस्तुत न करना

प्रमुख अभियन्ता द्वारा 1998-2001 के दौरान व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए दायित्व विवरणी तथा सही बजट आकलन वित्त विभाग द्वारा प्रेषित नहीं किए गए थे, जैसाकि बजट नियमावली में अपेक्षित था।

अप्रकट/अमुक्त दायित्वों पर दृष्टि रखने के लिए नियम पुस्तिका के अनुसार दायित्व रजिस्टर बनाया जाना अपेक्षित था, जिसका प्रमुख अभियन्ता द्वारा अनुक्षण नहीं किया गया था।

सिविल विभाग

प्रवर्ग-क

समीक्षाएं

पृष्ठ

◆ रोगो का निवारण तथा नियंत्रण

43-76

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम


राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

अंधापन नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम

◆ तकनीकी शिक्षा तथा शिल्पकार प्रशिक्षण

77-86



तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

प्रयोग-व-समीक्षाएं

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.1 रोगों का निवारण तथा नियंत्रण

मुख्यवाते

रोगों के निवारण तथा नियंत्रण से सम्बन्धित राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य एड्स, क्षयरोग, अंधापन तथा कुष्ठरोग का निवारण तथा नियंत्रण करना है। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच से उद्घाटित हुआ कि इनका पर्याप्त रूप से अनुश्रवण नहीं किया गया तथा सामान्यतया इनका मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में निम्नवत् मुख्य बातें ध्यान में आईं:

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश में पहले एचआईवी पाज़िटिव मामले का पता 1987 में लगा। मार्च 2001 के अन्त में 26,939 व्यक्ति जिनकी जांच की गई में से 278 एचआईवी पाज़िटिव से ग्रस्त पाए गए। इनमें से 87 प्रतिशत पूर्ण रूप से विकसित एड्स के मामले सम्मिलित हैं। जांच किए गए व्यक्तियों की वर्तमान सीरम-पाज़िविटी दर 10.3/1000 थी।

परियोजना सर्वेक्षणों के दौरान लगभग 226 कमर्शियल सेक्स वर्कर्स जिन्होंने मुनाली (160) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-22 के साथ-साथ (66) अपना जाल बिछा रखा था, की शिनाख्त की गई। परियोजना अवधि के समाप्त होने पर इन उच्च जोखिम वाले समूहों के संक्रमण में परामर्श, निरोधों की आपूर्ति आदि जैसी कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार एचआईवी संक्रमण के फैलने में कमी करने सम्बन्धी समूहों का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया।

[परिच्छेद 3.1क.6 (iii)]

1999 तथा 2000 के दौरान आयोजित किए गए तीन परिवार स्वास्थ्य जागृति अभियानों की उपलब्धियां 1.09 करोड़ रु० का व्यय करने के बाद भी एक तथा 17 प्रतिशत के मध्य रही।

[परिच्छेद 3.1क.7(i)]

जैसाकि अपेक्षित था, प्रत्येक जिला में स्वेच्छिक रक्त परीक्षण केंद्र स्थापित नहीं किए गए थे। इस प्रकार एचआईवी पाज़िटिव मामलों का पता लगाने के लिए स्वेच्छिक परीक्षण की सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं थी।

(परिच्छेद 3.1क.9)

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

तीन नमूना-जांच किए गए जिलों में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से ही लार की परीक्षा के लिए आठ माइक्रोस्कोपी केन्द्र शुरू नहीं किए गए थे। राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी का सुदृढीकरण न किए जाने के कारण कार्यक्रम का समुचित अनुश्रवण नहीं किया गया। राज्य क्षयरोग अधिकारी द्वारा सूचना, शिक्षा तथा संचार क्रियाकलाप प्रारम्भ नहीं किए गए थे।

** 3.09 करोड़ रू० उपलब्ध निधियों के प्रति राज्य क्षयरोग अधिकारी/छ जिलों के जिला क्षयरोग अधिकारी संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1996-2001 के दौरान केवल 2.23 करोड़ रू० प्रयुक्त कर सके। 0.86 करोड़ रू० विभिन्न वचत बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़े थे।

[परिच्छेद 3.1ख.5(ii)]

** क्षयरोग सैनिकारियम, टांडा के 35 अतिरिक्त स्टाफ को 1996-2001 के दौरान वेतन तथा भत्तों के रूप में 76.80 लाख रू० की अदायगी की गई।

[परिच्छेद 3.1ख.11 (iii)]

** पर्यवेक्षकों के विभिन्न वर्गों द्वारा क्षेत्रीय इकाइयों तथा माइक्रोस्कोपी केंद्रों के निरीक्षण में कमी तीन तथा 100 के मध्य थी।

(परिच्छेद 3.1ख.12)

अधापन नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

1996-2001 के दौरान निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा कैटेरेक्ट मामलों से सम्बन्धित प्रभावक्षेत्र की शिनाख्त करने के लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया। राज्य में न तो लाईलाज़ व्यक्तियों की शिनाख्त/पुनर्वास किया गया और न ही नेत्र बैंक संस्थापित किए गए। कार्यक्रम का अनुश्रवण व मूल्यांकन भी नहीं किया गया।

** 1996-2000 के दौरान जिला अधापन नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा प्राप्त किए सहायता अनुदानों में से 31 लाख रू० बैंकों में अप्रयुक्त रहे।

[परिच्छेद 3.1ग.4 (iii)]

** 1996-2001 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर न तो लाईलाज़ अंधे व्यक्तियों की शिनाख्त की गई और न ही पुनर्वास किया गया।

(परिच्छेद 3.1ग.8)

** जैसाकि अपेक्षित था, 1996-2001 के दौरान राज्य में कोई नेत्र बैंक संस्थापित नहीं किया गया।

(परिच्छेद 3.1ग.11)

राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम

1996-2001 के दौरान प्रत्येक चल कुष्ठरोग उपचार इकाई के द्वारा वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार नहीं की गईं। मार्च-मई 1999 में संशोधित कुष्ठरोग उन्मूलन अभियान प्रारम्भ करने के बावजूद कुष्ठरोग की प्रचलित दर 1999-2000 में 0.5/10,000 से बढ़ कर 2000-2001 में 0.6/10,000 हो गई।

** मार्च-मई 1999 में संशोधित कुष्ठरोग उन्मूलन अभियान के दौरान खोजी दलों द्वारा 9.98 लाख जनसंख्या की गणना/सर्वेक्षण नहीं किया गया।

(परिच्छेद 3.1घ.6)

** सिरमौर जिला में दो चल कुष्ठरोग उपचार इकाइयों ने चिकित्साधिकारियों के बिना कार्य किया तथा स्टाफ को अभिविन्यास प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया। इसके फलस्वरूप प्रचलित दर 1999-2000 में 0.07/10,000 से बढ़कर 2000-2001 में 1.70/10,000 हो गई।

(परिच्छेद 3.1घ.7 तथा 3.1घ.11)

** औषधियों तथा अपेक्षित स्टाफ की उपलब्धता के बावजूद 1996-2001 के दौरान औषधी वितरण केन्द्रों द्वारा हमीरपुर जिला में कुष्ठ रोगियों के बहु औषधी चिकित्सा सेवाएं प्रदान नहीं की गईं।

(परिच्छेद 3.1घ.12 (ग))

** 1999-2000 के दौरान उपचार से विमुक्त किए गए कुष्ठरोग के मामलों में कमी 12 तथा 69 प्रतिशत के मध्य थी।

(परिच्छेद 3.1घ.13(iii))

3.1क राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

3.1क.1 परिचय

एड्स एक घातक रोग है जो एचआईवी कहलाने वाले वायरस से होता है। तदनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से देश में 1985 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-1 प्रारम्भ किया गया। इसके बाद एचआईवी/एड्स के विरुद्ध जनजागृति उत्पन्न करने के लिए भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में सितम्बर 1992 से सितम्बर 1997 तक एक पंचवर्षीय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना का कार्यान्वयन किया गया। तदोपरान्त इस परियोजना का मार्च 1999 तक विस्तार कर दिया गया। परियोजना के उद्देश्य (i) एचआईवी के फैलाव को कम करना; (ii) एचआईवी संक्रमण से सम्बन्धित रोगग्रस्तता/मृत्यु-दर को कम करना तथा (iii) एचआईवी संक्रमण से उत्पन्न प्रतिकूल सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव को कम करना है।

इतने में भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से राज्य में नवम्बर 1999 में अक्टूबर 2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निम्नवत् दो मुख्य उद्देश्यों सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-11 प्रारम्भ किया:

- (i) भारत में एचआईवी संक्रमण के फैलाव को कम करना; तथा
- (ii) एचआईवी/एड्स का सामना करने के लिए दीर्घकालीन आधार पर भारत की क्षमता का सुदृढीकरण करना।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा था।

3.1क.2 संगठनात्मक ढांचा

समूचा प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण) के पास था। अप्रैल 1998 तक राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य कार्यक्रम अधिकारी (एड्स सैल) में निहित था। राज्य स्तर पर नोडल अधिकारियों द्वारा उसे सहायता प्रदान की जाती थी। सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (सोसाइटी) के गठन (मई 1998) पर एड्स सैल का कार्य सोसाइटी को अन्तरित कर दिया गया। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी का परियोजना निदेशक था तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी था। जिला स्तर पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन मुख्य चिकित्साधिकारियों जिनकी जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी के द्वारा किया गया। प्रमाणित वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को प्रस्तुत किए जाते थे।

3.1क.3(क) लेखापरीक्षा व्याप्ति

तीन जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अभिलेखों की अनुपूरक समीक्षा सहित 1996-2001 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा (फरवरी-मई 2001) हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी शिमला द्वारा की गई।

(ख) लेखापरीक्षा व्यवस्था

हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की जानी थी। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा भी की गई।

3.1क.4 वित्तीय प्रबन्ध

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम थी। जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1998 तक राज्य सरकार को निधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम की बजट व्यवस्था राज्य बजट में की गई। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (मई 1998) के गठित होने के बाद भारत सरकार द्वारा सोसाइटी को निधियां सीधे निस्तारित की गईं।

कार्यक्रम के अन्तर्गत 1996-2001 के दौरान निस्तारित की गईं निधियां तथा उसके प्रति किया गया व्यय निम्नवत् था:

वर्ष	प्राप्त अनुदान	वस्तुविक व्यय	व्यय
	(लाख रुपय)		
1996-97	200.88	200.88	शून्य
1997-98	196.97	196.97	शून्य
1998-99	153.04	143.13	9.91
1999-2000	255.26	230.46	24.80
2000-2001	307.50	266.68	40.82
जोड़	1113.65	1038.12	75.53

परियोजना निदेशक ने व्यय में कमी का कारण भारत सरकार द्वारा 1999-2000 तथा 2000-2001 में वर्ष के बिल्कुल अंत में निधियों का निस्तारण करना बताया (मई 2001)।

1998-2001 के दौरान भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त 7.16 करोड़ रु० में से 0.76 करोड़ रु० अप्रयुक्त रहे।

3.1क.5 एचआईवी/एड्स का प्रचलन

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिला में एक स्वैच्छिक रक्त परीक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना था।

जांच किए गए 26,939
व्यक्तियों में से 278 व्यक्ति
एचआईवी पाज़िटिव से
ग्रस्त पाए गए जिनमें पूर्ण
रूप से विकसित एड्स के
87 मामले सम्मिलित हैं।

यह पाया गया कि राज्य में पहले एचआईवी मामले का पता 1987 में लगा। मार्च 2001 के अन्त में इंदिरागांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला के केवल मात्र स्वैच्छिक रक्त परीक्षण केन्द्र में जांच किए गए 26,939 व्यक्तियों में से 278 मामले एचआईवी पाज़िटिव से ग्रस्त पाए गए, जिनमें पूर्ण रूप से विकसित 87 मामले सम्मिलित हैं। जांच किए गए व्यक्तियों की वर्तमान सीरम-पाज़िटिविटी दर 10.3/1,000 थी।

राष्ट्रव्यापी कड़ी निगरानी के अनुमानानुसार मार्च 2001 तक राज्य में 3500-4000 एचआईवी पाज़िटिव मामले थे। राज्य में एचआईवी पाज़िटिव/एड्स के मामलों की संख्या वर्षानुवर्ष बढ़ रही थी। 1987 में 1 से बढ़कर वर्ष 2000 में यह संख्या 74 हो गई थी तथा मार्च 2001 में यह संचित संख्या 278 थी। एचआईवी पाज़िटिव संक्रमण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने राज्य में स्वैच्छिक रक्त परीक्षण केन्द्रों की संस्थापना सम्बन्धी आवश्यकता पर ध्यान देने को विवश किया। परियोजना निदेशक ने स्वैच्छिक रक्त परीक्षण केन्द्र स्थापित न करने का कारण राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा इस गतिविधि के लिए उपस्करों व निधियों की आपूर्ति न करना बताया (मई 2001)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि परियोजना निदेशक ने उपस्करों/निधियों की आपूर्ति करवाने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के साथ मामला नहीं उठाया और इस प्रकार अधिकांश लोगों को अभिप्रेत लाभों से वंचित कर दिया था।

3.1क.6 उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए लक्ष्यात्मक हस्तक्षेप

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च जोखिम समूहों (कमर्शियल सेक्स वर्कर, प्रवासी श्रमिक तथा परिवहन कामगार) की शिनाख्त करके उनमें समकक्षी, परामर्श, निरोध प्रचार, यौन रोगों का उपचार तथा ग्राहक कार्यक्रमों के द्वारा एचआईवी का फैलाव कम करना है। इन गतिविधियों का संचालन गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा किया जाना था। लेखापरीक्षा में निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए-

उच्च जोखिम वाले समूहों की शिनाख्त

हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा जुलाई 1999 में 15.04 लाख रू० की चार लक्ष्यात्मक हस्तक्षेप परियोजनाएं संस्वीकृत की गईं, यद्यपि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से निष्पादन हेतु अक्टूबर 1999 में दिशानिर्देश प्राप्त हुए। यह परियोजनाएं एक वर्ष के लिए अनुमोदित की गईं तथा चार विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा निष्पादित की गईं। सभी चार परियोजनाओं का अगस्त 2000 में समापन किया गया। इन परियोजनाओं की वित्तीय तथा प्रत्यक्ष उपलब्धियां निम्नवत् थीं:

12,500 लक्ष्यात्मक समूह व्यक्तियों जिनसे परामर्श, निरोध प्रचार तथा यौन रोगों के उपचार हेतु सम्बन्ध स्थापित किया जाना प्रस्तावित था में से केवल 5,955 व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित किया।

परियोजना का नाम	गैर-सरकारी संगठन का नाम	गैर-सरकारी संगठनों को सरभोजन राशि/अदा की गई राशि (लाख रूपए)	उपेक्ष्यात्मक समूह व्यक्तियों जिनसे सम्बन्ध स्थापित किया गया की संख्या	वार्षिक रूप से आवृत व्यक्ति	कमी	कमी के कारण
हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र, मनाली में एड्स जागृति तथा इसके निवारक उपायों का प्रचार	ग्रामीण अर्थ- व्यवस्था धमन, कुल्चू की उन्नति हेतु सोसाइटी	4.30	5,000	2,000	3000	कमर्शियल सेक्स वर्कर्स की शिनाख्त न करना
ट्रक चालकों तथा उनके सहयोगियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-22 के साथ-साथ तारादेवी (शिमला) से परवाणू तक बिछे हुए सेक्स जाल के लिए क्षेत्रों का मानचित्रण करना	कण्डाघाट समग्र विकास समिति, गौरा, सोलन	3.77	1,000	955	45	ट्रक वालों का उपलब्ध न होना
दाइलाघाट, सोलन में परिव्राहकों तथा प्रवासी श्रमिकों के लिए यौन रोगों/ एचआईवी/ एड्स के निवारण तथा नियंत्रण हेतु हस्तक्षेप	हिमाचल जन विकास सहयोग संस्थान, दाइलाघाट, सोलन	3.76	3,500	2000	1500	उच्च गति शीलता के कारण ट्रक वालों का उपलब्ध न होना
कांगड़ा के कण्डी क्षेत्र तथा नगरोटा बगवां खण्ड, कांगड़ा की राज्य खानों के प्रवासी कामगारों के लिए कण्डी क्षेत्र परिवार जीवन जागृति परियोजना	घोलाघार सार्वजनिक शिक्षा सोसाइटी, योल, कांगड़ा	3.21	3,000	1000	2000	मौसमी कामगारों का उपलब्ध न होना
	जोड़	15.04	12,500	6055 (48)	6545 (52)	

* लघु कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता प्रकट करते हैं।

(i) संविदा की शर्तों के अनुसार गैर-सरकारी संगठन द्वारा कार्यक्रम को समूचे रूप से पूर्ण करना था। संविदा भंग के मामले में गैर-सरकारी संगठन को हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा निस्तारित की गई, समस्त राशि का प्रत्यर्पण करना था।

नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि लक्ष्य प्राप्त करने में 52 प्रतिशत की कमी थी। इसके बावजूद सम्बन्धित गैर-सरकारी संगठनों को परियोजना की पूरी लागत की अदायगी की गई। राज्य कार्यक्रम अधिकारी से गैर-सरकारी संगठनों को परियोजना की पूरी लागत की अदायगी करने के सम्बन्ध में पूछे गए (मई 2001) कारण सूचित नहीं किए गए थे। संविदा के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों से यथानुपात राशि के प्रत्यर्पण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ii) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार लक्ष्यात्मक हस्तक्षेपों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा निधियां हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा न्यूनतम तीन वर्ष की परियोजना अवधि के लिए संस्वीकृत की जानी थी। यह पाया गया कि उपरोक्त चार परियोजनाएं एक-एक वर्ष के लिए संस्वीकृत की गईं, जो एचआईवी के फैलाव को कम करने के लिए लक्ष्यात्मक हस्तक्षेपों के समूचे लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त नहीं थी।

(iii) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए परियोजना अध्ययनों से उद्घाटित हुआ कि मनाली तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-22 (शिमला से परवाणू) के साथ-साथ कमर्शियल सेक्स वर्कर कार्य कर रहे थे। मनाली में लगभग 160 कमर्शियल सेक्स वर्करों की शिनाख्त की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग-22 के साथ-साथ 5 मुख्य स्थानों पर 66 कमर्शियल सेक्स वर्कर कार्य कर रहे थे (परवाणू: 24, सोलन: 16, सलोगड़ा: 12, धर्मपुर: 8 तथा तारादेवी:6)। इन कमर्शियल सेक्स वर्करों के ग्राहकों में मुख्यतः ट्रक वाले, टैक्सी चालक, पर्यटक, होटलों में कार्य करने वाले कामगार तथा प्रवासी श्रमिक सम्मिलित थे

जैसा कि अपेक्षित था चार लक्ष्यात्मक हस्तक्षेप परियोजनाएं तीन वर्षों की बजाय एक वर्ष के लिए संस्वीकृत की गईं।

जो एचआईवी संक्रमण फैलाने का मुख्य स्रोत थे। परियोजना अवधि के उपरान्त सुरक्षित सेक्स व्यवहार के लिए परामर्श, निरोधों की आपूर्ति करना आदि जैसी कोई अनुवर्ती कार्यवाई नहीं की गई।

सेक्स जाल के लिए क्षेत्रों का मानचित्रण करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग-22 के साथ-साथ परियोजना का समापन अगस्त 2000 में किया गया। इस प्रकार परियोजना पर किए गए 3.77 लाख ₹ के व्यय ने एचआईवी के संक्रमण को कम करने के समूचे उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया।

उच्च जोखिम वाले समूहों की शिनाख्त के उपरान्त कोई अनुवर्ती कार्यवाई नहीं की गई।

परियोजना निदेशक ने बताया (मई 2001) कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार उपर्युक्त परियोजनाएं तीन वर्ष तक निष्पादित नहीं की जा सकी। परियोजना निदेशक का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से दिशानिर्देशों के प्राप्त होने के बाद तीन वर्षों तक परियोजनाएं अनुमोदित की जानी चाहिए थी या इनमें उपयुक्त विस्तार किया जाना चाहिए था ताकि परियोजनाओं के उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त किये जा सकें।

3.1क.7 सामान्य समुदाय के लिए निवारक हस्तक्षेप

जागृति उत्पन्न करने तथा सेवाएं प्रदान करने हेतु यौन रोगों व जनन क्षेत्र संक्रमणों के नियंत्रणार्थ सूचना, शिक्षा तथा संचार तथा जागृति अभियान आयोजित किए जाने थे। निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए:-

(i) परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान

31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (सिविल) प्रतिवेदन, हिमाचल प्रदेश सरकार के परिच्छेद 3.2 में यह कहा गया है कि एचआईवी/एड्स के संदर्भ में जागरूकता लाने के लिए विभाग द्वारा राज्य व्यापी सर्वेक्षण तथा निगरानी/प्रचार नहीं किया गया था। लोक लेखा समिति ने अपने 146वें प्रतिवेदन (नवीं विधानसभा) में सिफारिश की (दिसम्बर 1999) कि ग्रामीण लोगों को एचआईवी/एड्स से अवगत करवाया जाए ताकि वे स्वेच्छा से रक्त परीक्षण के लिए आगे आए।

इतने में ग्रामीण लोगों में एचआईवी/एड्स तथा यौन रोगों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने तथा 15-49 वर्षों के आयु समूह में पड़ने वाली लक्ष्यात्मक जनसंख्या में यौन रोगों के शीघ्र निदान तथा उपचार हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य में चरणबद्ध विधि से परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया (नवम्बर 1999)। सूचना, शिक्षा तथा संचार कार्यप्रणाली के माध्यम से यौन रोगों-महामारी के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार किया जाना था।

राज्य में आयोजित किए गए तीन परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों के ब्यौरे निम्नवत् थे:-

क्र०	अभियान की अवधि	आवृत्त किए गए जिलों की संख्या	लक्ष्यांकित जनसंख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जो शिविरों में उपस्थित हुए	उपस्थिति की प्रतिशतता	अभियान पर व्यय
						(लाखा में)
1.	26 अप्रैल से 1 मई 1999	3 ²	9.93	0.07	1	32.63
2.	1-15 दिसम्बर 1999	6 ³	12.28	2.14	17	16.00
3.	1-15 जून 2000	12 ⁴	23.29	3.20	14	60.26
	जोड़					108.89

² बिलासपुर, हमीरपुर तथा कांगड़ा

³ कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

⁴ राज्य के सभी बाहर जिले

(क) मूलतः उपस्थिति की न्यून प्रतिशतता से सामाजिक गतिशीलता की कमी प्रदर्शित हुई। भारी रूप से निरूत्साहित प्रतिक्रिया पर चिन्ता प्रकट करते हुए भारत सरकार ने सूचित किया (जनवरी 2001) कि परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान (1-15 जून 2000) के अंतिम दौर के परिभाषात्मक मूल्यांकन के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्युत्तर 18 प्रतिशत था। इस प्रकार 1.09 करोड़ रु० का व्यय करने के बाद तथा लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद जागरूकता अभियान का प्रयोजन पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं किया गया।

1.09 करोड़ रु० का व्यय करने के बाद भी तीन परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों की उपलब्धि एक तथा 17 प्रतिशत के मध्य थी।

(ख) इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला द्वारा संचालित मण्डी जिले में अभियान के दौरान एफएचएसी के समवर्ती मूल्यांकन (1-15 दिसम्बर 1999) से कई कमियां जैसे लक्षित जनसंख्या की उपस्थिति की कम प्रतिशतता (28 प्रतिशत), आई.ई.सी. गतिविधियों की कमी, गैर-सरकारी संगठनों की कम भागीदारी तथा केंद्रों में महिला डाक्टरों की अनुपस्थिति आदि उद्घाटित हुई। इससे प्रकट हुआ कि सूचना, शिक्षा तथा संचार कार्यप्रणाली का परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के दौरान पर्याप्त रूप से प्रयोग नहीं किया गया। परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान 26 अप्रैल-1 मई 1999 तथा 1-15 जून 2000 का मूल्यांकन नहीं किया गया। इस प्रकार जागरूकता से उपलब्धि स्तर सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(ग) तीन जिलों में परिवार स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह (26 अप्रैल -1 मई 1999) आयोजित करने हेतु उपकेन्द्रों में तैनात स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा 15-49 वर्षों के आयु-समूह में पढ़ने वाली कुल जनसंख्या तथा लक्ष्यकृत जनसंख्या के शीघ्र आकलन के लिए सात दिन (1-7 अप्रैल 1999) के भीतर अपने क्षेत्र का दौरा करना था। उनके द्वारा सभी परिवारों को स्वास्थ्य नियंत्रण पत्र वितरित किए जाने थे।

यह पाया गया कि 9.93 लाख स्वास्थ्य नियंत्रण पत्र वितरण करने से सम्बन्धित लक्ष्य के प्रति 3.83 लाख (39 प्रतिशत) नियंत्रण पत्र वितरित किए गए। इस प्रकार लोगों में परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान से सम्बन्धित जागरूकता लाने हेतु पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अप्रैल-मई 1999 के दौरान आयोजित परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में लक्षित जनसंख्या के केवल एक प्रतिशत लाभग्राही उपस्थित हुए। इस प्रकार परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान पर किया गया 32.63 लाख रु० का व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा।

परियोजना निदेशक ने इस कमी का कारण सम-चिकित्सीय कर्मचारियों की हड़ताल बताया (मई 2001)।

(ii) निरोध प्रचार

एचआईवी प्रेषण के संभाव्य स्रोतों में विषम लिंगी सम्बन्ध मुख्य था, क्योंकि देश में 82 प्रतिशत से अधिक एचआईवी संक्रमण का कारण असुरक्षित तथा एक से अधिक साथियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना था। इस प्रेषण से निवारण का सबसे अधिक सफल तथा व्यावहारिक उपाय निरोध का उपयोग करना था।

(क) संक्रमण से बचने तथा यौन रोगों/एचआईवी संक्रमणों से सुरक्षा के दोहरे प्रयोजन की प्राप्ति हेतु निरोध के उपयोग के प्रचार के लिए निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा चिकित्साधिकारियों के माध्यम से स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा तथा प्रचार कार्यक्रम के सहयोग से लक्ष्यकृत आयु समूह को निरोधों की निःशुल्क आपूर्ति करनी थी। इसके अतिरिक्त सामाजिक विपणन तथा वाणिज्यिक बिक्री के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से निरोधों की व्यवस्था की जानी थी। 1996-2001 के दौरान विभिन्न माध्यमों से निरोधों की आपूर्ति से सम्बन्धित स्थिति निम्नवत् थी:-

क्र०	रकबा	(निरोधों की संख्या लाखों में)				योग
		1996-97	1997-99	1998-99	1999-2000	
1.	निःशुल्क वितरण	29.62	36.88	58.80	40.93	44.39
2.	सामाजिक विपणन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	वाणिज्यिक बिक्री	शून्य	शून्य	शून्य	0.65	0.05
	योग	29.62	36.88	58.80	41.58	44.44
						21.32

1999-2001 के दौरान निरोधों के निःशुल्क वितरण में गिरावट आई जबकि सामाजिक विपणन के अन्तर्गत कोई वितरण नहीं किया गया।

यह पाया गया कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा निःशुल्क वितरण हेतु आपूर्ति किए गए निरोधों की संख्या 1998-99 में 58.80 लाख से गिर कर 2000-2001 के दौरान 44.39 लाख हो गई। निरोधों का वितरण अधिकांशतः (निःशुल्क आपूर्ति) मातृत्व तथा शिशु केंद्रों/कर्मचारियों के माध्यम से किया गया। यौन-रोग निदानशालाओं के माध्यम से कोई वितरण नहीं किया गया। 1996-2001 के दौरान सामाजिक विपणन के अन्तर्गत निरोधों का कोई वितरण नहीं किया गया। परियोजना निदेशक ने बताया (जुलाई 2001) कि वितरण में गिरावट भारत सरकार द्वारा निरोधों की कम आपूर्ति के कारण थी। इस प्रकार असुरक्षित तथा बहु-संगी यौन सम्बन्धों को नियंत्रित करने का उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका।

(ख) मार्च 1997 में राज्य के राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एड्स सेल द्वारा 140 निरोध बिक्री मशीनें (लागत: 9.80 लाख ₹) खरीदी गईं। ये बिक्री मशीनें उच्च जोखिम क्षेत्रों में संस्थापित की गईं।

72 निरोध बिक्री मशीनें अव्यवस्थित थीं।

140 मशीनों में से चार जिलों (हमीपुर:22, कांगड़ा: 28, कुल्लू:10 तथा सिरमौर:12) में संस्थापित 72 मशीनें 1998 से अव्यवस्थित थीं। परियोजना निदेशक ने बताया (मई 2001) कि शेष 68 मशीनों के माध्यम से वितरित किए गए निरोधों के ब्योरे हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के पास उपलब्ध नहीं थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि मुख्य चिकित्साधिकारियों को इन मशीनों की कार्यप्रणाली के लिए अनुश्रवण तथा सुधारत्मक पग उठाने चाहिए थे। ऐसा नहीं किया गया था। इतना प्रकाश, इन मशीनों की खरीद से सम्बन्धित प्रयोजन प्राप्त नहीं किया गया था।

3.1क 8 यौन रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के यौन रोग नियंत्रण संघटक के दो मुख्य उद्देश्य थे (i) यौन रोग मामलों को कम करना तथा परिणामतः जोखिम तत्वों में गिरावट ला कर एचआईवी की प्रेषण पर नियंत्रण करना तथा (ii) यौन रोगों के कारण अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रोगग्रस्तता तथा मृत्यु दर का निवारण करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सुदृढीकरण तथा उन्नयन, चिकित्सिय तथा समचिकित्सिय कर्मियों को यौन रोगों में प्रशिक्षण देने, राज्य के प्रत्येक जिला चिकित्सालय तथा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय से सम्बन्धित यौन रोग निदानशालाओं में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने पर बल दिया गया। निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए:

जिला चिकित्सालयों में यौन रोग निदानशालाओं का सुदृढीकरण नहीं किया गया।

(क) राज्य में 71 यौन रोग निदानशालाएं थी जिनमें जिला चिकित्सालयों की 12 तथा इंद्रिगांधी आयुर्विज्ञान चिकित्सालय, शिमला की एक निदानशाला सम्मिलित है। यह पाया गया कि राज्य में जिला चिकित्सालयों की यौन रोग सेवाओं में चिकित्सिय/सम-चिकित्सिय स्टाफ को प्रशिक्षण देते हुए अवसंरचना सुविधाओं का उन्नयन नहीं किया गया था, जैसाकि अपेक्षित था। परियोजना निदेशक ने बताया (मई 2001) कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से निधियों के अभाव के कारण जिला चिकित्सालयों की यौन रोग निदानशालाओं का सुदृढीकरण नहीं किया जा सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से निधियों की मांग नहीं की गई।

(ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-1 (1996-99) के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थ कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। तथापि 1999-2000 के दौरान यौन रोग संलक्षण प्रबंधन में 2,137 चिकित्सा अधिकारियों तथा 5,252 सम-चिकित्सिय कर्मियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था में से 1,479 (69 प्रतिशत) चिकित्सा अधिकारियों तथा 2,217 (42 प्रतिशत) सम-चिकित्सिय कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। शेष 658 चिकित्सा अधिकारियों तथा 3,035 सम-चिकित्सिय कर्मियों में से 648 चिकित्सा अधिकारियों तथा 2,526 सम-चिकित्सिय कर्मियों को 2000-2001 के दौरान प्रशिक्षण दिया गया। मार्च 2001 के अन्त में दस चिकित्सा अधिकारी तथा 509 सम-चिकित्सिय कर्मी अप्रशिक्षित रहे। इस प्रकार 1999-2000 के लिए नियत किए गए लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किए गए। परियोजना निदेशक ने इस कमी का कारण प्रशिक्षण हेतु निधियों की अनुपलब्धता बताया। 1998-1999 से 2000-2001 के मध्य 75.53 लाख रु० उपलब्ध सकल बचतों जिनका इस उद्देश्यार्थ पुनर्विनियोजन तथा उपयोग किया जा सकता था को मध्यदृष्टि रखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं है। इस प्रकार चिकित्सा अधिकारियों/सम-चिकित्सिय कर्मियों को समय पर प्रशिक्षण न देने के कारण यौन रोगों से ग्रस्त रोगी उचित संलक्षण उपचार से वंचित रहे।

यौन रोगों से सम्बन्धित 71 निदानशालाओं में से 27 निदानशालाएं कार्य नहीं कर रही थी।

(ग) अक्टूबर-नवम्बर 1999 के दौरान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला द्वारा राज्य में यौन रोगों से सम्बन्धित निदानशालाओं के लिए गए सुविधा सर्वेक्षण से उद्घाटित हुआ कि राज्य में 71 यौन रोगों से सम्बन्धित निदानशालाओं में से केवल 44 निदानशालाएं कार्य कर रही थी। निदानशालाओं में प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों तथा प्रयोगशाला तकनीशियनों का सामान्य अभाव था। परियोजना निदेशक ने इसका कारण स्टाफ की कमी बताया (मई 2001)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, जहां परियोजना निदेशक ने राज्य सरकार के पास और प्रयोगशाला तकनीशियनों की तैनाती हेतु मांग प्रस्तुत की थी। इस प्रकार परियोजना निदेशक द्वारा राज्य सरकार से और अधिक प्रयोगशाला तकनीशियनों की मांग पर कार्रवाई न करने से यौन रोगों से ग्रस्त रोगी अपेक्षित सुविधाओं से वंचित रहे थे।

(घ) निगरानी केन्द्र

विस्तारित तथा संशोधित राष्ट्रव्यापी यौन संक्रमण/एचआईवी/एड्स निगरानी के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट क्रियाकलाप निम्नवत् थे:-

- (i) प्रत्येक राज्य में कड़ी निगरानी
- (ii) विशिष्ट सर्वेक्षण के माध्यम से यौन संक्रमण निगरानी
- (iii) व्यवहारात्मक निगरानी सर्वेक्षण तथा
- (iv) एड्स के मामलों की निगरानी

यह पाया गया कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला में 1987 में एड्स के मामलों से सम्बन्धित केवल एक निगरानी केन्द्र संस्थापित किया गया था जबकि मार्च 2000 में बिलासपुर तथा हमीरपुर जिलों में दो यौन रोग संक्रमण निगरानी केन्द्र संस्थापित किए गए। 1999-2000 के दौरान एड्स के मामलों से सम्बन्धित बारह निगरानी केन्द्र (1999-2000: 10 तथा 2000-2001:2) खोले जाने का लक्ष्य तथा 2000-2001 के दौरान तीन यौन रोग संक्रमण निगरानी केन्द्र खोलने के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की गई। इस प्रकार राज्य में यौन रोगों के मामलों का पता करने के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

परियोजना निदेशक ने लक्ष्य प्राप्त न करने का कारण निधियों का अभाव बताया (मई 2001)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के अन्तर्गत बचतें 1998-99 में 9.91 लाख ₹ से बढ़ कर 2000-2001 में 40.82 लाख ₹ हो गई।

3.1क.9 स्वैच्छिक एचआईवी परीक्षण तथा परामर्श सुविधा

एचआईवी परीक्षण पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की नीति के अनुसार सारे देश में एक चरणबद्ध ढंग से परीक्षण से पूर्व तथा बाद के परामर्श सहित पर्याप्त रूप से स्वैच्छिक परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी थी। यह विचार किया गया कि प्रत्येक जिला में एक स्वैच्छिक परीक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। इन रक्त परीक्षण केन्द्रों द्वारा वर्ष में एक बार शिनाख्तकृत स्थलों पर कड़ी निगरानी के प्रत्येक दौर के दौरान एचआईवी संक्रमण के लिए एकत्रित रक्त के नमूनों की जांच करना भी अपेक्षित था। 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-(सिविल)-हिमाचल प्रदेश सरकार परिच्छेद 3.2.7.5 में कहा गया था कि राज्य में रक्त परीक्षण केन्द्र अपर्याप्त थे। लोक लेखासमिति ने अपने 146वें प्रतिवेदन (नवीं विधानसभा) में सिफारिश की (दिसम्बर 1999) कि एचआईवी के परीक्षण के लिए जिला स्तर पर एक चरणबद्ध ढंग से रक्त परीक्षण केन्द्र संस्थापित किए जाएं।

तथापि, यह पाया गया:

(i) केवल इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला में स्वैच्छिक एचआईवी परीक्षण तथा परामर्श की सुविधा उपलब्ध थी तथा मई 2001 तक राज्य के शेष किसी भी जिले में यह सुविधा प्रदान नहीं की गई थी, जैसा कि अपेक्षित था। 1996-2001 के दौरान परामर्श तथा स्वैच्छिक परीक्षण से सम्बन्धित राज्य के केवल मात्र स्वैच्छिक रक्त परीक्षण केन्द्र का निष्पादन निम्नवत् था:

राज्य के ग्यारह जिलों में स्वैच्छिक एचआईवी परीक्षण तथा परामर्श की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

वर्ष	किए गए परामर्शों की संख्या	किए गए स्वैच्छिक परीक्षणों की संख्या	एचआईवी पाज़िटिव सहित ज्ञात किए गए मामले
1996-97	678	64	शून्य
1997-98	1,400	24	शून्य
1998-99	483	9	शून्य
1999-2000	2,037	66	2
2000-2001	3,124	18	1

परियोजना निदेशक ने प्रत्येक जिला में स्वैच्छिक परीक्षण केन्द्र संस्थापित न करने का कारण राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा उपस्करों एवं निधियों की आपूर्ति न करना बताया (मई 2001)। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि परियोजना निदेशक को उपस्करों तथा निधियों की आपूर्ति हेतु यह मामला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के साथ उठाना चाहिए था। इस प्रकार प्रत्येक जिला में स्वैच्छिक रक्त परीक्षण केन्द्रों के संस्थापित न करने के कारण एचआईवी पाज़िटिव मामलों का अधिक से अधिक पता लगाने से सम्बन्धित प्रयोजन निष्फल रहा।

(ii) 1996-2001 के दौरान गंभीर रूप से किए गए सर्वेक्षण के दौरान एचआईवी संक्रमण हेतु एकत्रित किए गए रक्त नमूनों के परीक्षण के संदर्भ में निष्पादन निम्नवत् था:-

वर्ष	स्थलों की संख्या	परीक्षण के लक्ष्य	वास्तविक रूप से	कमी (-)/ आधिक्य (+)	कमी की प्रतिशतता
			किए गए परीक्षण (संख्या)		
1996-97	1	800	443	(-)357	45
1997-98	5	1,550	1,510	(-)40	3
1998-99	5	1,550	1,577	(+)27	--
1999-2000	5	1,550	1,588	(+)38	--
2000-2001	9	2,850	2,751	(-)99	3

कमी की प्रतिशतता 1996-97 के दौरान 45 तथा 1997-98 एवं 2000-2001 के दौरान तीन थी।

परियोजना निदेशक ने कमी का कारण बहिरंग रोगी विभाग में रोगियों की कम उपस्थिति बताया (मई 2001)।

3.1क.10 रक्त सुरक्षा कार्यक्रम

दिशानिर्देशों में रक्त सुरक्षा संघटक के अन्तर्गत रक्त बैंकिंग सेवा के सुधार हेतु सघन प्रयास करने की व्यवस्था है। नए रक्त बैंक खोलने के अतिरिक्त विद्यमान रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण किया जाना था। रक्त अवयव पृथक्करण सुविधा केन्द्र तथा दक्ष जनशक्ति का उपलब्ध किया जाना था। 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-(सिविल)-हिमाचल प्रदेश सरकार के परिच्छेद 3.2.7.4 (ii) में यह कहा गया था कि राज्य के किसी भी रक्त बैंक में रक्त अवयव पृथक्करण सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी। लोक लेखा समिति ने अपने 146वें प्रतिवेदन (नवीं विधानसभा) में यह सिफारिश की थी (दिसम्बर 1999) कि एक चरणबद्ध शीति से आंचलिक तथा जिला चिकित्सालयों में रक्त अवयव पृथक्करण सुविधा हेतु आवश्यक उपस्कर उपार्जित करने के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाए। तथापि यह पाया गया कि:

(i) 1996-2001 के दौरान कोई नया रक्त बैंक नहीं खोला गया। विद्यमान ग्यारह रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण किया गया परन्तु रक्त अवयव पृथक्करण की सुविधा किसी भी रक्त बैंक में उपलब्ध नहीं थी।

परियोजना निदेशक ने बताया (मई 2001) कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला में एक रक्त अवयव पृथक्करण सुविधा इकाई संस्थापित करने हेतु अप्रैल 1999 में प्रस्तुत प्रस्ताव राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से निधियों के आबंटन के अभाव के कारण कार्यान्वयित नहीं हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजना निदेशक द्वारा विशेषतया लोक लेखा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से निधियां मांगी जानी चाहिए थी।

(ii) 2000-2001 के दौरान 71 रक्त बैंक कार्मिक जिन्हें प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था में से केवल 16 को प्रशिक्षण दिया गया तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से निधियों के अभाव के कारण 55 कार्मियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	वर्ग का नाम	लक्ष्य	वास्तविक रूप से प्रशिक्षित	कमी
1.	रक्त बैंक अधिकारी	20	3	17
2.	प्रयोगशाला तकनीशियन	45	13	32
3.	रोगविज्ञानी	2	शून्य	2
4.	औषध निरीक्षक	4	शून्य	4
	जोड़	71	16	55

3.1क.11 कम लागत के एड्स उपचार का अभाव

(i) पूर्णरूप से विकसित एड्स के मामले में व्यक्ति को अनेक प्रकार के संक्रामक रोग लग जाते हैं। अधिकांश मामलों में क्षयरोग, कैन्डिडायसिस तथा अतिसार रोग मुख्य हैं। यदि तुरन्त प्रभावशाली चिकित्सा उपनार्ई जाए तो इनमें से अधिकतर संक्रामक रोग साध्य हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशानिर्देशों में जिला चिकित्सालयों में सामान्य संक्रामक रोगों के उपचार हेतु

उपयुक्त औषधियों की उपलब्धता तथा रैफरल सेवाओं के लिए चयनित राज्य स्तरीय चिकित्सालयों में प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

यह पाया गया (मई 2001) कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा जारी किए गए निर्देशों की तिथि (नवम्बर 1999) से न तो सामान्य संक्रामक रोगों के उपचार हेतु चिकित्सालयों को औषधियों की आपूर्ति की गई और न ही अपेक्षित प्रशिक्षण ही दिया गया।

परियोजना निदेशक ने चिकित्सालयों को औषधियों की आपूर्ति न करने तथा प्रशिक्षण न देने का कारण निधियों का अभाव बताया (मई 2001)। तथापि “कम लागत में एड्स का उपचार” संघटक के लिए निधियां प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को मई 2001 तक विशिष्ट प्रस्ताव नहीं भेजे गए थे।

एचआईवी/एड्स से संक्रामित व्यक्तियों के लिए आश्रम तथा सामुदायिक केन्द्र संस्थापित नहीं किए गए।

(ii) इसके अतिरिक्त दिशानिर्देशों में एचआईवी/एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आश्रम तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था है। यह पाया गया कि मई 2001 तक राज्य में हिमाचल प्रदेश द्वारा एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा कोई आश्रम तथा सामुदायिक केन्द्र संस्थापित नहीं किया गया था। परियोजना निदेशक ने बताया (मई 2001) कि गैर-सरकारी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा उन्हें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठनों को प्रस्तुत करने हेतु उनकी संवीक्षा की जा रही थी।

3.1क.12 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

आधार रेखा, अन्तरिम तथा अन्तिम वर्ष में एक बाह्य अभिकरण द्वारा अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किया जाना था। जैसाकि दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित था, निष्पादन तथा व्यय की वार्षिक समीक्षा भी की जानी थी। परियोजना के वित्तीय वर्ष में “औषध तथा निरोध गुणवत्ता” निगरानी तथा प्रबन्धन की विशिष्ट स्वतन्त्र समीक्षा भी की जानी थी। यह पाया गया कि मई 2001 तक ऐसे किसी बाह्य अभिकरण का चयन नहीं किया गया था। निष्पादन तथा व्यय वार्षिक समीक्षा भी नहीं की गई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी में तैनात किए गए एक अनुश्रवण तथा मूल्यांकन अधिकारी को प्रतिवेदनों तथा विवरणियों को समेकित करने का कार्य सौंपा गया।

कार्यक्रम के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन हेतु न तो किसी बाह्य अभिकरण का चयन किया गया था और न ही निष्पादन तथा व्यय की वार्षिक समीक्षा की गई थी।

परियोजना निदेशक ने बताया (मई 2001) कि अनुश्रवण तथा मूल्यांकन से सम्बन्धित उपर्युक्त क्रियाकलाप संविस्तृत दिशानिर्देशों के अभाव में नहीं किए जा सके। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा पहले ही संविस्तृत दिशानिर्देश भेजे जा चुके थे। इस प्रकार परियोजना निदेशक कार्यक्रम का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन सुनिश्चित करने में विफल रहा था, जैसाकि दिशानिर्देशों में निर्धारित था।

3.1क.13 निष्कर्ष

राज्य में एचआईवी पाज़िटिव मामलों की अनुमानित संख्या लगभग 3500-4000 थी। मार्च 1997 में 9.80 लाख रू० की खरीदी गई 140 निरोध बिक्री मशीनों में से 72 मशीनें 1998 से अव्यवस्थित थी। जैसाकि दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित था, जिला स्तरीय चिकित्सालयों के किसी भी यौन रोग निदानशाला का सुदृढीकरण नहीं किया गया था। आधार रेखा, अन्तरिम तथा अन्तिम वर्ष में कार्यक्रम का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करने हेतु किसी बाह्य अभिकरण का चयन नहीं किया गया था। कार्यक्रम तथा व्यय समीक्षा भी नहीं की गई थी, जैसाकि अपेक्षित था। 1996-2001 के दौरान कार्यक्रम पर 10.38 करोड़ रू० का व्यय करने के बाद भी राज्य सरकार एड्स के फैलने पर नियंत्रण करने में विफल रही।

ये तथ्य सरकार को जून 2001 में प्रेषित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

3.1ख राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

3.1ख.1 परिचय

क्षयरोग का आयतन कम करने के लिए 1962 में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में राज्य में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम की 1992 में विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा समीक्षा की गई, जिससे प्रबंधकीय कमियाँ, उपचार समापन की निम्न दर, एक्स-रे पर अत्यधिक विश्वास तथा व्यवस्थित आंकड़ों, अभिलेखन एवं प्रतिवेदन का अभाव उद्घाटित हुआ। इन बाधाओं का सामना करने के लिए भारत सरकार ने 1993 में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम नामक एक संशोधित रणनीति बनाई। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम सर्वप्रथम 1995 में हमीरपुर जिला में अपनाया गया तथा तदोपरान्त 1998 में कांगड़ा एवं मण्डी जिलों में तथा जुलाई 2000 में शिमला, सिरमौर एवं सोलन जिलों में अपनाया गया। जनवरी 2001 में तीन¹ अतिरिक्त जिलों में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

3.1ख.2 उद्देश्य

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का दीर्घकालीन उद्देश्य लोगों में उस स्तर तक क्षयरोग को शीघ्रतापूर्वक तथा पर्याप्त रूप से कम करना था जहाँ पर यह एक सार्वजनिक समस्या न रहे। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य उद्देश्य निम्नवत् थे:

- (i) पंजीकृत नए लार समियर पॉज़िटिव क्षयरोग के मामलों में 85 प्रतिशत से अधिक उपचार दर की प्राप्ति तथा
- (ii) अनुमानित नए लार समियर पॉज़िटिव मामलों के कम से कम 70 प्रतिशत का पता लगाना।

3.1ख.3 संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी का था, जो राज्य सरकार के आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण) की अध्यक्षता के अन्तर्गत कार्य करती थी। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं सदस्य था, जबकि राज्य क्षयरोग अधिकारी सोसाइटी के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता था तथा कार्यक्रम की योजना, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी था। जिला स्तर पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन उपायुक्त की अध्यक्षता तथा उपाध्यक्ष के रूप में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अन्तर्गत जिला क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से किया गया। जिला क्षयरोग अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता था तथा मुख्यतः कार्यक्रम के समूचे क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी था। सोसाइटी की सभी कार्यकारी तथा वित्तीय शक्तियाँ सदस्य सचिव के पास थीं।

3.1ख.4 लेखापरीक्षा व्याप्ति

1996-2001 के दौरान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा तीन² जिलों में क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा की गई (फरवरी-मई 2001) जिसे राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी, शिमला से

¹ कुल्लू, लाहौल एवं स्पिती तथा ज्जा

² हमीरपुर, कांगड़ा, तथा सिरमौर

एकत्रित सूचना के द्वारा अनुपूरक बनाया गया। क्षयरोग सैनिटॉरियम, टांडा (कांगड़ा जिला) के अभिलेखों की भी संवीक्षा की गई। नमूना-जांच के परिणामों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की जाती है।

3.1 ख 5 वित्तीय प्रबन्ध

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में बजट आंबटन 50:50 निधियन पद्धति पर किया गया। अनुरूपयोजी केन्द्रीय अंश का निस्तारण क्षयरोग निरोधक औषधियों, सामग्री/उपस्कर आदि के वस्तु रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त क्षयरोग निरोधक औषधियों के उपार्जन के लिए विशेषतया लार नेगेटिव रोगियों के उपचार हेतु नकद रूप में शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त की गई। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम जो एक सौ प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्टों के माध्यम से राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी तथा जिला क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटियों को प्रत्यक्ष रूप से निधियां निस्तारित की गईं।

सोसाइटी के लेखों की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार या भारत सरकार द्वारा नियुक्त अभिकरण द्वारा की जानी थी। वित्त वर्ष में 25 लाख ₹ या इससे अधिक सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली सोसाइटियों के लेखों की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा की जाएगी। त्रैमासिक रूप से व्यय का सारांश भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाना था।

(i) 1996-2001 के दौरान राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 9.50 करोड़ ₹ के बजट प्रावधान के प्रति 7.44 करोड़ ₹ का व्यय किया गया था तथा शेष 2.06 करोड़ ₹ का व्ययगमन मुख्यतः केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होने के कारण था।

(ii) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी तथा जिला क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटियों को डिमाण्ड ड्राफ्टों के माध्यम से निधियां प्रत्यक्ष रूप से निस्तारित की गईं। 1996-2001 के दौरान छः³ संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम से सम्बन्धित जिलों में राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी तथा जिला क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा निधियों का वर्षवार निस्तारण तथा उसके प्रति वास्तविक उपयोग की स्थिति निम्नवत् थी:-

वर्ष	वित्त वर्ष का अप्रयुक्त बकाया	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष के दौरान प्रयुक्त की गई निधियां	वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त अनुदान
(लाख रुपए)					
1996-97	8.30	8.61	16.91	6.54	10.37
1997-98	10.37	36.34	46.71	12.47	34.24
1998-99	34.24	87.72	121.96	35.67	86.29
1999-2000	86.29	80.78	167.07	82.88	84.19
2000-2001	84.19	87.40	171.59	85.53	86.06
जोड़		300.85		223.09	

(क) विभिन्न बचत बैंक खातों में 86 लाख ₹ अप्रयुक्त पड़े थे (मार्च 2001)। नमूना-जांच किए गए जिलों के जिला क्षयरोग अधिकारियों ने प्रत्येक वर्ष में अनुदान प्रयुक्त न करने का कारण वर्ष के बिल्कुल अंत में निधियों का प्राप्त होना बताया।

³ हमीरपुर कांगड़ा, मण्डी, शिमला, सिरमौर तथा सोलन

राज्य क्षयरोग नियंत्रण
सोसाइटी तथा छः
जिला क्षयरोग नियंत्रण
सोसाइटियों के पास
86 लाख ₹ अग्रयुक्त
पड़े थे।

(ख) मार्च 1998 (7.77 लाख ₹) तथा सितम्बर 1998 (0.76 लाख ₹) के दौरान राज्य क्षयरोग अधिकारियों द्वारा भारत सरकार से 8.53 लाख ₹ प्राप्त किए गए। जिस प्रयोजन के लिए यह निधियां निस्तारित की गईं, वह राज्य क्षयरोग अधिकारियों को विदित नहीं था। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु राज्य क्षयरोग अधिकारी द्वारा मार्च 1999 में यह मामला भारत सरकार के साथ उठाया गया जो अगस्त 2001 तक प्राप्त नहीं हुआ था। यह राशि राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी के बचत बैंक खाते में अग्रयुक्त पड़ी थी।

(ग) नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को नवम्बर 2000 में 12.40 लाख ₹ मूल्य के माइक्रोस्कोप जारी (वस्तु रूप में) किए गए। तथापि, राज्य क्षयरोग अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया (मार्च 2001) कि निदेशालय में माइक्रोस्कोप प्राप्त नहीं हुए थे। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2001)।

3.1ख.6 उपचार परिणाम

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता स्तर का निर्धारण करने हेतु तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सूचकों के अनुसार नए समियर-पाज़िटिव रोगियों तथा नए समियर क्षयरोग मामलों के लिए तीन मास के बाद लार रूपान्तर की न्यूनतम स्वास्थ्य दर 85 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।

तीन जिलों जिनकी नमूना-जांच की गई, में निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए:-

(i) उपचार दर

1996-2000[#] के दौरान संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षयरोग संक्रमित रोगियों के पंजीकरण से सम्बन्धित स्थिति तथा उनके उपचार परिणाम परिशिष्ट-X में दिए गए हैं। 1996-2000 के दौरान पंजीकृत किए गए 5,907 मामलों (नए मामले: 5,012 तथा पुनरावर्तन मामले: 895) में से 5,137 मामलों (नए मामले: 4,456 तथा पुनरावर्तन मामले: 681) का पूर्ण रूप से उपचार किया गया। समूची सफलता दर 87 प्रतिशत थी, जबकि नए समियर पाज़िटिव रोगियों के संदर्भ में सफलता दर 89 प्रतिशत थी।

शेष 770 मामलों (13 प्रतिशत) में 388 चूककर्ता (7 प्रतिशत) सम्मिलित थे, जिन्होंने उपचार पूर्ण नहीं किया। स्वास्थ्य स्टाफ या सामुदायिक कामगारों के द्वारा घर-घर जाकर इन चूककर्ताओं का पुनः उपचार करवाया जाना अपेक्षित था। तथापि इन चूककर्ताओं को ढूँढा नहीं गया।

जिला क्षयरोग अधिकारियों ने इन मामलों के अनुसरण से सम्बन्धित कार्रवाई न करने का कारण सामाजिक लांछन, क्षयरोग से सम्बन्धित औषधियों के अतिरिक्त प्रभाव के कारण रोगियों द्वारा उपचार करवाने से इन्कार करना तथा अल्पकालीन रसायन-चिकित्सा के साथ प्रयत्न रूप से उपचार का प्रेक्षण करने वाले प्रेक्षकों को सूचित किए बिना रोगियों का चिकित्सालय से चले जाना बताया (मार्च-अप्रैल 2001)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उप-केन्द्र के स्टॉफ द्वारा रोगियों के घरों में जा कर उन्हें खोजना तथा परामर्श के माध्यम से उन्हें नियमित रूप से औषधी खाने के लिए मनाना अपेक्षित था।

(ii) लार-रूपान्तरण

1996-2001 के दौरान नए, पुनरावर्तन तथा विफल मामलों के संदर्भ में तीन मास पर लार पाज़िटिव रोगियों के लार नेगेटिव में रूपान्तरण से सम्बन्धित परिणाम परिशिष्ट-XI में इंगित किये गए हैं।

[#] वर्ष 2000-2001 के उपचार परिणाम देय नहीं थे क्योंकि उपचार के परिणाम पंजीकरण की तिथि के 12-15 मास के उपरान्त देय होते हैं।

1996-2001 के दौरान नए मामलों के संदर्भ में लार रूपान्तरण की उपलब्धि 85 तथा 92 प्रतिशत के मध्य थी। इसी अवधि में पुनरावर्तन के मामलों के संदर्भ में लार रूपान्तरण दर 81 तथा 88 प्रतिशत के मध्य थी, जबकि विफल मामलों के संदर्भ में 1998-2001 के दौरान प्रतिशतता 52 तथा 70 के मध्य थी।

3.1ख.7 नैदानिक गुणवत्ता नियंत्रण

लार की माइक्रोस्कोपिक जांच जोकि फुफ्फुसीय क्षयरोग के निदान की पुष्टि करने का केवल मात्र साधन है, के लिए दिशानिर्देशों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में माइक्रोस्कोपी केन्द्र संस्थापित करने पर विचार किया गया।

जिला क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटियों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि तीन जिलों में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग-नियंत्रण कार्यक्रम के प्रारम्भ करने से ही आठ माइक्रोस्कोपी केन्द्र शुरू नहीं किए गए थे:

आठ माइक्रोस्कोपी केन्द्र अकार्यात्मक थे।

जिला क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी का नाम	जिस भास से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया	कुल माइक्रोस्कोपी केन्द्र	कार्यात्मक	कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया
कांगड़ा	अक्टूबर 1998	28	25	3
शिमला	जुलाई 2000	17	15	2
सिरमौर	जुलाई 2000	10	7	3

यह पाया गया कि अकार्यात्मक माइक्रोस्कोपी केन्द्रों के लिए अक्टूबर 1998 तथा जुलाई 2000 के मध्य 3.20 लाख ₹ की लागत के आठ बाइनॉक्यूलर माइक्रोस्कोप पहले ही भारत सरकार से प्राप्त किए जा चुके थे तथा सम्बन्धित जिला क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटियों के पास ये अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

इन तथ्यों की पुष्टि करते हुए जिला क्षयरोग अधिकारियों ने बताया (अप्रैल 2001) कि माइक्रोस्कोपी केन्द्रों के कार्य न करने के कारण पिछड़े तथा दूरस्थ क्षेत्रों के निर्धन रोगियों का निदान नहीं किया जा सका तथा रोगियों को लार की परीक्षा हेतु अन्य माइक्रोस्कोपी केन्द्रों में जाना पड़ा था।

3.1ख.8 राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी का सुदृढीकरण न करना

भारत सरकार ने राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी के सुदृढीकरण के लिए मार्च 1999 (5.66 लाख ₹) तथा अप्रैल 2000 (3.73 लाख ₹) में 9.39 लाख ₹ निस्तारित किए। इसमें से 2.10 लाख ₹ कम्प्यूटर की खरीद तथा इसके संस्थापन हेतु प्रयुक्त किए गए (मार्च 2000) तथा 7.29 लाख ₹ की शेष राशि बचत बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी थी (मई 2001)। अप्रयुक्त राशि में संविदात्मक स्टॉर्फ की नियुक्ति हेतु प्राप्त 4.94 लाख ₹ तथा प्रशिक्षण, पेट्रोल, तेल एवं स्नेहकों तथा अन्य व्यय के लिए 2.35 लाख ₹ सम्मिलित थे।

इसके अतिरिक्त नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि मार्च 2001 तक कोई संविदात्मक नियुक्ति नहीं की गई थी। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं की नियमित स्थापना में से एक लिपिकीय सहायक तथा एक

⁴ कांगड़ा:3 (रेखुडिया तथा हरिपुर); शिमला:2 (डोडरा क्वार तथा ननखड़ी) तथा सिरमौर:3 (नारग, सतौन तथा राजपुरा)

⁵ (i) चिकित्सा अधिकारी (क्षयरोग): 1.44 लाख ₹; (ii) सूचना, शिक्षा तथा प्रसार अधिकारी: 0.80 लाख ₹; (iii) डाटा एंट्री ऑपरेटर: 0.50 लाख ₹; (iv) ड्राईवर: 0.50 लाख ₹; (v) सांख्यिकी सहायक: 0.50 लाख ₹ तथा (vi) लेखाकार: 1.20 लाख ₹

चालक को प्रतिनियुक्त किया गया था। राज्य क्षयरोग अधिकारी ने बताया (मई 2001) कि राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी का सुदृढीकरण न होने के कारण कार्यक्रम का समुचित रूप से अनुश्रवण नहीं किया जा सका। उन्होंने आगे बताया कि सोसाइटी के कार्यकारिणी निकाय के निर्णय (नवम्बर 2000) के अनुसार निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के विद्यमान स्टॉफ में से अप्रैल-मई 2001 में अपेक्षित स्टॉफ प्रतिनियुक्त किया गया था। राज्य क्षयरोग अधिकारी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि स्टॉफ को संविदात्मक आधार पर नियुक्त किया जाना था जिसके लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 1999 तथा अप्रैल 2000 में पहले ही निधियों की व्यवस्था की जा चुकी। इस प्रकार राज्य क्षयरोग अधिकारी राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी का सुदृढीकरण करने में विफल हुआ था, जैसाकि अपेक्षित था।

3.1ख.9 पूर्णगण राज्य क्षयरोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र का संस्थापित न किया जाना

दिशानिर्देशों में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम से सम्बन्धित स्टाफ (चिकित्सिय सम-चिकित्सिय तथा तकनीकी) को राज्य क्षयरोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। क्योंकि राज्य का अपना राज्य क्षयरोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र न होने के कारण अपेक्षित प्रशिक्षण टांडा (कांगड़ा जिला) तथा धर्मपुर (सोलन जिला) स्थित दो क्षयरोग सेनिटारियमों में प्रदान किया जाना था।

यह पाया गया कि प्रयोगशाला तकनीशियनों, वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षकों तथा वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाला पर्यवेक्षकों को क्षयरोग सेनिटारियम एवं प्रशिक्षण केन्द्र, टांडा में प्रशिक्षण दिया गया जबकि चिकित्सा अधिकारियों को क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, कांगड़ा तथा राज्य स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, शिमला में प्रशिक्षण दिया गया। क्षयरोग सेनिटारियम धर्मपुर में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रशिक्षण से सम्बन्धित क्षयरोग सेनिटारियम एवं प्रशिक्षण केन्द्र, टांडा के अभिलेखों की नमूना-जांच (मार्च 2001) से उद्घाटित हुआ कि प्रशिक्षण केन्द्र के पास प्रशिक्षणार्थ जंचा प्रक्षेपित्र, ध्वनि विस्तार व्यवस्था, दृश्य-श्रव्य साधन नहीं थे, जैसाकि संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपेक्षित था। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। छः बाइनाक्यूलर माइक्रोस्कोपों के प्रति केवल एक बाइनाक्यूलर माइक्रोस्कोप उपलब्ध था, जबकि चार मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप अच्छी अवस्था में नहीं थे। प्रयोगशाला तकनीशियनों के अपेक्षित दो पदों के प्रति केवल एक प्रयोगशाला तकनीशियन था। वित्त व्यवस्था, प्रशिक्षण का समन्वयन करने हेतु कोई प्रयोगशाला परिचर तथा सहायक स्टॉफ नहीं था। राज्य में मार्च 1997 में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारम्भ करने से ही क्षयरोग सेनिटारियम एवं प्रशिक्षण केन्द्र में इन सुविधाओं का अभाव था।

राज्य क्षयरोग अधिकारी ने बताया (मई 2001) कि टांडा में पूर्णगण राज्य क्षयरोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 2001 की परियोजना कार्यान्वयन योजना में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि एक स्थान पर पूर्णगण राज्य क्षयरोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र के अभाव में तीन विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा था जिससे संकाय सदस्यों तथा सहभागियों को असुविधा हुई तथा संस्कृति संवेदनशीलता सुविधा भी प्रदान नहीं की जा सकी।

3.1ख.10 सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियों का अभाव

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियां सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों का एक अनिवार्य भाग था। राज्य क्षयरोग अधिकारी द्वारा राज्य मीडिया अधिकारी के सहयोग से स्थानीय विशिष्ट मुद्रण सामग्री का उत्पादन तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए फिल्में तथा सॉफ्टवेयर विकसित किए जाने थे।

राज्य स्तर पर सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियां प्रारम्भ नहीं की गई थी।

यह पाया गया कि संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जुलाई 1997 में राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी के गठन की तिथि से कोई सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियां प्रारम्भ नहीं की गई थी (मार्च 2001)। इस तथ्य के बावजूद कि भारत सरकार ने सूचना, शिक्षा तथा संचार अधिकारी की संविदात्मक आधार पर नियुक्ति के लिए 0.80 लाख ₹ का अनुदान संस्वीकृत किया था, सूचना, शिक्षा तथा संचार अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी (मार्च 1999)।

राज्य क्षयरोग अधिकारी ने बताया (मई 2001) कि भारत सरकार द्वारा सूचना, शिक्षा तथा संचार के अन्तर्गत निधियां निस्तारित न करने के कारण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई गतिविधियां नहीं की जा सकी तथा राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी की कार्यकारिणी परिषद के निर्णय के अनुसार मई 2001 में सूचना, शिक्षा तथा संचार अधिकारी की प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त अनुदान था जिसका सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता था। इस प्रकार साधारण जनता को संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के सम्बन्ध में समुचित रूप से अवगत नहीं करवाया गया, जैसाकि दिशानिर्देशों में प्रावधान था।

3.1ख.11 विस्तर अधिभोगता

राज्य के सात⁶ जिला क्षयरोग केन्द्रों, दो⁷ क्षयरोग सेनिटोरियमों तथा एक⁸ आइशोलेशन चिकित्सालय में कुल 751 क्षयरोग बिस्तर थे। नमूना-जांच किए गए जिला क्षयरोग केन्द्रों तथा एक सेनिटोरियमों में 1996-2000 के दौरान न्यूनतम तथा अधिकतम विस्तर अधिभोगता के संदर्भ में स्थिति निम्नवत् थी:-

वर्ष	जिला क्षयरोग केन्द्र का नाम				क्षयरोग सेनिटोरियम टांडा	
	हमीरपुर	कांगड़ा (12 बिस्तर)	सिरमौर (20 बिस्तर)		(200 बिस्तर)	
			न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
1996	इस जिला क्षयरोग केन्द्र के लिए कोई क्षयरोग बिस्तर स्वीकृत नहीं किए गए	1970 में जब क्षयरोग चिकित्सालय आग में जल कर नष्ट हो गया था, तब से क्षयरोग से सम्बन्धित रोगियों के लिए कोई अंतरंग सुविधाएं प्रदान नहीं की गईं।	6	20	64	140
1997			6	19	36	88*
1998			5	20	41	88*
1999			5	20	35	72*
2000			10	20	60	93*

* वास्तविक रूप से उपलब्ध बिस्तरों की संख्या 100 थी।

निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए:

(i) टांडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चलाने के लिए राज्य स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में क्षयरोग सेनिटोरियम खाली करने तथा विद्यमान 200 बिस्तरों को राज्य के अन्य

⁶ बिलासपुर: 20, चम्बा: 60, कांगड़ा: 12, कुल्लू: 10, मण्डी: 85, शिमला: 6 तथा सिरमौर: 20

⁷ धर्मपुर (सोलन जिला): 300 तथा टांडा (कांगड़ा जिला): 200

⁸ बालुगंज (शिमला जिला): 38

चिकित्सालयों तथा सेनिटोरियम में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया (जुलाई 1996)। तथापि, क्षयरोग सेनिटोरियम को बंद करने के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों में रोष के कारण 100 बिस्तरों की संख्या कम करके चिकित्सालय भवन के एक भाग में अक्टूबर 1998 तक निरन्तर चलता रहा तथा इसके बाद इसे 96 बिस्तरों की अंतरंग क्षमता वाले क्षयरोग सेनिटोरियम के लिए एक नए निर्मित भवन में शिफ्ट कर दिया गया। इसके अतिरिक्त नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि राज्य सरकार द्वारा बिस्तरों की संख्या 200 से कम करके 100 करने के संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई तथा अभिलेखों में बिस्तरों की संख्या 200 प्रतिवेदित की जा रही थी जबकि वास्तविक रूप में बिस्तरों की संख्या 100 थी।

राज्य सरकार की अधिसूचना के बिना क्षयरोग सेनिटोरियम टांडा के बिस्तरों की संख्या 200 से कम करके 100 कर दी गई।

चिकित्सा अधीक्षक, क्षयरोग सेनिटोरियम ने निम्न विस्तर अधिभोगता का कारण जुलाई 1996 में लिए गए सरकार के निर्णय के अनुसार संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारम्भ करने तथा राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के खोलने के कारण क्षयरोग सेनिटोरियम बंद करने के सम्बन्ध में भ्रान्ति हो जाना बताया (मार्च 2001)।

(ii) यद्यपि जिला क्षयरोग केन्द्र, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के क्षयरोग चिकित्सालय के लिए 12 क्षयरोग बिस्तरों की संस्वीकृति थी, फिर भी चिकित्सालय 1970 से जब क्षयरोग केन्द्र तथा क्षयरोग चिकित्सालय के भवन आग में नष्ट हो गए थे, अकार्यात्मक था।

जिला क्षयरोग अधिकारी, कांगड़ा ने यह स्वीकार करते हुए कि बिस्तरों तथा जिला क्षयरोग केन्द्र में चिकित्सालय भवन की अनुपलब्धता के कारण रोगियों को परेशानी हो रही थी, बताया (अप्रैल 2001) कि ऐसे रोगी जिन्हें अंतरंग उपचार की आवश्यकता थी उन्हें क्षयरोग सेनिटोरियम, टांडा को रैंफर कर दिया गया था।

अतिरिक्त स्टाफ को 76.80 लाख रु० की अदायगी की गई।

(iii) क्षयरोग सेनिटोरियम, टांडा में बिस्तरों की संख्या 200 से कम करके 100 करने के फलस्वरूप अक्टूबर 1996 के उपरान्त स्टाफ के विभिन्न वर्गों के 40⁹ पद अतिरिक्त हो गए थे जिसे निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने जून 1999 में सरकार को प्रतिवेदित किया था। इनमें से चार रिक्त पदों सहित 39 पद तदनन्तर दिसम्बर 1999 तथा अप्रैल 2000 के मध्य अन्तर्निहित/समायोजित कर दिए गए, जबकि अप्रैल 2001 तक एक एकसरे सहायक का स्थानान्तरण नहीं किया गया था। इस प्रकार विभिन्न पदों के 35 पदधारियों के समायोजन/स्थानान्तरण में विलम्ब तथा एकसरे सहायक का समायोजन न करने के फलस्वरूप अक्टूबर 1996 से मार्च 2001 तक उनके वेतन एवं भत्तों पर 76.80 लाख रु० का निष्फल व्यय हुआ। राज्य सरकार द्वारा बिस्तरों की संख्या कम करने के तुरन्त बाद अतिरिक्त स्टाफ को स्थानान्तरित न करने के संदर्भ में निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं से पूछे गए कारण (मई 2001) सूचित नहीं किए गए थे।

3.1 ख. 12 पर्यवेक्षण में कमी

क्षयरोग इकाइयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा लार परीक्षण की माइक्रोस्कोपी तथा क्षयरोग रोगियों के उपचार से सम्बन्धित उप-केन्द्रों के पर्यवेक्षण के मानक तथा कार्य प्रणाली संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई थी।

⁹ नर्सिंग अधीक्षक-1; वार्ड सिस्टर्-2; स्टॉफ नर्स; 9; एकसरे सहायक-1; शल्यगार परिचर-1; चतुर्थ श्रेणी-16; मेहतर-6 तथा स्मोइएर (रिक्त पद): 4

तीन जिलों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 1996-2001 के दौरान संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यवेक्षी निरीक्षणों में निम्नवत् कमियां उद्घाटित हुईं-

क्र०	पर्यवेक्षणा की श्रेणी	निरीक्षणों में कमी की प्रतिशतता			
		क्षयरोग इकाइयाँ	सा०स्वा०केन्द्र/ खण्ड प्रा० स्वा० केन्द्र/ प्रा० स्वा० केन्द्र	जुग-केन्द्र	माइक्रोस्कोपी केन्द्र
1.	डीटीओएस	17 से 25	5 से 9	42 से 100	अप्रयोज्य
2.	एमओ-टीसीएस	अप्रयोज्य	7 से 100	28 से 100	8 से 100
3.	एसटीएसएस	अप्रयोज्य	36 से 100	19 से 100	अप्रयोज्य
4.	एसटीएलएसएस	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	3 से 67

एन ए: अप्रयोज्य

पर्यवेक्षण निरीक्षणों में कमी की प्रतिशतता तीन तथा 100 के मध्य थी।

जिला क्षयरोग अधिकारियों ने पर्यवेक्षी निरीक्षणों में कमी का कारण प्रशिक्षण हेतु स्टॉफ को प्रतिनियुक्त करना तथा कुछ माइक्रोस्कोपी केन्द्रों व डीटीओएस केन्द्रों का कार्य न करना बताया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जानी थी। कुछ मामलों में कमी की प्रतिशतता 67 तथा 100 के मध्य थी।

3.1ख.13 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा राज्य में क्षयरोग निरोधक औषधियों के उपार्जन पर व्यय तथा औषधियों की प्रचुरता पर समीक्षा हेतु किसी तंत्र की व्यवस्था नहीं की गई थी, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के सम्बन्ध में साधारण जनता को जागरूक करने के लिए राज्य स्तर पर सूचना, शिक्षा तथा संचार क्रियाकलाप प्रारम्भ नहीं किए गए थे। राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी का सुदृढीकरण न करने के कारण कार्यक्रम का समुचित अनुश्रवण नहीं किया जा सका जैसाकि राज्य क्षयरोग अधिकारी द्वारा भी स्वीकार किया गया। राज्य में कार्यक्रम का प्रभाव जानने के लिए मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था।

3.1ख.14 निष्कर्ष

1996-2001 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटी तथा छः जिला क्षयरोग नियंत्रण सोसाइटियों को अदा की गई निधियां प्रयुक्त नहीं की जा सकी। स्वास्थ्य स्टॉफ तथा सामुदायिक कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जा कर चूककर्ताओं को उपचार के लिए सहमत नहीं किया गया। पूर्णराज्य क्षयरोग तथा प्रदर्शन केन्द्र संस्थापित न करने के कारण क्षयरोग संक्रमित रोगियों को संस्कृति संवेदनशीलता सुविधा की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

जून 2001 में ये तथ्य सरकार को प्रेषित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

3.1ग अंधापन नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

3.1ग.1 परिचय

सन् 2000 तक जनसंख्या में व्याप्त अंधापन के प्रभाव क्षेत्र में 0.3 प्रतिशत तक कमी करने के उद्देश्य से राज्य में 1977-78 में अंधापन के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रम में सेवा प्रदान करने हेतु इसके सुदृढीकरण, नेत्र रक्षा के लिए मानव संसाधनों का विकास, सीमा से बाहर सेवाओं का प्रचार तथा लोक जागरूकता तथा संस्थागत क्षमता के विकास की चार पक्षीय रणनीति पर विचार किया गया था।

3.1ग.2 संगठनात्मक ढांचा

कार्यक्रम का कार्यान्वयन आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के समूचे प्रशासकीय नियंत्रण में किया जा रहा था। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं नियंत्रक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था तथा राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सहायता की जा रही थी। कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा सदस्य सचिवों के रूप में जिला कार्यक्रम प्रबन्धकों के साथ उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला अंधापन नियंत्रण समितियों द्वारा किया जा रहा था। निधियां सीधे जिला अंधापन नियंत्रण समितियों को भारत सरकार द्वारा बैंक ड्रफ्टों के माध्यम से भेजी जाती हैं।

3.1ग.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

1996-2001 अवधि हेतु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा जनवरी-मई 2001 के दौरान तीन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और तीन जिलों¹ में जिला अंधापन नियंत्रण समितियों के जिला कार्यक्रम प्रबन्धकों के कार्यालय में की गई, जो निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा संपूरक थी। नमूना जांच के दौरान ध्यान में आई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख आगामी परिच्छेदों में किया गया है।

3.1ग.4 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

(i) कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना से योजना आधार पर सौ प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम था किन्तु आठवीं पंच वर्षीय योजना के अंत तक स्थापित यूनिट राज्य का वचनबद्ध दायित्व थे। नौवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान लगाए गए यूनिटों को ही केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जानी थी और आठवीं पंच वर्षीय योजना तक लगाए गए यूनिटों का वित्तपोषण राज्य निधियों से किया जाना अपेक्षित था।

जिला अंधापन नियंत्रण समितियों के लेखों की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार अथवा अन्य कोई शिक्षित व्यक्ति या भारत सरकार द्वारा नियुक्त अभिकरण द्वारा की जानी थी। लेखाओं की प्रमाणित वार्षिक विवरणियां तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत सरकार और राज्य सरकार को भेजी जानी थी। मार्गदर्शिका में प्रावधान है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को जिला अंधापन नियंत्रण समितियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के सरकारी लेखों की लेखापरीक्षा करने जैसे वही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे।

राज्य सरकार द्वारा आवंटित बजट तथा प्राप्त केन्द्रीय सहायता और उसके प्रति व्यय निम्नलिखित थे:-

अवधि	राज्य क्षेत्र		केन्द्रीय क्षेत्र	
	बजट आवंटन	व्यय	प्राप्त सहायता	व्यय
	(करोड़ रूपए)			
1996-2001	4.11	5.04	1.90	1.86

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जिला अंधापन नियंत्रण समितियों के पास 1.09 करोड़ ₹ जमा करवाए गए जिसके प्रति 0.98 करोड़ ₹ 1996-2000 के दौरान खर्च किए गए।

¹ हमीरपुर, कांगड़ा तथा सिसौर

यह देखा गया कि 1999-2001 के दौरान नेत्र वाडों तथा शल्यगारों के निर्माण और मरम्मत/पुनरुद्धारार्थ (65 लाख ₹) और नेत्र उपकरण के प्रापणार्थ (32.90 लाख ₹) प्राप्त 97.90 लाख ₹ की केन्द्रीय सहायता के प्रति केवल 31.67 लाख ₹ 2000-2001 के दौरान खर्च किए गए। शेष 66.23 लाख ₹ (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग: 18.43 लाख ₹ तथा लोक निर्माण विभाग: 47.80 लाख ₹) अव्ययित रहे। अभिलेखों की संवीक्षा से यह भी पता चला कि लोक निर्माण विभाग को दिए गए 47.80 लाख ₹ की राशि अंतिम व्यय के रूप में दर्शाई गई थी। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने इसका कारण नेत्र शोध उपकरण प्रापणार्थ निविदाओं को अंतिम रूप न देने से कम व्यय, सूचना, शिक्षा तथा संचार की कम गतिविधियां और पदों का सृजन न किया जाना बताया (मई 2001)। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निधियों की पूर्ण प्रयुक्ति हेतु पग उठाए जाने चाहिए थे।

(ii) नमूना जांच से पता चला कि अंधापन नियंत्रणार्थ राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए स्वीकृत (1979) केन्द्रीय मोबाईल यूनिट, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के चार पद (पुनर्वास सहायक:1, महिला स्वास्थ्य निरीक्षक:2 और स्वास्थ्य शिक्षक:1) के पदधारियों का 1996-2001 के दौरान अन्य कार्यक्रमों में विचलन किया गया। 1996-2001 के दौरान इन कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के सम्बन्ध में 10.94 लाख ₹ का व्यय अंधापन नियंत्रणार्थ राष्ट्रीय कार्यक्रम को प्रभासित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा ने केन्द्रीय मोबाईल यूनिट, कांगड़ा स्थित धर्मशाला में इन कर्मचारियों की आवश्यकता न होने से स्टॉफ का विचलन बताया (अप्रैल 2001)। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इन पदों को स्थानान्तरण/ अभ्यर्पण अथवा अधिशेष घोषित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। अतः इन कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर 10.94 लाख ₹ का व्यय अंधापन नियंत्रणार्थ राष्ट्रीय कार्यक्रम को प्रभासित करना उचित नहीं था।

(iii) जिला अंधापन नियंत्रण समितियों का अथशेष 1 अप्रैल 1996 को 19.81 लाख ₹ था। जैसा कि पहले ऊपर बताया गया कि सहायता अनुदान के 1.09 करोड़ ₹ भारत सरकार से 1996-2000 के दौरान प्राप्त हुए थे। इसके प्रति इस अवधि के दौरान 97.81 लाख ₹ का व्यय किया गया तथा मार्च 2000 तक बैंकों में 31 लाख ₹ अग्रयुक्त पड़े हुए थे। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (मई 2001) कि कम व्यय सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियों, स्कूल नेत्र परीक्षा, प्रशिक्षण आदि की कमी के कारण था। उसने पुनः बताया कि शेष राशि को अतिशीघ्र खर्च करने हेतु पग उठाए जाएंगे।

मार्गदर्शिका के अनुसार जिला अंधापन नियंत्रण समितियों की निधियों से अनधिकृत रूप से खरीदी गई 6.34 लाख ₹ (हमीरपुर: 2.57 लाख ₹, कांगड़ा: 3.77 लाख ₹) की औषधियां, दवाइयां तथा उपकरण अनुमत नहीं थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (अप्रैल 2001) की इनकी खरीद जिला अंधापन नियंत्रण समितियों के अध्यक्ष के अनुमोदन पश्चात् की गई, क्योंकि आयोजित किए जाने वाले कैम्पों के लिए इनकी तत्काल जरूरत थी। यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि मार्गदर्शिका अनुसार खरीदें अनुमत नहीं थी और मार्गदर्शिका की सूची से अलग दवाइयों/उपकरण, यदि जरूरी थे, तो राज्य बजट से खरीदे जाने थे।

3.1ग.5 अस्पतालों में नेत्र देखभाल सेवाओं हेतु बिस्तरों की स्थिति

भारत सरकार के मानकों अनुसार 15,000 की जनसंख्या हेतु एक बिस्तर अपेक्षित था। यह देखा गया कि राज्य में विद्यमान मानकों अनुसार 418 बिस्तरों की आवश्यकता के प्रति केवल 176 बिस्तर नेत्र देखभाल सेवाओं के लिए जुटाए गए थे। यह भी देखा गया कि नेत्र देखभाल सेवाओं वाली 135 स्वास्थ्य संस्थाओं में मार्च 2001 तक 189 कर्मचारियों (नेत्र शल्य चिकित्सक: 19, पैरा मैडिकल: 155 और अन्य: 15) की स्वीकृत संख्या के प्रति केवल 130 कर्मचारी (नेत्र शल्य चिकित्सक: 17, पैरा मैडिकल: 100 और अन्य:13) कार्यरत थे। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अप्रैल 2001) कि बिस्तरों को उपलब्ध करवाने में कमी का कारण शल्यगार हेतु भूमि तथा स्थान की अनुपलब्धता थी। यह भी बताया गया कि प्रशिक्षित स्टॉफ की अनुपलब्धता के कारण पदों को नहीं भरा जा सका। उत्तर

मान्य नहीं है क्योंकि निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को भूमि आदि की उपलब्धता हेतु मामला सरकार के साथ उठाया जाना चाहिए था। स्पष्टतया सरकार 1983 में संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में परिकल्पित लक्ष्य सन् 2000 तक "सभी के लिए स्वास्थ्य" प्राप्त नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त इससे नेत्र रोगियों को असुविधा हुई।

3.1.6 कार्यक्रम कार्यान्वयन

3.1.6.1 जिला अंधापन नियंत्रण सोसाइटियों का गठन

कार्यक्रमानुसार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विकेन्द्रीकरण हेतु प्रत्येक जिले में जिला अंधापन नियंत्रण सोसाइटियां बनाई जानी थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित बातें ध्यान में आईं:

मार्च 2001 तक किन्नौर जिले में कोई जिला अंधापन नियंत्रण सोसाइटी नहीं बनाई गई थी। जिला अंधापन नियंत्रण सोसाइटी का गठन न करने के कारण 1996-2001* के दौरान मोतियाबिन्द ऑपरेशनों की लक्ष्यों के प्रति उपलब्धी शून्य तथा 75 प्रतिशत के मध्य रही (1998-1999 को छोड़कर)। इसके कारण जिला अंधापन नियंत्रण सोसाइटी को 1996-2001 के दौरान (3 लाख रु प्रतिवर्ष की दर पर) भारत सरकार से 15 लाख रु के अनुदान भी नहीं मिले। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने इसका कारण जिला नेत्र शोध शल्य चिकित्सक की अनुपलब्धता से जिला अंधापन नियंत्रण सोसाइटी का गठन न होना बताया (मई 2001)। यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को शल्य चिकित्सक की तैनाती हेतु व्यवस्था करनी चाहिए थी। अतः जिला अंधापन नियंत्रण सोसाइटी के गठन न करने के कारण राज्य सरकार 15 लाख रु के केन्द्रीय अनुदान से वंचित रही और लोगों को अधिकतर नेत्र देखभाल सेवाएं भी प्राप्त नहीं हुईं।

3.1.7 किए गए मोतिया बिन्द ऑपरेशनों की स्थिति

मार्गदर्शिका अनुसार रोगियों को कम से कम जोखिम के साथ गुणवत्ता उपचार प्रदान करने में संस्थानिक/अस्पताल आधारित शल्य चिकित्सा से मोतियाबिन्द के कुल लक्ष्यों का 75-80 प्रतिशत निष्पादन किया जाना था और शल्य चिकित्सीय नेत्र केंद्रों में मोतियाबिन्द के 20 प्रतिशत से अधिक के ऑपरेशन नहीं किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त नेत्रविज्ञानी शल्य चिकित्सक को वर्ष में कम से कम 700 कैटॉपस करने चाहिए। नमूना जांच से निम्नलिखित बातों का पता चला:

(क) राज्य में मोतियाबिन्द मामलों की पहचान हेतु सर्वेक्षण न करवाए जाने से चिकित्सीय मामलों की विचारधीनता का अभिलेख नहीं था। तथापि, मार्गदर्शिकानुसार 1996-2001 के दौरान 35,000[#] कैटॉपस का निष्पादन 10 नेत्र विज्ञानी शल्य चिकित्सकों (हमीरपुर: 3, कांगड़ा: 4 तथा सिरमौर:3) द्वारा किया जाना अपेक्षित था। इनके प्रति वास्तव में 15,085* (हमीरपुर: 3,456, कांगड़ा: 7,510 तथा सिरमौर: 4,119) का निष्पादन किया गया। अतः कमी 46 तथा 67 प्रतिशत के मध्य पाई गई। इसलिए नेत्र चिकित्सकों की सेवाओं तथा अस्पतालों में आनुषांगिक उपलब्ध सुविधाओं की अवप्रयुक्ति वास्तविक थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरमौर ने बताया (मार्च 2001) कि जिले में मोतियाबिन्द की कम व्यापकता के कारण मानकों का पालन करना असम्भव था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा ने बताया (अप्रैल 2001) कि इसका कारण लोगों की कम जागरूकता तथा अपर्याप्त संरचना थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर ने बताया (अप्रैल 2001) कि केवल एक नेत्र शल्य चिकित्सक अस्पताल

* 1996-97: 56 प्रतिशत; 1997-98: 75 प्रतिशत; 1999-2000: 48 प्रतिशत तथा 2000-2001: शून्य

हमीरपुर: 10,500; कांगड़ा: 14,000 तथा सिरमौर: 10,500

° निजी संस्थानों में किए गए कैटॉपस शामिल नहीं किए गए हैं।

में कैटॉपस कर रहा था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरमौर की यह धारणा मान्य नहीं है क्योंकि मोतियाबिंद आपात मामलों की पहचान हेतु सर्वेक्षण नहीं करवाया गया था। पुनः मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि मार्गदर्शिका में परिकल्पित सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियों के अन्तर्गत लोगों में जागरूकता लाने व संरचना हेतु प्रयत्न किए जाने चाहिए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर की यह धारणा भी मान्य नहीं है क्योंकि कैटॉपस सभी तीनों शल्य चिकित्सकों द्वारा किए जाने चाहिए थे।

(ख) 1996-2001 के दौरान किए गए 9,251 कैटॉपस (हमीरपुर: 4,500 तथा सिरमौर: 4,751) में से केवल 4,371 (हमीरपुर: 2,897 तथा सिरमौर: 1,474) संघटित 47 प्रतिशत (हमीरपुर: 64 प्रतिशत तथा सिरमौर : 31 प्रतिशत) संस्थाओं में किए गए जबकि अपेक्षित 75-80 प्रतिशत थे। अतः हमीरपुर में 11-16 प्रतिशत तथा सिरमौर जिलों में 44-49 प्रतिशत कमी रही। शेष 4,880 कैटॉपस (हमीरपुर: 1,603 तथा सिरमौर: 3,277) सर्जिकल नेत्र कैम्पों में किए गए जो अधिकतम अनुमत सीमा 20 से 25 प्रतिशत के प्रति 53 प्रतिशत (हमीरपुर: 36 प्रतिशत तथा सिरमौर: 69 प्रतिशत) बनती थी। इसलिए कैम्प में आप्रेशन किए गए मरीजों की संख्या मानकों से उच्च थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरमौर ने बताया (मार्च 2001) कि अस्पताल में आंख के मरीजों के लिए आंखों का अलग से शल्यगार और निशानयुक्त बिस्तर नहीं थे। यह सही नहीं था क्योंकि निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने सूचित किया (अप्रैल 2001) कि जिला अस्पताल, नाहन में आंखों के वार्ड हेतु वास्तव में 13 बिस्तरों का प्रावधान था और राज्य में किसी भी अस्पताल में आंखों का पृथक शल्यगार विद्यमान नहीं था। पुनः अभिलेखों की जांच से पता चला कि आबंटित बिस्तर आंख, कान-नाक-गला तथा कभी-कभी मैडिकल/सर्जिकल आपात स्थितियों में प्रयोग किये जाते थे। अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वीकृत क्षमतानुसार बिस्तर संख्या की व्यवस्था करने और उद्देश्यार्थ शल्यगार का प्रयोग करने में विफल रहा।

3.1 ग. 8 असाध्य अंधों का पुनर्वास

जिला अंधापन नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा असाध्य अंधे व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार करना अपेक्षित था। यह देखा गया कि न तो असाध्य अंधे व्यक्तियों की पहचान की गई न ही 1996-2001 के दौरान नमूना जांच किए गए जिलों में पुनर्वास किया गया जबकि पुनर्वास सहायक का एक पद स्वीकृत था और पदधारी केन्द्रीय मोबाइल यूनिट, कांगड़ा स्थित धर्मशाला में कार्यरत रहा। तथापि, पदधारी को असाध्य अंधों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के स्थान पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालयीन कार्य में लगा दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (मार्च-अप्रैल 2001) कि इस उद्देश्यार्थ निधियों का प्रावधान नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि निधियों की मांग जिला अंधापन नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से की जानी अपेक्षित थी।

असाध्य अंधे व्यक्तियों की पहचान तथा पुनर्वास नहीं किया गया।

3.1 ग. 9 सूचना, शिक्षा तथा संचारण गतिविधियां

मार्गदर्शिकानुसार सूचना, शिक्षा तथा संचारण गतिविधियों हेतु राज्य स्तर पर कार्य योजना तैयार करनी अपेक्षित थी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाना था। यह देखा गया कि न तो राज्य स्तर पर कार्य योजना तैयार की गई, न ही कार्यक्रम के अनुश्रवण करने के लिए 1996-2001 के दौरान कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (मई 2001) कि इस संबंध में निर्देशों के अभाव के कारण न तो ऐसी योजना तैयार की गई न ही अनुश्रवण किया गया। यह धारणा मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसी कार्य योजनाएं बनाने हेतु कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाएं कभी की जुटा दी गई थी। इसके अतिरिक्त 1996-2001 के दौरान सूचना, शिक्षा तथा संचारण गतिविधियों हेतु भारत सरकार द्वारा 21 लाख रु० आबंटित किए गए जिसके प्रति राज्य सरकार द्वारा पुस्तिकाओं के मुद्रण, इशतहारों, रेडियो तुकांत मुग्गों आदि पर केवल 6.35 लाख रु०

(30 प्रतिशत) खर्च किए गए तथा शेष 14.65 लाख ₹ कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त नहीं किए गए।

3.1ग.10 नेत्र वाडों तथा शल्यगारों का नवीकरण तथा साज-सामान

सुविधार्थ विद्यमान आंखों के वाडों और शल्यगारों की मरम्मत तथा पुनरुद्धार के माध्यम से नेत्र देखभाल संरचना का उपयुक्त विकास राज्य लोक निर्माण विभाग अथवा किसी अन्य पहचान की गई एजेंसी से करवाया जाना था। इसके लिए 1998-2001 के दौरान प्रधानाचार्य, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय तथा नौ मुख्य चिकित्सा अधिकारियों² को 22.59 लाख ₹ आबंटित किए गए थे। इसके प्रति 1998-2001 के दौरान 7.85 लाख ₹ (प्रधानाचार्य, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय: दो लाख ₹ तथा चार मुख्य चिकित्सा अधिकारी: 5.85 लाख ₹) खर्च किए गए। शेष 14.74 लाख ₹ के संबंध में आठ मुख्य चिकित्सा अधिकारियों³/प्रधानाचार्य, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को नहीं भेजा गया।

यह देखा गया कि 5.65 लाख ₹ (हमीरपुर: 1.85 लाख ₹ 1999-2000 में, सिरमौर: 1.80 लाख ₹ 1999-2000 में तथा कांगड़ा: 2 लाख ₹ 2000-2001 में) के आबंटन के प्रति मार्च 2001 तक व्यय नहीं किया गया था। निधियां मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के पास अप्रयुक्त पड़ी हुई थीं। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (मार्च-अप्रैल 2001) कि व्यय करने के लिए अनुदेश/मार्गदर्शिका नहीं थी तथा इसलिए खर्चा नहीं किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं से अनुदेशों/मार्गदर्शिकाओं की मांग नहीं की।

3.1ग.11 नेत्र बैंक का विकास

कोरनियल अंधापन के इलाज हेतु नेत्र बैंक का विकास एक महत्वपूर्ण कार्य था। 1996-2001 के दौरान राज्य में नेत्र बैंक की कोई स्थापना नहीं की गई थी। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (मई 2001) कि निधियों के प्राप्त न होने से नेत्र बैंक की स्थापना नहीं की जा सकी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने नेत्र बैंक की स्थापनार्थ अपेक्षित निधियों की मांग नहीं की थी। अतः निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं की लापरवाही के कारण राज्य में नेत्र बैंक की स्थापना नहीं की जा सकी, इसके अतिरिक्त जरूरतमंद रोगी इच्छित लाभों से वंचित रहे।

3.1ग.12 प्रशिक्षण

जिले में सभी अंधापन नियंत्रण कार्यक्रमों हेतु समन्वयक तथा सुसाध्यकर के रूप में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को पद कार्यभार ग्रहण के शीघ्र बाद 10 दिनों का प्रवेश प्रशिक्षण प्राप्त करना था। स्वास्थ्य कर्मियों, पेशा मैडिकल नेत्र रोग सहायकों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण और विद्यालय अध्यापकों का दिकविन्यास प्रशिक्षण जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा जिले के भीतर आयोजित किया जाना था। नमूना जांच किए गए जिलों में 1996-2001 के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए अपेक्षित 2,227 कर्मचारियों के प्रति केवल 1,340 कर्मचारी (60 प्रतिशत) प्रशिक्षित किए गए। इस उद्देश्यार्थ भारत सरकार द्वारा 1996-2001 के दौरान राज्य को आबंटित 9.26 लाख ₹ के प्रति 2.07 लाख ₹ खर्च किए गए तथा शेष 7.19 लाख ₹ मार्च 2001 तक जिला अंधापन नियंत्रण सोसाइटियों के पास अप्रयुक्त पड़े थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (मार्च-अप्रैल 2001) कि शेष स्टाफ चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षित कर लिया जाएगा।

² बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्चू, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

³ बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

राज्य में नेत्र बैंकों की स्थापना नहीं की गई।

3.13 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

कार्यक्रम का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन राज्य स्तर पर नहीं किया गया।

वार्षिक जिला कार्य योजनाओं तथा जिला अंघापन नियंत्रण सोसाइटियों की बैठकों के कार्यवृत्तों के परिशीलनानुसार राज्य स्तर पर कार्यक्रम के अनुश्रवणार्थ राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम कक्ष तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाना था। यह देखा गया कि राज्य स्तर पर 1996-2001 के दौरान राज्य कार्यक्रम कक्ष तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन नहीं किया गया। अतः राज्य स्तर पर यथा अपेक्षित अनुश्रवण नहीं किया गया। 1996-2001 के दौरान ऐसे मूल्यांकनार्थ सरकारी स्तर पर न तो कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया न ही कोई निपुण एजेंसी नियुक्त की गई। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (मई 2001) कि सरकार की ओर से ऐसे निर्देशों के अभाव में मूल्यांकन नहीं करवाया गया। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि अनुश्रवण राज्य स्तर पर किया जाना अपेक्षित था।

3.14 निष्कर्ष

1996-2001 के दौरान नमूना-जांच किए गए जिलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर असाध्य अंधे व्यक्तियों की न तो पहचान की गई न ही पुनर्वास किया गया। भारत सरकार द्वारा सूचना, शिक्षा तथा संचारण कार्यकलापों को 1996-2001 के दौरान आवंटित 21 लाख ₹ में से केवल 6.35 लाख ₹ (30 प्रतिशत) खर्च किए गए तथा शेष 14.65 लाख ₹ अप्रयुक्त रहे। राज्य में मार्गदर्शिकानुसार अपेक्षित कोई नेत्र बैंक स्थापित नहीं किया गया।

इन तथ्यों से सरकार को जून 2001 में अवगत करवाया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

3.15 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

3.15.1 परिचय

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में आवासीय सलफोन उपचार के माध्यम से रोग को नियंत्रण करने के लिए राज्य में जनवरी 1956 से चलाया गया। इसका उद्देश्य सन् 2000 तक 1/10,000 की जनसंख्या से कम के कुष्ठ रोगियों की संख्या घटाकर कुष्ठ रोग को कम करना था। तीन¹ मध्यम स्थानिक जिलों और नौ² गैर स्थानिक जिलों वाला राज्य गैर स्थानिक राज्यों की श्रेणी में आता था। राज्य में मोबाइल कुष्ठरोग उपचार यूनिटों, प्रत्येक मध्यम स्थानिक जिलों हेतु दो और प्रत्येक कम स्थानिक जिलों के लिए एक के गठन द्वारा सभी 12 जिलों में जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से 2 अक्टूबर 1995 से बहु औषधी चिकित्सा शुरू की गई। बहु औषधी चिकित्सा सेवाओं की मुख्य विशेषताएं थी (क) अल्पावधि में सभी संक्रामक मामलों को असंक्रामक करना, (ख) नियमित तथा पर्याप्त उपचार जुटाना, (ग) अपंगताओं को रोकने हेतु मामलों का शीघ्र पता लगाना और उपचार की सुनिश्चितता बनाना तथा (घ) बीमारी के बारे में सही सूचना का प्रचार।

3.15.2 संगठनात्मक ढांचा

कार्यक्रम का कार्यान्वयन आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत किया जा रहा है। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं जो मुख्य समन्वयन अधिकारी हैं, की सहायता

¹ चम्बा, शिमला तथा सिरमौर

² बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल एवं स्पिती, मण्डी, सोलन तथा ऊना

हेतु राज्य स्तर पर उप-निदेशक/सहायक कुष्ठ रोग अधिकारी (मुख्यालय) थे। जिला स्तर पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन विस्तार तथा जिला कुष्ठ रोग अधिकारियों तथा जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियों के मोबाइल कुष्ठ रोग उपचार यूनिट स्टाॅफ की सहायता से क्षेत्रीय कुष्ठ रोग अधिकारियों/जिला कुष्ठ रोग अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। राज्य के सात जिलों में सात कुष्ठ रोग नियंत्रण यूनिट थे। शेष जिले 15 "सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार" यूनिटों से आवृत थे। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला में एक शहरी कुष्ठ रोग यूनिट कार्य कर रहा था। एक सैस्मिक संगठन कांगड़ा जिले के पालमपुर में कार्य कर रहा था।

3.1घ.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

1996-2001 की अवाधि हेतु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा जनवरी-मई 2001 के दौरान लेखापरीक्षा में निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) से एकत्रित सूचना सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और हमीरपुर, कांगड़ा व सिरमौर जिलों में जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियों के सदस्य सचिवों के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना जांच से की गई।

3.1घ.4 वित्तीय परिवर्तन तथा व्यय

(i) कार्यक्रम केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीम के रूप में शुरू किया गया। तथापि स्कीम में कोई निश्चित राशि की व्यवस्था नहीं थी। जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार अथवा जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अन्य किसी योग्य व्यक्ति द्वारा की जानी थी। प्रमाणित वार्षिक लेखों सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत सरकार और राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना था। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार होगा। 11.85 करोड़ ₹ के बजट प्रावधान के प्रति 1996-2001 के दौरान राज्य क्षेत्र में 11.78 करोड़ ₹ का खर्चा किया गया।

इसी भान्ति केन्द्रीय क्षेत्र में 1.11 करोड़ ₹ के बजट प्रावधान के प्रति 1996-2001 के दौरान 0.75 करोड़ ₹ का खर्चा किया गया। दो क्षेत्रीय कुष्ठ रोग कार्यालयों तथा किन्नौर और लाहौल एवं स्पिति के दो जनजातीय जिलों में तैनात कुष्ठ रोग स्टाॅफ की दवाइयों और वेतन का व्यय केन्द्रीय सैक्टर से वहन किया गया। इसके अतिरिक्त जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियों को निधियां बैंक ड्रॉप्टों के माध्यम से सीधे भारत सरकार द्वारा जारी की गईं।

(ii) जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियों को भारत सरकार द्वारा अनुदानों का भुगतान उनके पास प्रत्येक वर्ष के अन्त में उपलब्ध अप्रयुक्त शेषों का ध्यान रखे बिना किया गया। 4.66 करोड़ ₹ (1996-2001 के दौरान भारत सरकार से प्राप्तियां: 3.32 करोड़ ₹ तथा 1 अप्रैल 1996 को अथशेष: 1.34 करोड़ ₹) की उपलब्ध निधियों के प्रति जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर केवल 3.31 करोड़ ₹ खर्च किए गए जिसके कारण 31 मार्च 2001 को 1.35 करोड़ ₹ का अव्ययित शेष रहा जिसे बैंकों में बचत खातों के अन्तर्गत रखा गया। भारत सरकार ने अक्टूबर 2000 से राज्य में जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियों के अन्तर्गत सभी संविदात्मक स्टाॅफ की सेवाएं समाप्त कर दीं। जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियों के पास 30 सितम्बर 2000 के बाद अप्रयुक्त निधियां उनके पास सामान्य राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम गतिविधियों के लिए रखी जानी थीं। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (मई 2001) कि अव्ययित शेषों की प्रयुक्ति हेतु भारत सरकार से विशिष्ट निर्देशों की प्रतीक्षा थी।

जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियों के पास पड़े 1.35 करोड़ ₹ के अव्ययित शेषों को मार्च 2001 तक प्रयुक्त नहीं किया गया।

3.1घ.5 स्टॉफ स्थिति तथा स्टॉफ का विचलन

नमूना जांच किए गए जिलों में 82 कर्मचारियों (डॉक्टर: 3, पैरा-मैडिकल: 49 और अन्य:30) की स्वीकृत संख्या के प्रति मार्च 2001 तक 42 कर्मचारी (डॉक्टर:3, पैरा-मैडिकल:20 और अन्य:19) कार्यरत थे। इनमें से 15 कर्मचारी (पैरा-मैडिकल:11 और अन्य: 4) कांगड़ा तथा सिरमौर जिलों में 1996-2001 के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम से अलग गतिविधियों में लगाए गए। 1996-2001 के दौरान इस स्टॉफ के वेतन तथा भत्तों पर 42.16 लाख रु खर्च किए गए। जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, सिरमौर ने बताया (मार्च 2001) कि स्टॉफ को क्षेत्रीय अस्पताल के समस्त हित में लगाया गया था। क्षेत्रीय कुष्ठ रोग अधिकारी, कंदबाड़ी (कांगड़ा जिला) ने बताया (मार्च 2001) कि स्टॉफ को निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के आदेशानुसार लगाया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को पदों का अभ्यर्पण करना चाहिए था, यदि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जरूरत नहीं थी।

3.1घ.6 जनसंख्या सर्वेक्षण

जनसंख्या की जांच में कमी 38 से 55 प्रतिशत तथा गणना पांच से 21 प्रतिशत के मध्य रही।

कुष्ठ रोगियों का पता लगाने के लिए घर से घर तक सर्वेक्षण करने हेतु राज्य में मार्च 1999 से संशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान चलाया गया जिसमें 155 कुष्ठ रोगियों का पता लगा। यह देखा गया कि 58.42 लाख (1999) की कुल संयोजित जनसंख्या का 32 प्रतिशत संघटित 18.51 लाख की जनसंख्या की जांच नहीं की गई तथा 9.98 लाख जनसंख्या की पर्यवेषी दलों द्वारा गणना/सर्वेक्षण भी नहीं किया गया। तीन मध्यम स्थानीय जिलों में जनसंख्या जांच में कमी 38 से 55 प्रतिशत तथा गणना के अनुसार जांच में कमी पांच और 21 प्रतिशत के मध्य थी। कम आवृत्ति/जांच हेतु निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं से मांगे गए (मई 2001) कारण सूचित नहीं किए गए थे। अतः पात्र मामलों का पता नहीं लगाया गया और वे अपेक्षित उपचार से वंचित रहे।

3.1घ.7 रोग का प्रभावक्षेत्र/प्रचलित दर

सिरमौर जिले में 1999-2000 में प्रचलित दर 0.07/10,000 से बढ़कर 2000-2001 में 1.70/10,000 हो गई।

सन 2000 तक जनसंख्या का भार 1/10,000 से कम करके कुष्ठ रोग उन्मूलित करने के उद्देश्य से राज्य में कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के 1997 के निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने मार्च-मई 1999 में संशोधित कुष्ठरोग उन्मूलन अभियान चलाया। यह देखा गया कि संशोधित कुष्ठरोग विलोपन अभियान के फलस्वरूप 1999-2000 में मामलों की संख्या 248 से बढ़कर 2000-2001 में 339 तथा प्रचलित दर भी बढ़कर 0.5/10,000 (1999-2000) से 0.6/10,000 (2000-2001) हो गई। सिरमौर जिले में प्रचलित दर 1999-2000 में 0.07/10,000 से बढ़कर 2000-2001 में 1.70/10,000 हो गई जोकि जनसंख्या के राष्ट्रीय लक्ष्य 1/10,000 से अधिक थी। सिरमौर जिले में राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त न करने तथा 2000-2001 के दौरान प्रचलित दर में वृद्धि हेतु निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं से पूछे गए (मई 2001) कारणों को सूचित नहीं किया गया।

3.1घ.8 लक्ष्य तथा उपलब्धियां**(क) मामलों की पहचान तथा विलोपन**

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के दौरान नए मामलों की पहचान तथा उपचार समाप्ति पर मामलों के विलोपन हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 1996-2001 के दौरान इन लक्ष्यों को निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा आनुपातिक जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक जिले को आबंटित किया गया। 1996-97 के दौरान लक्ष्यों का आबंटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर, लाहौल एवं स्पिती तथा सोलन जिलों को नहीं किया गया। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (मई 2001) कि भारत सरकार द्वारा लक्ष्यों का आबंटन राज्य सरकार को पूछे बिना किया था। यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार को जनसंख्या सर्वेक्षणों के आधार पर लक्ष्यों को निर्धारित करने के पग उठाने चाहिए थे। अतः लक्ष्य

वास्तविकता के आधार पर निर्धारित नहीं किये गये, क्योंकि 1996-2001 के दौरान लक्ष्यों (पहचाने गए: 1150, विलोपित: 3400) तथा उपलब्धियों (पहचाने गए: 1780, विलोपित: 3826) के मध्य व्यापक भिन्नता थी।

(ख) उपलब्धियों को सूचित करने में भिन्नता

31 मार्च 1987 को समाप्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-सिविल-हिमाचल प्रदेश सरकार के परिच्छेद 4.5.7(ii) में ध्यान दिलाया गया था कि नए मामलों का पता लगाने तथा मामलों के विलोपन में निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा भारत सरकार को प्रतिवेदित मामलों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदनों में दर्शाए गए मामलों के मध्य भिन्नता थी। लोक लेखा समिति ने अपने 210वें प्रतिवेदन (8वीं विधानसभा) में सिफारिश की (सितम्बर 1996) कि यह आशा है कि विभाग राज्य मुख्यालय के साथ उपयुक्त संपर्क रखेगा ताकि भविष्य में सरकार को गलत सूचना न भेजी जाए। मार्गदर्शिकाओं अनुसार राज्य सरकार द्वारा मासिक निष्पादन प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत करना था। नमूना जांच से पता चला कि 12 तथा 67 (तीन से 23 प्रतिशत) पहचान किए गए नए मामलों के मध्य तथा 13 तथा 636 (दो से 41 प्रतिशत) विलोपन मामलों में निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा भारत सरकार को सूचित मामलों और 1996-2000 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदनों में दर्शाए गए मामलों के मध्य विभिन्नता थी, जैसा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	पहचाने गए मामले			विलोपित मामले		
	कार्यक्रम रिपोर्ट के अनुसार सूचित मामले	भारत सरकार को सूचित आंकड़े	भिन्नता अधिव्य (+)/कमी (-) (प्रतिशत)	कार्यक्रम रिपोर्ट के अनुसार सूचित मामले	भारत सरकार को सूचित आंकड़े	भिन्नता अधिव्य (+)/कमी (-) (प्रतिशत)
1996-97	294	361	(+67(23)	1547	911	(-636(41)
1997-98	386	335	(-51(13)	804	1104	(+300(37)
1998-99	371	383	(+12(3)	702	689	(-13(2)
1999-2000	409	409	शून्य	857	857	शून्य
2000-2001	335	292	(-43(13)	279	265	(-14(5)

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं से गलत सूचना देने हेतु पूछे गए (मई 2001) कारणों को सूचित नहीं किया गया था। अतः लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद गलत सूचना दी जा रही थी।

3.1घ-9 जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियों की स्थापना

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं अनुसार जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियां बहु औषधी चिकित्सा सेवाओं के समस्त कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी थीं। बहु औषधी चिकित्सा सेवाएं राज्य में 15 मोबाइल कुष्ठ रोग उपचार यूनिटों के माध्यम से जुटाई जानी थीं। यह पाया गया कि 12 जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियां 1995-96 (10) तथा 1997-98 (दो) के दौरान राज्य में स्थापित की गईं। प्रोत्साहन भुगतान, सहायक दवाइयों पर व्यय, पैट्रोल, तेल व स्नेहक तथा सूचना, शिक्षा एवं संचारण गतिविधियों आदि के लिए भारत सरकार द्वारा इन जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसाइटियों को सीधे अलग से निधियां दी गईं। कांगड़ा जिला में मोबाइल कुष्ठ रोग उपचार यूनिट मार्च 1997 तक स्थापित नहीं किया गया था। क्षेत्रीय कुष्ठ रोग अधिकारी, कंदबाड़ी (कांगड़ा जिला) ने स्टॉफ की नियुक्ति में विलम्ब का कारण भर्ती चयन बोर्ड के गठन पर मतभेद बताया (मार्च 2001)। बहु-औषधी चिकित्सा सेवा कांगड़ा जिले में औषधी वितरण स्थलों पर कुष्ठ रोगियों को फरवरी 1997

तक नहीं जुटाई गई थी जबकि जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण समिति को रोगियों को ऐसी सेवाएं अक्टूबर 1995 से जुटानी चाहिए थी। अतः रोगी औषधी वितरण स्थलों पर एक वर्ष से अधिक बहु औषधी चिकित्सा सेवाओं से वंचित रहे।

3.1घ.10 कार्य योजनाओं का प्रारूप न बनाना

1996-2001 के दौरान मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिटों ने वार्षिक कार्ययोजना प्रारूप नहीं बनाया जैसा अपेक्षित था।

मार्गदर्शिकाओं के अनुसार जिले के क्षेत्रीय कुष्ठरोग अधिकारी/जिला कुष्ठरोग अधिकारी से परामर्श करके प्रत्येक मोबाइल कुष्ठ रोग उपचार यूनिट द्वारा वार्षिक कार्य योजनाओं का प्रारूप बनाया जाना था। यह देखा गया कि नमूना जांच किए गए जिलों में 1996-2001 के दौरान मोबाइल कुष्ठ रोग उपचार यूनिटों द्वारा ऐसी योजनाएं नहीं बनाई गईं। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अप्रैल-मई 2001) कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार/भारत सरकार से कोई विशिष्ट निर्देश नहीं थे। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि ऐसी योजनाओं को बनाने हेतु मार्गदर्शिकाएं जुटाई गई थीं। वार्षिक कार्य योजनाओं को न बनाने के कारण विभिन्न स्तरों पर स्टॉफ की अवप्रयुक्ति रही तथा राज्य में कुष्ठरोग के प्रसार में भी 1999-2000 में 0.5 प्रति 10,000 जनसंख्या से बढ़कर 2000-2001 में 0.6 प्रति 10,000 जनसंख्या हो गई। अतः मोबाइल कुष्ठरोग उपचार यूनिट मार्गदर्शिकाओं का पालन करने में विफल हुए थे।

3.1घ.11 मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिटों का कार्यचालन

प्रत्येक मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट में एक चिकित्सा अधिकारी, एक गैर-चिकित्सीय पर्यवेक्षक, दो पैरा-मैडिकल कामगारों तथा एक वाहन सहित एक चालक जिसकी नियुक्ति संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जानी थी से अन्तर्विष्ट होना था। मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट को कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम में 5-7 दिनों का अनुकूलन प्रशिक्षण भी दिया जाना था। यह देखा गया कि सिरमौर जिले में 1996-2001 के दौरान चिकित्सा अधिकारियों के बिना दो मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिटों ने कार्य किया और मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट स्टॉफ को अनुकूलन प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया। अतः कुष्ठरोगियों की स्थल पुष्टि नहीं की गई और रोगियों को जिला कुष्ठरोग अधिकारी द्वारा रोग की पुष्टि हेतु निकट की स्वास्थ्य संस्था/जिला मुख्यालय जाना पड़ा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरमौर ने तथ्यों को स्वीकारते हुए इसका कारण चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति न करने से पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता बताया (मार्च 2001)। अन्य मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट स्टॉफ को अनुकूलन प्रशिक्षण न देने के कोई कारण नहीं बताए गए। इस प्रकार औषधी वितरण स्थलों पर अंतिम निदान तथा चिकित्सा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया और 1996-2001 के दौरान रोगियों को मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट का अप्रशिक्षित स्टॉफ बहु औषधी उपचार पल्स चिकित्सा निरन्तर जुटाता रहा।

3.1घ.12 मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट स्टॉफ की अवप्रयुक्ति

मार्गदर्शिकाओं में प्रावधान है कि मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट द्वारा आवृत्त कुल जनसंख्या दो मण्डलों में, प्रत्येक मण्डल 10 सर्कटों में तथा प्रत्येक सर्कट आठ से 10 औषधी वितरण स्थलों में विभाजित किया जाना था। मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट के चिकित्सा अधिकारी को एक दिन में सभी औषधी वितरण स्थलों का दौरा करके बहु औषधी चिकित्सा सेवा एक सर्कट में जुटानी थी। मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट को 10-12 दिनों के प्रथम फील्ड दौरे के दौरान एक मण्डल में सभी सर्कटों को आवृत्त करना था। इसी भांति अन्य मण्डलों में सभी सर्कट अगले 10-12 दिनों के दूसरे फील्ड दौरे में आवृत्त किए जाने थे इस तरह एक महीने में दोनों मण्डलों में सभी औषधी वितरण स्थलों की आवृत्ति की सुनिश्चितता करना था। इस प्रकार कुष्ठरोग मामलों की पुष्टि हेतु बहु औषधी उपचार चिकित्सा विधि के पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट के स्टॉफ को एक मास में 20 से 24 दिन तक क्षेत्र में रहना था।

(क) अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि चार मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिटों में (सिरमौर: दो, कांगड़ा: एक तथा हमीरपुर: एक) ऐसी कोई क्षेत्र योजना नहीं अपनाई गई जिससे प्रत्येक मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट अधिकतर एक महीने में (सिरमौर: 14 दिन, कांगड़ा: 5-7 दिन तथा हमीरपुर: 5-10 दिन) अप्रैल 1996 से सितम्बर 2000 के दौरान पांच से 14 दिनों तक फील्ड में रहे। अतः मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट के स्टॉफ ने महीने में 10 से 15 दिनों के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं किया। क्षेत्रीय कुष्ठरोग अधिकारी, कंदबाड़ी (कांगड़ा जिला) ने बताया (मार्च 2001) कि मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट का स्टॉफ सूचना, शिक्षा और संचारण गतिविधियों तथा स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं पर तैनात किया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरमौर ने बताया (मार्च 2001) कि मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट का स्टॉफ सम्मर्क सर्वेक्षण, औद्योगिक सर्वेक्षण तथा दोषपूर्ण/सुधार गतिविधियों पर तैनात किया गया था। मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट के स्टॉफ द्वारा किए गए ऐसे कार्य के सत्यापनार्थ अभिलेखों को नहीं दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर ने स्वीकार किया (अप्रैल 2001) कि मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट के स्टाफ ने कुष्ठरोगियों की कम संख्या के कारण आवश्यकतानुसार फील्ड का दौरा नहीं किया। उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम के सामान्य क्रियाकलाप थे तथा कुष्ठरोगियों की संख्या पर निर्भर नहीं करते थे। अतः इन जिलों में मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट स्टॉफ की सेवाएं अवप्रयुक्त रही तथा रोगियों को निश्चित अवधि की चिकित्सा नहीं जुटाई गई।

(ख) सिरमौर जिले में दोनों मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिटों के स्टॉफ ने मार्च 1996 से सितम्बर 2000 के दौरान घोषित औषधी वितरण स्थलों का प्रत्येक 54 महीनों की आवश्यकता के प्रति केवल "22 महीने (एमएलटीयू-1) और 30 महीने (एमएलटीयू-1)" दौरा किया। शेष महीनों के लिए या तो मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट स्टॉफ ने दौरा नहीं किया अथवा छः से 56 औषधी वितरण स्थलों का दौरा किया। अतः मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट के स्टॉफ द्वारा औषधी वितरण स्थलों पर बहु औषधी चिकित्सा सेवाएं नियमित रूप से नहीं जुटाई गईं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरमौर ने बताया (मार्च 2001) कि स्टॉफ वर्षा/शरद ऋतु तथा वाहनों की खराबी के कारण सभी औषधी वितरण स्थलों का दौरा नहीं कर सका। यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि औषधी वितरण स्थलों पर बहु औषधी चिकित्सा सेवाएं नियमित रूप से प्रदान की जानी थी जिसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी। अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मार्गदर्शिकाओं का पालन न करने से कुष्ठरोगी निश्चित अवधि चिकित्सा से वंचित रहे।

(ग) हमीरपुर जिले में 1996-2001 के दौरान औषधी वितरण स्थलों का गठन/घोषणा नहीं की गई। अतः दवाईयों तथा मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट स्टॉफ की उपलब्धता के बावजूद अपेक्षितानुसार औषधी वितरण स्थलों के माध्यम से रोगियों को बहु औषधी चिकित्सा सेवाएं नहीं जुटाई गईं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर ने बताया (अप्रैल 2001) कि मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट स्टॉफ की अनुभवहीनता के कारण औषधी वितरण स्थलों की स्थापना नहीं की जा सकी और बहु औषधी चिकित्सा सेवाएं मुख्यतः जिला मुख्यालय पर जुटाई गईं। यह तर्क सही नहीं है क्योंकि मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट स्टॉफ को अनुकूलन प्रशिक्षण दिया हुआ था। अतः मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट स्टॉफ की सेवाएं आवश्यकतानुसार औषधी वितरण स्थलों पर प्रयुक्त नहीं की गईं।

3.1घ.13 बहु औषधी चिकित्सा सेवाओं का अनुचित कार्यान्वयन

(1) बहु-औषधी चिकित्सा मार्गदर्शिकाओं में प्रावधान है कि अधिकतम नौ महीनों में छः पल्सों के पश्चात् सभी अल्पदण्डाणु मामलों को चिकित्सामुक्त किया जाना था तथा 36 महीनों (नवम्बर 1997 से घटकर 12 पल्से) में 24 पल्से पूरा करने के पश्चात् सभी बहुदण्डाणु मामलों को चिकित्सामुक्त किया जाना था। अल्पदण्डाणु मामलों में दो वर्ष तथा बहुदण्डाणु मामलों में पांच वर्ष तक निगरानी भी की जानी थी।

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि सिरमौर जिले में अक्टूबर 1995 में 49 बहुदण्डाणु रोगियों को उपचार के लिए शामिल किया गया। इन्हें अक्टूबर 1997 में चिकित्सा मुक्त किया जाना अपेक्षित था परन्तु इन्हें मार्च 1998 तथा मार्च 2000 के मध्य चिकित्सा मुक्त किया गया। विलम्ब अवधि पांच और 29 महीनों के मध्य रही। हमीरपुर जिले में 1998-2001 के दौरान 21 बहुदण्डाणु मामले उपचार की अपेक्षित अवधि से तीन से छः मास अधिक के लिए चिकित्साधीन रखे गए। अतः विलम्ब से चिकित्सा मुक्त करने के कारण औषधियां अधिक जारी/प्रयोग हुईं और रोगियों को दीर्घावधि तक चिकित्साधीन रखा गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर ने स्वीकार (अप्रैल 2001) किया कि औषधी वितरण स्थलों की घोषणा न करने और मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट स्टॉफ के फील्ड में दौरे न करने के कारण रोगियों को चिकित्साधीन रखा गया।

(ii) बहु औषधी चिकित्सा मार्गदर्शिकाओं के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों अथवा रोगियों को कोई प्रोत्साहन भुगतान योग्य नहीं था। नमूना जांच से पता चला कि 1995-2000 के दौरान 1.25 लाख ₹ (कांगड़ा: दो चिकित्सा अधिकारी: 0.46 लाख ₹ तथा लेखाकार: 0.27 लाख ₹ और हमीरपुर: एक चिकित्सा अधिकारी: 0.26 लाख ₹ तथा लेखाकार: 0.26 लाख ₹) का प्रोत्साहन भुगतान किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (मार्च-अप्रैल 2000) कि इसका भुगतान जिला कुष्ठरोग नियंत्रण सोसाइटी के अध्यक्ष के अनुमोदन पश्चात किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मार्गदर्शिकाओं में प्रोत्साहन के भुगतान की स्पष्टता मनाही है।

(iii) भारत सरकार के अनुदेशों (फरवरी 1998 तथा मई 2000) के अनुसार वर्षारम्भ में 100 प्रतिशत (बहुदण्डाणु/अल्पदण्डाणु) मामले तथा पता लगाए गए नए अल्पदण्डाणु मामलों का 50 प्रतिशत और वर्ष के दौरान पता लगाए गए एक मात्र चर्म घाव वाले 100 प्रतिशत मामले वर्ष की समाप्ति पर विमुक्त किए जाने थे क्योंकि बहुदण्डाणु मामलों को 12 महीनें, अल्पदण्डाणु, मामलों को छः महीनें का उपचार और एक मात्र चर्म घाव के मामलों को इकहरी दवा दी जानी थी। 95 प्रतिशत से अधिक व्याप्ति का उपचार समापन वांछनीय था। यह देखा गया कि 1998-2000 के दौरान की चिकित्सा से विमुक्त मामलों में 12 से 69 प्रतिशत की कमी आई। 1999-2000 के दौरान विमुक्त मामलों की रिपोर्टों का विश्लेषण करते समय भारत सरकार ने राज्य को "पुअर" का दर्जा दिया और मार्गदर्शिकाओं का पालन करने को कहा। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं से मार्गदर्शिकाओं का पालन न करने के पूछे गए (मई 2001) कारणों को सूचित नहीं किया गया था।

3.1 घ. 14 सूचना, शिक्षा तथा संचारण गतिविधियां

व्यवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा उपायों द्वारा विद्यमान सामाजिक कलंक को दूर करने के लिए रोग के बारे में सही सूचना के प्रचार को सूचना, शिक्षा तथा संचारण गतिविधियां चलाने हेतु कार्ययोजना का बनाया जाना अपेक्षित था। योजना में दो घटक थे अर्थात् जनसम्पर्क साधन का प्रयोग और स्टॉफ की विभिन्न श्रेणियों का अनुकूलन।

यह देखा गया कि ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई और राज्य में जनसम्पर्क साधन गतिविधियां नहीं चलाई गईं। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (मई 2001) कि 1996-2000 के दौरान राज्य द्वारा कार्य योजना नहीं बनाई गई क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा नहीं मांगी गई।

तीन जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच से और पता चला कि स्टॉफ की विभिन्न श्रेणियों, पंजीकृत चिकित्सकों, ग्रामीण नेताओं, ओपिनियन नेताओं, युवा क्लबों/महिला मण्डलों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, जिला लोक संपर्क अधिकारियों, दूरदर्शन, रेडियो, स्कूल अध्यापकों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को 1996-2001 के दौरान हमीरपुर तथा सिरमौर जिलों में अनुकूलन प्रशिक्षण नहीं दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (मार्च-अप्रैल 2001) कि कोई अनुकूलन प्रशिक्षण नहीं दिया गया क्योंकि न तो

जिला कुष्ठरोग नियंत्रण सोसाइटियों की बैठकों में ऐसा निर्णय लिया गया न ही ऐसे निर्देश प्राप्त हुए। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि मार्गदर्शिकाओं में अनुकूलन प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया था।

3.1घ.15 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

(i) मार्गदर्शिकाओं अनुसार सभी परिवर्तनात्मक लक्ष्यों तथा प्रतिदिन की गतिविधियां और उपायात्मक गतिविधियों आदि के अनुश्रवण के सूचना तंत्र के विकास का पुनः कार्यक्रम शुरू करने के सम्बन्ध में सभी गतिविधियों के अनुश्रवण निष्पादन का निर्धारण करना जरूरी था। इसके अतिरिक्त, पोषकता और उचित आवश्यक कार्यवाही करने की सुनिश्चितता हेतु बहु औषधी चिकित्सा आवृत्ति, प्रचलित प्रवृत्ति और कुष्ठ रोग विस्तार की समीक्षा के लिए मोबाइल कुष्ठरोग चिकित्सा यूनिट तथा राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम स्टाफ की मासिक बैठक, जिला कुष्ठरोग नियंत्रण सोसाइटियों की तिमाही बैठक और राज्य स्तरीय छः माही बैठकों का आयोजन भी किया जाना अपेक्षित था।

यह भी देखा गया कि राज्य स्तर पर कोई छःमाही बैठक नहीं की गई। हमीरपुर तथा सिरमौर जिलों में 1996-2001 के दौरान कोई तिमाही बैठकें नहीं की गईं। अतः कार्यक्रम का अनुश्रवण नहीं किया गया जैसा अपेक्षित था। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (मई 2001) कि कार्यक्रम की गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु तंत्र विकसित नहीं किया गया था क्योंकि भारत सरकार से ऐसे कोई अनुदेश प्राप्त नहीं हुए। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बैठकें करने के लिए अनुदेश पहले ही मार्गदर्शिकाओं में दिये गये थे।

(ii) 1996-2001 के दौरान सरकार द्वारा कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया। यह देखा गया कि इस संबंध में कोई प्रयत्न नहीं किए गए। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (मई 2001) कि सरकार से ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। मार्गदर्शिकाओं को देखते हुए उत्तर मान्य नहीं है।

3.1घ.16 निष्कर्ष

मार्च 2001 तक जिला कुष्ठरोग नियंत्रण सोसाइटियों के पास 1.35 करोड़ रु० की अव्ययित शेष राशि अप्रयुक्त रह गई। संशोधित कुष्ठ रोग उन्मूलन अभियान सर्वेक्षण (मार्च-मई 1999) के दौरान पर्यन्वेषी दलों द्वारा 9.98 लाख की जनसंख्या की गणना/सर्वेक्षण नहीं किया। इसी समय कुष्ठरोग की प्रचलित दर 1999-2000 में 0.5/10,000 से बढ़कर 2000-2001 में 0.6/10,000 हो गई।

इन तथ्यों से सरकार को जून 2001 में अवगत करवाया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

तकनीकी शिक्षा विभाग

3.2 तकनीकी शिक्षा तथा शिल्पकार प्रशिक्षण

मुख्य बातें

बहुशिल्पों का सुदृढीकरण तथा विकास, शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी कम करना आदि उद्देश्यों की पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं की गई थी, क्योंकि बहुशिल्पों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु औज़ार, उपस्कर तथा कच्चे माल की कमी थी। विभिन्न वर्गों के संस्वीकृत पदों के संदर्भ में रिक्त पदों की प्रतिशतता सात तथा 38 के मध्य थी। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् थे:

** 1996-2001 के दौरान डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने से पूर्व अर्थात् बीच में ही छोड़ने वाले प्रशिक्षणार्थियों की प्रतिशतता पांच तथा 13 के मध्य थी।

(परिच्छेद 3.2.5)

** 1996-2001 के दौरान केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान से सम्बन्धित 12 संस्थानों में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में कमी 84 तथा 100 प्रतिशत के मध्य थी।

(परिच्छेद 3.2.8)

** राज्य के 14 संस्थानों में 19 व्यवसायों से सम्बन्धित औज़ारों तथा उपस्करों की 2,177 मटे कम पाई गई, जिससे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा बहुशिल्पों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

(परिच्छेद 3.2.9)

** मानकों के अनुसार आवश्यकता के संदर्भ में संस्वीकृत पदों की कमी 10 तथा 52 प्रतिशत के मध्य थी।

(परिच्छेद 3.2.10)

** 1996-2001 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 692 अपेक्षित निरीक्षणों के प्रति केवल 106 निरीक्षण (15 प्रतिशत) किए गए तथा बहुशिल्पों के 54 अपेक्षित निरीक्षणों के प्रति केवल 10 निरीक्षण (18 प्रतिशत) किए गए।

(परिच्छेद 3.2.11)

** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से जाँचों की प्राप्ति के अभाव में, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मण्डी में 10.60 लाख रु० मूल्य की मशीनें तथा उपस्कर 1992-93 से निरर्थक पड़े थे तथा कर्मशाला स्टाफ के वेतन तथा भत्तों पर 11.03 लाख रु० का व्यय निष्फल हुआ।

(परिच्छेद 3.2.12 (ii))

** फरवरी 1994 से दिसम्बर 1999 के दौरान विभिन्न बहुशिल्पों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 74.84 लाख रुपए की खरीदी गई मशीनों तथा उपस्करों की विभिन्न मदों का उनकी खरीद/प्राप्ति की तिथि से उपयोग नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 3.2.14)

3.2.1 परिचय

कुशल जनशक्ति का विकास शिक्षा क्षेत्र की अग्रताओं में से एक था। आधुनिक उद्योगों की प्रौद्योगिकी अत्यन्त परिष्कृत है। अतः इसके लिए ऐसे कर्मियों की आवश्यकता थी जोकि अत्यन्त कुशल तथा व्यावसायिक हों। अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा विभाग के मुख्य क्रियाकलापों में बहुशिल्पों का सुदृढीकरण तथा विकास, उद्योगों के लिए विभिन्न व्यवसायों में कुशल कामगारों का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करना, कामगारों को व्यवस्थित प्रशिक्षण देकर औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता तथा मात्रा बढ़ाना शामिल था।

बहुशिल्पों के व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा विकास के आधुनिकीकरण, विविधीकरण तथा अवसंरचना हेतु विश्व बैंक की सहायता से क्रमशः 1988-89 तथा 1991-92 से दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें अर्थात् “व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना” तथा “ बहुशिल्पों का सुदृढीकरण व विकास” कार्यान्वित की गई थी। भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने दिसम्बर 1998 तक 50:50 के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना की लागत वहन की। बहुशिल्पों के सुदृढीकरण तथा विकास की 65 से 100 प्रतिशत तक लागत भारत सरकार द्वारा वहन की गई जैसा कि स्कीम के विभिन्न संघटकों के लिए अनुमोदित किया गया था तथा शेष लागत अक्टूबर 1999 तक राज्य सरकार द्वारा वहन की गई। ये परियोजनाएं क्रमशः दिसम्बर 1998 तथा अक्टूबर 1999 में बन्द कर दी गईं।

3.2.3 संगठनात्मक ढांचा

सरकारी स्तर पर आयुक्त एवं सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग अपने विभाग की विभिन्न गतिविधियों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी था। स्कीम का कार्यान्वयन राज्य में बहुशिल्प महाविद्यालयों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों के माध्यम से निदेशक, तकनीकी शिक्षा तथा शिल्पकार प्रशिक्षण (निदेशक) के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था।

3.2.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

1996-2001 के दौरान स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा जनवरी-अप्रैल 2001 के दौरान निदेशक, 41 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 12¹ तथा 6 बहुशिल्प महाविद्यालयों में से पांच² के अभिलेखों की नमूना-जांच से की गई। समीक्षा के परिणाम अनुवर्ती परिच्छेदों में सम्मिलित किए हैं।

3.2.4 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

1996-2001 के दौरान बजट प्रावधानों तथा व्यय (पूँजीगत तथा राजस्व) के वर्षवार ब्यौरे निम्नवत् थे:

वर्ष	बजट प्रावधान (करोड़ रूपए)	व्यय	बचत (-) / आधिक्य (+) (प्रतिशततः)
1996-97	15.93	16.00	(+) 0.07 (-)
1997-98	21.70	19.92	(-) 1.78 (8)
1998-99	28.13	28.88	(+) 0.75 (3)
1999-2000	20.78	21.15	(+) 0.37 (2)
2000-2001	20.43	20.47	(+) 0.04 (-)
योग:	106.97	106.42	(-) 0.55

लेखापरीक्षा में निम्नवत् तथ्य उद्भूत हुए:

- 1 अम्ब, चम्बा, धर्मशाला (कन्या), मण्डी, नूरपुर, नाहन, पाँवटा साहिब, पालमपुर (कन्या), रामपुर सोलन, शाहपुर और शमशी
- 2 हमीरपुर, कांगड़ा, कण्डाघाट, रोहडू और सुन्दरनगर

(i) 1997-98 के दौरान व्यय में कमी बजट प्रावधान की तुलना में आठ प्रतिशत थी। निदेशक ने इस कमी का कारण तकनीकी/लिपिकवर्गीय पदों का न भरना बताया (अप्रैल 2001)। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि रिक्त पदों के लिए बजट व्यवस्था का सम्मिलित करना राज्य वित्तीय नियमों के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त रिक्त पदों को न भरने से विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित हुए।

(ii) 1996-2001 के दौरान स्थापना पर व्यय कुल राजस्व व्यय के 45 तथा 74 प्रतिशत के मध्य था तथा 1996-97 से (1998-99 के अतिरिक्त) निरन्तर बढ़ रहा था।

(iii) राज्य वित्तीय नियमों में यह व्यवस्था है कि कोष से किसी भी राशि का तब तक आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक संवितरण हेतु इसकी तत्काल आवश्यकता न हो। मशीनरी तथा उपस्करों की खरीद के लिए 4.31 करोड़ ₹ निदेशक द्वारा मार्च 1999 में कोष से आहरित किए तथा बैंक में बिना ब्याज वाले चालू खाते में अनियमित रूप से रखे थे। अप्रैल 1999 से दिसम्बर 1999 के दौरान प्रत्येक मास के अन्त में बैंक में अन्त रोकड़ शेष 0.43 करोड़ ₹ तथा 4.30 करोड़ ₹ के मध्य था। इसके अतिरिक्त रोकड़-बही तथा डिमांड ड्राफ्ट रजिस्टर की जांच से उद्घाटित हुआ कि शिल्पकार प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा स्कीम के अन्तर्गत मशीनरी तथा उपस्करों के उपार्जन हेतु मार्च 1999 में आहरित 10 % अदायगी से सम्बन्धित 4.38 लाख ₹ का एक बैंक ड्राफ्ट अप्रैल 2001 को नकदी की तिजोरी में असंवितरित पड़ा था।

निदेशक तकनीकी शिक्षा ने मार्च 1999 में 4.31 करोड़ ₹ का आहरण किया तथा वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए इसे बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखा।

निदेशक ने बताया (जनवरी 2001) कि निधियों का आहरण बजट प्रावधान का उपयोग करने हेतु किया गया था तथा निधियों का उपयोग करने में विलम्ब मशीनरी तथा उपस्करों के विविध उपार्जन से सम्बन्धित अधिक कार्य के कारण था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आवश्यकता से पूर्व धनराशि का आहरण तथा निधियों को सरकारी खातों के बाहर रखना वित्तीय नियमों का उल्लंघन था।

3.2.5 लक्ष्य तथा उपलब्धियां

शिल्पकार प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा स्कीम के अन्तर्गत 1996-2001 के दौरान विद्यार्थियों के प्रवेश से सम्बन्धित लक्ष्य विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत संस्थानों की अन्तर्ग्रहण क्षमता के अनुसार नियत किए गए थे तथा उनके प्रति उपलब्धियां निम्नवत् थी:

वर्ग	शैक्षणिक वर्ष	प्रवेश का लक्ष्य	उपलब्धियां	आधिस्य (+)/ व्यय (-)	पाठ्यक्रम के पूर्ण होने से पूर्व बीच में छोड़ गए प्रशिक्षणार्थी (प्रतिशत)
डिप्लोमा पाठ्यक्रम	1996-97	405	405	--	38 (9)
	1997-98	435	435	--	49 (11)
	1998-99	480	480	--	62 (13)
	1999-2000	480	480	--	34 (7)
	2000-2001	510	510	--	अप्रयोज्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम	1996-97	2700	2817	(+) 117	150 (5)
	1997-98	2700	2905	(+) 205	274 (9)
	1998-99	2700	3038	(+) 338	330 (11)
	1999-2000	2700	2997	(+) 297	220 (7)
	2000-2001	2700	2917	(+) 217	अप्रयोज्य

1996-2001 के दौरान डिप्लोमा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सर्टीफिकेट पाठ्यक्रमों को बीच में छोड़ने वालों की प्रतिशतता पांच तथा 13 के मध्य थी।

निदेशक ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सर्टीफिकेट पाठ्यक्रमों में अधिक प्रवेश का कारण, निरसन/पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व बीच में छोड़ने वाले मामलों के समायोजन के कारण था (जनवरी 2001)।

1996-2001 के दौरान डिप्लोमा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सर्टीफिकेट पाठ्यक्रमों को बीच में छोड़ने वालों की प्रतिशतता पांच तथा 13 के मध्य थी। निदेशक ने बताया (जनवरी 2001) कि सिविल प्रारूपकार, सर्वेक्षक तथा लिपिकीय प्रैक्टिस पूर्ण होने से पूर्व बीच में छोड़ने वालों की अधिक संख्या होने का कारण मुख्यतः प्रशिक्षणार्थियों की व्यक्तिगत वित्तीय कठिनाइयां, तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए अभिरूचि का अभाव तथा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा या तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना या स्थायी रोजगार था।

3.2.6 भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार

विभाग की प्रशिक्षण नियमावली के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों के सम्बन्ध में अभिलेख पत्रों का अनुक्षण किया जाता है कि उत्तीर्ण हो गए प्रशिक्षणार्थी रोजगार प्राप्त करने में सफल हुए हैं या नहीं। यदि प्रशिक्षणार्थी रोजगार प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो ऐसे प्रशिक्षणार्थियों के संदर्भ में उन अभिलेख-पत्रों में उनका पता-ठिकाना दर्शाया जाएगा।

नमूना जांच की गई इकाइयों के अभिलेखों में 1996-2000 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सर्टीफिकेट धारकों तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों में दर्शायी गई बेरोजगारी की स्थिति परिशिष्ट-XII में दी गई है। यह देखा गया कि 1996-2000 के दौरान 16 इकाइयों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में से 76 प्रतिशत (औसत) ने रोजगार प्राप्त नहीं किया। 1996-2000 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सर्टीफिकेट धारकों तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बेरोजगारी की प्रतिशतता 19 तथा 100 के मध्य थी।

निदेशक ने बताया (जनवरी 2001) कि लिपिकीय प्रैक्टिस, सर्वेक्षक, प्रारूपकार सिविल व्यवसायों आदि में बेरोजगार के अवसर सीमित थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने विशेष व्यवसायों में रोजगार की संभाव्यता का निर्धारण करने तथा तदनुसार इन व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण क्षमता का समायोजन करने के लिए बेरोजगार सर्टीफिकेट धारकों की संख्या का विश्लेषण नहीं किया था।

3.2.7 कच्चे माल की कमी

महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अपेक्षित कच्चे माल, उपभोग्य भण्डारों आदि की लागत आवृत्त करने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान में 1996-97 के दौरान अभियान्त्रिकी व्यवसायों के मामलों में प्रति प्रशिक्षणार्थी 100 रु० मासिक तथा अन्य व्यवसायों के मामले में 80 रु० मासिक की दर से निधियों (प्रशिक्षण अनुदान) का प्रावधान किया जाना था। 1997-98 में इन मानकों का परिशोधन करके इसे अभियान्त्रिकी व्यवसाय के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 200 रु० मासिक तथा गैर-अभियान्त्रिकी व्यवसायों के लिए प्रति-प्रशिक्षणार्थी 150 रु० मासिक कर दिया गया। इन मानकों तथा विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निदेशक द्वारा सरकार को इस संघटक के लिए बजट आंकलन प्रस्तावित किया जा रहा था। तथापि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई निधियां निर्धारित मानकों की तुलना में कम थी जैसाकि नीचे इंगित किया गया है:

वर्ष	विभाग द्वारा मानकों के अनुसार प्रस्तावित बजट	सरकार द्वारा वास्तविक रूप से सस्वीकृत बजट	कमी	व्यय
(लाख रूपए में)				
1996-97	30.24	14.34	15.90	16.70
1997-98	61.08	22.10	38.98	19.88
1998-99	64.20	23.23	40.97	21.54
1999-2000	63.12	22.57	40.55	18.86
2000-2001	62.64	21.92	40.72	21.92
योग	281.28	104.16	177.12	98.90

निदेशक ने बताया (जनवरी-मार्च 2001) कि कच्चे माल के लिए अपर्याप्त निधियों के प्रावधान से प्रशिक्षणार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निदेशक 1997-98 से 1999-2000 के दौरान सरकार द्वारा वास्तविक रूप से प्रदान किए गए बजट को भी व्यय नहीं कर पाया।

3.2.8 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान न करना

प्रशिक्षण नियमावली के अनुसार राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र होने के अतिरिक्त कार्यलयीन प्रशिक्षकों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में भर्ती के एक वर्ष पश्चात् प्रशिक्षण निर्धारित किया गया। यह पाया गया कि 12 संस्थाओं में 1996-2001 के दौरान प्रशिक्षण में कमी 84 तथा 100 प्रतिशत के मध्य थी।

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में 1996-2001 के दौरान 12 संस्थाओं के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में कमी 84 एवं 100 प्रतिशत के मध्य रही।

निदेशक ने बताया (जनवरी 2001) कि निधियों की उपलब्धता को मध्यदृष्टि रखते हुए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के लिए हर वर्ष दो से तीन प्रशिक्षक भेजे गए। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निदेशक प्रति वर्ष बजट में किए गए प्रावधान तथा बजट प्रावधान के प्रति बचतों तक का उपयोग नहीं कर सका।

3.2.9 प्रशिक्षण के लिए औजार तथा उपस्कर प्रदान करने में कमी

प्रशिक्षण नियमावली के अनुसार सम्बन्धित व्यवसायों के पाठ्यविवरणों के अनुसार अभियान्त्रिकी तथा गैर-अभियान्त्रिकी व्यवसायों के लिए न्यूनतम आवश्यकता के संदर्भ में औजारों तथा उपस्करों की एक मानक सूची निर्धारित की गई है।

11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा तीन बहुशिल्पो की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि निर्धारित मानकों की तुलना में 19 व्यवसायों से सम्बन्धित औजारों/उपस्करों की 4.16 करोड़ ₹0 मूल्य की 2,177 मर्चे मार्च 2001 को कम पाई गई जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

क्र०	संस्थान का नाम	व्यवसायों की संख्या	मदों की संख्या	राशि (लाख रुपये)
1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्ब	1	28	0.91
2.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चम्बा	15	309	22.88
3.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मण्डी	11	64	10.15
4.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नूरपुर	3	29	7.47
5.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नाहन	5	100	16.83
6.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाँवटा साहिब	4	68	17.50
7.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पालमपुर	4	29	1.26
8.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर	4	168	92.68
9.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोलन	11	159	6.13
10.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शाहपुर	19	988	79.28
11.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शमशी	10	107	23.89
12.	बहुशिल्प, कण्डाघाट	3	38	7.07
13.	बहुशिल्प, रोहडू	2	24	7.07
14.	बहुशिल्प, सुन्दरनगर	2	66	122.74
	योग		2177	415.86

19 व्यवसायों में
4.16 करोड़ रु०
मूल्य के औजारों
तथा उपकरणों की
2177 मदें 14
संस्थानों में कम पाई
गई।

बहुशिल्पों के प्रधानाचार्यों ने बताया (मार्च 2001) कि यदि ये उपकरण उपलब्ध करवाए जाते तो शिक्षा तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में और सुधार हो सकता था। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों ने बताया (मार्च 2001) कि औजारों/उपकरणों की कमी होने के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी। तथापि निदेशक ने बताया (जून 2001) कि पांच वर्ष की अवधि के दौरान विभिन्न मदों की खरीद/आपूर्ति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं थी तथा इसे क्षेत्रीय इकाइयों से मंगवाया गया था।

3.2.10 जनशक्ति

छ: बहुशिल्पों, 41 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा निदेशक के कार्यालय के लिए संस्वीकृत कर्मचारियों की संख्या की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि ए०आई०सी०टी०ई०¹ तथा एन०सी०वी०टी०² के अपेक्षित मानकों के अनुसार दिखाये गये 2,149 पदों के विरुद्ध 1,367 पद संस्वीकृत किए गए। इनमें से 1,063 पद भरे गए थे। इस प्रकार अपेक्षित मानकों के अनुसार संस्वीकृत

¹ ए०आई०सी०टी०ई०

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

² एन०सी०वी०टी०

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद

पदों में कमी 10 से 52 प्रतिशत के मध्य थी। इसके अतिरिक्त 1,367 संस्वीकृत पदों में से 304 पद (विभिन्न वर्गों में सात से 38 प्रतिशत) खाली रहे, जिनका ब्यौर निम्नवत् है:

कर्मचारी वर्ग	पदों की संख्या					संस्वीकृत पदों की तुलना से रिक्त पदों की प्रतिशतता
	मानकों अनुसार अपेक्षित	सृजित/ संस्वीकृत	कम संस्वीकृत (प्रतिशतता)	भरे गये	रिक्त	
निदेशालय बहुशिल्प	113	56	57(50)	52	4	7
(i) अध्यापक वर्ग	173	156	17(10)	135	21	13
(ii) सहायक अध्यापक वर्ग	277	217	60(22)	134	83	38
(iii) अध्यापनेत्तर वर्ग	294	140	154(52)	123	17	12
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान						
(i) अध्यापक	418	313	105(25)	264	49	16
(ii) अध्यापनेत्तर	864	480	384(44)	351	129	27
सी०सी०डी०सी० ^{III}	10	5	5(50)	4	1	20
योग	2,149	1,367	782 (36)	1,063	304	22

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एक इकाई/व्यवसाय के लिए व्यवसाय प्रशिक्षक का एक पद अपेक्षित था तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में गणित, ड्राईंग, सामाजिक शिक्षा पढ़ाने के लिए प्रशिक्षक जैसा सम्बद्ध स्टाफ तथा एक भाषा अध्यापक भी अपेक्षित था। कुल 264 व्यवसाय थे जिनके प्रति व्यवसाय प्रशिक्षकों के 242 पद भरे गए थे तथा सम्बद्ध प्रशिक्षकों के 49 संस्वीकृत पदों के प्रति 22 पद भरे गए थे। निदेशक ने बताया (अप्रैल 2001) कि समय-समय पर सरकार को रिक्त पद भरने के लिए अनुरोध किया गया था, परन्तु इस मामले में अनुमोदन प्रतीक्षित था। उसने आगे बताया कि पदों को न भरने/सृजित न करने के कारण प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण की हानि हो रही थी।

^{III} सी०सी०डी०सी०

सम्मिश्रण पाठ्यचर्या विकास केन्द्र

3.2.11 निरीक्षण

प्रशिक्षण कक्षाओं से सम्बन्धित सभी मामलों में प्रभावशाली नियंत्रण, संस्थानों की दक्षता की जांच करने तथा प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों के प्रधानाचार्यों की मदद करने के लिए राज्य प्रशिक्षण निदेशालय के निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रत्येक तिमाही में एक बार निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार निरीक्षण करने तथा कार्यक्रमों से सम्बन्धित परामर्श देने के लिए निदेशालय के उप-निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा प्रत्येक बहुशिल्प का वर्ष में दो बार निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 1996-2001 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किए जाने वाले 692 अपेक्षित निरीक्षणों के प्रति केवल 106 निरीक्षण (15 प्रतिशत) किए गए तथा 1996-2001 के दौरान बहुशिल्पों के 54 अपेक्षित निरीक्षणों के प्रति केवल 10 निरीक्षण (18 प्रतिशत) किए गए।

निदेशक ने बताया (फरवरी 2001) कि स्टॉफ की कमी के कारण निरीक्षण नहीं किए जा सके तथा यह स्वीकार किया कि इसके फलस्वरूप संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता का सुधार सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.2.12 व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना

(i) 15-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति के आधुनिकीकरण, विविधीकरण एवं पुनर्संरचना तथा और अच्छी दक्षता प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1988-89 से 1994-95 तक 5.18 करोड़ ₹ की एक "व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना" अनुमोदित की गई। परियोजना का परिशोधन (फरवरी 1997) करके इसे 8.31 करोड़ ₹ कर दिया गया तथा परियोजना को दिसम्बर 1998 तक बढ़ा दिया गया। निदेशक ने अनुमोदित परियोजना लागत के प्रति दिसम्बर 1998 तक 7.91 करोड़ ₹ का व्यय किया। इसके फलस्वरूप व्यय में 40 लाख ₹ की कमी आई थी। निदेशक ने बताया (जनवरी 2001) कि व्यय में कमी सिविल निर्माण कार्यों के विलम्ब से पूर्ण होने, मशीनों तथा उपकरणों के उपार्जन न करने तथा स्टाफ को नियुक्त न करने के कारण थी। इस प्रकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अवसंरचना के लिए 40 लाख ₹ की सीमा तक की निधियों के लाभ से वंचित रहे।

(ii) उपस्कर अनुरक्षण पद्धति

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मशीन अनुरक्षण सैलों की प्रभावशाली कार्यप्रणाली का अनुश्रवण तथा सुनिश्चित करने हेतु 1990-91 में मण्डी में एक उपस्कर अनुरक्षण कर्मशाला संस्थापित की जानी थी। 23 लाख ₹ के प्रावधान के प्रति 1991-93 के दौरान केवल 10.60 लाख ₹ की मशीनों तथा उपकरणों का उपार्जन किया गया। 1992-93 के दौरान कर्मशाला में तीन कर्मचारियों से अन्तर्विष्ट स्टॉफ तैनात किया गया तथा दिसम्बर 2000 तक उनके वेतन एवं भत्तों पर 11.03 लाख ₹ का व्यय किया गया। यह पाया गया कि 10.60 लाख ₹ की मशीनें तथा उपस्कर निरर्थक पड़े थे, क्योंकि फरवरी 2001 तक किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कोई भी मशीन तथा उपस्कर मरम्मत हेतु प्राप्त नहीं किया गया था। प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मण्डी ने बताया (फरवरी 2001) कि कर्मशाला स्टॉफ की सेवाएं आंशिक रूप से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अन्य यान्त्रिक प्रभाग में उपयोग की जा रही थी क्योंकि अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से कार्य प्राप्त न होने के कारण कर्मशाला कार्य नहीं कर रही थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के यान्त्रिक प्रभाग में कोई भी रिक्त पद नहीं था। इस प्रकार अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से कार्य प्राप्त न होने के कारण 10.60 लाख ₹ की मशीनें तथा उपस्कर 1992-93 से निरर्थक पड़े रहे तथा कर्मशाला स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर किया गया 11.03 लाख ₹ का व्यय निष्फल रहा।

3.2.13 बहुशिल्पों का सुदृढीकरण तथा विकास

(i) एकल निविदा आधार पर की गई खरीदें

वित्तीय नियमावली में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक सेवा की निश्चित आवश्यकता के अनुसार ही खरीद की जाएं। जब भण्डार खुले बाजार से खरीदे जाते हैं तो खुली प्रतिस्पर्धी निविदा पद्धति अपनाई जानी चाहिए तथा निम्नतम निविदाता से खरीद की जानी चाहिए।

अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि नवम्बर 1998 तथा सितम्बर 1999 के मध्य एकल निविदा आधार पर 13.77 लाख ₹ मूल्य की 17 मर्दें खुले बाजार से खरीदी गईं। निदेशक ने बताया (जनवरी 2001) कि बहुशिल्पों के लिए माल की अविलम्ब आवश्यकता थी तथा वह समयबद्ध था। उन्होंने आगे बताया कि समय की कमी के कारण उपलब्ध बजट का उपयोग करने तथा पुनर्निविदा की प्रक्रिया से बचने के लिए सविस्तृत विशिष्टियों की संवीक्षा के उपरांत ये उपस्कर उपाजित किए गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अभिलेखों से खरीद की कोई शीघ्रता प्रकट नहीं होती। जैसाकि वित्तीय नियमावली में निर्धारित है, खरीद प्रक्रिया पर्याप्त रूप से अग्रिम में प्रारम्भ की जानी चाहिए थी तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ उठाया जाना चाहिए था।

(ii) अक्टूबर 1999 में दिए गए आपूर्ति आदेश के प्रति निदेशक के द्वारा 85.92 लाख ₹ की लागत पर फर्म "क" से मल्टी मीडिया डैस्कटॉप 15" (112) तथा 17" (20) खरीदे गए। परेषिती बहुशिल्पों द्वारा इन कम्प्यूटरों की आपूर्ति नवम्बर-दिसम्बर 1999 में प्राप्त की गई तथा जनवरी 2000 में निदेशक द्वारा फर्म को अंतिम अदायगी की गई। नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 7.43 लाख ₹ मूल्य की मर्दें परेषित माल में कम थी जैसाकि फरवरी 2000 में निदेशक द्वारा संभरक को सूचित किया गया।

उप-निदेशक (परियोजना) ने बताया (अप्रैल 2001) कि आपूर्ति आदेश के अनुसार इन मर्दों की कम आपूर्ति से सम्बन्धित मामला फर्म के साथ उठाया गया था। फर्म को सूचित किया गया था (मार्च 2001) कि विभाग द्वारा मर्दों का उपार्जन किया जाएगा और इस पर होने वाले व्यय की कटौती मई 2001 तक वैध फर्म की निष्पादन प्रतिभूति की राशि से की जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि जनवरी 2000 में उपस्करों की अंतिम अदायगी निस्तारित करने से पूर्व आपूर्ति में कमी पूर्ण की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त 8.59 लाख ₹ का निष्पादन प्रतिभूति बंधपत्र मई 2001 में समाप्त हो गया था जिसका जून 2001 तक न तो नवीकरण करवाया गया और न ही कमी को पूरा करने हेतु कोई कार्रवाई ही की गई थी।

3.2.14 निरर्थक उपस्कर

व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना तथा बहुशिल्पों के सुदृढीकरण तथा विकास से सम्बन्धित फरवरी 1994 तथा दिसम्बर 1999 के मध्य विभिन्न बहुशिल्पों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 74.84 लाख ₹ मूल्य की खरीदी गई मशीनरी एवं उपस्कर की विभिन्न मर्दों का उनकी खरीद/प्राप्ति से उपयोग नहीं किया गया था, जिसका ब्यौरा परिशिष्ट-XIII में दिया गया है। इन उपस्करों को चालू और उपयोग न करने के फलस्वरूप न केवल निरर्थक निवेश हुआ बल्कि उन उद्देश्यों जिनके लिये ये खरीदे गए थे, की प्राप्ति भी नहीं की जा सकी।

3.2.15 मूल्यांकन

प्रशिक्षण नियमावली के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु प्रत्येक राज्य में एक उप-समिति का गठन किया जाना था। नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि अप्रैल 2001 तक ऐसी किसी उप-समिति का गठन नहीं किया गया था। उप-निदेशक (प्रशिक्षण) ने बताया (अप्रैल 2001) कि इस उप-समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाना था और इस कार्यालय को उप-समिति के गठन के सम्बन्ध में कोई पता नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि निदेशक द्वारा इस उप-समिति के गठन

फरवरी 1994 तथा दिसम्बर 1999 के मध्य 74.84 लाख ₹ मूल्य की खरीदी गई मशीनें तथा उपस्कर, पुर्जों आदि की अनुपलब्धता के कारण संस्थापित/ लाभप्रद ढंग से प्रयुक्त नहीं किए गए थे।

हेतु मामला भारत सरकार के साथ उठाया जाना चाहिए था। इस प्रकार राज्य में तकनीकी शिक्षा तथा शिल्पकार प्रशिक्षण का प्रभाव जानने के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

3.2.16 निष्कर्ष


बहुशिल्पों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु औजारों, उपकरणों एवं कच्चे माल तथा स्टाफ का अभाव था जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। बहुशिल्पों के सुदृढीकरण तथा विकास से सम्बन्धित उद्देश्य की पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं की गई। प्रशिक्षित युवाओं में बेरोजगारी कम करने का उद्देश्य पूर्णरूप से प्राप्त नहीं किया गया क्योंकि 1996-2000 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सर्टीफिकेट धारकों तथा डिप्लोमा धारकों में बेरोजगारों की प्रतिशतता 19 तथा 100 के मध्य थी।

ये तथ्य मई 2001 में सरकार को प्रेषित किए गए, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

तीसरा अध्याय

प्रवर्ग-ख

लेखापरीक्षा परिच्छेद



प्रवाह-ख-लेखापरीक्षा परिच्छेद

वन कृषि तथा संरक्षण विभाग

3.3 बीज परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला पर निरर्थक निवेश

पालमपुर में बीज परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला के संस्थापन तथा उसे चलाने पर किए गए 18.48 लाख ₹ के व्यय का निरर्थक निवेश हुआ, क्योंकि संस्थापना के एक वर्ष के भीतर इसने कार्य करना बन्द कर दिया।

राज्य में वन रोपण कार्यों के लिए अच्छे बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने बीज विकास के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत 31.08 लाख ₹ संस्वीकृत किए (नवम्बर 1990)। स्कीम के अन्तर्गत एक संश्लिष्ट बीज परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला संस्थापित की जानी थी। तदनुसार 1991-92 के दौरान 2.35 लाख ₹ की लागत पर पालमपुर में एक परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला संस्थापित की गई तथा 1992-93 तथा 1995-96 के भीतर 11.11 लाख ₹ मूल्य की मशीनें तथा उपस्कर भी खरीदे तथा संस्थापित किए गए। 1995-96 के दौरान 2.40 क्विंटल बीज एकत्रित तथा प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित किए गए तथा इसके बाद प्रयोगशाला अकार्यात्मक हो गई। राज्य वनवृक्ष विज्ञानी ने प्रयोगशाला के कार्य न करने का कारण अच्छे बीजों के उपार्जन, संसाधन तथा वितरण पर विभागीय नीति का अभाव तथा निधियों का आबंटन न करना बताया (जनवरी 1999)। 1996-2000 के दौरान एक वनपाल तथा प्रयोगशाला में कार्मिक जुटाने हेतु एक वनरक्षक के वेतन एवं भत्तों पर 4.25 लाख ₹ का व्यय तथा विद्युत प्रभारों पर 0.77 लाख ₹ का व्यय किया गया। पालमपुर में प्रयोगशाला का संस्थापन सही नहीं था, क्योंकि 1995-96 के बाद कोई बीज-परीक्षण तथा प्रमाणीकरण नहीं किया गया था।

इस प्रकार वन मण्डल अधिकारी, संवर्धन मण्डल, शिमला द्वारा पालमपुर में प्रयोगशाला के संस्थापन तथा उसे चलाने पर किया गया 18.48 लाख ₹ का व्यय अभिप्रेत प्रयोजनार्थ नहीं किया गया था तथा इसके परिणामस्वरूप निरर्थक निवेश हुआ था।

अप्रैल 2001 में यह मामला सरकार को भेजा गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग

3.4 खरीद करने में अनियमितताएं

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने अप्रैल 1995 से मार्च 2000 के दौरान औषधियां, मशीनों तथा उपस्करों/फर्नीचर की खरीद करने में विभिन्न अनियमितताएं की।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने अप्रैल 1995 से मार्च 2000 की अवधि के दौरान 39.52 करोड़ ₹ मूल्य की औषधियां, मशीनें तथा उपस्कर/फर्नीचर खरीदे जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:

वर्ष	चिकित्सालय उपस्कर/फर्नीचर	औषधियां	योग
	(करोड़ रुपए)		
1995-96	0.32	6.18	6.50
1996-97	0.75	6.67	7.42
1997-98	5.70	5.18	10.88
1998-99	0.82	7.75	8.57
1999-2000	0.66	5.49	6.15
जाड़	8.25	31.27	39.52

अभिलेखों की नमूना-जांच से निम्नवत् उद्घाटित (नवम्बर 2000-जनवरी 2001) हुआ:

3.4.1 अप्राधिकृत स्रोत से चिकित्सालय फर्नीचर/उपस्करों की खरीद

(क) प्रतिस्पर्धा निविदाएं आमंत्रित करने की बजाय 1997-2000 के दौरान 1.67 करोड़ ₹० मूल्य का चिकित्सालय फर्नीचर/उपस्कर तथा औषधियां एक दिल्ली स्थित फर्म से खरीदी गईं। यह फर्म न तो भण्डार नियंत्रक/महानिदेशक, आपूर्ति तथा वितरण की दस-संविदा पर थी और न ही सुपर बाजार, नई दिल्ली का एक पंजीकृत संभरक था। निविदा की प्रक्रिया का परिहार करने हेतु निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने मैसर्स सुपर बाजार, नई दिल्ली (भारत सरकार के एक उपक्रम) को फर्म के माध्यम से एक आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया। तथापि, फर्म के साथ सब लेनदेन सीधे ही किए गए। क्योंकि फर्म को आपूर्ति आदेश तथा अदायगी सीधे की गई थी, स्पष्टतः सुपर बाजार का उल्लेख निविदा की प्रक्रिया का परिहार करने तथा दस-संविदा फर्मों की उपेक्षा करने के लिए किया गया। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने फर्म की प्रामाणिकता का सत्यापन नहीं किया। इस प्रकार निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा निर्धारित खरीद प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने फर्म की प्रामाणिकता के संबंध में मामला सुपर बाजार, नई दिल्ली के साथ उठाया (जुलाई 2000)। प्रबन्ध निदेशक, सुपर बाजार ने सूचित किया (दिसम्बर 2000) कि फर्म उनका पंजीकृत संभरक नहीं था और यदि उसने राज्य सरकार के पास सुपर बाजार का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था तो उसने मिथ्या निरूपण किया था और फर्म ऐसे मिथ्या निरूपण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी थी। उन्होंने आगे बताया कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के कर्मचारियों की मौन सहमति से तथ्यों का मिथ्या निरूपण करके फर्म ने राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी की थी। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (जुलाई 2001) कि मामले की आसूचना विभाग द्वारा छैनबीन की जा रही थी और उनका प्रतिवेदन प्रतीक्षित था (जुलाई 2001)।

इस प्रकार वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खरीद की गई तथा विभाग प्रतिस्पर्धी दरों के लाभ से वंचित रहा।

(ख) उच्चतर दरों पर चिकित्सालय उपस्करों/फर्नीचर की खरीद

(i) 1.67 करोड़ ₹ की उपर्युक्त खरीदों में निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा दिसम्बर 1997 तथा फरवरी 2000 के दौरान एक दिल्ली स्थित फर्म से 93.32 लाख ₹ मूल्य के खरीदे गए चिकित्सालय उपस्कर/फर्नीचर मंद्दें सम्मिलित हैं। नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि ये मंद्दें भण्डार नियंत्रक/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की दर-संविदा फर्मों के पास उपलब्ध थी और 34.64 लाख ₹ की लागत पर उपाजित की जा सकती थी। इसके फलस्वरूप 58.68 लाख ₹ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ। विभाग द्वारा मैसर्ज़ सुपर बाजार, नई दिल्ली का मिथ्या निरूपण करने वाली एक जाली फर्म से भारी खरीद करने के कारण ऐसा हुआ था। इसके अतिरिक्त ये खरीदें करने से पूर्व निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा भण्डार नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया और न ही समुचित खरीद प्रक्रिया अपनाई गई। तुलनीय दरें उपलब्ध न होने के कारण 73.68 लाख ₹ की शेष खरीद पर उठाई गई हानि की गणना नहीं की जा सकती।

(ii) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने दिसम्बर 1997-फरवरी 2000 के दौरान 13 लाख ₹ के चिकित्सालय उपस्कर/फर्नीचर मंद्दें अन्य पांच फर्मों से भी खरीदी। ये मंद्दें भी भण्डार नियंत्रक/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की दर-संविदा फर्मों के पास उपलब्ध थी तथा 8 लाख ₹ की लागत पर उपाजित की जा सकती थी। इसके फलस्वरूप इन मंद्दों पर 5 लाख ₹ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (जनवरी 2001) कि विभाग के पास भण्डार नियंत्रक की दर-संविदा की प्रतियां उपलब्ध नहीं थी। उत्तर-तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भण्डार नियंत्रक द्वारा दर-संविदा की प्रतिलिपियां सभी विभागाध्यक्षों तथा प्रत्यक्ष रूप से मांग करने वाले अधिकारियों को सदा पृष्ठांकित की जाती हैं। इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया से विचलन हेतु विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के फलस्वरूप 63.68 लाख ₹ की अतिरिक्त परिहार्य अदायगी हुई।

(ग) बिना आवश्यकता के चिकित्सालय उपस्करों की खरीद

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के दिसम्बर 1997 के एक प्रस्ताव के आधार पर राज्य सरकार ने 152 नए खोले गए स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के लिए फर्नीचर, उपस्कर तथा मशीनों की 18 मंद्दों की खरीद करने के लिए 1.01 करोड़ ₹ संस्वीकृत किए (मार्च 1998)। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किए गए लेबर टेबल तथा ड्रिप स्टैंड (प्रत्येक 152) 1998-99 के दौरान 46.69 लाख ₹ में एक दिल्ली स्थित फर्म से खरीदे गए तथा स्टेथोस्कोप, बच्चे तोलने वाली मशीनें, बाटियां, उपकरण ट्रे आदि जैसी पन्द्रह अनिवार्य मंद्दें जिसके लिए निधियों का प्रावधान था, खरीदी ही नहीं गई। इसके फलस्वरूप आम जनता को अभिप्रेत सेवाओं से वंचित करने के अतिरिक्त 46.69 लाख ₹ का अप्राधिकृत अपवर्तन हुआ, क्योंकि लेबर टेबलों तथा ड्रिप-स्टैंडों की स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में आवश्यकता नहीं थी।

(घ) केन्द्रीय आबकारी प्राधिकारियों द्वारा विनिर्माता प्रतिष्ठान के परिसर में उत्पादों के विनिर्माण पर केन्द्रीय आबकारी शुल्क उद्ग्राह्य होता है। अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि चिकित्सालय उपस्करों की आपूर्ति हेतु दिल्ली स्थित एक फर्म द्वारा अधियाचित 12.43 लाख ₹ के केन्द्रीय आबकारी शुल्क तथा उस पर 0.50 लाख ₹ के केन्द्रीय बिक्री कर की निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा मार्च 1998 तथा सितम्बर 1999 के मध्य अदायगी की गई यद्यपि फर्म एक विनिर्माता प्रतिष्ठान नहीं थी। यह इंगित करने के लिए कि केन्द्रीय आबकारी शुल्क की वास्तविक रूप से अदायगी कर दी गई थी फर्म द्वारा अपने बिलों के साथ केन्द्रीय आबकारी शुल्क की अदायगी का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने केन्द्रीय आबकारी शुल्क की अदायगी की पुष्टि करते हुए (जनवरी 2001) अतिरिक्त अदायगी हेतु कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए।

3.4.2 लिनन वस्तुओं की अधिक दरों पर खरीद

राज्य सरकार के किसी विशेष या साधारण आदेश के अन्तर्गत राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम के पास कोई मूल्य वरीयता उपलब्ध नहीं थी। नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने मई 1998 तथा मई 1999 के मध्य 49.70 लाख रू० मूल्य की लिनन वस्तुएं राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम से खरीदी। ये वस्तुएं दर-संविदा फर्मों से 24.19 लाख रू० में खरीदी जा सकती थी। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (जुलाई 2001) कि राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम से खरीदी गई लिनन वस्तुएं उत्तम गुणवत्ता वाली थी तथा इनका दीर्घकाल तक उपयोग किया जा सकता था, जबकि दर-संविदा पर उपलब्ध लिनन वस्तुएं घटिया गुणवत्ता वाली थी तथा इनका उपयोग अल्पकालीन था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भण्डार नियंत्रक द्वारा अपेक्षित वस्तुओं की विशिष्टियों को मध्यदृष्टि रखते हुए ही दर-संविदाओं को अंतिम रूप दिया जाता है तथा दर-संविदा को अंतिम रूप देते समय विभागीय प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार दर-संविदा फर्मों से ये वस्तुएं न खरीदने के कारण इन खरीदों पर 25.51 लाख रू० का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

3.4.3 निधियों का अनियमित आहरण

(i) मार्च 1999 के दौरान निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के लिए मशीनें तथा उपकरणों की खरीद हेतु खजाना से 2.23 करोड़ रू० आहरित किए। आहरित राशि को निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (2.19 करोड़ रू०) तथा दो फर्मों (0.04 करोड़ रू०) के नाम से बैंक ड्राफ्टों में परिवर्तित किया। अगस्त 2001 तक ड्राफ्ट कार्यालय की रोकड़ पेटी में पड़े रहे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि बैंक ड्राफ्टों में परिवर्तित राशि रोकड़ बही में राशि के आहरण की तिथियों से निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को भुगतान के रूप में दर्शाई गई थी जोकि अनियमित था। इस प्रकार विभाग ने वित्तीय नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में उपलब्ध निधियों के व्यपगत से बचने के लिए खजाना से धन का आहरण किया तथा रोकड़ बही में भुगतान की फर्जी प्रविष्टियां की। बैंक को अनुचित लाभ देने के अतिरिक्त इस कार्यवाही ने उस सीमा तक राज्य सरकार के अर्थोपाय स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाला।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने (जनवरी 2001) बताया कि सामग्री की खरीद करने के लिए कतिपय औपचारिकताओं को अंतिम रूप न देने के कारण राशि प्रयुक्त नहीं की जा सकी और जहां तक रोकड़ बही में अदायगी की फर्जी प्रविष्टियों का सम्बन्ध है उनके संदर्भ में खेद प्रकट किया गया। उसने आगे बताया (अगस्त 2001) कि मशीनों तथा उपकरणों की दरों को सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अपेक्षित संहिता औपचारिकताओं को पूरा करना तथा खजाना से धन आहरण करने से पूर्व दरों का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था।

(ii) राज्य सरकार ने “सामग्री तथा आपूर्ति” उपशीर्ष के अन्तर्गत 2.18 करोड़ रू० संस्वीकृत किए (मार्च 1998)। परन्तु संस्वीकृति का हेर फेर करके राशि का आहरण उपशीर्ष “मशीनरी तथा उपस्कर” के अन्तर्गत किया गया। राज्य सरकार ने आदेश जारी किए (मार्च 1998) कि राशि का उपयोग आगामी निर्णय तक नहीं किया जाना चाहिए तथा राशि निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में पड़ी रही। फरवरी 1999 में सरकार ने “मशीनरी तथा उपस्कर” शीर्ष के अन्तर्गत राशि का उपयोग करने के आदेश दिए।

इस प्रकार सरकार द्वारा निर्णय न लेने के फलस्वरूप लगभग एक वर्ष तक 2.18 करोड़ रू० की राशि सरकारी खाते के बाहर रही। तथापि, संस्वीकृति के हेर फेर से सम्बन्धित मामला राज्य सरकार द्वारा सतर्कता विभाग को सौंप दिया गया (जुलाई 2000) तथा जुलाई 2001 तक यह अन्वेषणाधीन था।

3.4.4 विनिर्माण/समापन की तिथियां अभिलिखित न करना

खरीद नीति के अनुसार केवल उन औषधियों की खरीद की जानी थी जिनका शैल्फ जीवन उनके कुल शैल्फ जीवन का कम से कम आधा या एक वर्ष जो भी गंतव्य स्थलों पर प्राप्ति के समय अधिक हो।

अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 1995-2000 के दौरान 1.06 करोड़ ₹0 मूल्य की औषधियां खरीदी गईं, परन्तु फर्मा/संभरकों के बीजकों/बिलों में औषधियों के विनिर्माण/समापन की तिथियां अंकित नहीं पाई गईं। इस प्रकार अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति नहीं की गई।

3.4.5 ड्रग किटों की खरीद हेतु निधियों का अप्राधिकृत अपवर्तन

अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 1996-2000 के दौरान ड्रग किटों की खरीद के लिए 3.03 करोड़ ₹0 (राज्यांश: 2.23 करोड़ ₹0 तथा केन्द्रीय अंश: 0.80 करोड़ ₹0) का राज्य/केन्द्रीय सरकारों से स्वीकृति प्राप्त किए बिना साधारण औषधियां खरीदने के लिए अपवर्तन कर दिया गया। इन ड्रग किटों की राज्य के स्वास्थ्य उप-केन्द्रों को आपूर्ति की जानी थी। इस प्रकार 3.03 करोड़ ₹0 का समूचा व्यय अप्राधिकृत था।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (जनवरी 2001) कि यह प्रक्रियात्मक चूक थी तथा सरकार से कार्यांतर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

3.4.6 कमीशन की परिहार्य अदायगी

1998-2000 के दौरान निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम के माध्यम से 1.71 करोड़ ₹0 मूल्य की 39 एक्स-रे/अल्ट्रा साउंड मशीनें खरीदी तथा 15.54 लाख ₹0 की कमीशन की अदायगी की। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि स्वयं फर्म गंतव्य स्थलों के लिए मशीनों की आपूर्ति कर रही थी तथा उनके अभियन्ताओं ने उन्हें विभिन्न संस्थाओं में संस्थापित किया। इस प्रकार विभाग द्वारा तीसरी पार्टी को लिए बिना फर्मों से सीधे मशीनें खरीदने में विफल रहने के फलस्वरूप 15.54 लाख ₹0 कमीशन की परिहार्य अदायगी हुई।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (जनवरी 2001) कि इस प्रथा को अब बंद कर दिया गया था और ऐसी मशीनरी की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही थीं। तथापि 1998-2000 के दौरान की गई कमीशन की अदायगी पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (मई 2001) वित्तीय आयुक्त-एवं-सचिव (वित्त) ने आयुक्त-एवं-सचिव (स्वास्थ्य) को मामले की छानबीन करने, इन चूकों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न करने को सुनिश्चित करने के लिए भी विभाग को अनुदेश देने हेतु अनुदेश जारी किए (मई 2001)। सरकार ने आगे बताया (अगस्त 2001) कि स्वास्थ्य विभाग के तीन कर्मचारियों तथा फर्म के स्वामी के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया था। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अगस्त 2001)।

3.5 निरर्थक उपस्कर

प्रचालन स्टाफ की तैनाती करने तथा चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत करने में विफलता के कारण 77.06 लाख रु० के सरकारी धन के अवरोधन के अतिरिक्त आम जनता अभिप्रेत लाभों से वंचित रही।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा जून 1989 तथा दिसम्बर 1999 के मध्य 77.06 लाख रु० की लागत पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए चिकित्सालय उपस्करों की खरीद की गई परन्तु ये मुख्यतः प्रशिक्षित प्रचालन कर्मियों/चिकित्सा अधिकारियों को तैनात न करने, मरम्मतों में विलम्ब, विद्युत कनेक्शन/भवन की अनुपलब्धता आदि के कारण अप्रयुक्त पड़े थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

कार्यालय का नाम	उपस्कर के ब्यौरे	खरीद/प्राप्ति की तिथि	लागत (लाख रुपए)	जब से निरर्थक है	प्रयुक्त न किए जाने के कारण
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हिलासपुर					
प्रा०स्वा० केन्द्र झण्डूता	(i) हॉरीजांटल स्टीम स्टरलाइज़र	अगस्त 1998	1.30	अगस्त 1998	तीन चरणीय कनेक्शन तथा नए शल्यागार के लिए भवन की अनुपलब्धता
	(ii) सर्जिकल कौटरी	सितम्बर 1998	0.53	सितम्बर 1998	उपस्करों के प्रचालन हेतु कोई शल्य चिकित्सक तैनात नहीं किया गया
	(iii) विद्युत फीटल मॉनिटर, टॉपलर	सितम्बर 1998	1.40	सितम्बर 1998	स्त्री-रोग विशेषज्ञ की तैनाती न करना
	(iv) ओ टी लाईट	सितम्बर 1998	0.90	सितम्बर 1998	नए ओटी जो निर्माणाधीन था में ओटी लाईट का जुड़नार करना
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुरवा					
प्रा० स्वा० केन्द्र, पुरखरी	एक्स-रे संयंत्र	मार्च 1999	3.24	मार्च 1999	रेडियोग्राफर की तैनाती न करना
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रागाडा					
(i) प्रा० स्वा० केन्द्र, ज्वाली	एक्स-रे संयंत्र	अगस्त 1997	14.58	अगस्त 1997	रेडियोग्राफर की तैनाती न करना
(ii) प्रा० स्वा० केन्द्र, गड़जमूला	एक्स-रे संयंत्र	मार्च 1999		मार्च 1999	अंध कक्ष सुविधाएं उपलब्ध नहीं
(iii) प्रा० स्वा० केन्द्र, भवारना	एक्स-रे संयंत्र	जनवरी 1998		जनवरी 1998	रेडियोग्राफर तथा संस्थापन हेतु स्थान के अभाव के कारण निरर्थक पड़ा है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किन्नार					
(i) प्रा० स्वा० केन्द्र, स्पीलो	एक्स-रे संयंत्र	अगस्त 1997	12.15	अगस्त 1997	रेडियोग्राफर की तैनाती न करना
(ii) प्रा० स्वा० केन्द्र, रिब्बा	एक्स-रे संयंत्र	अगस्त 1997			
(iii) सीएचसी, निचार	एक्स-रे संयंत्र	अगस्त 1997			

कार्यालय का नाम	उपस्कर के व्योरे	खरीद/प्राप्ति की तिथि	लागत (लाख रुपए)	जब से निरर्थक है	प्रयुक्त न किए जाने के कारण
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लाहौर एवं स्थिती स्थित कलांग					
प्रा० स्वा० केन्द्र, चुरू	एक्स-रे संयंत्र	मार्च 1999	3.24	मार्च 1999	रेडियोग्राफर की तैनाती न करना
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी					
प्रा० स्वा० केन्द्र, गोपालपुर	2 एक्स-रे संयंत्र	मार्च 1999	7.29	मार्च 1999	रेडियोग्राफर की तैनाती न करना
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिमला					
(i) प्रा० स्वा० केन्द्र, समरकोट	एक्स-रे संयंत्र	मार्च 1997	8.65	मार्च 1997	रेडियोग्राफर की तैनाती न करना
(ii) प्रा० स्वा० केन्द्र, शोधी	एक्स-रे संयंत्र	मार्च 1999		मार्च 1999	रेडियोग्राफर की तैनाती न करना
(iii) खण्ड विकास अधिकारी, नेरवा	एक्स-रे संयंत्र	दिसम्बर 1999		दिसम्बर 1999	रेडियोग्राफर की तैनाती न करना
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरमौर					
(i) प्रा० स्वा० केन्द्र, संगराह	एक्स-रे संयंत्र	अगस्त 1997	8.10	अगस्त 1997	रेडियोग्राफर की तैनाती न करना
(ii) प्रा० स्वा० केन्द्र, हरिपुरस्थार	एक्स-रे संयंत्र	अगस्त 1997			
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन					
प्रा० स्वा० केन्द्र, दाड़लाघाट	एक्स-रे संयंत्र	मार्च 1999	3.24	मार्च 1999	रेडियोग्राफर की तैनाती न करना
निदेशक, संलिष्ट परीक्षण प्रयोगशाला, कण्डाघाट	परमाणु अवशोषण सपैक्टोफ्लेटों मीटर	जून 1989	6.56	फरवरी 1997	उपस्कर की मरम्मत न करना
वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, आंचलिक चिकित्सालय, मण्डी	अल्ट्रा साउंड मशीन	मार्च 1994	5.88	मार्च 1996	कैमरा की मरम्मत/प्रतिस्थापन करने में विफल रहना
जोड़			77.06		

13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे संयंत्र रेडियोग्राफरों की तैनाती न करने के कारण बेकार पड़े थे। इनमें से नौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रेडियोग्राफरों के पद स्वीकृत भी नहीं किए गए थे। इस प्रकार परिचालन स्टाफ, चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती न करने, विद्युत कनेक्शन/भवन की अनुपलब्धता, उपकरण की मरम्मत आदि न करने के कारण सरकार की 77.06 लाख रु० की निधियों के अवरोधन के अतिरिक्त आम जनता अभिप्रेत लाभों से वंचित रही।

मामला मार्च 2001 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

उद्योग विभाग

3.6 औद्योगिक शालिकाओं के निर्माण पर निरर्थक निवेश

प्रत्याशित उद्यमकर्ताओं से मांग न होने के कारण पांच औद्योगिक शालिकाओं के आबंटन न करने के फलस्वरूप 17.20 लाख ₹ का निरर्थक निवेश हुआ।

राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने तथा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए सियायती दरों पर औद्योगिक शालिकाओं के आबंटन के लिए पंडरानू जिला शिमला में 10 लघु औद्योगिक शालिकाओं के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने 20.28 लाख ₹ की प्रशासकीय अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति प्रदान की (मार्च 1988)। अधिशाषी अभियन्ता, जुब्बल मण्डल ने बताया (नवम्बर 1988) कि औद्योगिक शालिकाओं के निर्माण के लिए चयनित स्थल सितम्बर 1988 में बाढ़ के कारण पूरी तरह से बह गया था तथा स्थल पर औद्योगिक कमलैक्स का निर्माण करना व्यवहार्य नहीं था। तदनुसार उद्योग विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को पंडरानू में छः लघु औद्योगिक शालिकाओं के निर्माण हेतु 9 बिस्वे माप का अन्य स्थल सौंपा गया (जून 1989) जिसके लिए जुलाई 1996 में 15.43 लाख ₹ का संशोधित प्रशासकीय अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई। इस स्थान पर औद्योगिक शालिकाओं की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तथापि, विभाग ने शालिकाओं के आबंटन उनके पूर्ण होने पर उद्योगपतियों से आवेदन करने की अपेक्षा की थी। औद्योगिक शालिकाओं का निर्माण कार्य 1993-94 के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किया गया तथा अप्रैल 1999 में 20.64 लाख ₹ की लागत पर पूरा किया गया। अप्रैल 1999 में इन शालिकाओं का कब्जा उद्योग विभाग द्वारा लिया गया। छः शालिकाओं में से केवल एक शालिका 1000 ₹ के मासिक किराए पर आबंटित (मई 1999) की गई। शेष पांच शालिकाएं अप्रैल 1999 से बेकार पड़ी हुई थीं।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2001) सरकार ने बताया (मई 2001) कि सम्बद्ध विस्तार अधिकारी को इन खाली शालिकाओं को किराये आधार पर आबंटन के लिए व्यापक प्रचार द्वारा प्रत्याशित उद्यमकर्ताओं से आवेदन प्राप्त करने के निदेश दिए गए थे। परन्तु, बहुत प्रयत्नों के बावजूद, अब तक (अगस्त 2001) इस प्रयोजन हेतु कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे।

प्रत्याशित उद्यमकर्ताओं से मुख्यतः मांग न होने के कारण पांच औद्योगिक शालिकाओं का आबंटन न होने के फलस्वरूप पांच शालिकाओं पर 17.20 लाख ₹ (आनुपातिक तौर पर) का निरर्थक निवेश हुआ। इस प्रकार औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक शालिकाओं के आबंटन द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने का उद्देश्य अप्राप्य रहा।

मामला मार्च 2001 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

राजस्व विभाग

3.7 विकास निधियों का अपवर्तन

तीन उपायुक्तों द्वारा 4.13 करोड़ ₹ के खण्ड विकेन्द्रीकरण योजना निधियों के अप्राधिकृत अपवर्तन करने के कारण लाभार्थी स्कीम के अन्तर्गत अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे।

खण्ड विकेन्द्रीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि इस स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का कम से कम पांच घरों को अवश्य लाभ होना चाहिए। खण्ड विकेन्द्रीकरण

योजना निधियों का प्रयोग मेला प्रबन्धन/मंदिर परिसर के अन्दर किसी कार्य पर व्यय तथा फोटोस्टेट मशीनों की खरीद आदि के लिए अनुमत्त नहीं था।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक-सिविल-हिमाचल प्रदेश सरकार के 31 मार्च 2000 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन के परिच्छेद 3.14 में विकासालक/राहत निधियों के अपवर्तन एवं दुरुपयोग के बारे उल्लेख किया गया था। अभिलेख की जांच से आगामी निम्न तथ्य पाए गए:-

(क) तीन उपायुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया (फरवरी 2000-अक्टूबर 2000) कि जुलाई 1998 एवं फरवरी 2000 के दौरान स्कीम के दिशानिर्देशों के विपरीत 0.82 करोड़ ₹⁰⁰ मेलों, त्यौहारों के प्रबन्धन, कार्यालय भवनों का निर्माण, सरकारी अधिकारियों के सरकारी आवास तथा फोटोस्टेट एवं साइक्लोस्टाइल मशीनों की खरीद, आदि के लिए अपवर्तित किए गए। इसमें से मनाली में उपमण्डल मेजिस्ट्रेट आवास के निर्माण के लिए स्वीकृत (जून 1999) 0.18 करोड़ ₹00 अधिशाही अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल नं०11, कुल्लू के पास अव्ययित थे क्योंकि दिसम्बर 2000 तक इसके निर्माण हेतु स्थल का चयन नहीं किया गया। उपायुक्त, कुल्लू एवं शिमला ने बताया (नवम्बर 2000) कि स्कीम/कार्य पर व्यय जनहित में किया गया। उपायुक्त, ऊना का उत्तर मार्च 2001 तक अपेक्षित था। उपायुक्तों का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्कीम की निधियों के अप्राधिकृत अपवर्तन के फलस्वरूप लाभार्थियों को स्कीम के अपेक्षित लाभों से वंचित रहना पड़ा।

(ख) उपायुक्त, शिमला के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया (दिसम्बर 2000) कि उपायुक्त, शिमला द्वारा खण्ड विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत 2.80 करोड़ ₹. (मार्च 1998) आहरित किए गए तथा प्रधानाचार्य, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला के पास कार्डियो थोरासिस विभाग में उपकरणों की खरीद के लिए दिए गए। प्रधानाचार्य, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ने राशि को बैंक में सावधि जमा के तौर पर रखा क्योंकि कार्डियो थोरासिस विभाग के लिए भवन निर्माणधीन था।

निम्न तथ्य भी पाए गए:

- (i) 2.80 करोड़ ₹00 को बैंक में जमा करवाया जाना खण्ड विकेन्द्रीकरण योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत था क्योंकि अव्ययित राशि को सरकार के प्राप्ति लेखाशीर्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था।
 - (ii) भवन जिसमें कार्डियो थोरासिस विभाग रखा जाना था, मार्च 2001 तक निर्माणधीन था तथा 2.80 करोड़ ₹00 मई 2001 तक सावधि जमा के रूप में अव्ययित पड़े थे। इस प्रकार 2.80 करोड़ ₹00 का आहरण वित्तीय नियमों के विपरीत था जिसके फलस्वरूप सरकारी धन के अवरोधन के अतिरिक्त जनता को अभिप्रेत लाभों की मनाही हुई।
 - (iii) उपकरणों की खरीद के लिए निधियों का आहरण खण्ड विकेन्द्रीकरण योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।
- उपायुक्त, शिमला ने बताया (दिसम्बर 2000) कि जैसे ही स्थान जिसमें उपकरण को प्रतिस्थापित किया जाना है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा वैसे ही उपकरण को खरीद लिया जाएगा। उपायुक्त का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उपकरण की खरीद के लिए निधियों का आहरण खण्ड विकेन्द्रीकरण योजना दिशानिर्देशों के अन्तर्गत नहीं आता।

* कुल्लू: 0.37 करोड़ ₹00; शिमला: 0.29 करोड़ ₹00 तथा ऊना: 0.16 करोड़ ₹00

(ग) रोहडू जिला शिमला में विद्यमान विश्राम गृह के लिए अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए आठ कमरों के सैटों के निर्माण हेतु 31.52 लाख ₹0 (अतिरिक्त चार अधिक सैटों के कारण फरवरी 1996 में 79.60 लाख ₹0 तक संशोधित) प्रशासनिक तौर पर अनुमोदित किए गए (मार्च 1995)। उपायुक्त शिमला द्वारा 50.50 लाख ₹0 इस कार्य के लिए खण्ड विकेन्द्रीकरण योजना निधियों में से 1996-98 के दौरान उपलब्ध कराए गए। दो वर्षों की निर्धारित अवधि में पूरा किया जाने का कार्य मार्च 1996 में रोहडू मण्डल द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना निष्पादनार्थ हाथ में लिया गया तथा 48.46 लाख ₹0 की लागत पर जून 1999 में आठ सैट पूर्ण किए गए।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच तथा आगे उपायुक्त शिमला से एकत्रित की गई सूचना से निम्नांकित तथ्य पाए गए (जुलाई 2000-फरवरी 2001):

(i) विश्राम गृह के निर्माण के लिए निधियों का आहरण खण्ड विकेन्द्रीकरण योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत था। इस प्रकार उपायुक्त, शिमला द्वारा राज्य सरकार के कहने पर खण्ड विकेन्द्रीकरण योजना निधियों में से 50.50 लाख ₹0 का निस्तारित करना अप्राधिकृत था।

(ii) नये निर्मित सैटों को उनके पूर्ण होने से लेकर प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि फर्नीचर एवं साज-सामान उपलब्ध नहीं कराया गया था क्योंकि स्वीकृत आकलन में इन मदों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। मुख्य अभियन्ता (दक्षिण) के प्रयासों के बावजूद 2000-2001 के दौरान भी कोई निधियां उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। इस प्रकार जून 1999 में पूर्ण किए गए विश्राम गृह भवन की शीघ्र उपयोगिता की कोई सम्भावना नहीं थी।

इन परिस्थितियों में विकास रहित कार्यों के लिए विकास निधियों का प्रयुक्त किया जाना वित्तीय अनुशासनहीनता एवं वित्तीय स्रोतों के दुरुपयोग का सूचक था। इसके अतिरिक्त, 48.46 लाख ₹0 का व्यय लगभग दो वर्षों तक निष्फल रहा क्योंकि फर्नीचर एवं साज-सामान के उपार्जन के लिए निधियों का आबंटन नहीं किया गया था।

मामला मार्च 2001 में सरकार को संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

ग्रामीण विकास विभाग

3.8 अपूर्ण कार्यों के कारण सरकारी धन का अवरोधन

खण्ड विकास अधिकारियों के 118 कार्यों के निष्पादन में विफलता के परिणामस्वरूप आठ जिलों में 0.79 करोड़ ₹0 की निधियों के अवरोधन के अतिरिक्त जनता को अभिप्रेत लाभों की मनाही हुई।

आठ जिलों में 12 खण्ड विकास अधिकारियों के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जुलाई 2000-जनवरी 2001) कि 1987-88 तथा 1999-2000 के मध्य सम्बद्ध उपायुक्तों द्वारा, 0.79 करोड़ ₹0 की अनुमानित लागत पर विभिन्न स्कीमों जैसे रोजगार आश्वासन स्कीम, स्थानीय जिला योजना, विकेन्द्रीकरण योजना, विकास में जन सहयोग, आदि के अन्तर्गत 118 विकास कार्य जैसे प्राथमिक पाठशाला भवनों, क्रीडा स्थलों, पंचायत घरों, महिला मण्डलों, जन समुदाय हालों एवं सिंचाई कूहलों आदि, स्वीकृत किए गए। ये कार्य प्रारम्भ में पंचायतों, नगर पालिकाओं, आदि द्वारा

¹ बिलासपुर:2; चम्बा: 24; कांगड़ा:3; कुल्लू:1; मण्डी:33; शिमला:13; सिरमौर: 33 तथा सोलन: 9

प्रस्तावित किए गए थे तथा खण्ड विकास अधिकारियों को भेजे गए थे जिन्होंने एक संयुक्त सूची उपायुक्त के अनुमोदन/स्वीकृति हेतु भेजी। तदनुसार उपायुक्तों ने इन स्कीमों के निष्पादन के लिए खण्ड विकास अधिकारियों को निधियां निस्तारित कीं। उनको सौंपे गए कार्यों की संख्या, आकलित लागत, किया गया व्यय तथा अप्रयुक्त बकाया की स्थिति खण्ड विकास अधिकारियों वार निम्नवत थी:

क्र०	खण्ड का नाम	कार्यों की संख्या	आकलित राशि	किया गया व्यय	बैंक में अप्रयुक्त राशि
1.	बंजार	1	0.05	0.02	0.03
2.	भवारना	2	0.02	0.01	0.01
3.	छुआरा	13	0.04	0.02	0.02
4.	धर्मपुर	33	0.20	0.15	0.05
5.	झण्डूता	2	0.02	0.01	0.01
6.	कुनिहार	9	0.06	0.03	0.03
7.	लम्बागांव	1	0.02	0.01	0.01
8.	पांवटा साहिब	11	0.05	0.02	0.03
9.	राजगढ़	15	0.06	0.04	0.02
10.	सलूणी	11	0.13	0.11	0.02
11.	संगराह	7	0.04	0.03	0.01
12.	तीसा	13	0.10	0.08	0.02
	जोड़	118	0.79	0.53	0.26

इन कार्यों का निर्माण खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा अगस्त 1990 एवं अगस्त 2000 के मध्य लिया गया। इन कार्यों को स्वीकृति की तिथि से एक महीने से एक वर्ष तक की अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया था लेकिन जून 2001 तक पूर्ण नहीं किए गए थे। जून 2001 तक पूर्णता में विलम्ब तीन महीने से बारह वर्षों से अधिक तक की अवधि का था। इन कार्यों पर 0.53 करोड़ ₹ व्यय किए गए थे तथा 0.26 करोड़ ₹ की शेष निधियां विभिन्न बैंकों में अप्रयुक्त पड़ी थी।

खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (जुलाई 2000-जनवरी 2001) कि निधियों की कमी, निष्पादन एजेंसिया द्वारा रूचि नहीं लेना, आदि के कारण कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके, उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि निधियां खण्ड विकास अधिकारियों के पास अप्रयुक्त पड़ी थी। निधियों का प्रावधान, निष्पादन एजेंसियों द्वारा रूचि न लेना आदि जैसे कारकों को शुरू में योजना बनाते समय तथा धन के आहरण से पूर्व ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त उपायुक्तों को कार्यों के निष्पादन का अनुश्रवण करते समय इन प्रतिबंधों को हटाना तथा विश्लेषण करना चाहिए था। यह उपायुक्तों द्वारा कार्यों का निष्पादन शुरू करने से पहले योजना की कमी का सूचक है।

इस प्रकार, खण्ड विकास अधिकारियों के निर्धारित समयावधि के अन्दर इन कार्यों को पूरा करने में विफलता के फलस्वरूप जनता को अभिप्रेत लाभों की मनाही हुई तथा 0.79 करोड़ ₹ की सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ।

मामला मार्च 2001 में सरकार को संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

शहरी विकास विभाग

3.9 लघु एवं मध्यम शहरों के एकीकृत विकास स्कीम का अनुचित कार्यान्वयन

जिलाधीश, मण्डी द्वारा 231 दुकानों एवं कुल 2,716 वर्गमीटर क्षेत्र आवृत्त करने वाली अन्य परिसम्पत्तियों को परियोजना प्रतिवेदन में दी गई प्रति इकाई दर के अनुसार किराए पर देने में विफलता के फलस्वरूप मई 1993 से नवम्बर 2000 तक 3.94 करोड़ ₹ की हानि हुई।

भारत सरकार ने दिसम्बर 1979 में लघु/मध्यम शहरों से बड़े शहरों को प्रवसन को रोकने, संरचना सुविधाओं में सुधार एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए संसाधन उत्पन्न स्कीम को बढ़ावा देने हेतु, उनकी समग्र वित्तीय स्थिति के सुधार आदि के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम “ लघु एवं मध्यम शहरों का एकीकृत विकास” प्रारम्भ की थी। 1979 के दौरान कस्बों के चयन के लिए मापदण्ड एक लाख तथा नीचे की जनसंख्या था जो अगस्त 1995 से पांच लाख की जनसंख्या तक बढ़ा दिया गया था। राज्य में स्कीम 1987-88 में लागू की गई थी। निदेशक, शहरी विकास स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी था। क्षेत्र स्तर पर सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकाय का आयुक्त/सचिव स्कीम के निष्पादन के लिए समग्र प्रभारी था।

निदेशक, शहरी विकास, उपायुक्त, मण्डी एवं नगरपालिका परिषद्, मण्डी के 1992-93 से 1999-2000 की अवधि के लिए अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नांकित तथ्य पाए गए (अगस्त-दिसम्बर 2000):

(i) उपायुक्त, मण्डी द्वारा 1989 से 1994 के दौरान 2.33 करोड़ ₹ की लागत पर 234 दुकानों, एक रेस्तरां एवं बैंक के लिए एक हाल का निर्माण स्कीम के अन्तर्गत किया गया। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार दुकानें 250 ₹ प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह की दर पर किराए पर दी जानी थी। 234 दुकानों में से मई 1993 एवं दिसम्बर 1995 के मध्य 213 दुकानें 2307 वर्गमीटर माप की 60 ₹ प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह की दर पर किराए पर दी गई, 183 वर्गमीटर माप की 16 दुकानें 33 ₹ तथा 222 ₹ प्रति वर्गमीटर के मध्य की दरों पर किराए पर दी गई। 24 वर्गमीटर माप की तीन दुकानें तथा 8 वर्गमीटर माप की एक दुकान क्रमशः रेलवे प्राधिकरणों एवं होम्योपैथी डिस्पेंसरी अक्टूबर 1998 के लिए निःशुल्क किराए पर आंबटित (मई 1998) की गई। एक दुकान 13 वर्गमीटर माप की नगरपालिका परिषद् द्वारा कार्यालय प्रयोग हेतु रखी गई (मई 1998)। एक रेस्तरां तथा एक बैंक के लिए हाल प्रत्येक 113 वर्गमीटर माप का क्रमशः 7600 ₹ तथा 7500 ₹ के मासिक किराए पर दिया गया।

उपायुक्त, मण्डी ने बताया (दिसम्बर 2000) कि दुकानें तथा अन्य परिसम्पत्तियां संकन गार्डन विकास समिति के अध्यक्ष होने के नाते उस समय के उपायुक्त द्वारा खोखावालों के पुनर्वास तथा सामाजिक एवं समाज दायित्वों को ध्यान में रखते हुए न्यून दरों/किराया निःशुल्क किराए पर दी गई थी। उपायुक्त का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परियोजना प्रतिवेदन में दुकानों को किराए पर देने के लिए मासिक दर 250 ₹ प्रति वर्गमीटर थी। इसके अतिरिक्त, मई 1993 तथा नवम्बर 2000 के मध्य 2716 वर्गमीटर माप की 231 दुकानें तथा अन्य परिसम्पत्तियां 33 ₹ से 222 ₹ प्रति वर्गमीटर के मध्य मासिक दरों पर किराए पर देने के फलस्वरूप 3.94 करोड़ ₹ की हानि हुई।

(ii) यह पाया गया कि मई 1993 से नवम्बर 2000 तक की अवधि के लिए 33.92 लाख रू० किरायेदारों से किराये बकाया के रूप में देय थे। कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मण्डी ने बताया (दिसम्बर 2000) कि चूककर्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे तथा लगभग 20 मामले न्यायालय में लम्बित हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2001)।

(iii) नमूना जांच में पाया गया कि 1995-96 के दौरान उपायुक्त, मण्डी ने स्कीम की निधियों में से 3.75 लाख रू० सचिव, शिवरात्री मेला कमेटी, मण्डी को भुगतान किया। उपायुक्त ने बताया (दिसम्बर 2000) कि राशि की प्रतिपूर्ति नहीं हुई थी। इस प्रकार, उपायुक्त ने स्कीम निधियों को उन प्रयोजनों के लिए अपवर्तित किया जो स्कीम के अंतर्गत नहीं आते थे।

इन तथ्यों को फरवरी 2001 में सरकार को संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

विविध विभाग

3.10 उत्तरदायित्व प्रवृत्त करने तथा सरकार के हितों की रक्षा करने में वरिष्ठ कर्मचारियों की विफलता

लेखापरीक्षा निष्कर्षों और टिप्पणियों जिनके फलस्वरूप उत्तरदायित्व का पालन न किया जा सका के संदर्भ में कोई उत्तर न देना

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार सरकारी विभागों के लेन-देनों के नमूना जांच करने तथा महत्वपूर्ण लेखों तथा अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने हेतु आवधिक निरीक्षणों को करने की व्यवस्था करता है। इन निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदनों के साथ अनुसरण करना है। जब निरीक्षण के दौरान दृष्टि में आई महत्वपूर्ण अनियमितताओं आदि का स्थल पर ही समायोजन नहीं किया जाता है तो ये निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण किए गए कार्यालयाध्यक्षों को जारी किए जाते हैं और इसकी एक प्रति अगले उच्चतर प्राधिकारी को भेजी जाती है। सरकार के वित्तीय नियमों/आदेशों में निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुपालना तथा निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई कमियों/विसंगतियों आदि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु सही कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों का शीघ्र उत्तर देने की व्यवस्था है। कार्यालयाध्यक्षों तथा अगले उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट लेखापरीक्षा आपत्तियों का अनुपालन करना तथा दोषों व लुप्तियों को शीघ्रता से दूर करना तथा महालेखाकार को इस संदर्भ में अनुपालना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। कार्यालय महालेखाकार द्वारा गंभीर आपत्तियों को भी विभागाध्यक्ष के ध्यान में लाया जाता है। लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुश्रवण हेतु लम्बित प्रतिवेदनों का एक अर्धवार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय आयुक्त एवं सचिव (वित्त) को प्रेषित किया जाता है।

ग्रामीण विकास (93 आहरण एवं संवितरण अधिकारी), पशुपालन (37 आहरण एवं संवितरण अधिकारी) तथा भाषा, कला एवं संस्कृति (15 आहरण एवं संवितरण अधिकारी) विभागों से सम्बन्धित 1957-58 से दिसम्बर 2000 के दौरान 145 आहरण एवं संवितरण अधिकारी को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि जून 2001 के अंत तक 556 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 1860 परिच्छेद बकाया थे। इनमें से 178 निरीक्षण प्रतिवेदन में निहित 298 परिच्छेद 10 वर्षों से अधिक समय से समायोजित नहीं किए गए थे। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों की वर्षवार स्थिति परिशिष्ट- XIV में विवरणित है।

इसी मध्य संवीक्षा से पाया गया कि ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित 87.32 लाख रू0 राशि के 69 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट 76 परिच्छेद गंभीर प्रकृति के थे जो निम्न विवरणित है:-

क्र०	अनियमितता की प्रकृति	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	परिच्छेद	राशि (लाख रूप०)
1.	भण्डार/रोकड़ का दुर्विनियोजन	23	26	9.06
2.	हानियाँ, चोरी, गबन, आदि	15	16	33.64
3.	निस्थक/निष्फल/अलाभकारी व्यय	31	34	44.62
	जोड़	69	76	87.32

यद्यपि प्रारम्भिक उत्तर प्रतिवेदन जारी करने की तिथि से छः सप्ताह के अंदर कार्यालयध्यक्षों से प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे, ऐसे उत्तर जून 1999 एवं अप्रैल 2001 के मध्य जारी किए गए 57 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए 57 कार्यालयों (ग्रामीण विकास: 56 तथा भाषा, कला एवं संस्कृति:01) के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुए थे। परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास, भाषा कला एवं संस्कृति तथा पशुपालन विभागों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में की गई गंभीर अनियमितताओं के ऊपर की गई कार्रवाई लेखापरीक्षा में विदित नहीं है जैसा कि परिशिष्ट- XV में विवरणित है।

इन तीन विभागों के संदर्भ में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा करने पर आगे प्रकट हुआ कि सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों अर्थात् निदेशक, ग्रामीण विकास, निदेशक, पशुपालन एवं निदेशक भाषा, कला एवं संस्कृति ने काफी बड़ी संख्या के निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का पूर्ण रूप से उत्तर नहीं दिया जिससे निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू करने में विफलता प्रदर्शित हुई तथा इस प्रकार वह अपने देय उत्तरदायित्व निभाने में विफल रहे। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों के अर्धवार्षिक प्रतिवेदन वित्तायुक्त एवं सचिव (वित्त) को अनिवार्य रूप से भेजे जा रहे थे परन्तु वित्त विभाग द्वारा कोई ठोस पग नहीं उठाए गए थे।

उपरोक्त विफलता से दोषी अधिकारियों के प्रति कार्रवाई का अभाव भी प्रकट हुआ और जिससे गंभीर वित्तीय अनियमितताएं और सरकार को हानि जारी रही यद्यपि ये लेखापरीक्षा में इंगित की गई थीं।

यह सिफारिशें की जाती हैं कि सरकार को इस बात की छानबीन करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि (क) निर्धारित समय सारणी के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का उत्तर न भेजने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई (ख) समयबद्ध ढंग से हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक अदायगियों की वसूली की कार्रवाई और (ग) विभाग में लेखापरीक्षा टिप्पणियों का उचित उत्तर सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था सुदृढीकरण के लिए प्रक्रिया विद्यमान है।

मामला सरकार को मई 2001 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

3.1.1 दुर्विनियोजन, गबन आदि

मार्च 2001 तक लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित सरकारी धन के दुर्विनियोजनों, गबनों, आदि के मामलों की स्थिति जिन पर जून 2001 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी, निम्न अनुसार थी:-

वर्ष	मामलों की संख्या	राशि (लाख रूपए)
31 मार्च 2000 तक प्रतिवेदित और 30 जून 2000 तक बकाया मामले	72	62.06
2000-2001 में प्रतिवेदित मामले	06	72.06
जून 2001 तक निपटाए गए मामले	08	9.03
30 जून 2001 तक बकाया मामले	70	125.09

इनमें से जो सामान की कमी, उत्खनन के दौरान दुर्घटना, आग, कूहल/पुलों, भवनों के बह जाने, नकदी, मशीनरी, कोलतार, डेटोनेटरज़, एम एस प्लेटों, जी आई पाइपों, आदि की चोरी से सम्बन्धित 12 मामले (राशि 4.53 लाख रू०) 20 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। 57.25 लाख रू० से ग्रस्त 32 मामलों लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित थे; 27.60 लाख रू० से ग्रस्त 14 मामले सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग तथा 1.35 लाख रू० के पांच मामले वन कृषि तथा संरक्षण विभाग से सम्बन्धित थे। इन तीन विभागों में 51 बकाया मामलों में से 56.55 लाख रू० से ग्रस्त 35 मामले विभागीय जांच पूर्ण करने हेतु प्रतीक्षित थे (तीन वर्ष तक: 5 मामले: ग्रस्त राशि: 43.77 लाख रू०; तीन वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष तक: 4 मामले: ग्रस्त राशि: 0.14 लाख रू०; पांच वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष तक: 7 मामले: ग्रस्त राशि 6.18 लाख रू०; 10 वर्ष से अधिक परन्तु 15 वर्ष तक: 10 मामले: ग्रस्त राशि 3.69 लाख रू०; 15 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष तक: तीन मामले: ग्रस्त राशि: 1.09 लाख रू० तथा 20 वर्ष से अधिक: छः मामले: ग्रस्त राशि 1.68 लाख रू०)।

सरकार द्वारा समयबद्ध रूप से मामलों के अंतिम निपटारे हेतु उचित पग उठाए जाने अपेक्षित हैं।

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

चौथा अध्याय

प्रवर्ग-क

समीक्षाएं

पृष्ठ

- ◆ सिंचाई स्कन्ध की एकीकृत लेखापरीक्षा 103-119
- ◆ पेयजल 120-136

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

चौथा अध्याय

निर्माणकार्य व्यय

प्रवर्ग-क-समीक्षाएँ

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

4.1 सिंचाई स्कन्ध की एकीकृत लेखापरीक्षा

मुख्य बातें

सरकार ने समयबद्ध ढंग से सिंचाई के अन्तर्गत समस्त अनुमानित कृषि योग्य कमान्ड क्षेत्र को आवृत्त करने के लिए दीर्घकालीन नीति नहीं बनाई थी। स्कीमों का निष्पादन आकलनों की तकनीकी संस्वीकृति के बिना किया गया। वित्त विभाग की पूर्ण अनुमति लिए बिना बहुत सी “ वास्तविक नई स्कीमों” को बजट में सम्मिलित किया गया। भारी राशि बिना शीघ्र आवश्यकता के आहरित की गई तथा सरकारी लेखों से बाहर रखी गई। दोषपूर्ण जांच-पड़ताल, योजना, रूपांकन तथा निष्पादन के कारण कुछ स्कीमों में कार्यहीन/कुरीतिपूर्ण हो गई। एबियाना का संग्रहण उक्त उद्देश्य हेतु तैनात स्टॉफ पर किए गए खर्च की तुलना में नगण्य था। लाभार्थियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रभाव के निर्धारण हेतु स्कीमों का मूल्यांकन नहीं किया गया था। अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप ध्यान में आई महत्वपूर्ण बातें निम्नांकित हैं-

* वर्ष 1998-2001 के दौरान वित्त विभाग को बजट प्रायकलनों, आधिक्यों तथा अशुद्धियों की विवरणियाँ और अनुपूरक पागों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।

(परिच्छेद 4.1.4.2)

* वर्ष 1998-2001 के दौरान नवीन व्यय की अनुसूची में 2.93 करोड़ रु० के प्रावधान वाली 73 “ वास्तविक नई स्कीमों” वित्त विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना सम्मिलित की गई। इनमें से 15 स्कीमों या तो व्यवहारिक नहीं पाई गई या उनके निष्पादनार्थ कार्यस्थल उपलब्ध नहीं थे।

(परिच्छेद 4.1.4.4)

** विभाग द्वारा समय पर निधियों की प्रयुक्ति हेतु त्रैमासिक साख पत्र जारी करने के लिए निर्धारित प्रतिशतता को वित्त विभाग द्वारा कभी भी अनुसरित नहीं किया तथा साख पत्र तदर्थ/मासिक आधार पर जारी किए गए।

[परिच्छेद 4.1.4.5(i)]

** वर्ष 1997-2000 के दौरान तीन अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा 2.86 करोड़ रु० बिना शीघ्र आवश्यकता के आहरित किए गए तथा सरकारी लेख से बाहर रखे गए।

[परिच्छेद 4.1.4.5(iii)]

** विभाग ने वर्ष 1998-2000 के दौरान साख पत्रों से 55.72 करोड़ रु0 अधिक खर्च किए। स्पष्टतया साखपत्र स्कीम में निर्धारित नियंत्रण तंत्र निष्क्रिय हो गया था।

[परिच्छेद 4.1.4.5 (iv)]

** प्रमुख अभियन्ता के पास संस्वीकृत संख्या तथा कार्यरत व्यक्तियों की सूचना नहीं थी।

(परिच्छेद 4.1.5.1)

** अपर्याप्त सर्वेक्षण तथा जांच-पड़ताल, दोषपूर्ण योजना और रूपांकन तथा त्रुटिपूर्ण निष्पादन से 3.88 करोड़ रु0 की लागत से निर्मित व अनुरक्षित आठ स्कीमों कार्यहीन/कुरीतिपूर्ण हुईं जिसके कारण लाभार्थियों को सिंचाई सुविधा नहीं मिली।

(परिच्छेद 4.1.6.1 से 4.1.6.3)

** तीन मण्डलों में तीन स्कीमों को वास्तव में प्रारम्भ करने की प्रत्याशा में 292 हैक्टेयर कृषियोग्य कमान्ड क्षेत्र को आवृत्त बताया गया।

(परिच्छेद 4.1.6.4)

** पांच मण्डलों में पांच स्कीमों पर 74.89 लाख रु0 का व्यय बेकार रहा क्योंकि ये स्कीमों विभिन्न कारणों से निष्क्रिय हो गई थीं।

(परिच्छेद 4.1.6.6)

** आठ मण्डलों में 45 स्कीमों के निष्पादन पर 8.96 करोड़ रु0 तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना खर्च किए गए। नौ मण्डलों में 53 स्कीमों के निष्पादन पर 5.55 करोड़ रु0 खर्च किए गए जो अनुमोदित प्रावधानों से अधिक थे।

[परिच्छेद 4.1.6.7 (i)]

** वर्ष 1998-2001 के दौरान 11 मण्डलों में 3.75 लाख रु0 के आविद्याना निर्धारण हेतु 58.10 लाख रु0 खर्च किए गए।

(परिच्छेद 4.1.6.8)

** 18.19 करोड़ रु0 की लागत से निर्मित 261 पूर्ण की गई स्कीमों के लेखे बंद नहीं किए गए थे।

[परिच्छेद 4.1.6.10 (i)]

4.1.1 परिचय

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग जलापूर्ति, मल व्यवस्था तथा सिंचाई स्कीमों के निर्माण तथा अनुरक्षणार्थ उत्तरदायी है। विभाग का सिंचाई स्कन्ध विभिन्न सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों की कार्ययोजना, निष्पादन, कार्यचालन तथा अनुरक्षण और अनुश्रवण को देखता है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 55.67 लाख हैक्टेयर था। इसमें से निवल बिजाई क्षेत्र केवल 5.83 लाख हैक्टेयर था। विभाग ने राज्य के 3.35 लाख हैक्टेयर सम्भावित सिंचाई क्षेत्र की पहचान की जिसमें से 0.50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मुख्य तथा दरमियानी सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से और शेष 2.85 लाख हैक्टेयर लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से सिंचाई अधीन लाई जा सकती थी। विभाग ने मार्च 2001 तक 1,02,270 हैक्टेयर क्षेत्र (मुख्य:400 हैक्टेयर; दरमियानी:11,336 हैक्टेयर, तथा लघु: 90,534 हैक्टेयर) को सिंचाई सुविधा जुटाई। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अवधि तक अनुमानित 2.31 लाख हैक्टेयर बाढ़ सम्भावित कृष्य कमान्ड क्षेत्र के प्रति 10,165 हैक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ निरोधक कार्यों के अन्तर्गत लाया

गया। सरकार ने दीर्घावधि नीति तैयार नहीं कि जिससे समस्त अनुमानित कृष्य कमांड क्षेत्र को समयबद्ध ढंग से सिंचाई के अधीन लाया जा सकता। इसके अतिरिक्त समस्त अनुमानित कृष्य कमांड क्षेत्र को आवृत्त करने हेतु बृहत योजना नहीं बनाई गई। तथापि, सम्भावित सिंचाई सृजनार्थ वार्षिक योजना तैयार करके निधियों की वर्षानुवर्ष उपलब्धतानुसार स्कीमों का निष्पादन किया जा रहा था।

4.1.2 सगठनात्मक ढांचा

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग केन्द्रीय, उत्तर तथा दक्षिण क्षेत्रों में विभाजित था, जिसके मुखिया एक मुख्य अभियन्ता (शाह नहर परियोजना) तथा एक मुख्य अभियन्ता (यांत्रिकी) के अतिरिक्त एक-एक मुख्य अभियन्ता है। प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तथा पांच मुख्य अभियन्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं/स्कीमों के प्रबन्धन, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है जिनकी सहायता के लिए फील्ड में विभिन्न अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशाषी अभियन्ता है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का अनुश्रवण कार्य प्रमुख अभियन्ता के अधीन अधीक्षण अभियन्ता, योजना तथा अन्वेषण (पी एण्ड आई-II) को सौंपे गए थे। विभाग का समस्त नियंत्रण वित्तीय आयुक्त एवं सचिव (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य) के पास है।

4.1.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

प्रमुख अभियन्ता, दो मुख्य अभियन्ताओं¹, एक वृत्त शिमला तथा आठ मण्डलों² के कार्यालयों में 1998-2001 की अवधि के “बजट प्रक्रिया तथा व्यय नियंत्रण प्रणाली” और “मानव संसाधन प्रबन्धन” से सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2000-मार्च 2001) द्वारा विभाग के सिंचाई स्कन्ध की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित कुछ पहलुओं की समीक्षा की गई जबकि “कार्यक्रम क्रियान्वयन” तथा “सामग्री प्रबन्धन” की समीक्षा अन्य 11 मण्डलों³ में की गई। इसमें प्रमुख अभियन्ता द्वारा दी गई सूचना तथा अन्य विभिन्न मण्डलों के आवधिक निरीक्षणों के दौरान ध्यान में आई बातें भी जोड़ी गई। लेखापरीक्षा में ध्यान में आई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गई है:

4.1.4 बजट प्रक्रिया तथा व्यय नियंत्रण

राज्य में सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए निधियों का प्रावधान अनुदान संख्या: “12 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण” और “31 जनजाति विकास” के अन्तर्गत किया गया जो आठ (राजस्व:4, पूंजीगत:4)⁴ मुख्य लेखा शीर्षों को आवृत्त करते थे।

प्रमुख अभियन्ता प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को बजट प्राक्कलन तैयार और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी था। उसकी सहायतार्थ विभाग के सिंचाई स्कन्ध में 18 नियंत्रण अधिकारियों के अन्तर्गत 71 आहरण एवं संवितरण अधिकारी थे।

4.1.4.1 बजट प्रावधान तथा व्यय

1998-2001 के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए आबंटित निधियां तथा उनके प्रति किए गए व्यय निम्नलिखित थे:-

¹ दक्षिणी क्षेत्र, शिमला तथा शाहनहर परियोजना, फतेहपुर

² अर्की, बग्गी, बड़खर, चम्बा, गगरेट, नाहन, शाहपुर तथा सोलन

³ बग्गी, बड़सर, बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्चू-II, नालागढ़, पालमपुर, पावंटा साहिब, रामपुर, सुन्नी तथा ऊना-II

⁴ “2701”, “2702”, “2705”, “2711”, “4701”, “4702”, “4705” तथा “4711”

वर्ष	बजट प्रावधान			व्यय			अन्तर आधिक्य		
	राजस्व	पूजीगत	योग	राजस्व	पूजीगत	योग	राजस्व	पूजीगत	योग
अनुदान संख्या-12									
(करोड़ रूपए)									
1998-99	61.96	35.23	97.19	68.57	37.50	106.07	6.61	2.27	8.88
1999-2000	72.09	36.97	109.06	80.37	37.76	118.13	8.28	0.79	9.07
2000-2001	84.71	31.26	115.97	86.50	31.50	118.09	1.88	0.24	2.12
जोड़	218.76	103.46	322.22	235.53	106.76	342.29	16.77	3.30	20.07
अनुदान संख्या-31									
1998-99	5.87	4.47	10.34	6.58	4.50	11.08	0.71	0.03	0.74
1999-2000	6.44	7.13	13.57	7.36	7.46	14.82	0.92	0.33	1.25
2000-2001	7.39	6.99	14.38	7.65	8.28	15.93	0.26	1.29	1.55
जोड़	19.70	18.59	38.29	21.59	20.24	41.83	1.89	1.65	3.54

प्रमुख अभियन्ता के सहायक नियंत्रक ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (मार्च 2001) कि अधिक व्यय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किस्तें जारी करने, बकाया की अदायगी आदि के कारण हुआ। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि ये सभी व्यय की मदें पहले से ही पता थी तथा इसलिए सम्बन्धित वर्षों में बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए था।

नमूना जांच किए गए मण्डलों में भी निम्नलिखित बातों का पता चला:

(i) नमूना जांच किए गए मण्डलों (अर्की तथा नाहन को छोड़कर) में अधिक व्यय मुख्य शीर्षों के विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत स्वीकृत बजट से अधिक 15 तथा 846 प्रतिशत के मध्य रहा।

(ii) तीन मण्डलों⁵ में 1998-2000 के दौरान बजट प्रावधान के बगैर 50 लाख रु० खर्च किए गए। सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ताओं ने बताया (फरवरी-मार्च 2001) कि निधियां स्कीमों से अपवर्तन करके उसी लेखा शीर्ष के अन्तर्गत बचतों में रखी गई। यह धारणा मान्य नहीं है क्योंकि अधिशाषी अभियन्ताओं को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति बिना निधियां अपवर्तन की शक्तियां नहीं दी गई थीं।

(iii) चार मण्डलों⁶ में, 1.58 करोड़ रु० का आंतरण 1998-99 तथा 1999-2000 के अंत में एक मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/कार्यों से अन्य को किया गया ताकि एक उप-शीर्ष/कार्यों के प्रति उपलब्ध निधियों को प्रयुक्त किया जा सके और अन्य में स्वीकृत बजट से अधिक के आधिक्य को रोका जा सकता। अधिशाषी अभियन्ताओं ने तथ्य स्वीकार कर लिए।

4.1.4.2 बजट विवरणियां प्रस्तुत करने में विलम्ब

विभागाध्यक्ष द्वारा बजट आकलन, आधिक्यों तथा अभ्यर्पणों की विवरणी और अनुपूरक विनियोजन हेतु प्रस्तावों को प्रशासकीय विभाग/वित्त विभाग को क्रमशः 25 अक्टूबर, 1 दिसम्बर तथा 10 फरवरी तक भेजना अपेक्षित था। तथापि ब्यौरे/विवरणियां 1998-2001 के दौरान समय पर नहीं भेजी गईं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

⁵ चम्बा, गगरेट तथा शाहपुर

⁶ बग्गी, बिलासपुर, नालागढ़ तथा सोलन

क्रमांक	ब्यौरे/विवरण का नाम	विलम्ब अवधि (दिन)
1.	बजट आकलन	21 से 133
2.	आधिकार्यों तथा अभ्यर्पणों की विवरणी	81 से 119
3.	अनुपूरक मांगे	4 से 48

सहायक नियंत्रक ने बताया (मार्च 2001) कि ब्यौरों को देय तिथियों पर भेजना सम्भव नहीं था क्योंकि बजट आकलनों में सम्मिलित की जाने वाली सभी नई स्कीमें राज्य योजना विभाग से सामान्यतः देर से प्राप्त हुई। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यह नियमों के प्रावधानों के विपरीत था तथा दोनों पुरानी व नई स्कीमें ब्यौरों/विवरणियों में सम्मिलित की जानी थी।

4.1.4.3 बजट आकलनों के साथ नामावली को प्रस्तुत न करना

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 की नामावली प्रस्तुत नहीं की थी जैसा कि बजट मैनुअल के अन्तर्गत अपेक्षित है। अतः विनियोजन की प्रारम्भिक इकाई "वेतन" के अन्तर्गत किए गए प्रावधान की सत्यता प्रशासकीय विभाग/वित्त विभाग में नहीं जांची जा सकी। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि प्रारम्भ में रिक्त पदों के लिए किया गया 60 लाख ₹ का प्रावधान सम्बद्ध^{*} वित्तीय वर्षों के अंतिम दिन अन्य लेखा शीर्षों को पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

4.1.4.4 "नई व्यय अनुसूची" में निधियों का अनियमित प्रावधान

चार मण्डलों⁷ में 2.93 करोड़ ₹ के प्रावधान से अन्तर्ग्रस्त 73 "वस्तुतः नई स्कीमें," 1998-2001 के दौरान बजट मैनुअल के प्रावधानों के अपेक्षितानुसार वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना "नई व्यय अनुसूची" में सम्मिलित की गई। स्कीमों पर निष्पादन कार्य नहीं हो सका तथा 2.93 करोड़⁸ ₹ का किया गया बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा। इनमें से 9 लाख ₹ के प्रावधान से अन्तर्ग्रस्त 15 "वस्तुतः नई स्कीमें" बाद में या तो व्यवहारिक नहीं रही अथवा उनके निष्पादनार्थ स्थल उपलब्ध नहीं थे या उनमें से कुछ पहले ही पूर्ण की जा चुकी थी अथवा अभी भी स्कीम की जांच पड़ताल की जानी थी।

वित्त विभाग के अनुमोदन बगैर 73 "वस्तुतः नई स्कीमें" को "नई व्यय अनुसूची" में सम्मिलित करने से 1998-2001 के दौरान 2.93 करोड़ ₹ का बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

तथ्यों को स्वीकारते हुए अधिशाषी अभियन्ताओं ने बताया (फरवरी-मार्च 2001) कि कुछ मामलों में स्कीमों को स्थानीय विधायक द्वारा सम्मिलित किया गया और ऐसी स्कीमों की उनके बजट पुस्तक में सम्मिलित किए जाने के बाद जांच-पड़ताल की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

4.1.4.5 व्यय नियंत्रण प्रणालियों का परिचालन न करना

साखपत्र स्कीम

तिमाही आधार पर निधियों के आहरण को विनियमित करने तथा उनके प्रति व्यय को सीमित करने हेतु राज्य सरकार ने "साखपत्र स्कीम" आरम्भ की (सितम्बर 1981)।

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि:

* 1998-99 (2 लाख ₹) तथा 1999-2000 (58 लाख ₹)

⁷ बग्गी, चम्बा, शाहपुर तथा बाद निरोधक कार्य मण्डल, गगरेट

⁸ 1998-99: 8 लाख; 1999-2000: 3 लाख तथा 2000-2001: 2.82 करोड़ ₹

(i) प्रमुख अभियन्ता द्वारा अपने क्षेत्रीय, वृत्त तथा मण्डलीय कार्यालयों से परामर्श करके 1998-2001 के दौरान निधियों की जरूरत का तिमाही निर्धारण नहीं किया जैसाकि अपेक्षित था। सहायक नियंत्रक ने बताया (मार्च 2001) कि निधियों की तिमाही बार आवश्यकता क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त नहीं हुई थी तथा साखपत्र की तिमाही बार आवश्यकता स्वीकृत बजट की प्रतिशतता के आधार पर निकाली गई। तथापि यह देखा गया कि 1998-2000 के दौरान वित्त विभाग को इन आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब छः और 121 दिनों के बीच रहा। परिणामतः वित्त विभाग द्वारा प्रमुख अभियन्ता को साखपत्र जारी करने में विलम्ब हुआ। यह भी देखा गया कि वित्त विभाग द्वारा कभी भी पारित बजट की पूर्ण निर्धारित प्रतिशतता समय पर विभाग को खर्च करने के लिए नहीं दी गई तथा एक तिमाही का साखपत्र अनुवर्ती तिमाहियों में प्राधिकृत किया गया। साखपत्र पूर्ण लेखा शीर्ष सूचित किए बिना तदर्थ/मासिक आधार पर जारी किए गए। वित्त विभाग से साखपत्र की तिमाही प्राप्ति का विवरण, क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी साखपत्र, उनके प्रति किया गया व्यय, शीर्षवार स्वीकृत बजट आदि दर्शाने वाला रजिस्टर 1998-2000 के दौरान प्रमुख अभियन्ता द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया था।

(ii) साखपत्र स्कीम के विपरीत वित्त विभाग ने 1998-2000 के दौरान विभाग द्वारा प्रयुक्ति हेतु मार्च के अंतिम दिनों में 48.60 करोड़⁹ रू जारी किए।

वित्त विभाग ने वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के वित्तीय वर्षों के अंतिम कार्य दिवसों में 48.60 करोड़ रू के साखपत्र जारी किए।

सहायक नियंत्रक ने बताया (मार्च 2001) कि क्योंकि वित्त विभाग तदर्थ साखपत्र जारी कर रहा था, इसलिए शीर्षवार ब्यौरे निकालने में समय लगता था और ऐसे ही शीघ्रता से साखपत्र क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी करना होता था। उसने पुनः सूचित किया कि 1998-2000 के साखपत्र रजिस्टर पुराने अभिलेखों में खोने के कारण उपलब्ध नहीं थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि साखपत्र स्कीम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

(iii) साखपत्र स्कीम अधिशाषी अभियन्ताओं को सारी राशि का आहरण करने से रोकती थी तथा उसे किसी पृथक आहरण लेख में रखने या इसे किसी अन्य ढंग से रखने को कहती थी। इसके विपरीत, तीन अधिशाषी अभियन्ताओं (चम्बा, शाहनहर परियोजना मण्डल संख्या-1, संसारपुर टैरेस तथा शाहनहर परियोजना नं० 2 बडुखर) ने 1997-2000 के दौरान बिना शीघ्र आवश्यकता के 2.86 करोड़ रू का आहरण किया तथा सरकारी लेख से बाहर रखा जैसा कि परिशिष्ट-XVI में ब्यौर दिया गया है।

(iv) साखपत्र स्कीम वित्त विभाग द्वारा जारी राशि से अधिक व्यय अनुमत नहीं करती। 1998-2000 के दौरान वित्त विभाग ने 550.28 करोड़ रू जारी किये, किन्तु विभाग ने 606 करोड़ रू खर्च किये। इस प्रकार, विभाग ने 55.72 करोड़ रू प्राधिकृत साखपत्र से अधिक खर्च किया। साखपत्र से अधिक खर्च किए गए व्यय के ब्यौरे नहीं दिए गए (जुलाई 2001)।

1998-2000 के दौरान प्राप्त साखपत्र में से 55.72 करोड़ रू का अधिक व्यय किया गया।

इन तथ्यों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि साखपत्र स्कीम में निर्धारित नियंत्रण तंत्र निष्क्रिय हो गया था।

4.1.4.6 वित्त विभाग को दायित्व विवरणियां प्रस्तुत न करना तथा अभिलेखों का अनुरक्षण न करना

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा सही बजट आकलनों को बनाने हेतु, विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग को प्रत्येक मास की 15 तारीख तक भेजी जाने वाली दायित्व विवरणियां 1998-2001 के दौरान नहीं भेजी गईं।

नमूना जांच की गई इकाइयों में दायित्व रजिस्टर भी अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

⁹ 1998-99: 34.77 करोड़ रू तथा 1999-2000: 13.83 करोड़ रू

4.1.5 मानव संसाधन प्रवर्धन

4.1.5.1 प्रमुख अभियन्ता के पास स्वीकृत तथा कार्यरत स्टाफ की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

नमूना जांच की गई 11 इकाइयों¹⁰ में पदधारियों की नियुक्तियों/तेनातियों और अस्थाई पदों का स्थाई पदों में परिवर्तन जांचने हेतु स्वीकृत स्थाई तथा अस्थाई पदों का संवर्गवार व वर्षवार दर्शाने वाले पृथक रजिस्ट्रों का अनुसंधान नहीं किया गया था। इसकी अनुपस्थिति में कार्यरत स्टाफ का स्वीकृत स्टाफ के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अतः बजट में स्टाफ के खर्च का उपयुक्त आकलन नहीं किया गया और इसका स्वीकृत पदों के संदर्भ में नियंत्रण नहीं देखा जा सका।

विभाग ने इन तथ्यों को स्वीकार (दिसम्बर 2000) कर लिया।

4.1.5.2 मुख्य अभियन्ताओं का स्टाफ के बिना कार्य करना

(क) विभाग दो क्षेत्रों में विभक्त किया जा चुका था। उत्तर क्षेत्र स्थित, धर्मशाला, मुख्य अभियन्ता द्वारा तथा दक्षिण क्षेत्र स्थित, शिमला, प्रमुख अभियन्ता द्वारा देखा जा रहा था। बढ़े हुए कार्यभार के पुनर्बटन तथा विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को भी सरकार ने विभाग का तीन क्षेत्रों में पुनर्गठन कर दिया (दिसम्बर 1997) अर्थात् उत्तर क्षेत्र, धर्मशाला, दक्षिण क्षेत्र, शिमला तथा केन्द्रीय क्षेत्र, मण्डी तथा प्रत्येक क्षेत्र के मुखिया मुख्य अभियन्ता हैं। प्रमुख अभियन्ता को राज्य स्तर पर विभागीय कार्यों हेतु सबका सह-समन्वयक बनाया गया। इसके साथ-साथ केन्द्रीय क्षेत्र, मण्डी के लिए मुख्य अभियन्ता का एक पद स्वीकृत (दिसम्बर 1997) किया गया और अप्रैल 1997 से मुख्य अभियन्ता (परियोजना) का विद्यमान पद बदल कर मुख्य अभियन्ता (दक्षिण क्षेत्र) कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न तकनीकी तथा गैर-तकनीकी संवर्गों के 58 पद भी दिसम्बर 1997 में स्वीकृत किए और केन्द्रीय क्षेत्र (45) तथा दक्षिण क्षेत्र (13) को आबंटित कर दिए गए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मुख्य अभियन्ता (दक्षिण क्षेत्र) को मार्च 2000 तक केवल एक व्यक्तिगत सहायक दिया गया। उसे दो वरिष्ठ सहायक तथा दो लिपिक मई 2000 में और एक अधीक्षक अगस्त 2000 में दिया गया इस प्रकार मुख्य अभियन्ता (दक्षिण क्षेत्र) ने ढाई वर्षों से ऊपर की अवधि में अपूर्ण स्टाफ के साथ काम किया।

(ख) निर्विघ्न निष्पादन, समय पर पूर्णता तथा शाह नहर परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के अनुश्रवणार्थ कड़ी निगरानी और मार्ग दर्शन जुटाने के लिए प्रमुख अभियन्ता ने 73 पदों¹¹ के सृजनार्थ राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत (जुलाई 1997) किया। तथापि सरकार ने उक्त परियोजना हेतु सहायक स्टाफ के किसी पद के सृजन/स्वीकृति बिना मुख्य अभियन्ता का एक पद सृजित (जून 1998) किया। स्वीकृत पद सितम्बर 1998 के दौरान भरा गया तथा मुख्य अभियन्ता अकेले ही अक्टूबर 2000 तक बिना स्टाफ के कार्य करने की समस्याओं के बावजूद कार्य करता रहा।

¹⁰ प्रमुख अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता: शाह नहर परियोजना, फतेहपुर, दक्षिण क्षेत्र, शिमला, अधिशाषी अभियन्ता: अर्की, शाह नहर परियोजना मण्डल संस्था-॥ स्थित बडूखर, बग्गी, चम्बा, गगरेट, नाहन, सोलन तथा शाहपुर।

¹¹ मुख्य अभियन्ता: एक, अधिशाषी अभियन्ता: एक, अधिशाषी अभियन्ता (रूपांकन): एक, सहायक अभियन्ता (रूपांकन): पांच, सहायक स्टाफ: 65

सरकार ने अन्य क्षेत्रों/मण्डलों से 18 पदों (तकनीकी: 8 तथा गैर-तकनीकी:10) के स्थानान्तरण आदेश दिए (अप्रैल 2000) जिनमें से चार पदों¹² के पदधारियों ने फरवरी 2001 तक कार्यभार संभाला था। शेष 14 कर्मचारियों¹³ के स्थानान्तरण आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया गया था।

अतः सहायक स्टाफ के बिना केवल मुख्य अभियन्ता के पद का सृजन और भरा जाना विभाग के कार्मिक कुप्रबन्धन का सूचक था। मुख्य अभियन्ता ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (फरवरी 2001) कि स्टाफ की कमी का प्रभाव परियोजना कार्य पर पड़ा।

4.1.5.3 केवल एक ही कनिष्ठ अभियन्ता के साथ कार्य कर रहे उप-मण्डल

प्रत्येक उप मण्डल में एक सहायक अभियन्ता तथा चार कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्वीकृत पदों के प्रति केवल एक कनिष्ठ अभियन्ता प्रत्येक उप-मण्डल गुमा, सुन्नी तथा सैंज में जुलाई 1999 से मई 2000 तक कार्यरत था। अधीक्षण अभियन्ता, शिमला वृत्त ने बताया (जनवरी 2001) कि इन पदों के स्थानान्तरण पर लगे प्रतिबंध के कारण इन्हें नहीं भरा जा सका।

4.1.5.4 बिना मानकों से कार्य प्रभारित स्टाफ की तैनाती

भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार (अप्रैल 1994) सरकार ने (अक्टूबर 1994) उन उपस्थिति नामावलियों पर लगाए गए दैनिक भोगी मजदूरों जिन्होंने 31 दिसम्बर 1993 को एक वर्ष में कम से कम 240 दिनों सहित 10 वर्ष या अधिक की कालावधि पूर्ण कर ली थी, के लिए जनवरी 1994 से कार्य प्रभारित की नियुक्ति हेतु एक स्कीम बनाई। इसके अतिरिक्त दैनिक मजदूरों के आधार पर कामगारों को रोजगार वित्त विभाग के पूर्वोन्मोदन पश्चात दिया जाना था। स्कीम का परिचालन सम्बन्धित मण्डलों के अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा किया जाना था।

सरकार द्वारा 1994-1999 के दौरान सृजित कार्य प्रभारित पदों, क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रमुख अभियन्ता द्वारा प्रयुक्त तथा 31 दिसम्बर 2000 को रिक्त पड़े पदों के ब्यौरे निम्नलिखित थे:

विभाग में प्रयुक्त हेतु कार्य प्रभारित सृजित तथा आवंटित पदों की कुल संख्या			प्रयुक्त पद			शेष अप्रयुक्त पद		
औद्योगिक	गैर-औद्योगिक	जोड़	औद्योगिक	गैर-औद्योगिक	जोड़	औद्योगिक	गैर-औद्योगिक	जोड़
16,914	2,891	19,805	14,526	2,383	16,909	2,388	508	2,896

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातों का पता चला:

(i) सरकार द्वारा न तो कार्य प्रभारित स्टाफ के 19,805 पदों के सृजनार्थ मानक विकसित किए गए न ही मण्डलों में इन पदों के आवंटनार्थ कोई निश्चित मानदण्ड निर्धारित किए गए। इन पदों का वितरण तदर्थ आधार पर किया गया और न प्रक्रिया ढूंढी गई ताकि विभागीय कार्यों में उनकी सेवाओं की अनुकूल प्रयुक्ति सुनिश्चित की जा सकती।

(ii) विभाग में 1 जनवरी 1994 को 25,286 दैनिक भोगी कर्मी थे, जो स्कीम में विहित शर्तों को पूर्ण करने पर नियमित किए जाने थे। इनमें से मार्च 1999 तक 16,909 दैनिक भोगी कर्मियों को कार्य

¹² तकनीकी: 2 (सहायक अभियन्ता: 1 तथा कनिष्ठ अभियन्ता: 1); गैर तकनीकी: 2 (वरिष्ठ सहायक)

¹³ तकनीकी:6 (अधिशाषी अभियन्ता:2, सहायक अभियन्ता:1 तथा कनिष्ठ अभियन्ता:3); गैर तकनीकी:8 (अधीक्षक ग्रेड-II; वरिष्ठ सहायक:1; लिपिक:5; आशु टंकक:1)

प्रभारित कर्मचारी बनाया गया और 8,377 कर्मी नियमितीकरण हेतु शेष रह गए। तथापि, प्रमुख अभियन्ता ने 31 मार्च 1999 को दैनिक भोगी कर्मियों की संख्या 17,647 दर्शाई। अतः विभाग ने स्कीम के विरुद्ध जनवरी 1994-मार्च 1999 के दौरान 9,270 दैनिक भोगी कर्मी तैनात किए। प्रमुख अभियन्ता के पास अप्रैल 1999-मार्च 2001 के दौरान दैनिक भोगी कर्मियों के रोजगार संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं थी।

प्रमुख अभियन्ता ने बताया (मार्च 2001) कि कार्य की आवश्यकतानुसार वित्त विभाग द्वारा जारी (जनवरी 1993) अनुदेशों के अनुसार मजदूरों को विराम आधार पर 89 दिनों तक लगाया जाना था तथा उनमें से कुछ वर्ष में 240 दिन पूर्ण कर चुके थे और निरन्तर लगे रहने थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विराम देने के बावजूद भी मजदूरों की निरन्तर तीन महीनों के बाद तैनाती वित्त विभाग की पूर्वानुमति बिना अनुमत्य नहीं थी जोकि इन मामलों में प्राप्त नहीं की गई।

4.1.5.5 स्थानान्तरण तथा आवर्तन नीति का कार्यान्वयन न होना

(i) सरकार की स्थानान्तरण तथा आवर्तन नीति के अनुसार अधिशाषी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता क्रमशः उनके अपने जिलों और गृह मण्डलों में नहीं लगाए जाने चाहिए। इसके विपरीत, 13 अधिशाषी अभियन्ता तथा 40 सहायक अभियन्ता क्रमशः उनके अपने जिलों तथा गृह मण्डलों में तीन और 105 महीनों की अवधि हेतु लगाए गए। पंजीयक ने बताया (दिसम्बर 2000) कि इन अधिकारियों की तैनाती तथा स्थानान्तरण सरकार के स्तर पर हुआ था। सरकार का उत्तर मई 2001 तक प्रतीक्षित था।

(ii) सरकार ने अनुदेश जारी (जुलाई 1998) किए कि जनजाति क्षेत्रों में सभी रिक्त पदों को सम्बन्धित प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर विशेष अभियान से उन क्षेत्रों को कर्मचारियों के स्थानान्तरण द्वारा भरे जाएंगे। किसी भी श्रेणी के पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे और जनजाति क्षेत्रों के लिए कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश निरस्त नहीं होंगे।

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 1998-2001 के दौरान जनजाति क्षेत्रों¹⁴ के छः मण्डलों¹⁵ में विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत बड़ी संख्या में पद खाली पड़े थे, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	कनिष्ठ अभियन्ता	रिक्तता की अवधि (महीनों में)	कनिष्ठ प्राकृतिकार	रिक्तता की अवधि (महीनों में)	लिपिक वर्गीय	रिक्तता की अवधि (महीनों में)
1998-99	9	4 से 24	7	3 से 15	4	26 से 38
1999-2000	18	12 से 21	6	15 से 27	4	38 से 51
2000-2001	16	24 से 33	6	27 से 36	4	50 से 62

यह भी देखा गया कि अगस्त 1998 तथा मई 2001 के मध्य 57 कर्मचारियों के लिए गए स्थानान्तरण में से 29 कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश तत्पश्चात् या तो निरस्त कर दिए अथवा संशोधित कर दिए गए।

अतः सरकारी अनुदेशों का पालन नहीं हुआ।

¹⁴ चम्बा, किन्नौर तथा लाहौल व स्पिती

¹⁵ भरमौर, काजा, केलांग, किलाड़, पूह तथा रिकांग पिओ

4.1.5.6 प्रशिक्षण

1998-2001 के दौरान प्रमुख अभियन्ता द्वारा न तो विभाग में तैनात जनशक्ति को तकनीकी व गैर-तकनीकी प्रशिक्षण आवश्यकता का निर्धारण किया और न ही उनकी दक्षता को आधुनिकता देने हेतु कोई प्रशिक्षण दिया। प्रमुख अभियन्ता ने कोई टिप्पणी/कारणों का खुलासा नहीं किया।

4.1.6 कार्यक्रम क्रियान्वयन

1998-2001 के दौरान राज्य में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के अन्तर्गत परिचालन में चार योजना कार्यक्रम¹⁶ (उपक्षेत्र) थे। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण मुख्य अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं तथा अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा परियोजनाओं और स्कीमों के निरीक्षण से किया गया।

मार्च 2001 तक विभाग द्वारा निर्मित 1,620 लघु सिंचाई स्कीमों में से नमूना जांच की गई 469 स्कीमों के अभिलेखों से निम्नलिखित बातों का पता चला:

4.1.6.1 स्कीमों की दोषपूर्ण योजना तथा रूपांकन

269 हैक्टेयर कृषियोग्य कमांड क्षेत्र को आवृत्त करने वाली चालू स्कीमों के कुचालन के कारण नमूना-जांच के दौरान निम्नलिखित दोषपूर्ण रूपांकन के मामले ध्यान में आए:

(क) ग्राम पंचायत, चांदपुर (बिलासपुर जिला) में 164 हैक्टेयर कृषियोग्य कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा जुटाने को सरकार द्वारा दो चरणों में कोठी चांदपुर की उठाऊ सिंचाई स्कीम के निर्माणार्थ 19.95 लाख ₹ अनुमोदित (दिसम्बर 1977) किए जो 1.53 करोड़ ₹ की लागत से अक्टूबर 1999 में पूर्ण की गई। स्कीम के पहले चरण का काम 1977-78 में आरम्भ किया गया और इसके कुछ घटकों पर 1989-90 तक 20.14 लाख ₹ का खर्च हुआ। शेष कार्य 1990-92 के दौरान मुख्य अभियन्ता, यू.एस. ऐड द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 1990) 18.44 लाख ₹ के आकलन के प्रति 19.98 लाख ₹ की लागत से पूर्ण किया गया। चरण-1 की जांच अगस्त 1992 में की गई।

बिलासपुर मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (जनवरी 2001) कि चरण-1 की पूर्णता पश्चात् सिंचाई सुविधा नहीं जुटाई गई क्योंकि समस्त कृषियोग्य कमांड क्षेत्र चरण-1 के बाद आता था। तदनुसार, सरकार ने स्कीम के चरण-1 के निर्माणार्थ 80.51 लाख ₹ का दूसरा आकलन अनुमोदित (अगस्त 1996) किया, जिसे 1.22 करोड़ ₹ (8.52 लाख ₹ की अप्रयुक्त सामग्री लागत सहित) की लागत से अक्टूबर 1999 में पूर्ण किया गया। आरम्भिक स्थल पर मुख्य जल वितरिकाओं के न बिछाने के कारण, क्योंकि संरक्षण में आने वाली निजी भूमि के मालिक ने उनके बिछाने पर आपत्ति कर दी, सिंचाई सुविधा नहीं जुटाई गई (जनवरी 2001)। स्कीम के अनुष्णण पर अप्रैल 1998 तथा दिसम्बर 2000 के मध्य 4.65 लाख ₹ का व्यय भी किया गया।

अधिशाषी अभियन्ता ने बताया (जनवरी 2001) कि भू-स्वामी के साथ झगड़े को निपटा लिया गया था तथा शेष भाग में जल वितरिकाएं बिछाकर शीघ्र सिंचाई सुविधा जुटा दी जाएगी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित (जुलाई 2001) थी। अतः स्कीम के निर्माण तथा अनुष्णण पर किया गया 1.58 करोड़ ₹ का व्यय निष्फल रहा।

(ख) उठाऊ सिंचाई स्कीम, नेरी जामली (बिलासपुर जिला) 31.58 लाख ₹ की लागत से पूर्ण की गई (मार्च 1987) और 105 हैक्टेयर कृषियोग्य कमांड क्षेत्र की सिंचाई हेतु चालू की गई। मार्च

¹⁶ मुख्य तथा मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, कमांड क्षेत्र विकास तथा बाढ़ नियंत्रण

1997 तथा मार्च 1999 के मध्य सुधारात्मक कार्यों पर 5.86 लाख ₹ भी खर्च किए गए। आकलनों के अनुसार वर्षा से क्षतिग्रस्त सम्भावित क्षेत्र से गुजरने वाले संरेखण में प्रबलीकृत सीमेंट कंकरीट वाली मुख्य जल वितरिकाओं को बिछाया जाना अपेक्षित था।

बिलासपुर मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला (जनवरी 2001) कि नेरी गांव में अक्टूबर 1997 के दौरान भारी भू-स्खलनों के कारण 225 मीटर लम्बी प्रबलीकृत सीमेंट कंकरीट की मुख्य जल वितरिकाएं बह गईं, जिसके परिणामस्वरूप 82 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कार्य में रूकावट आई। क्षतिग्रस्त भाग की स्तह की जांच राज्य भू-विज्ञानी द्वारा करवाई गई जिसने बताया (सितम्बर 1998) कि उक्त क्षेत्र भू-स्खलनीय क्षेत्र था और भू-स्खलनों की जांच हेतु विशेष उपायात्मक पग उठाने तथा प्रबलीकृत सीमेंट कंकरीट पाईप लाइनों को लोहे की पाइप लाइनों में बदलने की सिफारिश की। मरम्मत का कार्य जून 2001 तक आरम्भ नहीं किया गया था।

अधिकांश अभियन्ता ने बताया (जनवरी 2001) कि उक्त संरेखण वैकल्पिक संरेखण की अनुपलब्धता की स्थिति में अपनाया जाना था। उसने यह भी बताया कि मरम्मत कार्य में 4.36 लाख ₹ की लागत वाली 1320 मीटर लम्बी प्रबलीकृत सीमेंट कंकरीट पाईप लाइन को गिराना भी सम्मिलित होगा। अतः भू-विज्ञानी की पूर्व राय प्राप्त किए बिना मुख्य जल वितरिका के दोषपूर्ण रूपांकन के कारण 4.36 लाख ₹ की हानि हुई जो 82 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा न जुटा पाने से अलग थी।

4.1.6.2 पर्याप्त सर्वेक्षण तथा जांच-पड़ताल न करना

स्कीम के निष्पादन से पूर्व उसका विस्तृत सर्वेक्षण तथा फील्ड जांच-पड़ताल करवानी चाहिए और विभिन्न तकनीकी, वित्तीय तथा प्रशासकीय पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

स्कीमों के निष्पादन पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण और पर्याप्त जांच करवाने में विफल रहने से उनका अनुपयुक्त परिचालन किया गया जैसी कि नीचे चर्चा की गई है:

(क) कुमसू गांव (शिमला जिला) के 144 हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र की सिंचाई के लिए बहाव सिंचाई स्कीम, कुमसू की 15.457 किलोमीटर लम्बी कुहल रामपुर मण्डल द्वारा 37.66 लाख ₹ की लागत से निर्मित (सितम्बर 1992) की गई। प्रारम्भिक सर्वेक्षण तथा जांच-पड़ताल के अनुसार कुहल का समस्त संरेखण क्षेत्र नरम रेतीली-मट्टियार मिट्टी से गुजरता था और सतह अस्थिर तथा वर्षा क्षतियों के लिए असुरक्षित थी। 25 मीटर कुहल विस्तार, वर्षा क्षतियों की बहाली, विशेष मरम्मतों, कार्यचालन व अनुसंधान और पुनर्निर्माण कार्यों पर वर्ष 2000-2001 तक 35.74 लाख ₹ का व्यय किया गया।

स्कीम के अविवेकपूर्ण निर्माण से 73.40 लाख ₹ का व्यय व्यर्थ रहा।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (दिसम्बर 2000) कि जबकि 1992-97 के दौरान कोई सिंचाई सुविधा नहीं जुटाई गई, तब भी 1998-2000 के दौरान 0.73 हेक्टेयर तथा 7.43 हेक्टेयर के मध्य नगण्य क्षेत्र की सिंचाई की गई।

अधिकांश अभियन्ता, रामपुर के निर्देशों (दिसम्बर 1997) पर कुहल के पुनर्निर्माण हेतु वैकल्पिक संरेखण के चयन हेतु नया सर्वेक्षण करवाया (मार्च 1998) गया किन्तु कुहल के पुनर्संरेखण को उपयुक्त नहीं पाया गया।

उक्त परिस्थितियों में कुहल के अविवेकी निर्माण से 73.40 लाख ₹ का व्यय निष्फल रहा।

(ख) स्कीम की निर्भरता का निर्णय करने हेतु जांच-पड़ताल किए गए पानी के स्रोत की क्षमता का सही निर्धारण आवश्यक है।

स्कीम के जल स्रोत की विश्वसनीयता जानने की विफलता के कारण 33.27 लाख ₹ का निष्फल व्यय हुआ।

नाहन मण्डल (अक्टूबर 2000) के अभिलेखों की जांच से पता चला कि मुख्य अभियन्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका सहायता परियोजना ने ग्राम पंचायत, नेई नेती (सिरमौर जिला) के अन्तर्गत 147 हैक्टेयर कृषियोग्य कमांड क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा जुटाने हेतु बहाव सिंचाई स्कीम (जनवरी 1990) का निर्माण तकनीकी रूप से अनुमोदित किया। स्कीम को 1992 के दौरान 32.77 लाख ₹ की लागत से चालू किया गया। 0.50 लाख ₹ स्कीम की मरम्मत तथा अनुसंधान पर भी खर्च किए गए। तथापि, स्कीम 1993 तथा 1994 के दौरान 6.18 और 7.99 हैक्टेयर (चार-पांच प्रतिशत) के मध्य क्षेत्र को सिंचाई सुविधा जुटा सकी जो नगण्य था। जुलाई 1994 में मुख्य चैनल की स्कीम व्यापकरूप से वर्षा ऋतु के दौरान क्षतिग्रस्त हुई तथा जनवरी 2001 तक मरम्मत नहीं की गई थी। इससे स्कीम निष्क्रिय हो गई। प्रमुख अभियन्ता ने बताया (जनवरी 2001) कि स्रोत निस्सरण में प्रबल कमी आने और वैकल्पिक स्रोत की अनुपलब्धता के कारण मरम्मत का कार्य और धन का अवरोधन रोकने के उद्देश्य से आरम्भ नहीं करवाया जा सका।

स्पष्ट है कि विस्तृत जांच-पड़ताल तथा स्रोत जल की विश्वसनीयता जाने बिना स्कीम का निष्पादन करने के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को इच्छित लाभ नहीं पहुंचा और 33.27 लाख ₹ का व्यय निष्फल रहा।

(ग) 101 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा जुटाने हेतु बहाव सिंचाई स्कीम, दीओरी (कुल्लू जिला) कुल्लू मण्डल द्वारा 1984-85 में बनाई गई, जिस पर 124 हैक्टेयर कृषियोग्य कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा जुटाने पर 11.39 लाख ₹ का व्यय किया गया। बाद में स्कीम को इसकी विरचना पर कुल्लू मण्डल-II, स्थित भुन्तर को मई 1999 में स्थानान्तरित कर दिया गया।

यह देखा गया कि स्कीम ने 1984-85 के दौरान चालू होने पर कभी भी सिंचाई सुविधा नहीं जुटाई, जबकि 1995 की वर्षा ऋतु में वर्षा से हुई क्षति के कारण यह निष्क्रिय हो गई। 1998-2001 के दौरान स्कीम के अनुसंधान पर 1.32 लाख ₹ का खर्च करने के बावजूद उसे फरवरी 2001 तक बहाल नहीं किया जा सका।

अधिकांश अभियन्ता ने बताया (मार्च 2001) कि स्कीम ने कोई सिंचाई सुविधा नहीं जुटाई क्योंकि इसके द्वारा आवृत्त क्षेत्र में पारम्परिक मक्का तथा गेहूं जैसी फसलों की पैदावार हेतु पर्याप्त वर्षा होती थी और किसानों ने नकदी फसलें लगाना शुरू नहीं किया था। अतः स्कीम का निर्माण सिंचाई हेतु पानी की मांग का निर्धारण किए बिना किया गया जिससे 12.71 लाख ₹ का व्यय निष्फल रहा।

4.1.6.3 स्कीमों के निष्पादन पर निष्फल व्यय

(क) तयाम्बला तथा कठयाऊण (मण्डी जिला) गावों की 117 हैक्टेयर सिंचाई योग्य भूमि में 40 हैक्टेयर कृषि कमांड क्षेत्र की सिंचाई हेतु उठाऊ सिंचाई स्कीम चरण-I 45.67 लाख ₹ की लागत से चालू (मार्च 2000) की गई।

बग्गी मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (फरवरी 2001) कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने निम्न श्रेणी के कण्डक्टर बिछाकर स्कीम को बिजली कनेक्शन दिया, जिसके कारण पम्प मशीनें सुचारु रूप से नहीं चल पाईं।

अधिकांश अभियन्ता ने बताया (फरवरी 2001) कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को पम्प मशीनरी सुचारु रूप से चलाने हेतु दोषयुक्त कण्डक्टर बदलने को कहा गया था। यह धारणा मान्य नहीं है, क्योंकि विभाग को पहले ही बिजली कनेक्शन ठीक से लगवाना चाहिए था। परिणामतः लाभार्थी सिंचाई सुविधा से वंचित रहे और 45.67 लाख ₹ का निष्फल व्यय हुआ।

(ख) उठाऊ सिंचाई स्कीम, कुंठालवी (हमीरपुर जिला) को उसी गांव के 51 हैक्टेयर कृषियोग्य कमान्द क्षेत्र को सिंचाई सुविधा जुटाने हेतु 4.34 लाख ₹ की लागत से चालू (1982-83) किया गया जिसके आकलन में बिजली की पम्प मशीनरी का प्रावधान होते हुए डीजल पम्प सैट दिए गए। 1991-2001 के दौरान स्कीम के अनुरक्षण पर 7.06 लाख ₹ खर्च किए गए।

बड़सर मण्डल के अभिलेखों की जांच से पता चला (मार्च 2001) की डीजल पम्पसैट के कार्य न करने के कारण स्कीम द्वारा इसकी चालन अवधि से कोई सिंचाई नहीं की गई। बिजली द्वारा पम्प मशीनरी चलाने के सुधारात्मक कार्यों पर 5.45 लाख ₹ की लागत फरवरी 2001 तक आ चुकी थी और कार्य चल रहा बताया गया। अधिशाषी अभियन्ता ने अनुमोदित आकलन से विचलन के कारण नहीं बताए।

अतः अनुमोदित आकलन से अनधिकृत विचलन के कारण लाभार्थियों को सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ा तथा 16.85 लाख ₹ का निष्फल व्यय हुआ।

(ग) 10 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु नलकूप मण्डल, गगरेट द्वारा 10.77 लाख ₹ की लागत से मदनपुर (ऊना जिला) में एक नलकूप खुदवाया और विकसित किया गया। नलकूप को जून 1997 में सिविल निर्माणकार्य और ऊर्जाकरण हेतु ऊना मण्डल संख्या-11 को सौंप दिया। उसी मण्डल ने सिविल निर्माणकार्य के निष्पादन तथा पम्प की मशीनरी जुटाने के लिए अधीक्षण अभियन्ता, ऊना को 15.36 लाख ₹ का आकलन भेजा (जनवरी 1999), जिसे अधीक्षण अभियन्ता ने इस आधार पर स्वीकृत नहीं किया कि स्कीम बीसी अनुपात बहुत कम होने के कारण यह वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं थी। इसके स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता ने मण्डल को जलापूर्ति स्कीम हेतु नलकूप प्रयोग की सम्भावना का पता लगाने का परामर्श दिया। जून 2001 तक नलकूप को जलापूर्ति स्कीम के प्रयोग हेतु कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः नलकूप की खुदाई तथा विकास पर किया गया 10.77 लाख ₹ का व्यय निष्फल हुआ।

4.1.6.4 आवृत्ति की गलत सूचना

नवम्बर 1995 में मुख्य अभियन्ता (रूपांकन तथा अनुश्रवण) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सिंचाई स्कीम तभी पूर्ण मानी जानी थी जब उससे लाभार्थियों को सिंचाई के लिए पानी मिलना आरम्भ होना था।

तीन मण्डलों¹⁷ में तीन स्कीमों द्वारा आवृत्त 292 हैक्टेयर कृषियोग्य कमान्द क्षेत्र की सिंचाई सम्भावना के सृजन की सूचना 1997-2000 के दौरान बिजली कनेक्शनों (दो स्कीम) का प्रावधान न करने तथा मुख्य कार्य (एक स्कीम) पूर्ण न होने के कारण उनको चालू करने की प्रत्याशा में दी गई।

अधिशाषी अभियन्ता ने बताया (जनवरी-मार्च 2001) कि स्कीमों का मुख्य कार्य निष्पादित होने पर आवृत्ति को सूचित किया गया था। धारणा मान्य नहीं है क्योंकि यह मुख्य अभियन्ता के अनुदेशों के विपरीत थी।

4.1.6.5 सृजित सिंचाई सम्भाव्यता की अल्पप्रयुक्ति

छः मण्डलों में 802 हैक्टेयर कृषियोग्य कमान्द क्षेत्र को आवृत्त करने वाली, 1974 तथा 1992 के मध्य 70.58 लाख ₹ की लागत से निर्मित, नौ स्कीमों ने 1997-2000 के दौरान एक तथा पांच प्रतिशत के मध्य के अधिकतम क्षेत्र की सिंचाई की। 1998-2001 के दौरान उनके अनुरक्षण पर 51.60 लाख ₹ भी खर्च किए गए। प्रत्येक स्कीम की सृजित सिंचाई सम्भाव्यता की अल्पप्रयुक्ति के कारणों को

तीन मण्डलों द्वारा 292 हैक्टेयर कृषियोग्य कमान्द क्षेत्र की आवृत्ति गलत सूचित की गई।

1.22 करोड़ ₹ की लागत से निर्मित और अनुरक्षित नौ स्कीमों की सिंचाई सम्भाव्यता की प्रयुक्ति एक तथा पांच प्रतिशत के मध्य रही।

¹⁷ बग्गी, बड़सर तथा बिलासपुर

परिशिष्ट- XVII में दिया गया है। पानी की निश्चित मांग के निर्धारण में विफलता, किसानों को सेवा विस्तार का प्रावधान, क्षतिग्रस्त चैनलों की बहाली तथा चैक विकास कार्यों का प्रावधान इस प्रकार सृजित सिंचाई सम्भाव्यता की अल्पप्रयुक्ति तथा स्कीमों के निर्माण और अनुरक्षण पर व्यर्थ निवेश में परिणत हुआ।

4.1.6.6 निष्क्रिय स्कीमें

चार मण्डलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 299 हैक्टेयर कृषियोग्य कमान्द क्षेत्र को आवृत्त करने वाली, 74.34 लाख ₹ की लागत से 1982-97 के दौरान निर्मित, पांच स्कीमें (अनुमानित लागत: 53.92 लाख ₹), जैसाकि परिशिष्ट-XVIII में दर्शाया गया है, विभिन्न कारणों से 1982-97 से निष्क्रिय पड़ी थी। इनमें से 14.61 लाख ₹ की लागत से निर्मित दो स्कीमें ने उनके लगने से एक बार भी कार्य नहीं किया। इन स्कीमों के ऊपर 1998-2001 के दौरान अनुरक्षण पर किया गया 0.55 लाख ₹ का व्यय भी व्यर्थ गया।

4.1.6.7. कार्यों पर अनियमित व्यय

(i) वित्तीय नियमानुसार कार्य प्रशासकीय अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति के बिना नहीं किए जाने थे।

इन नियमों के विपरीत आठ मंडलों¹⁸ में 1992-2001 के दौरान 45 स्कीमें (अनुमानित लागत: 5.42 करोड़ ₹) निष्पादनार्थ आरम्भ की गईं और तकनीकी स्वीकृति के बिना उनके निष्पादन पर 8.96 करोड़ ₹ खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त नौ मण्डलों¹⁹ में 53 स्कीमों के (अनुमानित लागत: 7.99 करोड़ ₹) निष्पादन पर अनुमोदित आकलनों के प्रावधानों से अधिक 5.55 करोड़ ₹ का खर्च किया गया। आधिक्य की प्रतिशतता 33 तथा 291 के मध्य रही। संशोधित आकलनों को नहीं बनाया गया था।

(ii) नमूना जांच किए गए 11 मण्डलों में आकलनों के बिना बनाए तथा स्वीकृत कराए 417 स्कीमों के अनुरक्षण पर 1998-2001 के दौरान 14.57 करोड़ ₹ व्यय किए गए।

(iii) सात मण्डलों²⁰ में विभिन्न स्कीमों के अनुरक्षण पर 6.23 करोड़ ₹ के स्वीकृत आकलनों के प्रति 8.61 करोड़ ₹ खर्च किए गए जिसके परिणामस्वरूप 2.38 करोड़ ₹ का अधिक व्यय हुआ, जो नियमित नहीं किया गया था।

4.1.6.8 जल प्रभारों (एबियाना) का निर्धारण तथा वसूली

पानी की दरें हिमाचल प्रदेश लघु नहर अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जा रही है। अधिनियम में प्रावधान है कि दरें स्थापित प्रणाली हेतु अनुरक्षण एवं परिचालन प्रभारों तथा पानी प्रभारों के संग्रहण की लागत को ध्यान में रखकर निश्चित की जाएगी।

नमूना-जांच किए गए 11 मण्डलों में, 1998-2001 के दौरान केवल 3.75 लाख ₹ के एबिआना निर्धारणार्थ तैनात किए गए स्टाफ के वेतन पर 58.10 लाख ₹ खर्च किए गए। यह भी देखा गया कि 37.30 लाख ₹ के कुल एबियाना, जिसमें 31 मार्च 1998 को बकाया 33.55 लाख ₹ भी

विभिन्न कारणों से पांच स्कीमों पर खर्च किए गए 74.89 लाख ₹ व्यर्थ गए।

आठ मण्डलों द्वारा तकनीकी स्वीकृति के बिना 45 स्कीमों पर 8.96 करोड़ ₹ खर्च किए गए।

3.75 लाख ₹ के एबिआना निर्धारणार्थ तैनात स्टाफ पर 58.10 लाख ₹ खर्च किए गए।

¹⁸ बग्गी, बड़सर, बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू-II, नालागढ़, पालमपुर तथा ऊना-II

¹⁹ बग्गी, बड़सर, बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू-II, नालागढ़, पालमपुर, पांवटा साहब तथा ऊना-II

²⁰ बग्गी, धर्मशाला, कुल्लू-II, पांवटा साहिब, रामपुर, सुन्नी तथा ऊना-II

सम्मिलित थे, के प्रति मार्च 2001 तक केवल 1.43 लाख रू0 वसूल किए गए तथा 35.87 लाख रू0 शेष रहते थे।

अतः उद्देश्यार्थ तैनात स्टाफ पर किया गया व्यय एबियाना के निर्धारण तथा संग्रहण के अनुरूप नहीं था।

4.1.6.9 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

(क) प्रमुख अभियन्ता द्वारा जून 1994 में जारी तथा अप्रैल 2000 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यों का प्रत्येक मास निरीक्षण करना तथा निरीक्षण टिप्पणियां अभिलिखित करना अपेक्षित था। सितम्बर 2000 में प्रमुख अभियन्ता द्वारा इंगित किया गया कि उपरोक्त अनुदेशों के अनुपालना प्रतिवेदन फील्ड अधिकारियों से प्राप्त नहीं हो रहे थे।

नमूना जांच किए गए 11 मण्डलों में देखा गया कि संबंधित अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा 1998-2001 के दौरान किए जाने वाले न्यूनतम 369 निरीक्षणों में से केवल 76 निरीक्षण किए गए जिसके कारण 293 निरीक्षण कम (79 प्रतिशत) हुए। इसी भांति अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा किए जाने वाले समान संख्या के मासिक निरीक्षणों में से केवल 57 निरीक्षणों की निरीक्षण टिप्पणियां अभिलिखित थी, परिणामतः 312 निरीक्षण कम (85 प्रतिशत) किए गए।

अधिशाषी अभियन्ताओं ने बताया (दिसम्बर 2000-मार्च 2001) कि निरीक्षण नियमित रूप से किए जा रहे थे किन्तु कार्य की अधिकता के कारण निरीक्षण टिप्पणियां कुछ मामलों में ही लिखी गईं। यह धारणा मान्य नहीं है, क्योंकि प्रमुख अभियन्ताओं के अनुदेशों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण स्कीमों का कम अनुश्रवण हुआ।

(ख) पूर्ण की गई स्कीमों के संबंध में नमूना जांच किए गए किसी भी मण्डल में उनकी उपयोगिता का लागत लाभ अनुपात का पता नहीं लगाया गया ताकि उनकी वित्तीय व्यवहार्यता निर्धारित की जा सकती। अधिशाषी अभियन्ताओं ने गलती का कारण विभाग में ऐसी प्रक्रिया की विद्यमानता न होना बताया।

(ग) राज्य में सिंचाई स्कीमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन नहीं किया गया जिससे उनका लाभार्थियों के सामाजिक, आर्थिक सुधार पर प्रभाव का निर्धारण किया जाता और भविष्य में उपायात्मक पग उठाए जाते।

4.1.6.10 अन्य रुचिकर प्रसंग

(i) पूर्णता प्राप्त कार्यों के लेखों को बन्द न करना

18.19 करोड़ रू0 की पूर्ण की गई 261 स्कीमों के पूर्णता प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए थे।

आठ मण्डलों²¹ के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (जनवरी-मार्च 2001) कि 1968-99 के दौरान 18.19 करोड़ रू0 की लागत से 21,509 हेक्टेयर कृषियोग्य कमांड क्षेत्र को आवृत्त करने वाली 261 स्कीमों निर्मित की गई किन्तु इन स्कीमों की अपेक्षित पूर्णता रिपोर्ट तैयार नहीं की गई जैसा कि संहिता प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित था। अतः मण्डलों को पूर्ण की गई स्कीमों के असमायोजित दायित्वों का पता नहीं था तथा कपटपूर्ण लेखा समायोजनों के माप लेने के खतरे से परिपूर्ण हैं।

²¹ बग्गी, बड़सर, बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू-II, नालागढ़, पालमपुर तथा पांवटा साहब

(ii) अग्रिम भुगतानों का अंतिम व्यय के रूप में प्रभारित किया जाना

नौ मण्डलों²² में 33 स्कीमों को बिजली आपूर्ति हेतु मार्च 1993 तथा दिसम्बर 1999 के मध्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अग्रिम के रूप में दिए गए 1.08 करोड़ ₹ कार्य की पूर्णता की प्रत्याशा में उच्चतम शीर्ष "विविध कार्य अग्रिम" के नामे डालने के स्थान पर स्कीमों के अंतिम लेखा शीर्ष के नामे डाले गए। इनमें से 69.87 लाख ₹ के भुगतान से अन्तर्ग्रस्त 23 स्कीमों के संबंध में बिजली की आपूर्ति 1995-96 और 2000-2001 (जनवरी 2001 तक) के मध्य पूर्ण की गई थी किन्तु भुगतानों के संबंध में प्रयुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।

अधिकांश अभियन्ताओं ने बताया (दिसम्बर 2000-मार्च 2001) कि उपलब्ध बजट को प्रयोग करने के लिए भुगतानों को लेखे के अंतिम शीर्षों को प्रभारित किया गया तथा प्रयुक्ति प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करने का मामला पत्राचार के अंतर्गत बताया गया। यह धारणा मान्य नहीं है, क्योंकि मण्डलों की कार्रवाई वित्तीय नियमों के अनुसार नहीं थी।

4.17 सामग्री प्रबन्धन तथा मदसूची निश्चरण

(i) भण्डारों का अनावश्यक प्रापण

वित्तीय नियमों में अनुबन्ध है कि भण्डारों को कार्यों की निश्चित आवश्यकता के बिना अथवा उससे अधिक नहीं खरीदा जाना चाहिए।

अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर को चार सिंचाई तथा बाढ़ कार्यों के लिए रामपुर मण्डल ने 5.13 टनों की अन्त संयोजक जंजीरों की आवश्यकता मांग भेजी (नवम्बर 1999)। इसके प्रति अधीक्षण अभियन्ता ने मुख्य अभियन्ता (दक्षिण) को 18.425 टन जीआई तार की मांग भेजी जिसने 4.93 लाख ₹ की लागत से 18 टन जी आई तार का प्रापण (जनवरी 2000) किया। इसके परिणामस्वरूप 3.52 लाख ₹ की 12.87 टन तार का अधिक प्रापण हुआ जो मार्च 2001 तक भण्डार में अप्रयुक्त पड़ी थी।

(ii) सामग्री लागत का मिथ्या असमायोजन

कार्यों के निष्पादन हेतु सामग्री आवश्यकता बगैर मार्च 1998 तथा मार्च 2000 के मध्य 29 कार्यों के प्रति आठ मण्डलों²³ द्वारा 1.14 करोड़ ₹ की सामग्री का मिथ्या लेखांकन किया गया। सामग्री की कीमत अनुवर्ती वर्षों में अप्रैल 1998 तथा दिसम्बर 2000 के मध्य भण्डार में वापिस ले ली गई।

अधिकांश अभियन्ताओं ने बताया (दिसम्बर 2000-मार्च 2001) कि मिथ्या लेखांकन का कारण उपलब्ध आबंटित बजट का प्रयोग तथा निधियों को समाप्त होने से रोकना था। यह धारणा मान्य नहीं है क्योंकि यह वित्तीय नियमों के विरुद्ध था।

(iii) भण्डारों को न सौंपना

तीन मण्डलों²⁴ के अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभाग की अन्य इकाइयों को स्थानान्तरित चार कनिष्ठ अभियन्ता भण्डारों के प्रमात्रा अभिलेखों सहित उनका प्रभार सौंपे बगैर सितम्बर 2000 तथा जनवरी 2001 के मध्य कार्यभार से मुक्त किए गए। संबंधित अधिकांश अभियन्ताओं ने न सौंपे गए भण्डारों का मूल्य निकालने तथा अभिलेखों व भण्डारों के कार्यभार सौंपने की सुनिश्चितता हेतु

²² बग्गी, बड़सर, धर्मशाला, कुल्छू-II, नालागढ़, पालमपुर, पांवटा साहिब, सुन्नी तथा ऊना-II

²³ बग्गी, बिलासपुर, कुल्छू-II, नालागढ़, पालमपुर, पांवटा साहिब, सुन्नी तथा ऊना-II

²⁴ बिलासपुर, धर्मशाला तथा पांवटा साहब

प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी। अतः इन मामलों में सामग्री दुरुपयोग की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता।

(iv) अधिक भण्डार शेषों पर नियंत्रण न रखना

कोडल प्रावधानों में अपेक्षित है कि निधियों का अवरोधन रोकने को संबंधित वर्षों हेतु भण्डार शेषों के विनियमन की दृष्टि से मण्डल की वित्तीय सुरक्षित भण्डार सीमा का पूर्व निर्धारण किया जाए। यह देखा गया कि किसी मामले में प्रमुख अभियन्ता द्वारा संबंधित वर्ष के आरम्भ में वार्षिक सुरक्षित भण्डार सीमा निर्धारित नहीं की तथा अधिक भण्डार शेषों का विनियमन कार्यान्तर स्वीकृतियों द्वारा किया गया। इससे सुरक्षित भण्डार सीमा निर्धारण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

(v) अभिलेखों का अनुपयुक्त अनुरक्षण

(क) भण्डारों की प्राप्ति व निर्गम दर्ज करने वाले बिन कार्डों को अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है। बंद किए गए बिन कार्डों को भी उप-मण्डलों द्वारा मण्डलीय कार्यालयों को वापिस किया जाना अपेक्षित है।

यह देखा गया कि पांच मण्डलों²⁵ द्वारा जारी 4,383 बिन कार्डों में से 3,125 बंद किए गए बिन कार्ड उप मण्डलों में पड़े हुए थे तथा मार्च 2001 तक संबंधित मण्डलीय कार्यालयों को वापस नहीं किए गए।

(ख) नमूना जांच किए गए सात मण्डलों²⁶ में मूल्य भण्डार खातों का अनुरक्षण नहीं किया गया। बिलासपुर, पांवटा साहब तथा रामपुर मण्डलों में खातों का अनुरक्षण किया गया किन्तु नियमों में अपेक्षितानुसार मूल्य भण्डार खातों के साथ बिन कार्ड शेषों का समाधान नहीं किया गया।

(ग) पांच मण्डलों²⁷ में 1998-2001 के दौरान कुल 1.32 करोड़ ₹ (स्थानीय खरीद: 75 लाख ₹ तथा दर संविदा खरीद: 57 लाख ₹) की खरीदें की गई किन्तु अपेक्षित आपूर्ति आदेश रजिस्ट्रों का अनुरक्षण नहीं किया गया।

यह तथ्य सरकार को जून 2001 में बताए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

²⁵ बग्गी, बिलासपुर, नालागढ़, पालमपुर तथा ऊना-॥

²⁶ बग्गी, बडसर, धर्मशाला, कुल्लू-॥, नालागढ़, पालमपुर तथा सुन्नी

²⁷ बग्गी, बिलासपुर, धर्मशाला, नालागढ़ तथा ऊना-॥

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

4.2 पेयजल

मुख्य बातें

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से नहीं चलाया गया और राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का 38 प्रतिशत मार्च 2001 तक आवृत्त करने को रहता था। बहुत सी स्कीमों को अल्प समय के लिए रूपांकित किया गया। सुनियोजित ढंग से ग्रामीण तथा शहरी जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन न करने के कारण विशेष समय लगा और लागत में वृद्धि हुई। बहुत से मामलों में स्कीमों के पूर्ण होते ही जल स्रोत कम हो गए तथा अतिरिक्त लागत से फिर चालू किए गए। विभिन्न जल परीक्षणों को करने में असाधारण कमी हुई थी। बहुत से मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अशोधित पेय जलापूर्ति की जा रही थी। नमूना जांच के परिणामस्वरूप ध्यान में आई विशेष बातें नीचे दी गई हैं:-

** 41.86 लाख रु० को सरकारी लेखे से बाहर रखने के कारण सरकार को 22.51 लाख रु० के व्यय की हानि हुई।

[परिच्छेद 4.2.4.1(iii)]

** जलापूर्ति एवं अभिक्रिया नियम पुस्तिका, 1984 में निर्दिष्ट अनुदेशों के विपरीत 208 स्कीमों से 7,193 घरेलू कनेक्शन दिए गए जो 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के लिए अभिकल्पित की गई थी तथा जिसकी जलापूर्ति केवल पब्लिक स्टैंड पोस्ट द्वारा की जाती थी।

[परिच्छेद 4.2.4.2(i)(क)]

** स्कीमों के वास्तविक रूप से प्रारंभ होने की प्रत्याशा में 19,573 जनसंख्या वाली 197 बस्तियों की गलत रूप में आवृत्ति की गई।

[परिच्छेद 4.2.4.3(ii)]

** 11 मण्डलों द्वारा मार्च 2001 तक बिना तकनीकी स्वीकृति के 318 स्कीमों के निष्पादन पर 51.60 करोड़ रु० खर्च किए गए।

[परिच्छेद 4.2.4.4(i)]

** 40 स्कीमों के निष्पादन में विलम्ब के कारण 12 से 108 महीनों के लगे अधिक समय के अतिरिक्त 4.12 करोड़ रु० की लागत वृद्धि हुई।

[परिच्छेद 4.2.4.4(ii)(क)]

** जल संधि जलापूर्ति स्कीम, जिसकी सव्यद्धि 38.21 लाख रु० की लागत से की गई और अगस्त 2000 में चालू की गई, स्टाफ की तैनाती न करने के कारण निष्क्रिय रही।

[परिच्छेद 4.2.4.4(iii)]

** 10 मण्डलों में ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के संबन्ध में किए गए भौतिक, रसायनिक और जैविक विज्ञानीय परीक्षणों की गिरावट 67 तथा 87 प्रतिशत के मध्य रही।

[परिच्छेद 4.2.4.5(i)]

** 59.62 लाख रुप० की लागत का 10,545 लाख लीटर पानी मार्ग में तथा तीन स्कीमों के वितरण में व्यय बह गया।

[परिच्छेद 4.2.5.2(i) (क)]

** 13 नगरों की 14 शहरी जलापूर्ति स्कीमों के संबंध में 1990-2001 के दौरान किए गए भौतिक, रसायनिक तथा जीवाणु-विज्ञानीय परीक्षणों की गिरावट 45 और 91 प्रतिशत के मध्य रही।

[परिच्छेद 4.2.5.4(i)]

** आठ सपडलों से 1997-2001 के दौरान कर्षसिंटर न लगाने/अवानुपात कर्षसिंटर हेतु हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड को अधिभार के 1.15 करोड़ रुप० का भुगतान किया गया और इसके अतिरिक्त इसी अवधि के दौरान ऊर्जा बिलों के विलम्बित भुगतान हेतु अधिभार के 1.41 करोड़ रुप० दिए गए।

(परिच्छेद 4.2.8)

** जलापूर्ति स्कीमों का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण नहीं किया गया।

(परिच्छेद 4.2.9)

4.2.1 परिचय

पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के लोगों को विभिन्न ग्रामीण तथा शहरी जलापूर्ति स्कीमों द्वारा सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल जुटाना है। राज्य में जलापूर्ति स्कीमों मुख्यतः उदाऊ जलापूर्ति स्कीमों हैं और उनमें से थोड़ी संख्या गुरुत्व जलापूर्ति स्कीमों की है। लाभार्थियों को पानी जुटाने हेतु राज्य में हैंडपम्प भी लगाए गए हैं।

(क) ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों

राज्य सरकार ने उत्तरोत्तर पंच वर्षीय योजनाओं के द्वारा और त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त तथा सुरक्षित पेयजल जुटाने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों सूत्रबद्ध की। सुरक्षित पेयजल जुटाकर ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार और उनमें असुरक्षित पानी के प्रयोग से खतरे के प्रति जागरूकता लाने के लिए 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया गया और जिसका नाम बदलकर 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। कार्यक्रम की मुख्य प्राथमिकता अनावृत्त/आंशिक आवृत्त निवासियों को जलापूर्ति जुटाना था। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 45,367 बस्तियां (जनसंख्या 47.22 लाख) थीं। इनमें से मार्च 2001 तक 32,116 बस्तियां (जनसंख्या: 29.12 लाख) पूर्णतः आवृत्त थीं और शेष 13,251 बस्तियां (जनसंख्या 18.10 लाख) आंशिक आवृत्त/अनावृत्त श्रेणी की थीं।

(ख) शहरी जलापूर्ति स्कीमों

राज्य में 55 शहरी समूह (जनसंख्या: 4.49 लाख⁴) थे। इनमें से 44 नगर-शहरी जलापूर्ति स्कीमों, सात छावनी बोर्ड द्वारा निर्मित स्कीमों, आवास बोर्ड तथा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड और चार ग्रामीण जलापूर्ति

⁴ स्रोत: हिमाचल प्रदेश की सांख्यिकी रूपरेखा

स्कीमों द्वारा आवृत थे। विभिन्न नगरों की विद्यमान जलापूर्ति स्कीमों पर्याप्त पुरानी थी और उन्हें संवर्धन की जरूरत थी जिसके लिए उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में प्रावधान किए गए थे।

इस संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक-(सिविल)- 31 मार्च 1997 तथा 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिवेदनों के क्रमशः परिच्छेद 4.1 तथा 4.1 में ध्यान दिलाया गया था जो राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल, मिशन तथा शहरी जलापूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की समीक्षा पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई थी, जबकि शहरी जलापूर्ति स्कीमों की समीक्षा पर चर्चा नहीं की गई थी। लोक लेखा समिति की सिफारिशों को वर्तमान समीक्षा में उपयुक्त ढंग से समाविष्ट किया गया है।

4.2.2 आगामी कार्य

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अभियन्ता जलापूर्ति स्कीमों के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी थे। विभाग के तीन क्षेत्र थे, प्रत्येक का मुखिया मुख्य अभियन्ता था। विभाग का पूर्ण नियंत्रण राज्य सरकार के वित्तीय आयुक्त एवं सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) के पास था। विभाग के 49 मण्डलों में से 43 दोनों ग्रामीण तथा शहरी जलापूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन में व्यस्त थे।

4.2.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

1997-2001 की अवधि हेतु ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के सम्बन्ध में 11 मण्डलों¹ और 1999-2001 की अवधि हेतु शहरी जलापूर्ति स्कीमों के संबंध में नौ मण्डलों² के अभिलेखों की दिसम्बर 2000-मार्च 2001 के दौरान समीक्षा की गई। यह प्रमुख अभियन्ताओं के कार्यालयों से प्राप्त सूचना और मण्डलों के स्थानीय निरीक्षण के दौरान ध्यान में आए विभिन्न तथ्यों की संपूरक थी।

समीक्षा परिणामों को आगामी परिच्छेदों में समाविष्ट किया गया है:-

4.2.4 ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों

4.2.4.1 वित्तीय लागत तथा व्यय

ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन का व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य निधियों से किया जाता है। केन्द्रीय सहायता भी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुकूल प्रावधान/व्यय के आधार पर त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विहित की जाती है। 1997-2001 के दौरान राज्य तथा केन्द्रीय सैक्टरों का बजट प्रावधान तथा व्यय निम्नलिखित था:-

अवधि	स्टेट सेक्टर						सेंट्रल सेक्टर	
	बजट			व्यय			प्राप्त सहायता	व्यय
	योजना	आयोजना	अन्य	योजना	आयोजना	अन्य		
(करोड़ रुपए)								
1997-2001	297.41	305.53	602.94	340.90	313.13	654.03	139.45 *	137.71

* 2.13 करोड़ ₹ के अव्ययित शेषों सहित

निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:

¹ देहरा, धर्मशाला, घुमाखी, हमीरपुर, मण्डी, सरकाघाट, शिमला नं०।, सोलन, थुल तथा ऊना नं०। तथा ॥
² देहरा, धर्मशाला, हमीरपुर, मण्डी, सरकाघाट, शिमला नं०। व ॥ तथा ऊना नं०। तथा ॥

(i) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों के निर्माण का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत से अधिक नहीं किया जाना था। अनुमोदित लागत से अधिक किया गया कोई भी व्यय राज्य निधियों से वहन किया जाना था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नौ मण्डलों³ में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 7.90 करोड़ ₹ की अनुमोदित लागत के प्रति 34 जलापूर्ति स्कीमों के निर्माण पर 1997-2001 के दौरान 13.17 करोड़ ₹ खर्च किए गए। इसके कारण केन्द्रीय अनुदानों का 5.27 करोड़ ₹ का अनधिकृत विचलन हुआ क्योंकि अधिक व्यय राज्य निधियों द्वारा वहन किया जाना था। संबंधित कार्यकारी अभियन्ताओं द्वारा अधिक व्यय का कारण मुख्यतः कीमतों और मजदूरी में वृद्धि होना बताया गया। यह धारणा मान्य नहीं है क्योंकि अनुमोदित लागत के अतिरिक्त का व्यय राज्य निधियों से वहन किया जाना था।

(ii) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त 19.69 लाख ₹ शहरी जलापूर्ति स्कीम (हमीरपुर) पर निधियों के व्ययगमन रोकने हेतु अनियमित रूप से खर्च (फरवरी 2000) किए गए।

(iii) 1997-2000 के दौरान (मार्च 1997: 45.60 लाख ₹; मार्च 1999: 73.80 लाख ₹ तथा मार्च 2000: 17.50 लाख ₹) शिमला मण्डल नं० 1 द्वारा हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के पास जमा करवाए गए 1.37 करोड़ ₹ में से 95.04 लाख ₹ बाद में आहरण करके उक्त मण्डल द्वारा कम्प्यूटर्स के प्रापण तथा प्रतिष्ठापन के लिए जून 1999 (59.90 लाख ₹), मार्च 2000 (25 लाख ₹) तथा सितम्बर 2000 (10.14 लाख ₹) के दौरान प्रयुक्त किए। शेष 41.86 लाख ₹ जून 2001 तक हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के पास अप्रयुक्त पड़े हुए थे। अधिशाषी अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 2000) कि निधियां अस्थाई रूप से उक्त निगम के पास जमा करवाई गई थी और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रयुक्त की गई। इस प्रकार निधियां सरकारी लेखे से बाहर रखी गईं। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार से अप्रैल 1997 से जून 2001 की अवधि हेतु ओवरड्राफ्टों पर प्रभारित ब्याज के कारण सरकार को हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के पास धन रखने से 22.51 लाख ₹ के ब्याज की हानि हुई।

(iv) नमूना जांच किए 11 मण्डलों में बिजली की आपूर्ति हेतु 1997-2001 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 3.70 करोड़ ₹ दिए गए और अनियमित रूप से अंतिम लेखा शीर्ष को प्रभारित किए गए। दी गई राशि के प्रयुक्ति प्रमाणपत्र प्रतीक्षित (मार्च 2001) थे।

(v) 6 मण्डलों⁴ में 1997-2001 के दौरान 35.35 करोड़ ₹ के कुल व्यय में से 20.67 करोड़ ₹ (58 प्रतिशत) वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान और 16.14 करोड़ ₹ (46 प्रतिशत) मार्च में वित्तीय नियमों के विपरीत खर्च किए गए।

(vi) कृषि विज्ञान केन्द्र, बाड़ा की संवर्धन जलापूर्ति स्कीम के लिए जिला योजना अधिकारी ने फरवरी 1996 में हमीरपुर मण्डल को 20 लाख ₹ जुटाए। यह देखा गया कि राशि जमा शीर्ष के अन्तर्गत मार्च 2001 तक प्रशासनिक अनुमादेन के अभाव में रखी हुई थी।

(vii) क्षेत्र सुधारों के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों में सामुदायिक भागीदारी के संस्थाकरण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सिरमौर जिले के लिए 20.05 करोड़ ₹ की पायलट परियोजना अनुमोदित (फरवरी 2000) की गई। मार्च 2000 में भारत सरकार द्वारा 5.57 करोड़ ₹ के सहायता अनुदान की पहली किस्त विभाग को जारी की गई। उक्त राशि सितम्बर 2000 तथा मार्च 2001 के मध्य सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के बचत लेखे में भारतीय स्टेट बैंक के पास जमा

³ देहरा, धर्मशाला, घुमारवीं, हमीरपुर, मण्डी, रुरकाघाट, शिमला नं०। सोलन तथा थुरल

⁴ देहरा, घुमारवीं, सरकाघाट, शिमला नं०। सोलन तथा ऊना नं०।

करवाई गई। यद्यपि इसे एकमुश्त किस्त के रूप में जारी किया जाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि जुलाई 2001 तक केवल 0.55 लाख ₹ खर्च किए गए और शेष राशि अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

4.2.4.2 योजना

(i) मानकों के अनुसार स्कीमों का कार्यान्वयन न करना

(क) जलापूर्ति एवं अभिक्रिया नियम पुस्तिका, 1984 में विहित अनुदेशों के अनुसार ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों, जिन्हें 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से रूपांकित किया गया था, से घरेलू कनेक्शन नहीं दिए जाने थे और पानी की आपूर्ति केवल सार्वजनिक स्टैंड पोस्टों द्वारा की जानी थी। तथापि, यह देखा गया कि सात मण्डलों⁵ में 1997-2001 के दौरान ऐसी 208 स्कीमों से 7,193 घरेलू कनेक्शन अनियमित रूप से दिए गए थे। अधिशाषी अभियन्ता, थुरल और घुमारवीं मण्डलों ने बताया (मार्च 2001) कि पर्याप्त जल उपलब्ध होने के कारण घरेलू कनेक्शन दिए गए थे, जबकि अधिशाषी अभियन्ता, ऊना मण्डल नं० 2 ने बताया कि घरेलू कनेक्शनों को लोगों की मांग के अनुसार दिया गया था। शेष अधिशाषी अभियन्ताओं ने घरेलू कनेक्शनों को दिए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया। उक्त धारणाएं मान्य नहीं हैं क्योंकि 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से रूपांकित स्कीमों से घरेलू कनेक्शनों को देने का प्रावधान नहीं था।

(ख) भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नलिका जलापूर्ति/गुरुत्व स्कीमों को 20 वर्षों की अवधि हेतु रूपांकित किया जाना था। यह देखा गया कि 8 मण्डलों⁶ में 1998-2001 के दौरान सूत्रबद्ध 47 स्कीमों (अनुमानित लागत: 19.86 लाख ₹) अनियमित रूप से केवल 15 वर्षों के लिए रूपांकित की गई थी। मई 2001 में अनुदेशों का पालन न करने के पूछे गए कारणों को अगस्त 2001 तक सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा सूचित नहीं किया गया था।

(ii) अवास्तविक सर्वेक्षण

विभाग द्वारा 1996 में किए गए पुनर्वैधता सर्वेक्षण के अनुसार ऊना मण्डल संख्या 1 तथा II के अन्तर्गत 116 आंशिक आवृत्त अनुसूचित जाति बस्तियां (जनसंख्या: 5,744 व्यक्ति) थीं। किन्तु अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य दर्शायी गई थी। मण्डलों द्वारा तदनुसार 1998-2001 की अवधि हेतु कार्य योजनाओं और मासिक प्रगति प्रतिवेदनों को भी तैयार किया गया/भेजा गया। अधिशाषी अभियन्ताओं ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (जनवरी 2001) कि गलत ब्यौरे को शोधित करने के लिए पग उठाए जाएंगे। पुनर्वैधता सर्वेक्षण में वार्षिक कार्य योजनाओं और मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में समाविष्ट ब्यौरा सही नहीं था।

(iii) स्रोतों की अपर्याप्त जांच-पड़ताल के कारण स्कीमों की विफलता

(क) 15 वर्षों के लिए रूपांकित ग्राम पंचायत शिवनाथ, खाबली, गहार और बनखड़ी (कांगड़ा जिला) में 38 गांव के समूह को उठाऊ जलापूर्ति स्कीम फरवरी 1984 के दौरान 19.87 लाख ₹ की लागत से पूर्ण की गई। यह आशा की गई थी कि परिस्त्रवण कुएं प्रतिदिन 4.36 लाख लीटर पर्याप्त पानी देंगे। स्कीम के रूपांकन के समय अंतिम जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए तीन वर्षों की निर्माण अवधि को भी ध्यान में नहीं रखा गया। क्योंकि स्कीम के अन्तर्गत 23 और गांव भी आवृत्त हुए थे, लाभार्थी जनसंख्या बढ़ गई और मानकों के अनुसार लाभार्थियों को जलापूर्ति करना मुश्किल हो

⁵ देहरा, हमीरपुर, घुमारवीं, सरकाघाट, शिमला नं० I, थुरल तथा ऊना नं० II

⁶ धर्मशाला, घुमारवीं, हमीरपुर, मण्डी, सरकाघाट, शिमला नं० I, थुरल तथा ऊना नं० II

गया। तदनुसार जुलाई 1989 में स्कीम के सुधार/संवर्धन हेतु 16.67 लाख ₹ का आकलन अनुमोदित किया गया। संवर्धन कार्य तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना 1990-91 के दौरान आरम्भ किया गया और 14.51 लाख ₹ की लागत से 1992-93 के दौरान पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि स्थिति सर्वेक्षण 1996 के अनुसार 6,585 लोगों (संवर्धन के अन्तर्गत आवृत्त 61 गावों में से) की जनसंख्या वाले 42 गावों को "आंशिक आवृत्ति" वर्ग में रखा क्योंकि वे अपेक्षित 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के प्रति केवल तीन से आठ लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त कर रहे थे। उपरोक्त 42 गावों में से 18 गावों (2,937 व्यक्ति) को पानी जुटाने हेतु 74.83 लाख ₹ का आकलन सितम्बर 1999 में तैयार किया गया क्योंकि परिस्रवण कुएं से लीन अवधि में निकलने वाला पानी घटकर 4.10 लाख लीटर प्रतिदिन रह गया था। आकलन अभी भी (फरवरी 2001) अनुमोदित किया जाना था। शेष 24 गावों (3,648 व्यक्ति) को पर्याप्त पानी जुटाने हेतु आकलन पर भी फरवरी 2001 तक कार्रवाई नहीं की गई थी।

15 वर्षों के लिए
रूपांकित स्कीम ने
लाभार्थियों को
पर्याप्त पानी नहीं
जुटाया जिसके
कारण 1.36 करोड़
₹ का व्यय
अधिकतर निष्फल
रहा।

अधिशायी अभियन्ता ने बताया (फरवरी 2001) कि मूल स्कीम के निर्माण के समय अंतिम जनसंख्या निकालने के लिए निर्माण अवधि को सम्मिलित नहीं किया जाता था। उसने यह भी बताया कि खड्ड में ऊपर की तरफ से किसानों तथा विभाग द्वारा पानी के निकालने के कारण पानी कम हो गया था।

संवर्धन के पश्चात् भी स्कीम लाभार्थियों को पर्याप्त जल जुटाने में विफल रही, अतः मूल स्कीम (19.87 लाख ₹), संवर्धन कार्य (14.51 लाख ₹) तथा अनुसंधान (1.02 करोड़ ₹) पर किया गया 1.36 करोड़ ₹ का व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा।

(ख) उठाऊ जलापूर्ति स्कीम, अम्ब (ऊना जिला) का संवर्धन कार्य प्रशासकीय रूप से 86.31 लाख ₹ में अनुमोदित (अगस्त 1993) किया गया। स्कीम को 13.01 लाख लीटर प्रतिदिन की अंतिम जल आवश्यकता हेतु 30 वर्षों के लिए रूपांकित किया गया तथा 33.85 लाख ₹ की लागत से आंशिक रूप से आरम्भ (सितम्बर 1996) किया गया।

ऊना मण्डल संख्या-11 के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (जनवरी 2001) कि जनवरी 2000 के दौरान नलकूप से पानी का निकलना 13.01 लाख लीटर प्रतिदिन से कम हो कर 6.05 लाख लीटर प्रतिदिन रह गया। वरिष्ठ जल भू-विज्ञानी, जीडब्ल्यूओ, ऊना ने सूचित (मार्च 2000) किया कि संरचनाओं में अधिक पानी देने की क्षमता नहीं है और कभी-कभी पानी भी गंदला था। अधीक्षण अभियन्ता, ऊना वृत्त ने केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, कांगड़ा के प्रभारी को सूचित किया कि नलकूप का विकास उचित रूप से नहीं किया गया था। पानी की कमी को दूर करने के लिए अस्थाई रूप से अन्य नलकूप (300 मीटर दूर स्थित) से अतिरिक्त पानी निकालने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदनार्थ जनवरी 2001 तक प्रतीक्षित था। नलकूप उपयुक्त ढंग से विकसित न करने के कारण 33.85 लाख ₹ के व्यय के अधिकांशतः निष्फल रहने के अतिरिक्त लाभार्थियों को पर्याप्त पेयजल सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

(iv) कार्यक्रम कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों तथा महिलाओं की भागीदारी न होना

कार्यक्रम के परिचालन तथा अनुसंधान में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जलापूर्ति स्कीमों के सूत्रबद्ध कार्यान्वयन और अनुसंधान के समय महिलाओं की भागीदारी अभिकल्पित की गई थी। उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी थी जिससे उन्हें जल स्रोतों के चारों ओर उपयुक्त स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता से अवगत कराया जा सकता। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना जांच किए 11 मण्डलों में इन कार्यों को आरम्भ नहीं किया गया था। संबंधित अधिशायी अभियन्ताओं ने इसके अकाट्य कारण नहीं दिए।

4.2.4.3 प्रत्यक्ष प्रगति

(i) वर्ष 1996-97 के अंत तक 20,004 बस्तियां (आवृत्त नहीं: 5,582; आंशिक आवृत्त: 14,462) थी। 1997-2001 के दौरान 6,150 बस्तियों के लक्ष्य की तुलना में 6,793 बस्तियों को आवृत्त किया गया। तथापि, अभिलेखों की छानबीन से निम्नांकित स्थिति का पता चला:

स्थिति	निवासियों की संख्या				अनावृत्त जनसंख्या			
	पूर्ण आवृत्त	अनावृत्त	आंशिक आवृत्त	जोड़	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	जोड़
मार्च 1997	25,323	5,582	14,462	45,367	19.38	5.45	0.35	25.18
मार्च 2001	32,116	1,593	11,658	45,367	14.10	3.81	0.19	18.10

उक्त तालिका से देखा जा सकता है कि मार्च 2001 तक 18.10 लाख रू० की ग्रामीण जनसंख्या (राज्य में कुल 47.28 लाख की ग्रामीण जनसंख्या का 38 प्रतिशत) आवृत्त करने को रहती थी।

(ii) सात मण्डलों⁷ में 18 उठाऊ जलापूर्ति स्कीमों को मुख्यतः पम्प मशीनरी की अनापूर्ति तथा उत्पादन/बिजली आपूर्ति न देने के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका। अतः 19,573 की कुल जनसंख्या वाली 191 बस्तियों की आवृत्ति जून 1998 तथा दिसम्बर 2000 के मध्य गलत सूचित की गई।

4.2.4.4 कार्य निष्पादन

(i) कार्यों पर अनियमित व्यय

नमूना जांच किए गए मण्डलों में तकनीकी स्वीकृति बगैर 318 जलापूर्ति स्कीमों पर 1980-2001 के दौरान 51.60 करोड़ रू० खर्च किए गए। इनमें वे 74 स्कीमों भी सम्मिलित थी जिन पर प्रशासनीय अनुमोदन तथा व्यय के संस्वीकृति के अतिरिक्त 8.87 करोड़ रू० खर्च किए गए थे। मार्च 2001 तक संशोधित आकलनों को स्वीकृत नहीं किया गया था।

(ii) कार्य पूर्ण करने में विलम्ब

(क) 1980-98 के दौरान नौ मण्डलों⁸ में 6.80 करोड़ रू० की अनुमानित लागत से चालीस जलापूर्ति स्कीमों स्वीकृत की गई और 12 से 48 महीनों के भीतर पूर्ण की जानी थी। फिर भी, ये स्कीमों 10.92 करोड़ रू० की लागत से 1997-2001 के दौरान पूर्ण की गई। स्कीमों की पूर्णता में हुए 12 तथा 108 महीनों के विलम्ब के कारण 4.12 करोड़ रू० की लागत वृद्धि हुई।

40 जलापूर्ति स्कीमों की पूर्णता में हुए 12 तथा 108 महीनों के मध्य के विलम्ब से 4.12 करोड़ रू० की लागत वृद्धि हुई।

धर्मशाला, हमीरपुर तथा ऊना-II मण्डलों के अधिशाषी अभियन्ताओं ने बताया (जनवरी-मार्च 2001) कि विलम्ब का कारण निधियों की पर्याप्त अनुपलब्धता थी, जबकि अन्य कार्यकारी अभियन्ताओं ने विलम्ब के कारण सूचित नहीं किए।

(ख) नौ मण्डलों में, 39 जलापूर्ति स्कीमों (अनुमानित लागत: 9.76 करोड़ रू०) 1987-98 के दौरान निष्पादनार्थ ली गई। एक से चार वर्षों के भीतर पूर्ण की जाने वाली स्कीमों 7.64 करोड़ रू० का व्यय करने पर भी अपूर्ण पड़ी थी। प्रत्येक मामले में हुई विलम्ब सीमा निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई हैं-

⁷ देहरा, धर्मशाला, घुमारवीं, हमीरपुर मण्डी, ऊना नं०। तथा II

⁸ देहरा, धर्मशाला, घुमारवीं, हमीरपुर मण्डी, सरकाघाट, शिमला नं०।, थुरल, तथा ऊना नं०।।

क्रमांक	विलम्ब अवधि	स्कीमों की संख्या
1.	एक से पांच वर्ष	30
2.	पांच से 10 वर्ष	8
3.	10 वर्षों से अधिक	1
	जोड़	39

देहरा, हमीरपुर, घुमारवीं, ऊना-1 तथा॥ मण्डलों के अधिशाषी अभियन्ताओं ने बताया (जनवरी-मार्च 2001) कि स्कीमों की पूर्णता में विलम्ब निधियों की कमी के कारण हुआ, जबकि अन्य अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा विलम्ब कारणों को सूचित नहीं किया गया था।

(iii) उठाऊ जलापूर्ति स्कीम, जोल सप्पड़

15 वर्षों की अवधि के लिए 829 व्यक्तियों और 695 विद्यार्थियों की मूल जनसंख्या को पेयजल जुटाने को रूपांकित की गई उठाऊ-जलापूर्ति-स्कीम, जोल सप्पड़ (हमीरपुर जिला) 4.21 लाख ₹ की लागत से चालू (फरवरी 1986) की गई। स्कीम का स्रोत झरना था जिसके पानी की क्षमता अप्रैल 1982 के मापनानुसार 37,990 लीटर प्रतिदिन की मूल पानी की जरूरत के प्रति 40,800 लीटर प्रतिदिन थी। स्कीम चालू होने के लगभग चार वर्षों के पश्चात् स्रोत बहाव जून 1990 के दौरान 23,040 लीटर प्रतिदिन घट गया। तदनुसार, स्कीम संवर्धन प्रशासकीय रूप से 22.94 लाख ₹ के लिए अनुमोदित (मार्च 1996) की गई तथा 38.21 लाख ₹ की लागत से अगस्त 2000 के दौरान पूर्ण की गई।

हमीरपुर मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (मार्च 2001) कि स्कीम संवर्धन पश्चात् अपेक्षित स्टाफ न देने के कारण चालू नहीं की जा सकी। यह मामला अधिशाषी अभियन्ता द्वारा फरवरी-दिसम्बर 2000 के दौरान उठाया गया था। यह भी देखा गया कि 1,315 लोगों की जनसंख्या वाली 13 आंशिक आवृत्त बस्तियों को मार्च 1999 तथा अगस्त 2000 के मध्य गलत रूप से पूर्णरूपेण आवृत्त सूचित किया गया था जबकि स्कीम अभी भी कार्य नहीं कर रही थी।

अधिशाषी अभियन्ता ने तथ्यों की पुष्टि (मार्च 2001) की। मई/जून की क्रम बहाव अवधि के दौरान मूल स्कीम से पानी निकलने के मापन में विफलता और अपेक्षित स्टाफ तैनात न करने के कारण मूल स्कीम के साथ-साथ संवर्धन कार्य पर किया गया 42.42 लाख ₹ का व्यय निष्फल रहा और लाभार्थी इच्छित लाभों से वंचित रहे।

(iv) अपूर्ण स्कीमें

(क) 13,879 लोगों की मूल जनसंख्या को पेयजल जुटाने को रूपांकित की गई जलापूर्ति सुधार स्कीम झरेट रजहून (कांगड़ा जिला) 1.33 करोड़ ₹ की लागत से मार्च 1999 के दौरान चालू की गई। अभिक्रिया संयंत्र के निर्माण न करने के कारण स्कीम को उपयोग में नहीं लाया जा सका। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 बस्तियों (1284 व्यक्ति) की आवृत्ति मार्च 1999 में सूचित की गई। अधिशाषी अभियन्ता ने बताया (मार्च 2001) कि अभिक्रिया संयंत्र धर्मशाला मण्डल द्वारा बनाया जा रहा था।

स्कीम चालू करने के साथ-साथ अभिक्रिया संयंत्र के समकालिक निर्माण की विफलता से 1.33 करोड़ ₹ का निष्फल व्यय हुआ।

(ख) तीन मण्डलों⁹ में छः स्कीमों का निष्पादन 1992-99 के दौरान 68.34 लाख ₹ के व्यय पश्चात् भूमि विवादों और उनके अर्जित न करने के कारण रोक दिया गया।

(ग) अर्की, देहरा तथा मण्डी मण्डल में चार उठाऊ जलापूर्ति स्कीमों में जून 1999 और नवम्बर 2000 के मध्य 1.14 करोड़ ₹ की लागत से पूर्ण की गई किन्तु इन्हें बिजली आपूर्ति के अभाव में चालू नहीं किया जा सका।

(घ) क्षतिग्रस्त स्कीमों

(क) पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाऊ जलापूर्ति स्कीम नंद (सोलन जिला) का 39.37 लाख ₹ हेतु प्रशासकीय अनुमोदन (फरवरी 1993) किया गया। कार्य तीन वर्षों के भीतर पूरा किया जाना था। स्कीम का स्रोत गम्बर खड्ड था। कार्य को 1991-92 के दौरान अर्की मण्डल द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति की प्रत्याशा में शुरू किया गया और मार्च 2000 तक 40.56 लाख ₹ का व्यय किया गया।

अर्की मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (अगस्त 2000) कि 5.47 लाख ₹ की लागत से निर्मित अवसादन टैंक और फिल्टर बैंड 1994 की वर्षा ऋतु के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। अधीक्षण अभियन्ता ने मई 1995 में स्कीम का निरीक्षण करने पर पाया कि संरचनाएं भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी और इनकी आगे प्रयुक्ति करना कठिन था। उसने परिस्रवण कुएं का निर्माण करके अभिक्रिया यूनितों के निर्माण का निवारण करने का सुझाव दिया। यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा हैड वर्क बचाने के लिए उपायात्मक पग नहीं उठाए और इस प्रकार अगस्त 1999 तथा जुलाई 2000 के मध्य हौदी कुआं और प्रतिधारक दीवार क्षतिग्रस्त हुई। क्षतियों को बहाल करने और स्कीम को परिचालित करने के लिए 9.55 लाख ₹ तथा क्षतिग्रस्त संरचनाओं हेतु सर्वेक्षण रिपोर्ट के 6.03 लाख ₹ का आकलन अप्रैल-जून 2000 के दौरान अधीक्षण अभियन्ता को प्रस्तुत किया गया जिसका अनुमोदन प्रतीक्षित था। संरचनात्मक स्थिरता के साथ भूमि स्थिरता हेतु उठाए जाने वाले पगों, जिससे और क्षतियां रोकी जाती, के सम्बन्ध में मण्डल द्वारा जून 2000 में राज्य भू-विज्ञानी से मांगी गई राय भी प्रतीक्षित थी। अधिशाषी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 2000) कि क्षतियों का कारण पर्यावरण में प्राकृतिक परिवर्तन थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संरचनाओं हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता विस्तृत जांच-पड़ताल पश्चात् निश्चित नहीं की गई।

इसी भान्ति, गांव नेरा मालनू थम्बा (कांगड़ा जिला) के बाकी घरों हेतु उठाऊ जलापूर्ति स्कीम का निर्माण धर्मशाला मण्डल द्वारा 16.16 लाख ₹ की लागत से किया गया (1998-99) जिसमें बिजली कनेक्शन और पम्प मशीनरी उत्थापन सम्मिलित नहीं था। अगस्त 1999 के दौरान भारी वर्षा के कारण पम्प हाउस और उसके चारों ओर की प्रतिधारक/ब्रेस्ट दीवारें क्षतिग्रस्त हुई तथा इनटैंक चैम्बर भी बह गया। 4.50 लाख ₹ की क्षति का निर्धारण किया गया। अधीक्षण अभियन्ता, धर्मशाला वृत्त ने सितम्बर 2000 में क्षतिस्थल का निरीक्षण करने पर पाया कि क्षतिग्रस्त पम्प हाउस की मरम्मत सम्भव नहीं थी क्योंकि भूमि उस समय भी घस रही थी। पम्प हाउस के निर्माण हेतु अन्य उपयुक्त स्थल 400 मीटर के अन्तर पर पाया गया। अधिशाषी अभियन्ता ने बताया (जनवरी 2001) कि संशोधित प्रस्तावानुसार आकलन प्रक्रियाधीन था।

स्पष्टतः स्थलों के अनुपयुक्त चयन के कारण क्षतिग्रस्त संरचनाओं पर किया गया 10.53 लाख ₹ का व्यय व्यर्थ गया। इसके अतिरिक्त स्कीमों की क्षति बहाली और पूर्णतः के लिए उठाए जाने वाले उपायात्मक पगों में असाधारण विलम्ब के कारण 56.72 लाख ₹ का व्यय भी निष्फल रहा।

अनुपयुक्त स्थलों के चयन से 56.72 लाख ₹ के निष्फल व्यय के अतिरिक्त 10.53 लाख ₹ का व्यय व्यर्थ रहा।

⁹ शिमला नं०1, सोलन तथा ऊना नं०1

(ख) दस मण्डलों¹⁰ में 1990-1999 के दौरान 74.15 लाख ₹ की लागत से लगाए गए 82 हैंडपम्प स्रोतों के सूखने, अधिक गदलापन, संग्रहण कमी आदि के कारण उपयोगी नहीं रहे। इनकी निष्क्रियता अवधि तीन और 105 महीनों के मध्य रही। इन हैंडपम्पों को चालू करने के लिए कार्यकारी अभियन्ताओं द्वारा उपायात्मक पग नहीं उठाए गए।

4.2.4.5 जल गुणवत्ता

(i) विभाग को सुनिश्चित करना था कि लाभार्थियों को आपूर्ति किया जाने वाला पानी पेय था। अतः इसकी सुनिश्चितता हेतु पानी की आवधिक जांच करवाई जानी थी।

लोक लेखा समिति ने अपने 167वें प्रतिवेदन (नौवीं विधानसभा) में पाया (मार्च 2000) कि राज्य में पेयजल जांच सम्बन्धी स्थिति संतोषजनक नहीं थी और किसी गंभीर बीमारी के फैलने को रोकने के लिए प्रभावी पग को उठाने की सिफारिश की। तथापि, 10 मण्डलों¹¹ में अधिशाषी अभियन्ताओं ने 1997-2001 के दौरान जलापूर्ति स्कीमों के सम्बन्ध में अपेक्षित संख्या में जांच नहीं करवाई, जैसा नीचे दर्शाया गया है:

क्रमांक	परीक्षण/जांच की श्रेणी	किए जाने वाले अपेक्षित परीक्षणों की संख्या	वास्तव में किए गए परीक्षण	प्रतिशतता कमी
1	भौतिक	20,056	2,537	87
2	रसायनिक	20,056	3,226	84
3	जैवाणिक	20,056	6,578	67

अधिशाषी अभियन्ता धर्मशाला मण्डल ने बताया (जनवरी 2001) कि धर्मशाला स्थित प्रयोगशाला अन्य सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य वृत्तों के पानी की जांच भी कर रही थी इसलिए उन वृत्तों के लिए अलग प्रयोगशालाएं बनाने के पश्चात ही जल-गुणवत्ता की उपयुक्तता और पर्याप्त अनुश्रवण करना संभव था। अन्य अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा पानी की आवधिक जांच में गिरावट के कारणों को सूचित नहीं किया गया। अतः 1997-2001 के दौरान लाभार्थियों को पेयजल की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई।

(ii) बिलासपुर और नूरपुर मण्डलों में क्रमशः 1996-97 तथा 1999-2000 के मध्य 10.80 लाख ₹ की लागत से पूर्ण की गई जल परीक्षण प्रयोगशालाएं अपेक्षित स्टाफ की तैनाती न करने के कारण अप्रयुक्त रही। 1.56 लाख ₹ के उपकरण भी अप्रयुक्त पड़े थे।

(iii) शिमला मण्डल संख्या-I तथा ऊना मण्डल संख्या-II में 8902 व्यक्तियों को पेयजल जुटाने के लिए रूपांकित की गई 23 जलापूर्ति स्कीमों अभिक्रिया निर्माणों को उपलब्ध करवाएं बिना 1.16 करोड़ ₹ की लागत से 1980-1981 और 1997-98 के मध्य चालू (जलस्रोत-नाला) की गई जिसके कारण स्वच्छ पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी।

¹⁰ देहरा, धर्मशाला, घुमारवीं, हगीरपुर मण्डी, सरकाघाट, शिमला नं०।, सोलंग, थुरल, तथा ऊना नं०।।

¹¹ देहरा, धर्मशा.ा, घुमारवीं, हमीरपुर मण्डी, सरकाघाट, शिमला नं०।, थुरल, तथा ऊना नं०। तथा।।

45 से 249
महीनों तक
8,902
व्यक्तियों को
अशुद्ध पानी
की आपूर्ति
की गई।

अधिशायी अभियन्ता शिमला नं० संख्या-1 ने बताया (दिसम्बर 2000) कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण अभिक्रिया यूनिटों का निष्पादन नहीं हो सका, जबकि अधिशायी अभियन्ता ऊना मण्डल सं० 11 ने सूचित किया (जनवरी 2001) कि आकलनों में अभिक्रिया निर्माणों के निष्पादन का प्रावधान नहीं था। अतः लाभार्थियों को 45 से 249 महीनों तक अशुद्ध पानी की आपूर्ति की गई।

(iv) तीन मण्डलों¹² में 87 हैंडपम्पों के सम्बन्ध में मार्च 1992 तथा दिसम्बर 2000 के मध्य किए परीक्षण अधिक लोह तत्वों की उपस्थिति बताते हैं जिसके कारण यह पानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। सम्बन्धित मण्डलों द्वारा उपायात्मक पग नहीं उठाए गए। अधिशायी अभियन्ता ऊना मण्डल संख्या-1 ने तथ्यों को स्वीकार किया (जनवरी 2001)। शेष दो मण्डलों द्वारा उत्तर नहीं दिए गए।

4.2.4.6 परिचालन तथा अनुरक्षण

(i) नमूना जांच किए गए 11 मण्डलों में 1997-2001 के दौरान जलापूर्ति स्कीमों की मरम्मत और अनुरक्षण पर 23.35 करोड़ ₹ के स्वीकृत आकलनों के प्रति 132.08 करोड़ ₹ खर्च किए गए। इसलिए स्वीकृत आकलनों के अतिरिक्त किया गया 108.73 करोड़ ₹ का व्यय अनियमित था।

(ii) नमूना जांच किए गए 11 मण्डलों में किसी ने भी परिसम्पत्तियों की मदसूची का अनुरक्षण नहीं किया था, जिसके कारण सम्बन्धित अधिशायी अभियन्ताओं द्वारा सूचित नहीं किए गए थे।

(iii) नमूना जांच किए गए मण्डलों में 1997-2001 के दौरान परिचालन तथा अनुरक्षण पर 132.08 करोड़ ₹ के व्यय के प्रति 2.33 करोड़ ₹ के पानी प्रभारों का उद्ग्रहण किया गया। राजस्व में विशेष गिरावट का कारण अगस्त 1992 से फरवरी 2001 के दौरान पानी दरों का संशोधन न किया जाना था।

4.2.4.7 आधारभूत स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम की रूपरेखा लाभार्थियों तथा कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुलभता हेतु बनाई गई। यह देखा गया कि नमूना जांच किए गए, घुमारवीं मण्डल छोड़कर, किसी भी मण्डल में प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाया गया, जिसके कारणों को अधिशायी अभियन्ताओं द्वारा सूचित नहीं किया गया।

4.2.5 शहरी जलापूर्ति स्कीमों

4.2.5.1 वित्तीय लागत तथा व्यय

शहरी जलापूर्ति स्कीमों मुख्यतः राज्य निधियों से वित्त पोषित थी। केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर जुटाई जानी थी। 1999-2001 के दौरान राज्य तथा केन्द्रीय सैक्टरों में बजट प्रावधान तथा व्यय निम्नलिखित था:-

¹² देहरा, ऊना नं०। तथा 11

अवधि	राज्य संचालित						केन्द्रीय संचालित	
	पूजा			व्यय			प्राप्त सहायता	घय
	योजनागत	आयोजनतर	जोड़	योजनागत	आयोजनतर	जोड़		
1999-2000	51.98	33.40	85.38	52.66	37.77	90.43	3.10	3.09

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:-

(i) उठाऊ जलापूर्ति स्कीम, देहरा और सरकाघाट को बिजली की आपूर्ति जुटाने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को दिए गए 79.03 लाख ₹ (1997-98) अनियमित रूप से अंतिम लेखा शीर्ष को प्रभारित किए गए। अधिशाषी अभियन्ता, देहरा मण्डल ने बताया (फरवरी 2001) कि निधियों को व्यय होने से रोकने के कारण व्यय को अंतिम लेखा शीर्ष को प्रभारित किया गया, जबकि अधिशाषी अभियन्ता, सरकाघाट ने कारणों को नहीं बताया।

(ii) त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत फरवरी 1996 और दिसम्बर 1998 के मध्य अनुमोदित तीन स्कीमों¹³ के सम्बन्ध में 18.28 लाख ₹ का पांच प्रतिशत लाभार्थी अंशदान वसूल नहीं किया गया।

4.2.5.2 योजना

(i) नियम पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार निकाले गए पानी के 10 प्रतिशत से आगे की पानी हानियां असंतोषजनक मान कर सुधारात्मक पग उठाए जाने थे। तथापि, नमूना जांच किए गए किसी भी मण्डल द्वारा अपव्यय निर्धारण तथा पहचान हेतु अध्ययन नहीं करवाया गया।

(क) दो मण्डलों¹⁴ में तीन स्कीमों के लिए निकाले गए 99,533 लाख लीटर पानी की कुल प्रमात्रा के प्रति उपभोक्ताओं को 79,035 लाख लीटर की आपूर्ति की गई जिसके कारण 1996-2001 के दौरान निकाले गए 20,498 लाख लीटर (21 प्रतिशत) पानी का अपव्यय हुआ। 10 प्रतिशत अनुमत अपव्यय के पश्चात भी 59.62 लाख ₹ की लागत के 10,545 लाख लीटर पानी का क्षय हुआ।

(ख) शिमला मण्डल संख्या-11 द्वारा पानी को विभिन्न स्रोतों से उठाया जाता है और उसके पश्चात शहर में वितरणार्थ नगर निगम, शिमला को आपूर्ति की जाती है।

यह देखा गया कि 1996-2001 के दौरान पम्पों के कार्य घंटों के आधार पर गणित शिमला मण्डल संख्या-11 द्वारा आपूर्ति किए गए 5.89 करोड़ किलोलीटर पानी में से नगर निगम ने 4.72 करोड़ किलोलीटर पानी लेखांकित किया। नगर निगम ने फिर उक्त अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के लिए केवल 3.56 करोड़ किलोलीटर की आपूर्ति की। अतः 2.08 करोड़ ₹ का 1.16 करोड़ किलोलीटर पानी क्षय हुआ। नगर निगम द्वारा लेखाबद्ध किए गए पानी की प्रमात्रा पर दस प्रतिशत अनुज्ञेय का क्षय अनुमत करने के बाद भी 1.24 करोड़ ₹ के 0.69 करोड़ किलोलीटर पानी का क्षय हुआ। यह भी देखा गया कि 1996-2001 के दौरान उपभोक्ताओं की आपूर्ति किए गए वास्तविक जल की प्रमात्रा 170 प्रति लीटर प्रतिदिन की आवश्यकता के प्रति 63 और 80 प्रति लीटर प्रतिदिन के मध्य थी।

59.62 लाख
₹ की लागत का
10,545 लाख
लीटर पानी का
मार्गस्थ तथा तीन
स्कीमों के वितरण
में अपव्यय हुआ।

¹³ उठाऊ जलापूर्ति स्कीम: देहरा, रोहड़ू तथा सरकाघाट

¹⁴ हमीरपुर तथा मण्डी

नगर अभियन्ता, शिमला ने बताया (मई 2001) कि पानी क्षतियां पुरानी वितरण लाइनों में स्राव के कारण थी जिन्हें सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा बदला जा रहा था, जबकि अधिशाषी अभियन्ता, शिमला मण्डल संख्या-11 ने बताया (मई 2001) आपूर्ति किए गए पानी के बिल 1996-2000 के दौरान पम्पों के चालन घण्टों पर आधारित थे क्योंकि पानी प्रमात्रा मापने के समय मीटरों को नहीं लगाया गया था। यह भी बताया गया कि अब मीटर लगा दिए गए थे और 2000-2001 के दौरान नगर निगम को आपूर्ति किए गए पानी की प्रमात्रा मीटर रीडिंग पर आधारित थी तथा 1996-2000 के दौरान पम्पों के परिचालन के आधार पर बिलों में पाई गई विसंगति आशोधित कर ली जाएगी।

(ii) स्कीमों की पूर्णता पश्चात उनके सम्भावित परिचालन और अनुरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय को प्रशिक्षित करने के लिए परियोजना के निष्पादन के दौरान स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करना आवश्यक था। नमूना जांच किए गए मण्डलों में परियोजनाओं के निर्माण में परियोजना उपभोगियों को सम्मिलित करने के लिए पग नहीं उठाए गए।

4.2.5.3 कार्य निष्पादन

(i) समय और लागत का बढ़ना

चार मण्डलों¹⁵ में तीन से पांच वर्षों के भीतर पूर्ण की जाने वाली जुलाई 1992 तथा जुलाई 1996 के मध्य स्वीकृत चार जलापूर्ति स्कीमें (अनुमानित लागत: 4.02 करोड़ ₹) 5.86 करोड़ ₹ खर्च करने के पश्चात भी अपूर्ण थीं। 1.84 करोड़ ₹ की लागत वृद्धि के अतिरिक्त विलम्ब सीमा एक तथा चार वर्षों के मध्य रही। सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ताओं ने इनका कारण निधियों का अपर्याप्त आबंटन और कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन बताया।

(ii) स्कीमों के निर्माण पर अनियमित व्यय

यह देखा गया कि नमूना जांच किए गए तीन मण्डलों¹⁶ में 1993-99 के दौरान तीन स्कीमें (अनुमानित लागत: 2.95 करोड़ ₹) तकनीकी स्वीकृति बिना शुरू की गई। इस प्रकार वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विपरीत मार्च 2001 तक उनके निष्पादन पर 2.49 करोड़ ₹ खर्च किए गए।

(iii) संवर्धन उठाऊ जलापूर्ति स्कीम ज्वालामुखी

संवर्धन उठाऊ जलापूर्ति स्कीम, ज्वालामुखी (कांगड़ा जिला) 3.06 करोड़ ₹ की लागत से मार्च 1996 के दौरान पूर्ण की गई। यह देखा गया कि पांच परिस्रवण कुओं (नकरे खड्ड में स्थित) के 40 लीटर प्रति सेकण्ड मूल निस्सरण के प्रति चार परिस्रवण कुओं का निस्सरण जून 2000 के दौरान 13.77 लीटर प्रति सेकण्ड कम हुआ और 3.13 लाख ₹ की लागत से निर्मित पांचवां परिस्रवण कुओं स्कीम के पूर्ण होने के समय से गाद समस्या के कारण निष्क्रिय था। अधिशाषी अभियन्ता ने बताया (फरवरी 2001) कि निस्सरण की पर्याप्त उपलब्धता थी और पानी की कमी नहीं थी। उसने यह भी बताया कि जब कभी पानी की कमी आई तो उसे लोगों द्वारा हैंडपम्पों तथा स्थानीय कुओं से पूरा कर लिया गया। अधिशाषी अभियन्ता का वक्तव्य स्वयं में विरोधाभास है।

तीन मण्डलों द्वारा तकनीकी स्वीकृति बिना तीन स्कीमों पर 2.49 करोड़ ₹ खर्च किए गए।

¹⁵ देहरा, सरकाघाट, शिमला नं०। तथा ऊना नं०॥

¹⁶ सरकाघाट, शिमला नं०। तथा ऊना नं०॥

अतः स्कीम पूर्णतः के लगभग चार वर्षों के भीतर पानी निस्सरण में 66 प्रतिशत की असाधारण कमी स्रोतों के चयन में अपर्याप्त जांच-पड़ताल के कारण थी। परिस्रवण कुएं पर 3.13 लाख ₹ का व्यय भी निष्फल रहा क्योंकि वह पूर्ण होने के समय से कार्य नहीं कर रहा था जिसके लिए फरवरी 2001 तक उपायात्मक पग नहीं उठाए गए।

4.2.5.4 पानी की गुणवत्ता

(i) 2.06 लाख (शहरी जनसंख्या का 46 प्रतिशत) की कुल जनसंख्या आवृत्त करने वाली 14 स्कीमों (13 नगर) से सम्बन्धित आठ मण्डलों¹⁷ के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि मण्डलीय अधिकारियों ने 1999-2001 के दौरान अपेक्षित संख्या के परीक्षण नहीं करवाए जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

स्कीमों की संख्या	परीक्षण/जांच की श्रेणी	किए जाने वाले अपेक्षित परीक्षणों की संख्या	वास्तव में किए गए परीक्षण	प्रतिशतता कमी
5	भौतिक	20	11	45
5	रसायनिक	20	11	45
14	जैवाणिक	8,726	744	91

अधिशोषी अभियन्ता, धर्मशाला* को छोड़कर सम्बन्धित अधिशोषी अभियन्ताओं द्वारा अपर्याप्त पानी परीक्षण के कारणों को सूचित नहीं किया गया। स्पष्टतः विभागीय अधिकारियों ने पानी परीक्षणार्थ पर्याप्त अगुआई नहीं की और यह प्रबन्धन विफलता दर्शाती है।

(ii) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, शिमला से एकत्रित सूचनानुसार 1999 तथा 2000 के दौरान राज्य में पानी से उत्पन्न बीमारियों के 9.85 लाख मामले सामने आए, जिनमें से 112 में मृत्यु हुई। अतः स्कीमों के पानी नमूनों के उचित परीक्षण सुनिश्चित न करने के कारण उपभोक्ताओं को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति न करने से स्वास्थ्य हानि हुई।

4.2.5.5 परिचालन तथा अनुरक्षण

(i) नमूना जांच किए गए आठ मण्डलों¹⁸ में 15 स्कीमों के परिचालन तथा अनुरक्षण पर 1999-2001 के दौरान अनियमित रूप से 29.14 करोड़ ₹ खर्च किए गए जो या तो बिना किसी स्वीकृत आकलनों के (27.92 करोड़ ₹) अथवा स्वीकृत आकलनों (1.22 करोड़ ₹) से अधिक थे।

¹⁷ देहरा, धर्मशाला, हमीरपुर, मण्डी, सरकाघाट, शिमला नं० I तथा II तथा ऊना नं० I

* कार्यकारी अभियन्ताओं की टिप्पणियां परिच्छेद 4.2.4.5 (i) में अभिलिखित हैं।

¹⁸ देहरा, धर्मशाला, हमीरपुर, मण्डी, सरकाघाट, शिमला नं० I तथा II तथा ऊना नं० I

(ii) नियम पुस्तिका में प्रावधान है कि पानी की दरें इस तरह निर्धारित की जानी चाहिए जिससे सुविधाएं लगभग आसानी से देय हों और कार्य लाभ-हानि रहित आधार पर चले। पानी से प्राप्त राजस्व इतना होना चाहिए जिससे स्कीमों के परिचालन तथा अनुरक्षण की वार्षिक आवृत्ति लागत पूरी होने के साथ पद्धति के भावी सुधार हेतु पूंजीगत खर्चों के वहन के लिए संचय किया जा सके।

आठ मण्डलों¹⁹ के अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला कि 1999-2001 के दौरान 15 स्कीमों के संबंध में 29.26 करोड़ ₹ के परिचालन तथा अनुरक्षण व्यय के प्रति पानी प्रभाओं का राजस्व 3.33 करोड़ ₹ निर्धारित किया गया। 25.93 करोड़ ₹ की कमी का मुख्य कारण पानी दरों का अगस्त 1992 से फरवरी 2001 तक संशोधन न करना था।

(iii) नमूना जांच किए गए किसी मण्डल में भी परिसम्पत्तियों की मद सूची का अनुरक्षण नहीं किया गया।

(iv) नमूना जांच किए गए मण्डलों में न तो गैर-सरकारी संगठन सम्मिलित किया गया न ही लाभार्थियों ने जलापूर्ति स्कीमों की पूर्णता पश्चात वास्तव में परिचालन तथा अनुरक्षण में भाग लिया।

4.2.5.6 मानव संसाधन विकास

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन आधारित उपयुक्त प्रशिक्षित कर्मियों को बनाने की आवश्यकता थी ताकि ग्रामीण जलापूर्ति आवश्यकताओं को पूरा किया जाता। नमूना जांच किए गए किसी भी मण्डल में इस कार्यक्रम को नहीं चलाया गया।

4.2.6 प्रबंधन सूचना तंत्र

प्रभावी योजना, विभिन्न स्कीमों के अनुश्रवण तथा कार्यान्वयन के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण आधारित प्रबंधन सूचना तंत्र स्टाफ को जुटाना अपेक्षित था। तथापि नमूना-जांच किए गए मण्डलों में औद्योगिक प्रशिक्षण आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नहीं चलाया गया। देहरा, हमीरपुर, थुरल तथा ऊना नं० 1 मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं ने बताया (जनवरी-मार्च 2001) कि निधियां प्राप्त न होने के कारण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका, जबकि अन्य अधिशासी अभियन्ताओं ने कारणों को सूचित नहीं किया।

4.2.7 जल संरक्षण

दीर्घावधि आधारित जलापूर्ति स्कीमों की सफलता हेतु जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण उपलक्ष्य था। यह देखा गया कि नमूना जांच किए गए किसी भी मण्डल में ऐसी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई थी।

¹⁹ देहरा, धर्मशाला, हमीरपुर, मण्डी, सरकाघाट, शिमला नं० 1 तथा 11 तथा ऊना नं० 1।

4.2.8 अन्य विविध वित्तीय अतिरिक्तार

समय-समय पर संशोधित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत शुल्क की अनुसूची, 1994 में प्रावधान है कि आगमिक भारों वाले सिंचाई तथा जल पम्प उपभोक्ताओं सहित सभी कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट उपयुक्त अनुपात के कनेसिटर लगाने अपेक्षित है। ऐसे मामलों में जहां कनेसिटर नहीं लगावाए गए अथवा जहां दोषपूर्ण या कम अनुपात के थे, उन पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार उद्ग्राह्य था।

आठ मण्डलों²⁰ में शहरी तथा ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के संबंध में कनेसिटर न लगाने/कम अनुपात के कनेसिटर के लिए 1997-2001 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अधिभार के 1.15 करोड़ लू दिए गए। इसी भांति 1997-2001 के दौरान छः मण्डलों²¹ द्वारा ऊर्जा प्रसारों के विलम्बित भुगतान हेतु अधिभार के 1.41 करोड़ लू दिए गए।

4.2.9 अनुश्रवण

(क) जून 1994 में जारी प्रमुख अभियन्ता के अनुदेशों अनुसार कार्यकारी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा एक महीने में क्रमशः न्यूनतम 10, 15 और 20 दिनों के लिए कार्य निरीक्षण करना अपेक्षित था। अधिशाषी अभियन्ताओं को उनके द्वारा की गई निरीक्षण टिप्पणियां दर्ज करना अपेक्षित था, तो दूसरी ओर सहायक अभियन्ताओं और कनिष्ठ अभियन्ताओं को उनके द्वारा निरीक्षण भण्डारण टैकों, पम्प घरों के स्थलों पर अनुरक्षित की जाने वाली निरीक्षण पुस्तिकाओं में अभियुक्तियां दर्ज करना अपेक्षित था।

निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:

(i) 1997-2001 के दौरान नौ मण्डलों²² के मामले में अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के संबंध में निरीक्षण टिप्पणियां दर्ज नहीं की गई थी। अधिशाषी अभियन्ता घुमारवीं मण्डल ने बताया (मार्च 2001) कि मण्डल में आशुलिपिक की तैनाती न करने के कारण निरीक्षण टिप्पणियां दर्ज नहीं की जा सकी जबकि शेष अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा निरीक्षण टिप्पणियां जारी न करने के कारणों को सूचित नहीं किया गया।

(ii) सहायक अभियन्ताओं तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा निरीक्षण टिप्पणियां/अभियुक्तियां दर्ज करने की निरीक्षण पुस्तिकाओं की नमूना जांच किए गए किसी भी शहरी तथा ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के संबंध में अनुक्षण नहीं किया गया था, जिसके कारणों को अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा सूचित नहीं किया गया।

²⁰ घुमारवीं, नाहन, पांवटा साहिब, सरकाघाट, शिमला नं० II, सोलन तथा ऊना नं० I तथा II।

²¹ घुमारवीं, नाहन, पांवटा साहिब, सरकाघाट, ऊना नं० I तथा II।

²² देहरा, धर्मशाला, घुमारवीं, हमीरपुर, सरकाघाट, सोलन, थुसल, ऊना नं० I तथा II।

(ख) भारत सरकार ने ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के गहन अनुश्रवण हेतु पंचायत स्तर पर पानी समितियों के गठन का सुझाव (मार्च 1989) दिया था। नमूना जांच किए गए 11 मण्डलों में ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया।

4.2.10 मूल्यांकन


लोक लेखा समिति ने अपने 167वें प्रतिवेदन (नवीं विधानसभा) में पाया था (मार्च 2000) कि स्कीमों के उचित निष्पादन तथा कार्यचालन का पता लगाने के लिए मूल्यांकन आवश्यक था। कार्यक्रम की सफलता जानने के लिए और इसके कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने की सुधारात्मक कार्यवाही हेतु इसके प्रभाव का पता लगाने का मूल्यांकन नहीं किया गया।

इन तथ्यों से सरकार को मई 2001 में अवगत करवाया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

चौथा अध्याय

प्रवर्ग-ख

लेखापरीक्षा परिच्छेद



प्रवर्ग-ख-लेखापरीक्षा परिच्छेद

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

4.3 उठाऊ सिंचाई स्कीम शालीमार फोलगत पर व्यर्थ व्यय

उठाऊ सिंचाई स्कीम के निर्माण तथा अनुरक्षण पर किया गया 26.96 लाख ₹ का व्यय व्यर्थ गया क्योंकि स्कीम का निर्माण अपरिष्कृत पानी में गाद तथा रेत के तत्वों का विचार किए बिना किया गया।

42.91 हेक्टेयर की सिंचाई हेतु उठाऊ सिंचाई स्कीम, शालीमार फोलगत (चम्बा जिला) सलूणी मण्डल द्वारा मार्च 1992 में रावी दरिया से पानी उठाकर 23.27 लाख ₹ की लागत से पूर्ण की गई। इसके अतिरिक्त 1992-2001 के दौरान स्कीम के अनुरक्षण पर 3.69 लाख ₹ भी खर्च किए गए।

लेखापरीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 2000) कि 1992-93 तथा 1999-2000 के मध्य, नवम्बर 1997 में एक लाभार्थी को केवल छः घण्टे छोड़कर, सिंचाई नहीं जुटाई गई। पम्प मशीनरी केवल परीक्षणार्थ परिचालित की जा रही थी।

अधिकांश अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 2000) कि अशुद्ध पानी में गाद तथा रेत थी जिसके कारण भूमि के अनुपजाऊ बनने के भय से किसानों ने सिंचाई हेतु पानी की कम से कम मांग की। उसने यह भी बताया कि सीमित सम्भाव्यता का उपयोग भी खेतों के कटाव के डर से नहीं किया जा सका क्योंकि क्षेत्र की मिट्टी ढीली तथा ढलानदार थी। स्पष्टतः रावी दरिया के अपरिष्कृत पानी में गाद तथा रेत के तत्वों और सिंचाई की जाने वाली भूमि के संयोजनों पर विचार किए बिना स्कीम का निर्माण किया गया।

अतः स्कीम आरम्भ होने के समय से लेकर 8 वर्षों से अधिक तक लक्षित 42.91 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान्द क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं नहीं जुटा पाई और परिणामतः 26.96 लाख ₹ का निष्फल व्यय हुआ।

मामला सरकार को मार्च 2001 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001) था।

4.4 निविदाओं की अविवेकपूर्ण प्रक्रिया के कारण परिहार्य अतिरिक्त दायित्व

विभाग को कार्य योजना आकलन तथा प्रारूढ़ सूचना आमंत्रण निविदाओं को पाइप सामग्री की वास्तविक उपलब्धता तथा निविदाओं की अविवेकपूर्ण प्रक्रिया में विफलता के कारण 20.58 लाख ₹ के अतिरिक्त परिहार्य दायित्व उठाने पड़े।

संवर्धन जलापूर्ति स्कीम, डलहौजी (चम्बा जिला) के लिए दो चरणों में (चरण-I: 4635 मीटर तथा चरण-II: 5085 मीटर) 9720 मीटर लम्बी राइजिंग मेन के कार्य योजना आकलन को जुटाने तथा बिछाने तथा पम्प मशीन की आपूर्ति तथा लगाने हेतु 3.26 करोड़ ₹ मुख्य अभियन्ता (उत्तर क्षेत्र), धर्मशाला द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित (मार्च 1996) किए गए। आकलनों में अन्य बातों के साथ-साथ राइजिंग मेन (चरण-I: 3.2 मिलीमीटर से 6.4 मिलीमीटर और चरण-II: 3.2 मिलीमीटर से 9.5

मिलीमीटर) में 3.2 और 9.5 मिलीमीटर (1979-1985 के बीआईएस के स्तरानुसार) के मध्य की मोटी दीवार सहित 200 मिलीमीटर घेरे वाली एमएसईआरडब्ल्यू पिघलाई हुई पाइपें बिछाने का प्रावधान भी था। मुख्य अभियन्ता द्वारा राइजिंग मेन के दो चरणों के लिए 1.04 करोड़ ₹ की अनुमोदित प्रारूप सूचना आमंत्रित निविदाओं (दिसम्बर 1999) में भी उसी घेरे तथा उक्त पाइपों की मोटी दीवार के लिए प्रावधान था। डलहौजी मण्डल द्वारा कार्य निविदाएं (चरण-I तथा II को अलग-अलग) जनवरी 2000 में आमंत्रित की गईं और मार्च 2000 में खोली गईं।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (अक्टूबर 2000) कि सभी छः निविदाकर्ताओं द्वारा अपनी दरें माइल्ड स्टील इलेक्ट्रीकली रजिस्ट्रैन्स वैल्विड के स्थान पर अमरीकन पेट्रोलियम इन्सीच्यूट-5 एल x 42 ग्रेड की अमरीकन पेट्रोलियम इन्सीच्यूट पाइप के लिए भरी थी। मुख्य अभियन्ता (उत्तरी क्षेत्र), धर्मशाला ने कम दरों वाले निविदाकर्ताओं से वार्ता करने (मार्च 2000) के पश्चात अमरीकन पेट्रोलियम इन्सीच्यूट 5एल x 42 की पाइपें जो एमएसईआरडब्ल्यू के बराबर मोटी दीवार वाली थी बिछाने के लिए स्वीकृत की क्योंकि सूचना आमंत्रित निविदाओं में निर्देशित एमएसईआरडब्ल्यू पाइप भारत में विनिर्मित नहीं की जा रही थी। अमरीकन पेट्रोलियम इन्सीच्यूट-5एल x 42 ग्रेड पाइप जिसका घेरा 200 मिलीमीटर और दीवार मोटाई क्रमशः 4 तथा 6.40 मिलीमीटर के मध्य चरण-I के लिए तथा 4 और 9.50 मिलीमीटर के मध्य चरण-II के लिए थी, जुटाने तथा बिछाने हेतु 2.11 करोड़ ₹ (चरण-I: 84.63 लाख ₹ तथा चरण-II: 126.43 लाख ₹) का कार्य दो ठेकेदारों को दिया गया (अप्रैल 2000)।

दोनों श्रेणी की पाइपों के पानी के टेस्ट प्रेशर को सहन करने की क्षमता की लेखापरीक्षा में तुलना करने पर पता चला कि 4.78 तथा 9.52 मिलीमीटर के मध्य की मोटी दीवार वाली माइल्ड स्टील इलेक्ट्रीकली रजिस्ट्रैन्स वैल्विड पाइपें 63 तथा 127 किलोग्राम/वर्ग सेंटीमीटर के मध्य टेस्ट प्रेशर सहन कर सकती थी जबकि 4 तथा 7 मिलीमीटर के मध्य वाली मोटी दीवार की अमरीकन पेट्रोलियम इन्सीच्यूट-5एल x 42 ग्रेड पाइप 79 तथा 139 के मध्य टेस्ट प्रेशर सहन करती। स्पष्टतः टेस्ट प्रेशर के संबन्ध में रूपांकन आवश्यकताओं का कार्य आकलन बनाते तथा अनुमोदित सूचना आमंत्रित निविदा से भिन्न कार्य देते समय उचित रूप से विश्लेषण नहीं किया गया और ध्यान में नहीं रखा गया। यदि विभाग ने पाइपों की वास्तविक उपलब्धता के अनुसार कार्य आकलन और प्रारूप सूचना आमंत्रित निविदा बनाई होती तथा अमरीकन पेट्रोलियम इन्सीच्यूट-5एल x 42 ग्रेड पाइप, 4 तथा 7 मिलीमीटर के मध्य की मोटी दीवार वाली पाइपें जो अपेक्षित टेस्ट प्रेशर को सहन करने की क्षमता रखती थी, को जुटाने और बिछाने पर विचार किया होता तो 15.68 लाख ₹ की बचत की जा सकती थी।

अधिशाषी अभियन्ता ने बताया (अक्टूबर 2000) कि इन पाइपों के विनिर्माण हेतु विभिन्न फर्मों को जारी बीआईएस लाइसेंसों की उपलब्धता के कारण बीआईएस 1979-85 के अनुसार कार्य आकलन तथा प्रारूप सूचना आमंत्रित निविदाएं तैयार की गईं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग को कार्य आकलन तथा प्रारूप सूचना आमंत्रित निविदा में प्रावधान करने से पहले अपेक्षित विनिर्देशन की पाइपों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कार्य के दोनों चरणों की वार्ता कम दर वाले संविदाकारों के साथ एक ही दिन हुई थी। चरण-I से संबंधित कार्य निविदा से भरी राशि के 110 प्रतिशत से अधिक पर दिया गया तो चरण-II के लिए वही कार्य 97.85 प्रतिशत से अधिक पर दिया गया। अभिलेख में इसका कोई उल्लेख नहीं था कि विभाग ने चरण-II के कम दरों वाले निविदाकर्ता के साथ बराबर लाने के लिए चरण-I के कम दरों वाले निविदाकर्ता से इस सम्बन्ध में वार्ता की तथा समग्र वित्तीय विवक्षा निर्धारण की ओर ध्यान दिया था। ऐसा न करने के परिणामस्वरूप 4.90 लाख ₹ का राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा और उस सीमा तक ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचा।

टेस्ट प्रेशर के संबंध में पाइपों की रूपांकन आवश्यकताओं, लाभप्रद पाइप सामग्री चयन के विश्लेषण और दोनों कम दरों की समग्र वित्तीय विवक्षा निकालने में विभाग की विफलता से 20.58 लाख ₹ का अतिरिक्त परिहार्य दायित्व पड़ा।

मामला सरकार को फरवरी 2001 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001) था।

लोक निर्माण विभाग

4.5 परवाणू में मजदूर बस्ती का निर्माण- व्यर्थ परिव्यय तथा अपव्ययी व्यय

मिट्टी की वहन क्षमता की जांच किए बिना परवाणू मजदूर बस्ती के निर्माण के परिणामस्वरूप 19.19 लाख ₹ के अपव्ययी व्यय सहित 36.94 लाख ₹ का निवेश व्यर्थ रहा।

परवाणू में (सोलन जिला) औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों के 70 मजदूरों और 32 परिवारों को आवासीय आवास जुटाने हेतु राज्य सरकार ने परवाणू में मजदूर बस्ती निर्माणार्थ 32.94 लाख ₹ का प्रशासकीय अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति प्रदान (मार्च 1998) की। मार्च 1990 में पूर्ण किया जाने वाला कार्य कसौली मण्डल द्वारा अक्टूबर 1988 में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना और स्थल की भू-विज्ञानी द्वारा जांच-पड़ताल कराए बिना निष्पादनार्थ लिया गया। मार्च 1998 तक सम्पर्क मार्ग (2.5 किलोमीटर) सहित कार्य के सभी घटक 36.94 लाख ₹ की लागत से पूर्ण (बिजली आपूर्ति को छोड़कर) किए गए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आवास को बिजली कनेक्शन के अभाव में प्रयोग करने वाले विभाग को नहीं सौंपा जा सका। मार्च 1996 में 4.60 लाख ₹ की अनुमानित लागत के प्रति 2.62 लाख ₹ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास जमा करवाए गए। शेष राशि (1.98 लाख ₹) जमा न करवाने के कारण बोर्ड ने बिजली कनेक्शन नहीं दिया। इसी समय वर्षा के कारण शयनागार खण्ड के निकट परिवारिक खण्ड भाग तथा शौचालय खण्ड में दरारे पड़ गई। बाद में जून 1999 में मुख्य अभियन्ता (दक्षिण), शिमला द्वारा जारी अनुदेशों पर उद्योग विभाग के भू-विज्ञानी द्वारा (जुलाई 1999) भू-वैज्ञानिक जांच पड़ताल करवाई गई। भू-वैज्ञानिक ने अपने प्रतिवेदन में जुलाई 1999 में यह मत व्यक्त किया कि संरचना की विफलता के मुख्य कारण स्थल की मिट्टी का बहुत नरम होना तथा मिट्टी का अधिक संतृप्तीकरण थे और अतिरिक्त पक्की नाली बनाना, भवन के ऊपरी ओर जल सह सड़क का भाग बनाने और सड़क के साथ तीन मीटर विद्यमान नाली का विस्तार जैसे कुछ बचावात्मक उपाय सुझाए। तथापि विभाग ने भू-वैज्ञानिक की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की। परिणामतः क्षतियों में और वृद्धि हुई तथा अब मरम्मत योग्य नहीं रही। अतः अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त, सोलन ने मुख्य अभियन्ता (दक्षिण) से परिसर के पारिवारिक खण्ड को गिराने की अनुमति मांगी (नवम्बर 1999)। विभाग को मुख्य अभियन्ता के लंबित निर्णय से 19.19 लाख ₹ की अनुमानित (जून 2000) हानि हुई।

स्पष्टतः कार्य आरम्भ करने से पहले सतह की स्थिरता निश्चित करने के लिए विस्तृत छानबीन न करवाने और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करने से उस पर किए गए 36.94 लाख ₹ के व्यय का व्यर्थ निवेश हुआ और संबंधित लाभार्थी इच्छित लाभों से वंचित रहे। इसमें से 19.19 लाख ₹ का व्यय बेकार गया क्योंकि निवासार्थ भवन का भाग असुरक्षित हो गया क्योंकि विभाग भू-विज्ञानी के परामर्श की अनुपालना नहीं कर पाया।

अधीक्षण अभियन्ता ने बताया (सितम्बर 2000) कि भवन की विफलता का कारण अधिकांश भूमि का धसना और खिसकना क्रियाओं के रूप में प्राकृतिक आपदा था। यह विचार मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने अपेक्षित भू-वैज्ञानिक जांच पड़ताल नहीं करवाई और कार्य निष्पादन से पूर्व स्तर की स्थिरता सुनिश्चित नहीं की।

मामला सरकार को जनवरी 2001 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

4.6 समन्वय के अभाव में सड़क पर निष्फल व्यय

सड़क कार्यों के निर्माण में दो मण्डलीय अधिकारियों के मध्य समन्वय अभाव के कारण 10.14 लाख ₹ के निष्फल व्यय के अतिरिक्त 11.91 लाख ₹ का अतिरिक्त परिहार्य दायित्व पड़ा।

सड़कों के संरक्षण में आई वन भूमि के कारण अपूर्ण कार्यों की चर्चा 31 मार्च 1992 को समाप्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-(सिविल)-हिमाचल प्रदेश सरकार के परिच्छेद 4.12 में की गई थी। लोक लेखा समिति ने अप्रैल 1995 में विधानसभा को प्रस्तुत अपने 83वें प्रतिवेदन (आठवीं विधानसभा) में सिफारिश की थी कि समाधान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाए। इस संबंध में की गई प्रगति प्रतीक्षित थी।

कुमारसेन मण्डल के अन्तर्गत एकान्तबाड़ी से दबाला (शिमला जिला) सड़क के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (दिसम्बर 2000) कि सड़क राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 के किलोमीटर 204/500 से मूलतः द्विशाखित होनी थी। राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 के किलोमीटर 201/500 पर द्विशाखित बिंदु सहित स्थानीय लोगों के अनुरोध पर सड़क का संरक्षण बदला गया (1991-93)। कार्य मार्च 1993 के दौरान शुरू किया गया और मार्च 1999 तक 2.400 किलोमीटर लम्बी सड़क 10.14 लाख ₹ की लागत से बनाई गई।

सड़क का निर्मित भाग वाहनीय यातायात हेतु नहीं खोला जा सका क्योंकि सड़क का आरम्भिक फासला किलोमीटर 0/0 से 0/200 तक क्षतिग्रस्त हो गया और अप्रैल 1999 में राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल, रामपुर द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 के चौड़ा करने के कार्य से सड़क चौड़ाई घट गई। मण्डल द्वारा क्षतियों का निर्धारण (मार्च 2001) 11.91 लाख ₹ तक किया गया। यह भी देखा गया कि सड़क का निर्माण किलोमीटर 2.400 से आगे निधियों के अभाव में अप्रैल 1999 से रुक गया था।

अधिकांशी अभियन्ता ने बताया (जुलाई 2001) कि सड़क का 2.400 किलोमीटर निर्मित भाग प्रयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि एक मात्र लाभान्वित गांव (जिमु) निर्मित भाग के अंतिम बिन्दु से 5-6 किलोमीटर दूर था। क्योंकि इन मामलों में सड़क कार्यों का निष्पादन एक ही विभाग के क्षेत्राधिकार में पड़ता था इसलिए मामला राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल, रामपुर द्वारा दो मण्डलीय अधिकारियों के मध्य समन्वय न होने को बताता है जिसके कारण 11.91 लाख ₹ के राजकीय कोष पर अतिरिक्त परिहार्य दायित्व पड़ने के कारण 10.14 लाख ₹ का व्यय निष्फल हो गया। शेष सड़क की लम्बाई की पूर्णता में असाधारण विलम्ब से मार्च 1987 में 12.96 लाख ₹ की लागत के मूल आकलन से कार्य की पूर्णता लागत और बढ़ जाएगी।

मामला सरकार को मार्च 2001 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

4.7 वृद्धि प्रभारों की अधिक अदायगी और ठेकेदार को अनुचित लाभ

मार्च 1996 के स्थान पर जनवरी 1994 से मजदूरों की बढ़ी मजदूरियों पर वृद्धि अनुमत करके बिलासपुर मण्डल संख्या-1 में ठेकेदार को 12.53 लाख ₹ का अधिक भुगतान किया गया।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुमत मार्च 1996 के स्थान पर जनवरी 1994 से चार मण्डलों¹ द्वारा उनके द्वारा नियोजित मजदूरों के संबंध में 45.75 ₹ की बढ़ी हुई दैनिक मजदूरी अनुमत करके ठेकेदारों को वृद्धि प्रभारों के अधिक भुगतान के संबंध में 31 मार्च 1998 को समाप्त हिमाचल प्रदेश सरकार के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सिविल) के प्रतिवेदन के परिच्छेद 4.16 में ध्यान आकर्षित किया गया था। सरकार ने लोक लेखा समिति को सूचित किया (नवम्बर 1999) कि तीन मण्डलों द्वारा विभिन्न ठेकेदारों से 17.17 लाख ₹ की वसूली की जा चुकी थी। सरकार ने यह भी बताया कि मुख्य अभियन्ता (केन्द्रीय क्षेत्र), मण्डी ने संबंधित अधीक्षण अभियन्ता को बड़सर मण्डल द्वारा अधिक भुगतान किए गए 8.01 लाख ₹ वसूल करने के निर्देश (अक्टूबर 1999) दिए। आगे की गई प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2001)।

अभिलेखों की संवीक्षा तथा बिलासपुर मण्डल सं० से प्राप्त और सूचना से पता चला (मार्च 1999-अगस्त 2000) कि एक मुश्त ठेके के आधार पर अलीखड्ड (बिलासपुर जिला) के ऊपर 420 मीटर फैलाव के पुल निर्माण का कार्य दिए गए (अक्टूबर 1989) एक ठेकेदार के संबंध में प्रमुख अभियन्ता ने उसके पक्ष में जनवरी 1994 से पूर्व प्रभावी मजदूरी वृद्धि प्रभारों की प्रतिपूर्ति से संबंधित स्पष्टीकरण राज्य सरकार से मांगा (जून 1998)। राज्य सरकार ने विधि विभाग से प्राप्त राय के बाद स्पष्ट किया (अगस्त 1998) कि ठेकेदार जनवरी 1994 तथा फरवरी 1996 की मध्यावधि हेतु ऐसी प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं था। तथापि राज्य सरकार ने इस निर्णय को बदल कर दिसम्बर 1998 में उक्त अवधि के मजदूरी वृद्धि प्रभारों को इस शर्त पर अनुमत कर दिया कि इसे किसी अन्य एक मुश्त ठेके में पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाएगा। मण्डल द्वारा तदनुसार 9.59 लाख ₹ के अनुमत भुगतान के प्रति 22.12 लाख ₹ के वृद्धि प्रभारों का भुगतान कर दिया (जनवरी 1999)। इसके परिणामस्वरूप 12.53 लाख ₹ के वृद्धि प्रभारों का अनुचित भुगतान हुआ।

सचिवालय में विभागीय अभिलेखों की संवीक्षा से यह भी पता चला (अगस्त 2001) कि ठेकेदार को जनवरी 1994 से फरवरी 1996 की अवधि हेतु मजदूरी वृद्धि प्रतिपूर्ति विशेष मामले के रूप में इस आधार पर अनुमत कर दी (दिसम्बर 1998) कि न्यूनतम मजदूरी भुगतान विनियमन करने वाली एकमुश्त ठेके की कुछ धाराएं परस्पर विरोधी थी, जो सही तथा उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में बाधा डाल रही थी। यह तर्क भी दिया गया कि यदि मजदूरी का दावा शीघ्र हल नहीं किया गया तो ठेकेदार कार्य को छोड़ देगा और उस स्थिति में बृहत राजकोषीय हानि की आशंका थी।

सरकार का उपरोक्त तर्क मान्य नहीं है क्योंकि ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदार उसके द्वारा रखे गए मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी देने के लिए बाध्य था तथा केवल सरकारी अधिसूचना द्वारा की गई वृद्धि पर ही मजदूरी वृद्धि की प्रतिपूर्ति का हकदार था। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सरकार द्वारा मार्च 1996 से संशोधित की गई थी। विभाग में जनवरी 1994 से मजदूरी संशोधन केवल उच्चतम न्यायालय के विशेष मामले के रूप में निर्णय से ही लागू था न कि किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा। अतः ठेकेदार जनवरी 1994 से वृद्धि प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं था जैसाकि प्रमुख अभियन्ता ने अप्रैल 1998 में पहले

¹ बड़सर, रामपुर, सुन्दरनगर तथा ऊना

ही स्पष्ट कर दिया था। इस प्रकार सरकार के पास ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने का कोई आधार नहीं था।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि बड़सर मण्डल के अन्तर्गत मान खड्ड पुल का निर्माण उसी फर्म द्वारा एकमुश्त ठेके के आधार पर किया गया तथा फर्म को जनवरी 1994 से फरवरी 1996 की अवधि हेतु भुगतान की गई मजदूरी वृद्धि के संबंध में उनसे 8.01 लाख ₹ की वसूली करने के आदेश दिए गए।

मामला सरकार को मार्च 2001 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

4.8 पुलों के ढह जाने से हानि

सतौन पर गिरी दरिया के ऊपर पुल का उपयुक्त रूपांकन विकसित करने में विभाग की विफलता तथा मंगलाड खड्ड के ऊपर पुल के संबंधों में संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार सामान्य ढंग का कार्य जुटाने में पर्यवेक्षण की कमी के परिणामतः 1.60 करोड़ ₹ की परिहार्य हानि हुई।

(i) लाल ढांक-पांवटा-राजबन-रोहडू सड़क किलोमीटर 28/200 में सतौन (सिरमौर जिला) पर गिरी दरिया के ऊपर 80 मीटर इकहरे फेलाव वाले प्री-स्टरसड बॉक्स गारडर बैलशंड केंटीलीवर टाईप पुल के निर्माण का 1.06 करोड़ ₹ (सितम्बर 1999 में 2.05 करोड़ ₹ को संशोधित) के लिए प्रशासकीय अनुमोदन (मार्च 1995) किया गया। तथापि मुख्य अभियन्ता (दक्षिण), शिमला ने 82 मीटर लम्बे दोहरे फेलाव वाले पूर्व-प्रतिबलित कंकरीट पुल के निर्माण हेतु 1.61 करोड़ ₹ की तकनीकी स्वीकृति (अगस्त 1998) प्रदान की। 1.07 करोड़ ₹ के कार्य को दो वर्षों में पूर्ण करने के लिए पांवटा मण्डल द्वारा एक ठेकेदार को मार्च 1999 में ठेका दिया गया। ठेकेदार ने अप्रैल 1999 में कार्य आरम्भ किया और जून 2000 तक पुल का 90 प्रतिशत कार्य निष्पादित कर दिया। 1998-2001 के दौरान खर्च किए गए 1.22 करोड़ ₹ में से 0.99 करोड़ ₹ ठेकेदार को उसके 6वें चालू बिल के संबंध में भुगतान किए गए। अधीक्षण अभियन्ता, नाहन ने मुख्य अभियन्ता (दक्षिण), शिमला को बताया (25 जुलाई 2000) कि जून तथा जुलाई 2000 के दौरान दरिया में भारी बाढ़ ने बीच के खम्बों को झुका दिया और 17 जुलाई 2000 को पुल ढह गया।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला (सितम्बर 2000):

(क) अधिशाषी अभियन्ता, पांवटा साहब मण्डल ने अधीक्षण अभियन्ता, नाहन को सूचित (मई 1995) किया कि पुल स्थल पर दरिया के दोनों किनारे साधारण चट्टान के थे तथा इकहरे फेलाव वाले प्री-स्टरसड बॉक्स गारडर बैलशंड केंटीलीवर टाईप पुल के निर्माण का सुझाव दिया गया जिसकी नींव ऐसी चट्टान पर ठहर सके। इसके बावजूद बीच के एक खम्बे वाले 82 मीटर लम्बे दोहरे फेलाव के पूर्व-प्रतिबलित कंकरीट पुल हेतु तकनीकी अनुमोदन दिया गया (अगस्त 1998)। अभिलेखों में दोहरे फेलाव वाले पुल को तकनीकी स्वीकृति देने के कारणों का उल्लेख नहीं था।

(ख) दिसम्बर 1998 में अधिशाषी अभियन्ता ने अपनी राय दोहराते हुए कहा कि नींव स्तर से 46 मीटर ऊपर कुल ऊंचाई वाला बीच का खम्बा अभियांत्रिकी कार्य विधि के अनुसार नहीं था तथा पहाड़ी दरिया की विशेषताओं को देखते हुए इकहरे फेलाव वाले पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया। अधिशाषी अभियन्ता का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।

(ग) अधिशाषी अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 2000) कि मण्डलीय कार्यालय के साथ-साथ अधीक्षण अभियन्ता, नाहन ने सदैव इकहरे फेलाव वाले पूर्व-प्रतिबलित पुल के निर्माण की सिफारिश की तथा बल दिया और उनके मुख्यालय द्वारा तैयार ड्राईंग के औचित्य पर उनके कुछ सुरक्षित अधिकार थे।

इन परिस्थितियों में विभाग पुल का उपयुक्त रूपांकन विकसित करने में विफल रहा जिसके कारण यह ढह गया और सरकार को 1.22 करोड़ ₹ की हानि हुई।

(ii) राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 के किलोमीटर 294/570 पर मंगलाड खड्ड के ऊपर 54 मीटर इकहरे फेलाव वाले पीसीसी बॉक्स ग्राइंडर पुल निर्माण के लिए जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 1.32 करोड़ का तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति (अगस्त 1999) प्रदान की। पुल की अधिरचना का निर्माण राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल रामपुर द्वारा एक ठेकेदार को छः महीनों के भीतर पूर्ण करने के अनुबंध सहित 0.89 करोड़ ₹ हेतु दिया गया (अगस्त 1999)। ठेकेदार द्वारा कार्य सितम्बर 1999 में शुरू किया और जून 2000 तक सकल मूल्य का 0.49 करोड़ ₹ का कार्य किया जिसके प्रति उसे 0.19 करोड़ का भुगतान किया गया।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (दिसम्बर 2000) कि जून 2000 में भारी बारिश तथा भारी दमकीय बाढ़ से खड्ड में पुल की पूर्ण संरचना पूर्णता बह गई।

पुल का स्थल दूरस्थ क्षेत्र में तथा गहरी तंग घाटी में स्थित था। सामान्य रूप का कार्य जुटाने हेतु पुल की सुरक्षित संरचना की सुनिश्चितता हेतु निविदा अनुबंध के साथ लगी प्रभात्रा अनुसूची के साथ-साथ आकलन में स्टील ट्रांसिज का प्रावधान किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि कार्य को चरणबद्ध रूप देने हेतु ठेकेदार ने लोहे की शटरिंग के स्थान पर करिब शटरिंग प्रयुक्त की। अधीक्षण अभियन्ता, जल भूतल परिवहन (सड़क स्कन्ध) मंत्रालय ने भी मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय उच्च मार्ग को बताया था (मई 2000) कि ठेकेदार मंच बनाने के लिए खड्ड में जमा खराब सामग्री का प्रयोग कर रहा था जो कि सुरक्षित प्रबंध नहीं था। उसे यह भी आशंका थी कि यदि खड्ड के ऊपरी ओर भारी वर्षा हुई तो मंच बह जाएंगी। स्पष्टतः निविदा अनुबंध में विनिर्देशितानुसार कार्य निष्पादन की सुनिश्चितता हेतु मण्डलीय अधिकारियों के स्तर के पर्यवेक्षण की कमी थी।

अतः निविदा प्रावधानों के अनुसार सामान्य रूप के कार्य जुटाने में उपयुक्त जांच न करने की विभागीय विफलता से संरचना बह गई और 38.27 लाख ₹ की आकलित परिहार्य हानि हुई।

दोनों पुलों के बह जाने के कारणों तथा रूपांकन और गुणवत्ता मानकों आदि से सम्बन्धित अन्य घटकों का पता लगाने के लिए सरकार ने एक जांच गठित (जुलाई 2000) की। जांच अधिकारी ने सरकार को प्रस्तुत (दिसम्बर 2000) अपने प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष निकाला कि सतौन पुल, पूर्ण असावधानी और पूर्ण तथा उचित आर्द्रता विज्ञान संबंधी ब्यौरे को प्राप्त करने की सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अनियमित सादृश्यता, जोकि पुल के पैरामीटरों के रूपांकन के लिए निर्णायक आवश्यक थी और इकहरे फेलाव वाले बीच के खम्बारहित पुल के गंभीरता से विचार न करने, के कारण ढह गया। मंगलाड खड्ड के पार का पुल ढहने का उत्तरदायित्व प्रभात्रा अभियन्ता और उसके अधीनस्थों पर आता था, क्योंकि उन्होंने ठेकेदार को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन बिना मूल अनुमोदित रूपांकन में दी गई फालस ट्रस शटरिंग को करिब शटरिंग में बदलने की अनुमति दी थी। मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय उच्च मार्ग) तथा मुख्य अभियन्ता (दक्षिण) ने सूचित किया (जुलाई 2001) कि सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को अभियोग पत्र दिए जा चुके थे और जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों की प्रतीक्षा थी।

मामला सरकार को मई 2001 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

4.9 ठेकेदारों से सामग्री लागत तथा अन्य देयों की वसूली न करना

संविदा प्रावधानों के अनुसार पांच ठेकेदारों से दो मण्डलों द्वारा वसूलियां न करने से 34.76 लाख ₹ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया।

विभागीय वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि ठेकेदार से निर्माण कार्य हेतु उसे जारी की गई सामग्री की लागत के संबंध में वसूली साधारणतया अग्रिम भुगतान प्राधिकृत करने वाले अथवा किए गए कार्य हेतु भुगतान के संबंध में प्रथम बिल से की जानी चाहिए। प्रमुख अभियन्ता ने भी दोहराया (जून 1999) कि ऐसी वसूलियां अंतिम बिल के लिए छोड़ी अथवा स्थगित नहीं की जानी चाहिए।

दो मण्डलों की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जुलाई-अक्टूबर 2000) कि पांच ठेकेदारों से विभागीय भण्डारों से जारी सामग्री (6.23 लाख ₹), विलम्बित कार्य पूर्णतः हेतु उद्गृहीत क्षति (31.44 लाख ₹) और अन्य मदों (3.66 लाख ₹) के सम्बन्ध में 41.33 लाख ₹ वसूलीयोग्य थे। मण्डलीय कार्यालयों में तैयार किए गए किन्तु पास नहीं किए गए/असमायोजित अंतिम बिल के अनुसार ठेकेदार से उन्हें देय 6.57 लाख ₹ के समायोजन पश्चात् 34.76 लाख ₹ की शुद्ध वसूलियां देय थीं। अप्रैल 2001 तक न तो लेखाओं में अंतिम बिल समायोजित किया गया न ही 34.76 लाख ₹ की कुल वसूलियां करने की कार्रवाई की गई।

अधिशोषी अभियन्ता, ठियोग मण्डल ने बताया (जुलाई 2000) कि अंतिम बिलों को तैयार/अंतिम रूप दिया जा रहा था और वसूलियां बिलों से कर ली जाएंगी, जबकि अधिशोषी अभियन्ता, शिमला मण्डल संख्या-III ने बताया (अक्टूबर 2000) कि अंतिम बिल जांच के अन्तर्गत/अंतिम रूप देने को थे और राशि वसूलने की कार्रवाई अंतिम बिलों को लेखाओं में समायोजित करने के पश्चात् की जाएगी। अधिशोषी अभियन्ताओं के उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वे सरकारी देयों की वसूली संविदा प्रावधानानुसार समय पर करने में विफल रहे।

अतः संविदा प्रावधानों की अनुपालना न करने के कारण बिना पर्याप्त औचित्य के सरकारी देयों की वसूली न होने से ठेकेदारों को अनधिकृत वित्तीय लाभ पहुंचा।

मामला सरकार को जनवरी 2001 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

4.10 अनुमोदित योजना के चरण सड़क के उपयोग में विलम्ब

पुल तथा सड़क के समकालिक निर्माण में विभाग की विफलता के कारण 39.64 लाख ₹ का निष्फल व्यय हुआ।

दिओरी से सुनाद (कुल्लू जिला) तक एक मीटर मार्ग की 15 किलोमीटर लम्बाई का सर्वेक्षण व कटान तथा 0/0 से 1/500 किलोमीटर चौड़े मार्ग का 5/7 मीटर निर्माण 4.80 लाख ₹ हेतु प्रशासकीय रूप से अनुमोदित (जुलाई 1981) किया गया। तीन वर्षों में पूर्ण किए जाने वाले कार्य का निष्पादन तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना जनवरी 1982 में आरम्भ किया गया तथा 460 मीटर की लम्बाई में सोलिंग करने के साथ 3.925 किलोमीटर मार्ग जनवरी 2001 तक 39.64 लाख ₹ की

¹ शिमला मण्डल नं० III तथा ठियोग

लागत से निर्मित किया गया। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ संशोधित आकलन जनवरी 2001 तक तैयार नहीं किए गए थे।

कुल्लू मण्डल संख्या-1 के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (मार्च 2001) की तीर्थन खड्ड किलोमीटर 0/170 के ऊपर 40 मीटर फैलाव वाले पुल को न बनाने के कारण सड़क का निर्मित भाग यातायात के लिए नहीं खोला जा सका। इसके अतिरिक्त स्वीकृत आकलन में पुल के निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया था। तथापि, पुल का निर्माण बाद में 36.60 लाख ₹ हेतु अनुमोदित (फरवरी 1997) किया गया किन्तु 1996-2001 के दौरान 3.46 लाख ₹ के बजट प्रावधान के बावजूद मार्च 2001 तक उसका निष्पादन आरम्भ नहीं किया गया था।

अधिकांश अभियन्ता ने बताया (मार्च 2001) कि पुल का निर्माण थोड़े से बजट प्रावधान के कारण नहीं किया जा सका तथा कार्य मण्डल के वार्षिक कार्यक्रमों में भी सम्मिलित नहीं किया गया था।

अतः सड़क के साथ पुल के समकालिक निर्माण में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 39.64 लाख ₹ का व्यय निष्फल रहा तथा लोग इच्छित लाभों से वंचित रहे।

मामला सरकार को अप्रैल 2001 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

4.11 ब्याज तथा अनिवार्य भूमि-अर्जन प्रभारों का परिहार्य भुगतान

तीन बार भूमि अर्जन कार्यवाही का व्यपगत होना तथा भूमि अर्जन कार्यवाही चलाने में 348 से 476 महीनों के असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप 1.39 करोड़ ₹ का परिहार्य ब्याज भुगतान हुआ।

1984 (29 अप्रैल 1982 से प्रभारी) में यथा संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में प्रावधान है कि यदि किसी भूमि की जन उद्देश्यार्थ आवश्यकता थी, तो उसके लिए धारा-4 के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना तथा धारा-6 के अंतर्गत घोषणा की जानी चाहिए। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि समाहर्ता घोषणा की प्रकाशन की तिथि से दो वर्षों के भीतर भूमि संबंधी अधिनिर्णय करेगा तथा यदि कोई अधिनिर्णय उस अवधि के भीतर नहीं किया गया तो भूमि अर्जन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। भू-अर्जन कार्यवाही की प्रत्याशा में प्राप्त की गई भूमि के परिणामस्वरूप परिहार्य ब्याज प्रभारों तथा बढ़े हुए अनिवार्य अर्जन प्रभारों का भुगतान हो सकता था।

दो मण्डलों¹ तथा भू-अर्जन अधिकारी, हमीरपुर के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित बातों का पता चला (मई-जुलाई 2000):

(क) सोलन जिलों में दो सड़कों² के निर्माण हेतु 32-3-17 बीघा भूमि³ के स्वामित्व का मामला विभाग द्वारा नवम्बर 1956 तथा मार्च 1968 में अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षितानुसार अधिसूचनाएं जारी किए बिना उठाया गया। धारा-4 के अंतर्गत क्रमशः जुलाई 1996 तथा मार्च 1997 में अधिसूचनाएं और धारा-6 के अंतर्गत मार्च तथा जून 1997 में घोषणाएं प्रकाशित की गईं। भूमि अर्जन समाहर्ता द्वारा मार्च 1998 तथा अगस्त 1999 में उपरोक्त भूमि अर्जन के अधिनिर्णय की घोषणा की गई। अतः इन मामलों में कार्यवाही भूमि को स्वामित्व में लेने की तिथि से 348 से 476 महीनों की समाप्ति पश्चात् की गई जिसके कारण 1.24 करोड़ ₹ के परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की

¹ कसौली, सोलन

² शक्तिघाट-शामाघाट सड़क तथा गौरा-चायल सड़क

³ गांव बालोरी: 6-16-4, गांव जंगल नालका: 15-10-13 तथा गांव गौरा: 9-17-0

धारा-23(2) के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य अर्जन प्रभारों के संबंध में 3.61 लाख ₹ का भुगतान करना था।

अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, सोलन के कसौली मण्डल द्वारा अर्जित भूमि के संबंध में बताया (सितम्बर 2000) कि भूमि अर्जन एक लम्बी प्रक्रिया थी तथा यह प्रत्येक मामले में व्यवहारिक नहीं था कि पहले भूमि अर्जित की जाए फिर निर्माण कार्य किया जाए। तथापि, अधिशाषी अभियन्ता, सोलन ने बताया (जून 2000) कि भूमि अर्जन में हुए विलम्ब के कारण उपलब्ध नहीं थे क्योंकि सड़क कार्य को अन्य मण्डल द्वारा 1988 में आंतरित किया गया था। ये विचार मान्य नहीं हैं, क्योंकि इन मामलों में भूमि अर्जन कार्यवाही करने में हुए असाधारण विलम्ब का औचित्य नहीं दिया गया।

(ख) संतोषगढ़ में स्वान दरिया के ऊपर उच्च स्तर पुल हेतु गाइड बांधों⁴ के निर्माण हेतु अपेक्षित संतोषगढ़ (ऊना जिला) गांव में 169-9 कनाल भूमि का स्वामित्व जनवरी 1981 में लिया गया। 24 कनाल भूमि को छोड़कर 145-9 कनाल भूमि की 2.52 लाख ₹ क्षतिपूर्ति का भुगतान भू-स्वामियों को अप्रैल 1981 में कर दिया गया। यद्यपि शेष 24 कनाल भूमि के भाग की कार्यवाही सितम्बर 1982, जुलाई 1991 तथा अगस्त 1995 में तीन बार की गई किन्तु ये व्यपगत हो गई क्योंकि अपेक्षित उद्घोषणा विशिष्ट अवधि के भीतर औपचारिकताओं के पूर्ण न होने के कारण जारी नहीं हुई। कार्यवाही चौथी बार जुलाई 1997 में दोबारा शुरू की गई तथा अधिनिर्णय की उद्घोषणा सितम्बर 1998 में भूमि अर्जन समाहर्ता, हमीरपुर द्वारा की गई। 23.72 लाख ₹ का (17.06 लाख ₹ के ब्याज सहित) भुगतान भूमि स्वामियों को दिसम्बर 1999 में कर दिया गया। जनवरी 1981 से जून 1998 तक 17.06 लाख ₹ के कुल ब्याज में से 15.21 लाख ₹ का ब्याज कार्यवाहियों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण देना पड़ा। यह भुगतान नहीं करना पड़ता यदि सितम्बर 1982 में आरम्भ की गई कार्यवाही को अधिनियम के प्रावधानों अनुसार अंतिम रूप दिया जाता।

अधीक्षण अभियन्ता, 8वां वृत्त, हमीरपुर ने प्रमुख अभियन्ता को सूचित (अगस्त 1997) किया कि भूमि अर्जन अधिकारी, हमीरपुर ने अधिनियम की धारा-4 तथा 6 के अन्तर्गत भूमि अर्जन कागजात निर्धारित अवधि के भीतर नहीं बनाए, जिसके कारण जुलाई 1991 तथा अगस्त 1995 में शुरू की गई कार्यवाही व्यपगत हो गई। व्यपगमन का उत्तरदायित्व जनवरी 2001 तक निश्चित नहीं किया गया था।

मामला सरकार को जनवरी-फरवरी 2001 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

4.12 सड़कों पर नवीकरण परत बिछाने पर परिहार्य व्यय

नौ मण्डलों में सड़कों की नवीकरण परत बिछाने हेतु मितव्ययी विनिर्देशन न अपनाने के कारण 1.13 करोड़ ₹ का परिहार्य व्यय हुआ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2000-सिविल-हिमाचल प्रदेश सरकार, को समाप्त प्रतिवेदन के परिच्छेद 4.12 में सड़कों पर परत भरवाई पर परिहार्य व्यय के संबंध में ध्यान दिलाया गया था, जो मिक्स सीतल स्तह अथवा एक बार बिछाई जाने वाली एक परत की प्रिमिक्स कॉरपेट अभिक्रिया के स्थान पर पृथक रूप से पारम्परिक प्रिमिक्स कॉरपेट तथा सील परत अपनाने के कारण हुआ।

⁴ नदी जल की चैनल लगाना तथा भूमि कटाव रोकने हेतु ढांचा बनाना।

इसके अतिरिक्त नौ मण्डलों¹ के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (मई-नवम्बर 2000) कि सड़क स्तह पर 5,19,645 वर्गमीटर क्षेत्र के ऊपर परत भराई 97 मामलों में 1998-99 तथा 2000-2001 के मध्य 3.60 करोड़ ₹ की लागत से पारम्परिक प्रिमिक्स कॉरपेट तथा सील स्तह ढंग से निष्पादित की गई। इन मामलों में उचित विनिर्देशनों को न अपनाने के कारण 1.13 करोड़ ₹ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय उच्च मार्ग, शिमला ने बताया (दिसम्बर 2000) कि इन दो विनिर्देशनों में से चयन यातायात प्रबलता, सड़क प्रवृत्ति तथा जलवायु परिस्थितियों के आधार पर किया जाना था। अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, सोलन ने कसौली मण्डल के संबंध में बताया (अगस्त 2000) कि जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेश केवल राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर लागू होता है न कि ग्रामीण/राज्य सड़कों पर। उसने यह भी बताया (अगस्त 2000) कि सोलन मण्डल के संबंध में कार्यस्थल परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुसार सील स्तह सहित प्रिमिक्स कॉरपेट अथवा मिक्स सील स्तह विधि अपनाई जानी थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सिफारिशों से पूर्व इन घटकों को पहले ही अध्ययन समूह ने ध्यान में रखा हुआ था तथा विभागीय विनिर्देशनों में भी सभी प्रकार की सड़कों के संबंध में प्रिमिक्स कारपेट अथवा मिक्स सील स्तह की एक बार में एक परत बिछाने का प्रावधान विहित था।

मामला सरकार को मार्च 2001 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

4.13 सड़क निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय

सात सड़कों के कार्य पर 31.12 लाख ₹ का व्यय कार्य अपूर्णता के कारण अधिकतर निष्फल रहा।

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन बिना गैर-वन उद्देश्यों हेतु वन भूमि का उपयोग करना वर्जित है। भारत सरकार ने भी स्पष्ट किया (मार्च 1982) है कि अनुमोदन प्रत्याशा में गैर-वनविद्या गतिविधियों हेतु वन भूमि का विचलन अनुमत नहीं था तथा कार्यान्तर अनुमोदनार्थ अनुरोध स्वीकारा नहीं जाएगा।

इन प्रावधानों के विपरीत अर्की मण्डल द्वारा मार्च 1992 तथा फरवरी 1998 के मध्य चार सड़कों के कार्यों (अनुमानित लागत: 1.12 करोड़ ₹) का निर्माण जो उनके आरम्भ होने की तिथि से तीन से छः वर्षों के भीतर पूर्ण किया जाना था, शुरू किया गया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

क्र०	सड़क का नाम	प्रशासकीय अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति का विवरण		कार्यारम्भ तिथि	पूर्णता की अनुमानित अवधि	निर्माण अयोजन तिथि	अद्यतन व्यय (लाख रुपए)	मार्च 2001 तक हुआ व्यय
		मास व वर्ष	राशि (लाख रुपए)					
1.	सेवरा चंडी से बाडूबाडा देवता मंदिर (कि०मी० 0/0 से 5/0) सम्पर्क सड़क	मार्च 1995	52.07	अक्टूबर 1995	5 वर्ष	सितम्बर 1996	1.48	6

¹ बैजनाथ, जोगिन्द्रनगर (राष्ट्रीय उच्चमार्ग), कसौली, करसोग, नाहन, नालागढ़, निरमण्ड, पण्डौह (राष्ट्रीय उच्च मार्ग) तथा सोलन

क्र०	सड़क का नाम	प्रशासकीय अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति का विवरण		कार्यारम्भ तिथि	पूर्णता की अनुवन्धित अवधि	निर्माण अवशोतन तिथि	अध्यतन व्यय (लाख रुपए)	मार्च 2001 तक हुआ विलम्ब
		मास व वर्ष	राशि (लाख रुपए)					
2.	पिपलुघाट सरयाज बाड़ी की धार सड़क (कि०मी० 0/0 से 6/0)	अक्टूबर 1988	15.55	मार्च 1992	6 वर्ष	अप्रैल 1997	3.67	37
3.	जाबलू समाना सड़क वाया कुटलू (कि०मी० 0/0 से 4/0)	मार्च 1997	36.21	फरवरी 1998	5 वर्ष	अगस्त 1999	4.38	..
4.	दानोघाट से कोलका सम्पर्क सड़क (कि०मी० 0/0 से 4/0)	जनवरी 1983	8.07	मई 1994	3 वर्ष	नवम्बर 1994	0.64	47
		जोड़	111.90				10.17	

लेखापरीक्षा में देखा गया कि इन सड़कों का निर्माण कार्य भारत सरकार के अपेक्षित पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना शुरू किया गया। परिणामस्वरूप सड़के टुकड़ों में बनी थी तथा आगे का कार्य रूका हुआ था। अतः 10.17 लाख ₹ का व्यय अधिकतर अलाभकारी रहा।

(ख) दोनों मण्डलों¹ में तीन सड़कों का निर्माण कार्य (अनुमानित लागत: 47.10 लाख ₹) उनकी प्रारम्भिक तिथि से, जैसा कि परिशिष्ट-XIX में दिया गया है, तीन साल की अवधि के अन्दर पूरा किए जाने वाले कार्य का निष्पादन मई 1986 और दिसम्बर 1995 के बीच 20.95 लाख ₹ खर्च करने के बाद भी अपूर्ण था। ये कार्य मुख्य रूप से निजी भूमि के अर्जन न करने तथा संरक्षण में पड़ने वाली भूमि के विवादित होने के कारण रुके हुए थे। यह भी देखा गया कि निजी भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की गई थी। इन सड़कों के पूर्ण होने में देरी 27 तथा 143 महीनों तक हुई। इन सभी मामलों में तकनीकी अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। इनमें एक सड़क पर प्रशासकीय अनुमोदन के बिना किया गया 7.81 लाख ₹ का खर्च भी सम्मिलित था।


इस प्रकार संहिता नियमों की अनदेखी के कारण मण्डलीय अधिकारियों ने बिना किसी उत्तरदायित्व के लोक निधियों को सौंपा और 31.12 लाख ₹ अधिकतर अलाभदायक रहे तथा लाभार्थी इच्छित लाभों से वंचित रहे।

मामला सरकार को मार्च 2001 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

¹ जुबल तथा कुमारसेन

पांचवां अध्याय

भण्डार एवं स्टॉक



पाचवा अध्याय

भण्डार एवं स्टॉक

वन कृषि एवं संरक्षण विभाग

5.1 भण्डार एवं स्टॉक लेखे

5.1.1 परिवर्तन

वन कृषि एवं संरक्षण विभाग राज्य में वन-भूमि तथा प्राणी समूह एवं वन संपदा सहित वन स्रोतों के प्रबन्धन, संरक्षण, रक्षण तथा विस्तार के लिए उत्तरदायी है। कंटीली तार, यू-नेलज़, जस्तेदार लोहे की तार, अन्तः संयोजक कड़ियां, पौलीथीन थैले, सीमेन्ट आदि जैसे भण्डार विभाग द्वारा केन्द्रीय तौर पर खरीदे जा रहे हैं। भण्डार खरीद समिति गठित नहीं की गई थी तथा कांटेदार तार, यू-नेलज़, जस्तेदार लोहे की तार तथा पौलीथीन थैलों की मांग प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में ही समेकित की जा रही थी तथा आपूर्ति आदेश संविदा दर फर्मों को दिये गये थे। विभाग ने 1996-2001 के दौरान इस सामग्री के उपार्जन पर 65.21 करोड़* ₹ व्यय किये। भण्डार की अन्य मदों का उपार्जन सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर किया जा रहा था।

फरवरी-मार्च 2001 के दौरान 1996-97 से 2000-2001 की अवधि से सम्बन्धित 11 वन मण्डल अधिकारियों¹ तथा प्रधान मुख्य अरण्यपाल के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। इसे हमीरपुर तथा पार्वती मण्डलों के वन मण्डल अधिकारियों से प्राप्त सूचना के द्वारा अनुपूरित किया गया। नमूना जाँच के परिणाम आगामी परिच्छेदों में विवेचित किये गये हैं।

5.1.2 भण्डारों का उपार्जन

(i) कांटेदार तार एवं यू-नेलों की खरीद पर फर्म को अधिक अदायगी

राज्य भण्डार नियंत्रक ने कंटीली तार एवं यू-नेलों की आपूर्ति के लिए विभिन्न फर्मों के साथ दर संविदा निविष्ट (जुलाई 1996) की जो 30 जून 1997 तक मान्य थी। दर संविदा की शर्तों के अनुसार, उपरोक्त सामग्री के लिए जो मूल्य प्रभारित किया जाना था वह दर संविदा की अवधि के समाप्त होने तक उस कम से कम मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए था जिस पर फर्म ने केन्द्र व राज्य सरकार के किसी व्यक्ति/संगठन/विभाग/उपक्रम को ऐसे समरूप भण्डारों को बेचने अथवा बेचे जाने के लिए, जैसा भी मामला हो, दरें निर्धारित की थी। इसके अतिरिक्त, फर्मों ने प्रत्येक बिल के साथ सम्बन्धित क्रय विभाग को यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना था कि उन्होंने दर संविदा के प्रचलन के दौरान संविदा के अन्तर्गत किसी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार को कोई समरूप भण्डार की मद को सरकार से प्रभारित मूल्य से कम मूल्य पर नहीं बेचा/बेचने का प्रस्ताव नहीं किया था।

* 1996-97: 9.67 करोड़ ₹; 1997-98: 10.64 करोड़ ₹; 1998-99: 14.21 लाख ₹; 1999-2000: 15.35 करोड़ ₹ तथा 2000-2001: 15.34 करोड़ ₹

¹ बिलासपुर, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मण्डी, नूरपुर, रामपुर, शिमला, शिमला (वन्य प्राणी), सोलन तथा सुकेत

आपूर्तिकर्ता द्वारा
बताई गई न्यून
दरों पर सामग्री
क्रय करने में
अनदेखी स्वरूप
विभिन्न फर्मों को
10.82 लाख रु०
की अधिक
अदायगी हुई।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया कि उपरोक्त फर्मों ने नियंत्रक भण्डार को नई संविदा को अन्तिम रूप देने के लिए 30 जून 1997 के पश्चात् कंटीली तार एवं यू-नेलज़ के लिए वर्तमान 25,141 रुपये तथा 24,241 रु० प्रति टन की दरों के प्रति क्रमशः 23,750/- रुपये तथा 22,850/- रु० प्रतिटन की दरों का प्रस्ताव (मई 1997) किया था। नियंत्रक भण्डार ने 13 जून 1997 को प्रस्तावित दरों की स्वीकृति फर्मों को दी थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने 26 जून एवं 30 जून 1997 के मध्य विभिन्न संविदा दर फर्मों को 657 टन कंटीली तार तथा 47 टन यू-नेलों की आपूर्ति के आदेश दिये। वास्तव में प्राप्त हुई 607 टन कंटीली तार तथा 47 टन यू-नेलों के लिए 1.94 करोड़ रु० का भुगतान विभिन्न मण्डलों द्वारा जुलाई 1997 तथा सितम्बर 2000 के मध्य फर्मों द्वारा मई 1997 में प्रस्तावित कम दरों को ध्यान में रखे बिना किया गया। इस प्रकार माल के लिए पहले स्वीकृत दरों के मुकाबले उच्च दरों पर अदायगी करने के परिणामस्वरूप 10.82 लाख रु० की अधिक अदायगी हुई।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने बताया (मार्च 2001) कि जून 1997 के आपूर्ति आदेशों के प्रति खरीदे गये सामान की अदायगी 6 मई 1997 की दर संविदा द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार की गई। यह भी बताया गया कि दरों में बढ़ोतरी या कमी का मामला नियंत्रक भण्डार को संदर्भित किया जा रहा था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संविदा की "मूल्य गिरावट धारा" बहुत स्पष्ट थी तथा भुगतान घटाई गई दरों पर ही किया जाना था। संयोग से, फर्मों द्वारा कंटीली तार की दरों में 24,000 रु० से 22,950 रु० प्रति टन की कमी के ऐसे ही एक अन्य मामले में नियंत्रक भण्डार ने दिसम्बर 2000 तक मान्य दर संविदा के प्रति विद्यमान आपूर्ति आदेशों को निलम्बित करने के लिए प्रधान मुख्य अरण्यपाल को परामर्श दिया (दिसम्बर 2000)।

(ii) सीमेंट के उपार्जन पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय

हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक आपूर्ति निगम को फर्मों से सरकारी विभागों के लिए सीमेंट के उपार्जन के लिए दर संविदा पर नियंत्रक भण्डार के साथ नोडल एजेंसी बनाया (जुलाई 1990) गया था।

सरकार द्वारा निर्धारित
नोडल एजेंसी के माध्यम
से न खरीद कर खुली
दरों पर सीमेंट की
खरीद से 21.73 लाख
रु० का अतिरिक्त व्यय
हुआ।

दस वन मण्डलों² के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सरकारी निर्णय का उल्लंघन करते हुए इन मण्डलों ने 1996-2001 के दौरान 1.32 करोड़ रु० लागत के 92,943 बोरी सीमेंट 131 रु० तथा 175 रु० प्रति बोरी की दरों के मध्य खुली दरों पर खरीदे। 1996-2001 के दौरान नोडल एजेंसी के माध्यम से प्राप्त किये गये सीमेंट की पहुंच लागत 114.35 रुपये तथा 148.05 रु० प्रति बोरी थी। इस प्रकार, वन मण्डल अधिकारियों द्वारा खुली दरों पर सीमेंट की खरीद के परिणामस्वरूप 21.73 लाख रु० का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ। सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारियों ने बताया (फरवरी-मार्च 2001) कि सीमेंट सिविल आपूर्ति निगम अथवा हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम से खरीदा गया था। उनका कथन मान्य नहीं था क्योंकि सीमेंट भण्डार नियंत्रक की दर संविदा पर आधारित फर्मों से ही खरीदा जाना चाहिए था।

(iii) अन्तः संयोजक जंजीरों की बजाए जस्तायुक्त लोहे की तारों की खरीद पर परिहार्य व्यय

भू-संरक्षण के लिए शिलाखण्डों से भरी तारों के क्रेटों द्वारा स्परों तथा शुष्क पत्थर संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। ये क्रेट या तो बाजार से खरीदे गए बने बनाए अन्तः संयोजक जंजीरों के जालों से बनाए जाते हैं या विभागीय श्रमिकों द्वारा जस्तायुक्त लोहे की तार को बुन कर बनाए जाते हैं।

² बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मण्डी, नूरपुर, रामपुर, शिमला, शिमला (वन्य प्राणी), सोलन तथा सुकेत

दस मण्डलों में 1996-2001 के दौरान मस्टर रोल पर लगाये गये विभागीय मजदूरों से 66.12 लाख रु० की लागत पर 1,03,569 वर्गमीटर 15 x 15 सैं0मी० आकार की जाल क्रेट जस्तायुक्त लोहे की तार से तैयार की गई।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उसी विनिर्देशन के अन्तः संयोजक जंजीरों से बने बनाये जाल उसी अवधि के दौरान नियंत्रक भण्डार द्वारा अनुमोदित संविदा दरों पर 35 रु० तथा 38 रु० प्रति वर्गमीटर के मध्य की दर पर उपलब्ध थे तथा 1,03,569 वर्गमीटर की अन्तः संयोजक 37.27 लाख रुपये में प्राप्त की जा सकती थी। सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारियों ने बताया (फरवरी-मार्च 2001) कि जस्तायुक्त लोहे की तारों की टोकरियां स्थान की आवश्यकता तथा संरचनाओं की अनुकूलता के अनुसार बनाई गई थी तथा जस्तायुक्त लोहे की तारों से बनाये गये क्रेट अन्तः संयोजक जंजीरों से अधिक स्थायी, मजबूत तथा टिकाऊ थे। कथन मान्य नहीं है क्योंकि दर संविदा पर उपलब्ध जुड़ी जंजीरों में प्रयुक्त जी आई तार उसी विनिर्देशन की थी तथा उसका मेश आकार भी उसी परिमिति का था। इस प्रकार वितीय आशय जांचने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 28.25 लाख रुपये का परिहार्य अधिक व्यय हुआ।

क्रेट मेश के लिए जीआई तारों की खरीद में विभाग की सतर्कता की विफलता से 28.85 लाख रु० का परिहार्य व्यय हुआ।

(iv) अतिरिक्त परिहार्य व्यय

प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के लाभ की अनुपलब्धता का लाभ न उठाने, आबकारी शुल्क के भुगतान, खरीद की अनुपयुक्त प्रणाली को अपनाने तथा उच्च दरों पर सामान के खरीदने के कारण 16.07 लाख रु० का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया गया जैसा निम्न सारणी में दिया गया है:-

क्र०	अतिरिक्त परिहार्य व्यय का विवरण (लाख रुपये)	अव्ययता
1.	3.42	वन मण्डल अधिकारी, वन्य प्राणी मण्डल शिमला ने सितम्बर 1996 तथा सितम्बर 1997 में वन मण्डल अधिकारी द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर शिमला में कायों के निष्पादन के लिए विभिन्न संभरणों से 59.28 लाख रुपये की लागत पर मोटे पत्थर, घड़े पत्थर, रेत, बजरी तथा ईंटों का उपार्जन किया। शिमला में इन्हीं मदों की आपूर्ति के लिए अगस्त 1996 तथा अगस्त 1997 के दौरान शिमला वन मण्डल द्वारा दी गई दरों की लेखापरीक्षा में तुलना करने पर पाया गया कि वन मण्डल अधिकारी, वन्य प्राणी मण्डल द्वारा अनुमोदित दरें 1.25 रु० से 825 रु० प्रति यूनिट/घन मीटर के अन्तर सहित बहुत अधिक थीं। वन मण्डल अधिकारी द्वारा खरीद करने से पहले प्रतिस्पर्धात्मक दरों को सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप 3.42 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।
2.	4.16	केन्द्रीय आबकारी तथा नमक अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्तपोषित तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को आपूर्ति सभी माल पर आबकारी शुल्क के उपग्रहण से छूट थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि शिमला वन्य प्राणी मण्डल ने 1996-2000 के दौरान नोरसड (एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन) द्वारा वित्तपोषित पर्यावरण सहयोग परियोजना के निष्पादन के लिए 4.16 लाख रु० के आबकारी शुल्क सहित 33.76 लाख रु० लागत के भण्डार का उपार्जन किया। आबकारी शुल्क की वापसी के लिए दावा जो खरीद की तिथि से छः महीने समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए था भी नहीं किया गया।
3.	2.80	सात मण्डलों द्वारा जगपुर स्थित फर्म से मार्च तथा सितम्बर 1999 के दौरान आवुनिक पोषशाला पूर्व को स्थापित करने के लिए 17.89 लाख रु० की लागत पर खरीदे गये 24,250 रुट ट्रेनरों में से 17,750 रुट ट्रेनरों को पांच मण्डलों द्वारा प्रत्येक 78 रु० के हिसाब से तथा 6,500 को 62.20 रु० प्रत्येक के हिसाब से कुल्लू तथा धर्मशाला मण्डलों द्वारा खरीदा गया। यदि विभाग ने थोक रूप से खरीद के लिए केन्द्रीय प्रणाली अपनाई होती तो 2.80 लाख रु० की बचत हुई होती।
4.	5.69	नमूना जांच किये गये 11 मण्डलों द्वारा 1996-2001 के दौरान संविदा दरों की मण्डार की मदें जैसे शेगन, चूना, डिस्टेंस, शेगन ब्रंध, टायर तथा ट्यूब आदि स्थानीय बाजार से खरीदने के परिणामस्वरूप 5.69 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ।
योग	16.07	

- 3 बिलासपुर, डलहोजी, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नूरपुर, पार्वती, रामपुर तथा सुकेत
- 4 धर्मशाला, कुल्लू, मण्डी, रामपुर, शिमला, सोलन तथा सुकेत
- 5 मण्डी, रामपुर, शिमला, सोलन तथा सुकेत

5.1.3 भण्डारों की प्राप्ति एवं जारी करना

(i) सरकार को परिहार्य हानि

1990-95 के दौरान खरीदी/प्रयुक्त की गई 1.66 करोड़ रु० की कांटेदार तारों जो नये पौधों के लिए बाड़ लगाने के लिए थी निर्धारित पांच वर्षों की अनुरक्षण अवधि के उपरान्त पुनः प्राप्त नहीं की गई।

नये पौधरोपण क्षेत्रों की सुरक्षा प्रयोजनों के लिए कंटीली तार तथा लकड़ी की बाड़ लगाई जाती है। पौधरोपण क्षेत्र की देखभाल पाँच वर्षों तक की जाती है। प्रयोग की गई कंटीली तार पाँच वर्षों के पश्चात पुनः प्राप्त की जानी थी तथा अन्य नये पौधरोपण क्षेत्रों में प्रयोग की जानी थी। कंटीली तार की प्रयोग अवधि अथवा इसकी पुनः प्राप्ति पर पुनः उपयोग के लिए विभाग द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये थे। तथापि वन मण्डल अधिकारी द्वारा कंटीली तार की शैल्फ लाईफ 20 से 25 वर्ष बताई गई है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि नौ वन मण्डलों⁶ में 1990-95 के दौरान नये पौधरोपण क्षेत्रों की बाड़ के लिए प्रयुक्त 2.52 करोड़ रु० की लागत पर 1253 टन कंटीली तार में से केवल 31.18 लाख रु० मूल्य की 147 टन कंटीली तार पुनः प्राप्त की गई तथा 1996-2001 की तत्सम्बन्धी अवधि के दौरान पुनः प्रयुक्त की गई। पूरे पाँच वर्षों के लिए उपयोगिता के अनुरूप 55 लाख रु० मूल्य को कम करने के पश्चात् 1.66 करोड़ रु० मूल्य की कंटीली तार वापिस तथा पुनः प्रयुक्त नहीं की गई। वित्तायुक्त एवं सचिव (वित्त) ने नये पौधरोपण में कंटीली तार की वापसी तथा इसके पुनः प्रयोग के लिए मानदण्ड निर्धारित करने के लिए वित्तायुक्त एवं सचिव (वन) से निवेदन (मई 2001) किया था। सरकार द्वारा लिया गया अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित (जुलाई 2001) था। इस प्रकार, कंटीली तार की पुनः प्राप्ति (वापसी) पर स्पष्ट नीति/दिशा- निर्देश न होने के कारण सरकार को 1.66 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(ii) सामान का अनुचित प्रापण

प्रापण (अप्रैल 1986 तथा मार्च 2000 के मध्य) से मार्च 2001 तक नमूना जांच किये गये नौ मण्डलों⁷ का 16.46 लाख रु० मूल्य का सामान जैसे रुट ट्रेनर, जुड़ी हुई जंजीरें, लोहे की बाड़ पोस्टें, एम एस रेलिंग, लकड़ी आदि या तो भण्डार में या विभिन्न कार्य स्थलों पर अप्रयुक्त पड़ा था। सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारियों ने बताया (फरवरी-मार्च 2001) कि कार्यों के लिए निधियों का आबंटन न किये जाने के कारण सामान को उपयोग में नहीं लाया जा सका। इस प्रकार कार्यों के वास्तविक निष्पादन से बहुत पहले माल के प्रापण के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ।

(iii) विभागीय भवनों में लकड़ी की अनधिकृत खपत

छः वन मण्डलों⁸ के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया कि 1996-2000 के दौरान इन मण्डलों के पास जब्त/रुपान्तरित लकड़ी के उपलब्ध स्टॉक से 28.68 लाख रु० मूल्य की 204 घनमीटर लकड़ी स्वीकृत आकलन में प्रावधान किए बिना 32 विभागीय भवनों में प्रयोग की गई। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक विभागीय परिसम्पत्ति का न्यून प्राक्कलन हुआ। इसके अतिरिक्त, लकड़ी की कीमत को सरकारी लेखे में जमा कराया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारियों ने बताया (फरवरी-मार्च 2001) कि लकड़ी की कीमत को प्राक्कलन में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि यह विभागीय तौर पर उपलब्ध थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लकड़ी की लागत को आकलन में शामिल करके सरकारी राजस्व में जमा करना चाहिए था।

⁶ बिलासपुर, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, रामपुर, शिमला, शिमला (वन्य प्राणी), सोलन तथा सुकेत

⁷ बिलासपुर, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, नूरपुर, रामपुर, शिमला, शिमला (वन्य प्राणी) तथा सुकेत

⁸ डलहौजी, कुल्लू, मण्डी, रामपुर, शिमला तथा सुकेत

5.1.4 स्टॉक की जांच

(i) भण्डारों में कमी

कुल्लू तथा बिलासपुर मण्डलों में विभिन्न कर्मचारियों द्वारा 1995-96 तथा अगस्त 1998 के मध्य उनके स्थानान्तरण के समय 14.98 लाख रु० मूल्य के भण्डार कम सौंपे गये। मार्च 2001 तक कमियों की वसूली के लिए कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ii) माल लेखांकित न रखना

पार्वती वन मण्डली के हुरला क्षेत्र के भण्डार में 4.19 लाख रु० मूल्य के माल का लेखाकरण 1996-98 के दौरान इसकी खरीद के बाद से नहीं किया गया था। वन मण्डल अधिकारी, पार्वती ने बताया (मार्च 2001) कि मामला जांच अधीन था तथा जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् कार्रवाई की जाएगी।

(iii) शैल्फ लाईफ/जीवन क्षमता अवधि के अन्दर सामान को प्रयोग न करने के कारण हानि

सात मण्डलों⁹ में 1985-1999 के दौरान 2.27 लाख रु० मूल्य पर खरीदे गये सामान जैसे कि बीज, रोगन, प्राइमर, डिस्टेम्पर, सीमेन्ट तथा लकड़ी को शैल्फ लाईफ/जीवन क्षमता अवधि के अन्दर प्रयुक्त/उपभोग न करने के फलस्वरूप सरकार को हानि हुई।

इन तथ्यों को मई 2001 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

लोक निर्माण विभाग

5.2 सामान का फर्जी जारी करना

बजट की उपयोगिता को दर्शाने के लिए नियमों के विपरीत कार्यों को जारी 2.68 करोड़ रु० के सामान का फर्जी बुक करना।

सरकार के वित्तीय नियमों में फर्जी स्टॉक समायोजनों जैसे कि अनावश्यक सामान की लागत अथवा वास्तविक जरूरत से अधिक सामान को कार्य के नामे डालना, किसी विशिष्ट कार्य जिसके लिए अन्य कार्य पर प्रयुक्त करने के इरादे से निधियां सामान के मूल्य के रूप में उपलब्ध हैं जिसके लिए कोई आबंटन स्वीकृत नहीं किया गया है या विनियोजन पर अधिक परिव्यय से बचने के लिए प्रयुक्त सामान के मूल्य को वापिस अंकित करने की मनाही है।

इन नियमों के विपरीत, नौ मण्डलों¹⁰ द्वारा जनवरी 1999 तथा मार्च 2000 के मध्य 93 कार्यों पर 2.68 करोड़ रु० लागत का सामान इन कार्यों पर सामान की आवश्यकता के बिना बुक किया गया।

⁹ बिलासपुर, कुल्लू, पार्वती, शिमला, शिमला (वन्य प्राणी), सोलन तथा सुकेत

¹⁰ बिलासपुर-1 (36.74 लाख रु०), चोपाल (29.90 लाख रु०), जुब्बल (7.31 लाख रु०), कसौली (49.91 लाख रु०), नाहन (18.27 लाख रु०), सोलन (10.79 लाख रु०), एनएच सोलन (82.11 लाख रु०), सुन्दरनगर (19.22 लाख रु०) तथा ठियोग (13.59 लाख रु०)


माल की लागत आगामी अप्रैल 1999 तथा जुलाई 2000 के मध्य के अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में स्टॉक को वापिस अंकित की गई। अभिलेख की जांच में आगे पाया गया (मई 2000) कि राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डल, सोलन में सीमेन्ट तथा बीटूमेन की आपूर्ति के लिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को दिये गये 60.34 लाख रु0 के अग्रिम भुगतान (मार्च 1999) को सामान की प्राप्ति के बिना उच्चत शीर्ष "विविध निर्माण कार्य अग्रिमों" के अन्तर्गत उसे रखने के बजाए सीधे सात निर्माण कार्यों को प्रभारित किया गया। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मई 2000) कि उपलब्ध बजट आबंटन के अनुसार प्रत्यक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामान को निर्माण कार्यों को बुक किया गया। इस प्रकार अधिशासी अभियन्ता की कार्रवाई वित्तीय नियमों के प्रावधान के विपरीत थी। कसौली मण्डल में, 49.91 लाख रु0 मूल्य का सामान जैसेकि टोर स्टील, एंगल आयरन, सीमेंट, आदि विस्तृत आंकलनों को बनाये बिना तथा कार्यों के निष्पादन को आरम्भ किये बिना 19 निर्माण कार्यों को बुक किया गया। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जून 2000) कि कार्यों का निष्पादन न होने के कारण सामान को पुनः अंकित (रिटन बैक) किया गया। अन्य अधिशासी अभियन्ताओं ने बताया (जून-सितम्बर 2000) कि सामान बजट अनुदान की प्रयुक्ति के लिए बुक किया गया था तथा आवश्यक मांगों को ध्यान में रखते हुए अन्य निर्माण कार्यों को वापिस अंकित/स्थानान्तरित किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सामान को स्पष्ट रूप से नियमों के विपरीत उपलब्ध निधियों को उपयोग करने के लिए बुक किया गया था।

इस प्रकार उपलब्ध निधियों की प्रयुक्ति के उद्देश्य से की गई सामान की बुकिंग अनियमित थी तथा परिणामस्वरूप इन कार्यों के निष्पादन पर वास्तविक व्यय से बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई थी। इससे आगामी वर्षों में स्टॉक को वापिस अंकित किये गये मण्डल की सीमा तक इन कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियाँ प्राप्त करने में भी सरलता हुई।

मामला मार्च 2001 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2001)।

छठा अध्याय

स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता



छठा अध्याय

स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

6.1 सामान्य

(क) स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों की संस्थापना, अन्य बातों के साथ-साथ, जनोपयोगी सेवाओं सम्बन्धी गैर-वाणिज्यिक कार्य करने के लिए की जाती है। ये निकाय/प्राधिकरण सरकार से भारी वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, 1956 इत्यादि के अंतर्गत पंजीकृत अन्य संस्थान भी राज्य सरकार के कार्यक्रम कार्यान्वित करने हेतु सरकार से भारी अनुदान प्राप्त करते हैं।

2000-2001 के दौरान विभिन्न स्वायत्त निकायों तथा अन्य जिन्हें मुख्यतः निम्नवत् प्रकार से समूहीकृत किया गया है, को 212.78 करोड़¹ ₹ की वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया:-

क्र०	संस्था का नाम	अदा की गई सहायता राशि (करोड़ रूपयों में)
1.	विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाएं	74.13
2.	नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	29.99
3.	जिला परिषद तथा पंचायती राज संस्थाएं	85.75
4.	विकास अभिकरण	8.14
5.	चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	0.10
6.	अन्य संस्थाएं (सांविधिक निकायों सहित)	14.67
	जोड़	212.78

(ख) उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

जिन मामलों में सरकार द्वारा विशेष प्रयोजनों हेतु अनुदान दिए जाते हैं वहां विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाने चाहिए तथा सत्यापन के उपरान्त इन्हें संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार को अग्रेषित किया जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

1982-83 से 1999-2000 की अवधि के दौरान अदा किए गए 393.05 करोड़ ₹ की सकल राशि के अनुदानों तथा ऋणों के संदर्भ में देय 4753 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से केवल 106.88 करोड़ ₹ के 1267 उपयोगिता प्रमाणपत्र 31 मार्च 2001 तक प्रस्तुत किए गए थे तथा 286.17 करोड़ ₹ के

¹ स्रोत: लेखा एवं हकदारी कार्यालय

3486 उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभागवार वर्णन निम्नवत् था:

विभाग	प्रस्तुत न किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
ग्रामीण विकास	979	70.44
शिक्षा	820	109.01
शहरी विकास/स्थानीय स्वशासन	442	19.24
न्याय प्रशासन	4	0.09
पशुपालन	10	11.38
सहकारिता	238	2.98
खेलकूद तथा युवा सेवाएं	163	6.01
पर्यटन	30	6.40
उद्योग	168	10.03
कृषि	40	0.74
वन कृषि तथा पर्यावरणीय संरक्षण	46	44.84
सचिवालय सामान्य सेवाएं	7	0.30
भाषा, कला एवं संस्कृति	517	3.46
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	21	1.20
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1	0.05
जोड़:	3486	286.17

निम्नवत सारणी उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की सीमा दर्शाती है:

	प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
तीन वर्ष तक	2638	244.50
तीन वर्ष से अधिक, परन्तु पांच वर्ष तक	443	29.70
पांच वर्ष से अधिक, परन्तु दस वर्ष तक	244	11.45
दस वर्ष से अधिक	161	0.52
जोड़:	3486	286.17

उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं था कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया जिनके लिए यह अपेक्षित थे।

(ग) लेखों के प्रस्तुत करने में विलम्ब

जिन संस्थाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत अपेक्षित है उनकी शिनाख्त करने हेतु सरकार द्वारा प्रति वर्ष लेखापरीक्षा को विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, जिस प्रयोजन के लिए सहायता संस्वीकृत की गई तथा संस्थाओं का कुल व्यय के संदर्भ में संविस्तृत सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 64निकायों तथा प्राधिकरणों के 2000-2001 तथा पूर्व वर्षों के 147 वार्षिक लेखे जिनका ब्यौरा परिशिष्ट-XX में दिया गया है, महालेखाकार को जुलाई 2001 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

(घ) लेखापरीक्षा व्यवस्था

स्थानीय निकायों (जिला परिषदें, नगरपालिकाएं, कस्बा क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ), शैक्षिक संस्थाओं तथा अन्यो की लेखापरीक्षा परीक्षक, स्थानीय लेखापरीक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा की जाती है। सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा पंजीयक, सहकारी समाएं, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा की जाती है तथा पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा निदेशक, पंचायती राज द्वारा की जाती है।

48 निकायों/प्राधिकरणों जिनके लेखे जुलाई 2001 तक प्राप्त हुए, में से 27 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत अपेक्षित है। इसमें से 25 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा जुलाई 2001 तक सम्पन्न की गई।

लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए रूचिकर मामलों को आगामी परिच्छेदों में दिया गया है:

विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विभाग

हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

6.2 वायु प्रदूषण तथा अपव्यय प्रबन्धन से सम्बन्धित पर्यावरणीय अधिनियमों तथा नियमों की लेखापरीक्षा

6.2.1 परिचय

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2000 को समाप्त-सिविल-हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिवेदन के परिच्छेद 6.1 में पर्यावरणीय अधिनियमों तथा नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें नगर तथा हिमाचल प्रदेश पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बायो-मैडिकल कचरे के निपटान सहित जल प्रदूषण से सम्बन्धित वर्णन किया गया था।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण पर खतरनाक कचरे/रसायनों के विपरीत प्रभाव को कम करने को वायु (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा प्रचलित विभिन्न नियमों की अनुपालना में वायु प्रदूषण तथा खतरनाक अपव्यय प्रबन्धन के नियंत्रण से सम्बद्ध 1996-2001 वर्षों की अवधि हेतु बोर्ड के अभिलेखों की जांच मार्च-अप्रैल 2001 के दौरान की गई। इसमें चार क्षेत्रीय कार्यालयों तथा तीन प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की नमूना जांच भी सम्मिलित थी। नमूना जांच से निम्नलिखित बातों का पता चला:

6.2.2 वित्तीय प्रबन्ध

बोर्ड की आय के मुख्य स्रोत केन्द्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, सहमति देने हेतु प्राप्त फीस, नमूनों की जांच आदि सहित राज्य/केन्द्र सरकारों द्वारा सहायता अनुदान के रूप में अंशदान थे। बोर्ड के 1996-97

¹ बड़ी, जस्सूर पांवटा साहिब तथा पस्वाणू

² जस्सूर पांवटा साहिब तथा पस्वाणू

से 2000-2001 के वर्षों के वार्षिक लेखे तैयार नहीं थे। सदस्य सचिव ने बताया (अप्रैल 2001) कि ये लेखे निपटान के अन्तिम चरण पर थे।

पांच वर्षों के लेखे बकाया पड़े थे तथा 3.17 करोड़ रु० के अब्यवित्त बकाया का विवरण बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं था।

31 मार्च 2001 को 3.17 करोड़ रुपये का शेष विभिन्न बैंकों में आवधिक जमा प्राप्तियों/बचत बैंक लेखों के रूप में था जो लेखाओं को अन्तिम रूप देते समय परिवर्तनीय था। विभिन्न बैंक लेखों में पड़ी अप्रयुक्त निधियों के क्रियाकलापों सहित ब्यौरे बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं थे। इन ब्यौरों की अनुपस्थिति में बोर्ड अपने क्रियाकलापों का क्रियान्वयन तथा प्रभावी अनुश्रवण नहीं कर सका।

6.2.3 वायु प्रदूषण

(क) औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण तथा पहचान न करना

वायु अधिनियम, 1981 के लिए किन्नौर, लाहौल तथा स्पिति और चम्बा (पांगी तथा भरमौर खण्ड) जिलों को छोड़कर समस्त हिमाचल प्रदेश को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में घोषित (अक्टूबर 1981) किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि बोर्ड ने राज्य में वायु प्रदूषण स्तर निश्चित करने के लिए अध्ययन नहीं करवाया, जिससे वायु प्रदूषण का चरणबद्ध ढंग से सामना किया जाता। वायु प्रदूषण करने वाले उद्योगों की पहचान हेतु भी सर्वेक्षण नहीं करवाया गया यद्यपि उद्योग विभाग ने राज्य में मार्च, 2001 तक लगभग 28,900 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना सूचित (अगस्त 2001) की थी। तीन³ क्षेत्रीय कार्यालयों ने ऐसे विस्तृत सर्वेक्षण न किए जाने की पुष्टि की, जबकि सदस्य सचिव ने बताया (अप्रैल 2001) कि वायु गुणवत्ता का सर्वेक्षण आठ वायु अनुश्रवण स्टेशनों पर किया जा रहा था। उत्तर में यह नहीं बताया गया कि वायु प्रदूषण करने वाले उद्योगों की पहचान हेतु विस्तृत सर्वेक्षण क्यों नहीं करवाया जा सका, जबकि प्रदूषण स्तरों को रोकने तथा इन्हें कम करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की निश्चितता हेतु यह पूर्वपेक्ष था।

वायु प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों का निर्धारण करने का विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त सदस्य सचिव ने बताया (अप्रैल 2001) कि बोर्ड ने वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में इकाइयों की स्थापना/परिचालन की सहमति देने हेतु सहमति यंत्र-रचना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर आधारित 1,185 उद्योगों (मार्च, 2000) की पहचान की थी। सचिव ने यह बताया कि उद्योगों के तात्विकाकरण हेतु संकलन कार्य प्रगति पर था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्राप्त आवेदनों पर आधारित इकाइयों की पहचान व्यापक सर्वेक्षण हेतु परिवर्तित नहीं हो सकती जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यमान औद्योगिक इकाइयां सहमति तंत्र के अंतर्गत आती थीं तथा अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाई गईं। इसके अतिरिक्त, चार क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत तीन जिलों⁴ में स्थापित औद्योगिक इकाइयों की व्यक्तिगत फाईलों की नमूना जांच से पता चला कि 33 इकाइयां बोर्ड की किसी सहमति के बगैर चल रही थीं। अतः, पहचान की गई इकाइयों के अतिरिक्त और अधिक वायु प्रदूषण उद्योगों की विद्यमानता से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ख) वायु प्रदूषण निरोधक यंत्र

वायु अधिनियम, 1981 में अपेक्षित है कि सहमति प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को परिसरों में वायु प्रदूषण निरोधक यंत्र लगाने होंगे। बोर्ड द्वारा दी गई (अप्रैल 2001) सूचनांनुसार मार्च 2000 तक 1,185 उद्योगों को उनके द्वारा वायु प्रदूषण निरोधक यंत्रों को लगाने की सुनिश्चितता पश्चात् सहमति दी गई। सदस्य सचिव ने बताया (मई 2001) कि वर्ष 2000-2001 का ब्यौरा संकलनाधीन था।

³ बही, जसूर तथा पांवटा साहिब

⁴ बही: 10, जसूर: 11, पांवटा साहिब: 5 तथा पक्वानु: 7

⁵ कागडा, सिस्मौर तथा सोलन

बोर्ड का यह आशय कि वायु प्रदूषण निरोधक यंत्र सभी इकाईयों में लगाए गए थे मान्य नहीं है क्योंकि तीन क्षेत्रीय कार्यालयों⁶ के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि जून 1989 तथा फरवरी 2000 के मध्य स्थापित 19 औद्योगिक इकाईयों ने वायु प्रदूषण निरोधक यंत्र नहीं लगाए। सम्बन्धित पर्यावरणीय अभियन्ताओं ने बताया (मार्च-अप्रैल 2001) कि कुछ मामलों में या तो नोटिस जारी किए जा रहे थे अथवा यंत्र को जुटाने हेतु कार्य प्रगति पर था। अतः ये इकाईयां यंत्रों के बिना कार्य कर रही थी।

(ग) वायु गुणवत्ता अनुश्रवण

परिवेशी वायु गुणवत्ता पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों तथा उनके प्रभाव हेतु आवश्यकता की प्रवृत्ति व सीमा निर्धारित करने को बोर्ड ने 1985 में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशनों की स्थापना की मंजूरी दी। कार्यक्रम राज्य में अक्टूबर 1987 में आरम्भ किया गया तथा अनुश्रवणार्थ तीन प्राचलिकों की पहचान की गई अर्थात् सस्पेंडिड पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डायऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। अक्टूबर 1987 तथा अप्रैल 1993 के मध्य 7.24 लाख रु० की लागत से स्थापित आठ⁷ स्टेशनों पर बोर्ड द्वारा वायु गुणवत्ता अनुश्रवण किया जा रहा था। बोर्ड मासिक ब्यौरा एकत्रित करके केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आगामी मूल्यांकनार्थ भेज रहा था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आठ स्टेशनों में से छः⁸ पर सस्पेंडिड पार्टिकुलेट मैटर का संकेन्द्रण निर्धारित सीमा से अधिक था। 1996-2001 के दौरान स्टेशनों में ब्यौरा मासिक रूप से अभिलिखित औसतों पर आधारित था तथा निर्धारित मानकों से संकेन्द्रण अधिक होने की अवस्था में मासों की संख्या 1 से 49 मास के परिक्षेत्र में थी। संतोषजनक रिपोर्ट न होने के सम्बन्ध में कार्रवाई नहीं की गई थी।

(घ) प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का अनुश्रवण

(i) राज्य सरकार बोर्ड से परामर्श करके यह सुनिश्चित करने हेतु कि ऑटोमोबाइलज़ से वायु प्रदूषण के उत्सर्जन हेतु स्तरों का पालन वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार किया गया, मोटर वाहन पंजीकरण के सम्बद्ध प्रभारी प्राधिकारी को अनुदेश देती है। सदस्य सचिव ने बताया (अप्रैल 2001) कि ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए थे।

1996-2001 के दौरान राज्य में शिमला तथा अन्य स्थानों पर बोर्ड द्वारा पर्यावरण (निवारक) अधिनियम, 1986 के मानकों के अनुसार वाहनीय ध्रुएं का अनुश्रवण किया गया। जांच किए गए 20,424 वाहनों में से 7,074 वाहन निर्धारित स्तर से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पाए गए।

इसी भांति गाड़ियों द्वारा कृत प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्तरदायी परिवहन विभाग 1996-2000 के दौरान 1,39,526 वाहनों में से 12,253 वाहन निर्धारित स्तर से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले निकले। निदेशक (परिवहन) ने बताया (अप्रैल 2001) कि निर्धारित स्तर से अधिक वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान किया जा रहा था यदि वे एक सप्ताह के भीतर उत्सर्जन को ठीक न करते। विभाग ने अन्य निवारक/ठोस पग नहीं उठाए। यह देखा गया कि बोर्ड तथा परिवहन विभाग के निर्धारित मानक वाहनीय उत्सर्जन हेतु भिन्न थे।

⁶ बड़ी: 5, जसूर: 9 तथा परवाणु: 5

⁷ डमटाल, पांवटा साहिब, परवाणु तथा शिमला प्रत्येक में दो-दो

⁸ जसूर: 2; पांवटा साहिब: 2, परवाणु: 2

(ii) मोटर वाहन नियमों के अंतर्गत राज्य में प्रत्येक मोटर वाहन के लिए परिवहन प्राधिकारी अथवा इसके प्राधिकृत केंद्रों द्वारा जारी वैध नियंत्रणाधीन प्रदूषण प्रमाण-पत्र ले जाना अनिवार्य जारी किया गया। प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण पत्र तीन महिनों तक वैध था।

1996-2000 के दौरान परिवहन प्राधिकारी तथा इसके प्राधिकृत केंद्रों ने 1,27,273 प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण-पत्र जारी किए तथा 12,253 वाहन निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये जिन्हें प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये। यह भी देखा गया कि मार्च 2000 तक पंजीकृत 1,93,336 वाहनों के आधार पर उपरोक्त अवधि के दौरान अनुमानतः 25,96,496 प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण-पत्र जारी किए जाने अपेक्षित थे। इस प्रकार लगभग 95 प्रतिशत वाहन वैध प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण-पत्रों के बगैर राज्य मार्गों पर चलाए जा रहे थे। यह भी देखा गया कि बोर्ड/ परिवहन प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया जिससे प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण-पत्र जारी करने को प्राधिकृत सर्विस स्टेशनों की गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों को किया जा सकता।

इस तरह वाहनीय प्रदूषण अपेक्षित प्रदूषण मानकों को सही ढंग से लागू न करने के कारण जांचरहित रह गया। बोर्ड ने स्वीकार किया (अप्रैल 2001) कि प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण-पत्र जारी करने को प्राधिकृत सर्विस स्टेशनों को गुणवत्ता नियंत्रण हेतु जांचने की भी आवश्यकता है।

6.2.4 खतरनाक अपव्यय प्रबन्धन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग पांच करोड़ टन अपव्यय का सृजन होता है। विद्यमान घटकों की दृष्टि से अपव्यय प्रबन्धन महत्वपूर्ण है जो पर्यावरण तथा मानवीय स्वास्थ्य को चुनौती है यदि उपयुक्त रूप से प्रबन्ध न किया जाए। निर्माकित नालों का पता चला था-

(i) नियमों के अंतर्गत बोर्ड को उस प्रत्येक "पदाधिकारी" को आवेदन के पश्चात् अनुमोदन प्रदान करना था जो औद्योगिक इकाई के मामलों के नियंत्रण वाला खतरनाक पदार्थ के स्वामित्व वाला, खतरनाक अपव्यय उत्पन्न करने वाला तथा जिसके पास संग्रहण, अभिक्रिया, परिवहन, भण्डारण और ऐसे अपव्ययों के निपटान की सुविधा होती। खतरनाक अपव्यय के सुरक्षित निपटान हेतु स्थल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व था। इन नियमों को फरवरी 1989 में अपनाया गया जबकि यह देखा गया कि खतरनाक अपव्ययों का निपटान स्थल उद्योगों के परिसरों के भीतर अनुमत किया जा रहा था। इस प्रकार, परिसरों के भीतर संतृप्ति बिंदु पहुंचने पर अपव्यय का अनियमित ढंग से भण्डारण नकारा नहीं जा सकता था।

खतरनाक अपव्ययों के संचालन, भण्डारण तथा निपटान हेतु प्राधिकार प्रदान न करने के सम्बन्ध में 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-सिविल-हिमाचल प्रदेश सरकार के परिच्छेद 6.2.2.8 (क) में ध्यान दिलाया गया था। लोक लेखा समिति ने अपने 226वें प्रतिवेदन (नौवीं विधान सभा) में सिफारिश की कि खतरनाक अपव्यय उत्पन्न करने वाली इकाईयों की पहचान और सभी जिलों में खतरनाक अपव्यय के निपटानार्थ स्थलों का सर्वेक्षण किया जाए तथा इन स्थलों के विकासार्थ पग उठाए जाएं। नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद बोर्ड द्वारा खतरनाक अपव्यय उत्पन्न करने वाली इकाईयों की पहचान हेतु सर्वेक्षण नहीं करवाया।

तथापि, बोर्ड के पास उपलब्ध ब्यौरे के आधार पर राज्य में वर्ष 2001 तक 304 इकाईयों की पहचान की गई जो क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए निरीक्षणों पर आधारित थी। पहचान की गई इकाईयों में से 81 को स्थल भण्डारण हेतु अनुमोदन प्राप्त था जबकि 10 इकाईयां बन्द हो गईं और 213 को अनुमोदन मिलना था। सदस्य सचिव ने बताया (मई 2001) कि 120 इकाईयों को अनुमोदन लेने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके थे तथा शेष मामले (93) कार्याधीन थे। इस प्रकार अधिनियमों/नियमों को

राज्य में वैध प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाणपत्रों के बिना 95 प्रतिशत वाहन चल रहे थे।

खतरनाक अपव्यय
उत्पन्न करने वाली
इकाइयों की पहचान नहीं
की गई। खतरनाक
अपव्यय उत्पन्न करने
वाली पहचान की गई
304 इकाइयों में से 213
बिना प्राधिकार के चल
रही थी।

लागू करने में देलाई से खतरनाक अपव्यय को अनुपयुक्त ढंग से निपटाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, जो गम्भीर पर्यावरण चेतावनी है।

यह भी देखा गया कि खतरनाक अपव्यय के निपटानार्थ स्थल औद्योगिक क्षेत्र बद्दी (जिला सोलन) को आवृत्त करने वाला यद्यपि अक्टूबर 2000 में अधिसूचित किया गया अभी भी (अप्रैल 2001) कार्यचालन हेतु अर्जित तथा विकसित किया जाना था। ऐसे स्थानों की राज्य के अन्य क्षेत्रों में पहचान नहीं की गई। इस प्रकार, खतरनाक अपव्यय के निपटान/भण्डारण को औद्योगिक इकाइयों के परिसरों के भीतर किया जा रहा था, जो पर्यावरण के लिए खतरा बन सकता था।

(ii) खतरनाक अपव्यय प्रबन्धन तथा संचालन नियम 1989 के अन्तर्गत खतरनाक अपव्यय उत्पन्न करने वाले पदाधिकारी को सुनिश्चित करना था कि खतरनाक अपव्यय को बिना किसी विपरीत प्रभाव के उचित ढंग से संचालित तथा विकसित करना था तथा पदाधिकारी इसके उचित एकत्रीकरण, प्राप्तिकरण, उपचार, भण्डारण तथा निकासी के के लिए भी उत्तरदायी था। उपर्युक्त हेतु उसे सभी व्यवहारिक कदम उठाने थे। उक्त नियमों के अन्तर्गत पदाधिकारी को बोर्ड को इस आशय की वार्षिक विवरणी भी भेजनी थी। बोर्ड ने उपर्युक्त किन्हीं भी गतिविधियों हेतु प्राधिकार भी जारी करना था। खतरनाक अपव्यय का परिवहन भारत सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत जारी नियमों के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना था। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बोर्ड को निर्देश (मई 1999) दिए कि वह सुनिश्चित करें कि खतरनाक तत्वों का परिवहन मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाए।

क्षेत्रीय कार्यालय, जसूर के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 1,047 टन वार्षिक खतरनाक पदार्थों को उत्पन्न करने वाली पांच औद्योगिक इकाइयों अपने ढंग से बोर्ड के अनुमोदन बगैर राज्य के भीतर/बाहर उनका परिवहन कर रही थी। बोर्ड उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित परिवहन की सुनिश्चितता बनाने तथा निर्धारित ढंग से केन्द्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों की अनुपालना करने में विफल रहा। इन तीन इकाइयों द्वारा अपव्यय परिवहन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मामले को पहले से सूचित (फरवरी 2000) किए जाने पर भी बोर्ड ने कार्रवाई नहीं की। यह भी देखा गया कि बद्दी, जसूर तथा परवाणु में स्थापित 212 औद्योगिक इकाइयों खतरनाक अपव्यय के संग्रहण, प्राप्ति, अभिक्रिया, भण्डारण तथा निपटान से सम्बन्धित अपनी वार्षिक विवरणियां बोर्ड को नहीं भेज रही थीं।

(iii) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में भस्मकों को न लगाने से सम्बद्ध भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष-सिविल-हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिवेदन के परिच्छेद 6.2.2.6 (छ)(ii) में ध्यान आकर्षित किया गया था।

यह देखा गया कि मार्च 1999 में लगाए गए तीन भस्मक चालन योग्य (सितम्बर 2000) नहीं पाए गए। सी.आर.आई. कसौली अंतिम चार दशकों से बिना किसी कार्यचालन पर्यावरण नियंत्रण उपायों के लगभग 100 टन वार्षिक खतरनाक प्रकार का बायो-मैडिकल अपव्यय उत्पन्न कर रहा था। इकाई की पहचान अप्रैल 1989 में की गई तथा बोर्ड मई 1993 से इकाई को निर्देश दे रहा था कि उच्च नशीली प्रकार के अपव्यय तथा खतरनाक पदार्थों को अलग करें और कम नशीले तथा खतरनाक अपव्यय को भस्म करें। तथापि सी0आर0आई0 रोजमर्रा की भांति खतरनाक प्रकार के बायो मैडिकल अपव्यय का निपटान कर रहा था। पर्यावरण अभियंता ने बताया (मार्च 2001) कि सी0आर0आई0 के निदेशक ने भस्मकों के कार्य न करने के कारण उसको चलाने की उच्च लागत तथा तकनीकी स्टाफ की अनुपलब्धता बताई। यह भी बताया गया कि मामला कानूनी कार्रवाई हेतु बोर्ड को भेजा (सितम्बर 2000) गया था। इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई प्रतीक्षित (अप्रैल 2001) थी।

6.2.5 प्रयोगशालाओं की कार्य प्रणाली

पर्यावरणीय संरक्षण गतिविधि के सफलतापूर्वक क्रियान्वयनार्थ विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला के द्वारा निरन्तर जांच हेतु प्रदूषण स्त्रोतों की पहचान आवश्यक थी।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में आई-

(i) खतरनाक अपव्यय सृजन, अभिक्रिया तथा निपटान के विशेष संदर्भ सहित राज्य में चयनित औद्योगिक इकाईयों के सर्वेक्षण को बोर्ड ने 4 लाख रुपये की लागत से राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की स्थापना (मार्च 1992) की। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तुत (मार्च 1993) की गई सर्वेक्षण रिपोर्टनुसार कुछ गड्डों में बोलाटाईल सावयव वाले खतरनाक अपव्यय भर रहे थे, जो ऐसे गड्डों के निकट आस-पास की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते थे। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने सिफारिश की कि (क) क्रोमोटोग्राफ गैस के साथ सावयव विश्लेषक का प्रयोग करके ऐसे सावयवों का विश्लेषण करना, (ख) प्रयोगशाला में भस्मकों से उत्सर्जन अनुश्रवणार्थ वाष्पशील सावयव नमूना प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधाएं जुटाई जानी चाहिए।

नमूना जांच की गई तीन⁹ प्रयोगशालाओं में से किसी में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके कारण राज्य में अपव्यय प्रबन्धन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

(ii) शर्तों सहित अनुपालना तथा परीक्षार्थ और विश्लेषण उद्देश्य से नमूनों की एकत्रित करने की सुनिश्चितता के लिए वायु अधिनियम के अंतर्गत सहमति प्रदान करने और खतरनाक अपव्यय नियमों के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने के लिए बोर्ड ने औद्योगिक इकाईयों से नमूने एकत्रित करने हेतु किन्हीं तर्हों को निर्धारित नहीं किया था। 1996-2001 के दौरान चार¹⁰ क्षेत्रीय कार्यालयों में 304 वायु तथा 188 खतरनाक अपव्यय नमूनों को एकत्रित करके विश्लेषण किया गया।

1996-2001 के दौरान वायु और खतरनाक अपव्यय हेतु एकत्रित तथा विश्लेषण किए गए नमूनों की औसत संख्या प्रतिमास क्रमशः पांच और तीन थी। परीक्षणों की सूचना/अभिलेख जो विहित मानकों की पुष्टि और सुधारार्थक उठाए गए पगों पुष्टि नहीं करते थे प्रयोगशालाओं में उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार प्रदूषण कम करने की अनिवार्य आवश्यकता वे पूर्ण करते हैं/कर रहे हैं, की सुनिश्चितता की दृष्टि से उद्योगों के अनुश्रवणार्थ प्रभावी पग नहीं उठाए गए।

(iii) बिलासपुर जिले के बरमाणा में स्वचालित वायु गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशनों को लगाने के लिए आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण प्राप्त करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 29.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत (मई 1996) की गई। वर्ष 1996-97 के दौरान बोर्ड को 15 लाख रुपये की पहली किस्त जारी की गई तथा शेष राशि पहली किस्त को प्रयुक्त करने के पश्चात् जारी की जानी थी।

आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण व लगाने के कारण 15 लाख रुपये वर्ष 1996-97 से अग्रयुक्त पड़े हुए थे।

यह देखा गया कि प्रस्तावित वायु गुणवत्ता स्टेशन की स्थापना (अप्रैल 2001) नहीं की गई तथा अप्रैल 2001 तक 15 लाख रु0 अग्रयुक्त पड़े हुए थे।

सदस्य सचिव ने बताया (अप्रैल 2001) कि उपकरण प्राप्त करने की कार्रवाई जारी थी।

⁹ जसूर पांवटा साहिब तथा पस्वाणू
¹⁰ बधी, जसूर पांवटा साहिब तथा पस्वाणू

6.2.6 सहमति/अनुमोदन फीस का उद्ग्रहण तथा वसूली

औद्योगिक तथा चिकित्सा संस्थाओं द्वारा निर्धारित दरों पर सहमति अनुमोदन फीस दी जानी थी।

502 इकाइयों से सहमति/नवीकरण/अनुमोदन फीस के 15.97 लाख रुपये वसूल किए जाने थे।

(i) अभिलेखों की जांच से पता चला कि 1996-2001 के दौरान 423 इकाइयों के मामले में 13.99 लाख रुपये की सहमति/नवीकरण फीस नहीं दी गई। इसी भांति, खतरनाक अपव्यय उत्पन्न करने वाली 79 इकाइयों से अनुमोदन प्रदान करने की 1.98 लाख रुपये की फीस भी प्रतीक्षित थी। यह भी देखा गया कि वायु अधिनियम के अंतर्गत पहचान किए गए 1,185 उद्योगों के प्रति केवल 655 इकाइयों के खातों का अनुक्षण किया जा रहा था। खतरनाक अपव्यय (प्रबन्धन तथा संचालन) नियम 1989 के अंतर्गत पहचान की गई 304 खतरनाक इकाइयों में से केवल 81 इकाइयां खातों में दर्ज पाई गईं। सदस्य सचिव ने बताया (अप्रैल 2001) कि पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण अभिलेखों को पूर्ण नहीं किया जा सका। इन ब्यौरों के अभाव में समस्त इकाइयों की सहमति/नवीकरण फीस सही है, इसका सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

(ii) राज्य में संक्रामक तथा खतरनाक अपव्यय उत्पन्न करने वाले 122 सरकारी अस्पताल तथा जन स्वास्थ्य केन्द्र थे। इसके अतिरिक्त हिमाचल पथ परिवहन निगम और लोक निर्माण विभाग भी खतरनाक अपव्यय (प्रबन्धन तथा संचालन) संशोधन नियम, 2000 के अंतर्गत आते थे। इन मामलों में किसी एक से भी अनुमोदन फीस वसूल नहीं की गई।

6.2.7 जागरूकता केन्द्रों का गठन न करना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्य में पर्यावरण जागरूकता तथा सहायता केन्द्रों के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान (दिसम्बर 1995) की और बोर्ड को 1.25 लाख ₹ का अनुदान जारी किया। यह देखा गया कि केन्द्रों का गठन करने के स्थान पर बोर्ड के कार्यालय के लिए टेलीविजन, फ़ैक्स/फोटो मशीनें, फर्नीचर/फर्नीशिंग, टेलीफोन उपकरण, आदि की खरीद पर अपने स्रोतों से अधिक राशि का अपवर्तन करके प्राप्त अनुदान राशि सहित वर्ष 1995-96 के दौरान 13.23 लाख ₹ का व्यय किया गया। इस प्रकार पर्यावरणीय खतरों के बारे में लोगों को शिक्षा देने के लिए केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। बोर्ड को इस व्यय (अप्रैल 2001) के औचित्य बारे पूछा गया, जिसका उत्तर प्रतीक्षित (मई 2001) था।

मामला सरकार को मई 2001 में भेजा गया; उत्तर प्राप्त (अगस्त 2001) नहीं हुआ था।

6.3 विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन न करने के कारण निधियों का अक्षयन

संस्वीकृत सहायता अनुदानों की शर्तों तथा निबन्धनानुसार विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हिमऊर्जा की विफलता से 4.03 करोड़ ₹ की निधियों का अवरोधन हुआ तथा असत्य लेखे प्रस्तुत किए गए।

राज्य सरकार ने वर्ष जुलाई 1999-मार्च 2000 के दौरान हिमऊर्जा को एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम तथा गैस-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 4.30 करोड़* ₹ के सहायता अनुदान जारी किए। वर्षान्त पर अनुदानों की अप्रयुक्त राशि सरकार को शीघ्र अभ्यर्पित की जानी थी।

* जुलाई 1999: ₹ 128.73 लाख, फरवरी 2000: ₹ 67.56 लाख तथा मार्च 2000: ₹ 233.77 लाख

हिमजर्जा के लेखाओं की नमूना जांच से पता चला (दिसम्बर 2000) कि केवल 27 लाख ₹ का अनुदान ही प्रयुक्त किया जा सका और शेष 4.03 करोड़ ₹ की राशि या तो आवर्ती जमाओं (1.28 करोड़ ₹) में अथवा बचत बैंक लेखाओं (2.75 करोड़ ₹) में रखी थी। तथापि समस्त राशि वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रयुक्त की गई दर्शाई गई।

निदेशक, हिमजर्जा ने बताया (दिसम्बर 2000) कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी किए गए अनुदानों के कारण उन्हें उसी वर्ष में प्रयुक्त करना सम्भव नहीं था और इस प्रकार इन्हें अनुवर्ती वर्षों में प्रयुक्त किया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि केवल 0.76 करोड़ ₹ के अनुदान ही वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में सत्यता के सत्यापन को किए गए खर्च के लेखों के मूल अभिलेख भी अनुरक्षित नहीं किए गए।

विकासालमक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हिमजर्जा की विफलता से 4.03 करोड़ ₹ के अनुदानों का अवरोधन हुआ तथा सरकार को असत्य लेखे प्रस्तुत किए गए।

मामला सरकार को मार्च 2001 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001) था।

आवास विभाग

6.4 हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड की कार्यप्रणाली

6.4.1 परिचय

राज्य में आवास स्थल की आवश्यकता पूर्ति हेतु की जाने वाली कार्रवाई के लिए हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सितम्बर 1972 में हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड की स्थापना की गई। समाज के विभिन्न आय वर्गों की आवासीय आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड विभिन्न आवासीय स्कीमों के अंतर्गत मकानों, फ्लैटों तथा प्लॉटों के विकास में व्यस्त था।

बोर्ड में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सात अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव की राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीमों के निष्पादन में सहायतार्थ मुख्य अभियंता, एक अधिक्षण अभियंता तथा छः अधिशासी अभियंता¹ (सिविल: पांच; विद्युत: एक) होते हैं।

जनवरी-मार्च 2001 के दौरान बोर्ड तथा पांच सिविल निर्माण मण्डलों के 1996-2000 अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। नमूना जांच के परिणाम अनुवर्ती परिच्छेदों में दिए गए हैं।

6.4.2 बजट प्रावधान तथा व्यय

बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों के लिए पैसे की व्यवस्था आवास तथा शहरी विकास निगम, राज्य सरकार तथा कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक, आंबटियों से प्राप्त किस्तों तथा बोर्ड द्वारा निषादित जमा कार्यों से की जाती है। 1996-2000 के दौरान बोर्ड द्वारा 25.47 करोड़ रुपये के ऋण लिए गए।

1996-2000 के दौरान बोर्ड के बजट प्रावधान तथा व्यय की स्थिति निम्नलिखित थी:

¹ धर्मशाला, मण्डी, परवाणू, शिमला-I, शिमला-II तथा इलेक्ट्रिकल मण्डल, शिमला

वर्ष	बजट	व्यय	आधिक्य (+)/व्यय(-)
(करोड़ रूपए)			
1996-97	19.30	17.67	(-)1.63
1997-98	25.83	29.53	(+)3.70
1998-99	33.18	39.74	(+)6.56
1999-2000	40.00	38.19	(-)1.81
जोड़	118.31	125.13	(+)6.82

6.4.3 लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

1996-2000 के दौरान व्यय बजट आबंटन से दो प्रतिशत अधिक हो गया किन्तु निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में मकानों, फ्लैटों तथा प्लाटों की प्रत्यक्ष उपलब्धि क्रमशः 20,32 तथा 35 प्रतिशत कम थी जैसा कि परिशिष्ट- XXI में ब्योरा दिया गया है। प्राप्त उपलब्धियाँ भी वर्ष 1997 के दौरान घनयारा (कांगड़ा जिला) के 41 प्लाटों, 1998-1999 के दौरान शोधी (शिमला जिला) के 132 फ्लैटों तथा 15 मकानों को सम्मिलित करके, जो मार्च 2001 तक अधूरे थे, बढ़ाई गई थी।

6.4.4 बोर्ड की आवासीय नीति

बोर्ड की स्थापना के 25 वर्ष बाद नवम्बर 1997 में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया बोर्ड की आवासीय नीति का प्रारूप मार्च 2001 तक अनुमोदनार्थ प्रतीक्षित था। तथापि, बोर्ड सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए सामाजिक आवासीय स्कीम, स्वतः वित्तपोषित स्कीम और आवासीय स्कीम के निष्पादन में व्यस्त था। सामाजिक आवासीय स्कीम के अंतर्गत बोर्ड को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, कम आय वर्गों, मध्यम आय वर्गों तथा उच्च आय वर्गों की आवासीय सुविधा उपलब्ध करवानी थी।

1996-2000 के दौरान कम आय वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कोई आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

यह देखा गया कि 1996-2000 के दौरान सामाजिक आवासीय स्कीम के अंतर्गत 531 मकानों तथा फ्लैटों का निर्माण और 55 प्लाटों को विकसित किया गया। कम आय वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न तो कोई मकान/फ्लैट बनाया गया न ही कोई प्लाट विकसित किया गया। बोर्ड द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऋण जुटाने तथा बेघर लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने का मामला ध्यान में नहीं आया।

अधिक्षण अभियंता ने बताया (मार्च 2001) कि बोर्ड द्वारा कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधाएं न जुटाने का कारण पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण लागत का अधिक होना था जो कमजोर वर्गों की पहुंच से बाहर था। यह धारणा मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने 1999-2000 की अपनी प्रशासकीय निपोर्ट में बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा बेघर लोगों को सहायता पहुंचाना उनका प्राथमिक उद्देश्य था। अधिक्षण अभियंता का यह बयान स्पष्टतः इंगित करता है कि बोर्ड ने आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों के लोगों की पहुंच के भीतर मकानों की निर्माण लागत लाने हेतु योजना नहीं बनाई।

6.4.5 बेचे न गए मकानों/फ्लैटों/प्लाटों के कारण निधियों का अवरोधन

बोर्ड द्वारा 1988 से पूर्व विशेष स्थान की मांग का निर्धारण किए बिना हिमाचल प्रदेश में आवासीय बस्तियाँ बनाई गई। ऐसी बस्तियाँ को बनाने हेतु लागत, प्लाट क्षेत्र, आवास आदि के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक विवरणों के आधार पर 1988 से जून 1998 के दौरान सर्वेक्षण किया गया। बोर्ड ने इच्छुक व्यक्तियों से मांग सर्वेक्षण के अंतर्गत अनंतिम पंजीकरण हेतु सम्भावित स्थलों पर मकानों की मांग का निर्धारण करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए। 1000 ₹ तथा 1500 ₹ के बीच की सांकेतिक राशि भी, जो मांगे गए श्रेणी के मकान पर निर्भर करती है, आवेदन फार्म के साथ जमा करवानी अपेक्षित है ताकि आवेदकों द्वारा मांगे गए मकानों का सही अनुमान लगाया जा सके।

मांग न होने के कारण 22.84 करोड़ ₹ की लागत से 14 बस्तियों में निर्मित मकान, फ्लैट, दुकानें तथा प्लॉट बेचने को पड़े हुए थे।

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 1991-2000 के दौरान उधार निधियों से लिए गए 22.84 करोड़ ₹ की लागत से 14 बस्तियों में तैयार किए गए 254 मकान, 18 फ्लैट, दो दुकानें तथा 112 प्लॉट बिकने को पड़े हुए थे। बोर्ड उधार निधियों से ली गई राशि पर 3.65 करोड़ ₹ (लगभग) का वार्षिक ब्याज दे रहा है।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि निम्नलिखित कारणों से विभिन्न बस्तियों में मकान, फ्लैट तथा प्लॉट बिकने को पड़े थे:

- (i) आवासीय बस्ती, बड़ी (सोलन जिला) फेज-III में 195 मकानों की मांग के प्रति 298 मकान बनाए गए।
- (ii) बस्तियों की पूर्णता में असाधारण विलम्ब तथा मांग सर्वेक्षण के समय अंतिम लागत और प्रक्षेपित लागत में पर्याप्त अन्तर।
- (iii) मांग सर्वेक्षण करने से पूर्व बस्तियों को स्थापित करने हेतु स्थलों की वास्तविक स्थिति का निर्णय नहीं किया गया।
- (iv) अन्तिम रूप से पंजीकृत आवेदकों से खाली मकानों/प्लॉटों/फ्लैटों के सम्बन्ध में धरोहर राशि प्राप्त नहीं की गई।
- (v) आवेदन फार्म के साथ निर्धारित प्रारम्भिक जमा राशि बहुत सामान्य थी।

1996-2000 के दौरान 169 निरस्त/रोके गए मामलों को स्वीकार करते समय बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव ने बताया (जुलाई 2001) कि सांकेतिक धन को अनावश्यक असंतोष तथा झगड़ों से दूर रहने के कारण सामान्य रखा गया जैसाकि देखा गया कि स्थलों के पहचान, भूमि अर्जन तथा बस्तियों को बनाने में पांच वर्ष अथवा अधिक समय लग जाता है। उसने बताया कि सम्बद्ध समय पर प्रचलित लागत की दृष्टि से निर्माण लागत अंतिम नहीं रखी गई क्योंकि ऐसी प्रारम्भिक अवस्था में, जब स्थल की स्थिति भी ज्ञात न हो, लागत को निर्धारित करना सम्भव तथा व्यवहारिक नहीं था। उसने यह भी बताया कि खाली मकानों के निपटान की योजना को अंतिमरूप देने हेतु मामला बोर्ड के निदेशकों को भेजा जा चुका था।

उपयुक्त मांग, निर्धारण के बगैर तथा मकानों की स्थिति का निर्णय किए बिना अनियोजित बस्तियों को बनाने तथा आवेदकों से पंजीकरण/विभिन्न चरणों के निर्माण के समय उपयुक्त राशि एकत्रित न करने के कारण उनकी परियोजना में भागीदारी न होने से किसी आर्थिक हानि अथवा शास्ति का सामना किए बिना किसी भी अवस्था में उन्हें मांग वापिस लेने की स्वतंत्रता दी गई। नियत किए गए समय के बगैर मकानों के निर्माण के परिणामस्वरूप लागत वृद्धि हुई। इससे भी 22.84 करोड़ ₹ के निवेश का अवरोधन हुआ तथा उधार राशि पर 3.65 करोड़ ₹ (लगभग) के वार्षिक ब्याज का दायित्व पड़ा।

6.4.6 अपूर्ण बस्तियों पर निष्फल व्यय

1.27 करोड़ ₹ की लागत से निर्मित बस्ती का ऑबटन पानी उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो सका।

- (i) पानी की उपलब्धता जाने बिना सामाजिक आवास स्कीम के अंतर्गत बंगाणा (जिला-ऊना) में बस्ती निर्माणार्थ 34 लाख रुपये की निजी भूमि (2.80 हेक्टेयर) का अर्जन (अक्टूबर 1995) किया। बाध्य सेवाओं के प्रावधान सहित 12 उच्च आय वर्ग तथा 4 मध्य आय वर्ग के मकानों के निर्माण के लिए 1.22 करोड़ ₹ का प्रशासकीय अनुमोदन (जून 1997) किया गया। कार्य निष्पादन दिसम्बर 1997 में आरम्भ किया गया तथा भूमि की कीमत सहित 1.27 करोड़ ₹ की लागत से 52 प्लॉटों को मिलाकर 16 मकानों को दिसम्बर 1998 में पूर्ण किया गया। गहरा कुआँ खोदने के बावजूद बस्ती

को अपेक्षित पानी उपलब्ध नहीं हुआ तथा इस प्रकार बस्ती परित्यक्त अवस्था में पड़ी थी जिसके कारण 1.27 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

अधिशाषी अभियन्ता, मण्डी ने बताया (फरवरी 2001) कि दो और कुओं को खोदने के प्राक्कलन अनुमोदनार्थ उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत (जनवरी 2001) किए गए थे।

(ii) राज्य सरकार ने बोर्ड को स्वपोषित स्कीम के अंतर्गत आवासीय बस्ती के निर्माण हेतु गांव उप्पेरली दार, घनयारा (कांगड़ा जिला) में 2.18 लाख रुपये के प्रतिफल की 2.36 हैक्टेयर सामान्य भूमि का आबंटन (अप्रैल 1993) किया जिसे 61 लाख ₹ का प्रशासकीय अनुमोदन (नवम्बर 1993) प्राप्त था। निष्पादनार्थ कार्य दिसम्बर 1993 में भूमि के स्वामित्व का सत्यापन किए बगैर आरम्भ किया गया जबकि उसमें स्थानीय लोगों का चरागाह अधिकार सहित बरतनदारी हक भी था। जब कार्य प्रगति पर था तथा 26 लाख ₹ का व्यय हो चुका था, उस समय अतिरिक्त जिला न्यायधीश, कांगड़ा ने बोर्ड को ग्रामीणों द्वारा दायर सिविल केस (जून 1995) पर उनके बरतनदारी* अधिकारों में हस्तक्षेप से रोक दिया (दिसम्बर 1998)।

कार्य आरम्भ करने से पूर्व भूमि के स्वामित्व के सत्यापन में बोर्ड की विफलता से 26 लाख ₹ का निष्फल व्यय हुआ।

6.4.7 अप्रयुक्त भूमि के कारण निधियों का अवरोधन

राज्य में आवासीय बस्तियों के निर्माणार्थ भूमि अर्जन हेतु राज्य सरकार ने एक वार्ता समिति² (समिति) का गठन (अप्रैल 1995) किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित अनियमितताएं ध्यान में आईं:

(i) समिति की सिफारिशों पर भू-अर्जन अधिकारी, पालमपुर ने अप्रवासी भारतीयों के लिए आवासीय बस्ती निर्माण हेतु 92 लाख रुपये की लागत से दो व्यक्तियों से लोहाना (बंदला) (कांगड़ा जिला) में 45,999 वर्ग मीटर भूमि का अर्जन किया (सितम्बर 1997-मई 1998)। इसमें से 200 ₹ प्रति वर्गमीटर से बगीचा चाए बरानी (चाए बगीचा) के रूप में वर्गीकृत 36,569 वर्गमीटर भूमि के 73 लाख ₹ दिए गए और उसी दर पर 9,430 वर्गमीटर बंजर (काश्तयोग्य नहीं) भूमि का 19 लाख रुपये का भुगतान किया।

9430 वर्ग मीटर बंजर भूमि की खरीद पर 16 लाख ₹ का अधिक भुगतान किया गया जबकि राजस्व विभाग के मूल्यांकनानुसार बगीचा भूमि का मूल्य बंजर भूमि के मूल्य से छः गुणा अधिक था। इसके अतिरिक्त यह अर्जित भूमि अर्जन के तीन वर्ष बाद भी अप्रयुक्त पड़ी थी क्योंकि बस्ती का कार्य आरम्भ नहीं किया गया (जून 2001) था।

मुख्य अधिशाषी अभियन्ता एवं सचिव, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड ने बताया (जुलाई 2001) कि अप्रवासी भारतीयों से मांग न होने के कारण अप्रवासी भारतीयों की बस्ती बनाने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि इन पहलुओं पर विचार करने के बाद ही भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए था।

* बरतनदारी: उपयोगकर्ता

² आयुक्त एवं सचिव (आवास), सचिव एवं मुख्य अभियन्ता (हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड), उपायुक्त (सम्बद्ध जिले), कार्यकारी अभियन्ता (सम्बन्धित) तथा भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप मण्डल दण्डाधिकारी (सम्बन्धित)

(ii) समिति ने आवासीय बस्ती के निर्माणार्थ राष्ट्रीय उच्चमार्ग-21 के साथ की फटी बहनोगी, मौजा सरी (कुल्लू जिला) में 0.56 हैक्टेयर निजी भूमि के अर्जन की सिफारिश (जुलाई 1997) की। निजी भूमि तथा राष्ट्रीय उच्चमार्ग के मध्य 0.29 हैक्टेयर सरकारी/वन भूमि थी।

वार्ता समिति ने निर्णय लिया (सितम्बर 1998) कि निजी भू-स्वामियों को 82,04,533 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर पर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाए, जो प्रचलित बाजार दर से साढ़े सात गुणा था। दर का औचित्य इस तर्क पर किया गया कि भूमि राष्ट्रीय उच्चमार्ग से लगती है और इसमें पर्याप्त फलदार वृक्षों की संख्या है। इसी समय, उपायुक्त, कुल्लू ने बोर्ड को सूचित (नवम्बर 1998) किया कि सरकारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी भूमि का किसी बोर्ड/निगम को स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद, बोर्ड ने निजी भूमि का अर्जन किया तथा अर्जित भूमि को सम्पर्क मार्ग सुनिश्चित किए बिना भू-अर्जन समाहर्ता, कुल्लू के द्वारा 46 लाख रु० का क्षतिपूर्ति भुगतान किया (अप्रैल 1999)।

तत्पश्चात् (मई 2000), उपायुक्त कुल्लू ने बोर्ड को सूचित किया कि अर्जित भूमि के सामने 0.12 हैक्टेयर सरकारी भूमि राज्य जनजाति विकास विभाग को स्थानान्तरण की जा चुकी थी। इस प्रकार अर्जित भूमि सम्पर्क मार्ग के अभाव में अप्रयुक्त पड़ी हुई (मार्च 2001) थी।

(iii) गांव बसाल (सोलन जिला) में बस्ती निर्माणार्थ भूमि अर्जन समाहर्ता, सोलन के द्वारा 81 लाख रु० में 10.86 हैक्टेयर भूमि का अर्जन किया गया (नवम्बर 1998)। तथापि बस्ती के निर्माण का कार्य सरकार से प्रशासकीय अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण आरम्भ नहीं किया गया (मार्च 2001)।

भू-अधिग्रहण पर व्ययित
2.19 करोड़ रु०
अवरूद्ध थे तथा उधार
निधियों पर व्यय किया
गया 22 लाख रु० का
वार्षिक ब्याज दायित्व
परिहार्य था।

बोर्ड के प्रशासकीय अधिकारी ने बताया (मार्च 2001) कि कार्य का आरम्भ प्रशासकीय अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति मिलने पर किया जाएगा।

अतः सितम्बर 1997 तथा अप्रैल 1999 के मध्य अर्जित की गई 2.19 करोड़ रु० मूल्य की भूमि का प्रयोग न करने से इस सीमा तक की राशि का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त, बोर्ड उधार निधियों पर 22 लाख रु० का वार्षिक परिहार्य ब्याज दायित्व भी दे रहा था।

6.4.8 अनुसूचित प्रभारों का अल्पोद्ग्रहण

बोर्ड के आबंटन, प्रबन्धन तथा मकानों/प्लॉटों के बिक्री विनियमन, 1973 में प्रावधान है कि मकानों/प्लॉटों के आबंटनी उनके द्वारा अधिकृत भूमि व मकानों के सम्बन्ध में नगर करों, पानी तथा विद्युत प्रभारों, सामूहिक सेवाओं (सामूहिक विजली, सफाईवाला चौकीदार) की भागीदारी तथा अन्य जन प्रभारों के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।

1996-2000 के दौरान आबंटतियों को उपलब्ध करवाई गई सेवाओं पर 3.74 करोड़ रु० के व्यय के प्रति बोर्ड ने 2.27 करोड़ रूपयों के अनुसूचित प्रभारों का उद्ग्रहण किया जिसके कारण 1.47 करोड़ रु० का अल्पोद्ग्रहण और हानि हुई। इसमें जलापूर्ति स्कीम, परवाणु नगर क्षेत्र (सोलन जिला) के सम्बन्ध में 1.09 करोड़ रु० की सीमा तक के पानी प्रभारों का अल्पोद्ग्रहण सम्मिलित था। प्रशासकीय अधिकारी ने बताया (फरवरी 2001) कि अनुसूचित प्रभारों का उद्ग्रहण बोर्ड द्वारा निष्पादित स्कीमों की प्रवृत्ति से सम्बन्धित नहीं था, यह तर्क मान्य नहीं था, क्योंकि उक्त विनियमनों में अनुसूचित प्रभारों के उद्ग्रहण का प्रावधान है।

1.47 करोड़ रु० के
निगम कर,
पानी/विद्युत प्रभारों
आदि का
अल्पोद्ग्रहण हुआ।

निर्माणों पर प्रयुक्त सामग्रियों की सुदृढ़ता की जांच सुनिश्चित किए बिना 35.38 करोड़ ₹0 का भुगतान ठेकेदारों को किया गया।

6.4.9 भवनों में प्रयुक्त सामग्री/कंकरीट की जांच न करना

बोर्ड के सभी कार्यों का निष्पादन ठेकेदारों द्वारा सीमेंट, सस्त्रिया, ईट, कंकरीट के ब्लॉक, रेत, बजरी आदि सामग्रियां प्रयोग करके किया जाता है तथा ठेकेदारों के साथ समरूप प्रपत्र में संविदा अनुबन्धों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विनिर्देशनों के अनुसार सामग्री तथा कंकरीट की जांच हेतु प्रावधित है।

चार³ मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि पिल्लर बीम, स्लैब आदि में प्रयुक्त सीमेंट कंकरीट के नमूने की जांच नहीं की गई जिससे 1996-2000 के दौरान निर्मित/प्रगतिआधीन 951 आवासीय इकाइयों सहित 76 निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में इसकी सुदृढ़ता का पता नहीं लग सका, जिसके लिए ठेकेदारों को 35.38 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

6.4.10 भूमि अतिक्रमण

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि धर्मशाला, मण्डी तथा परवाणु मण्डलों के अंतर्गत 6674.28 वर्गमीटर भूमि के अतिक्रमण के 69 मामलों न्यायालयों में लम्बित थे।

यह भी देखा गया कि मई 1993-जुलाई 1995 के दौरान सोलन जिले के परवाणु में 57 व्यक्तियों ने 1366.93 वर्ग मीटर भूमि का अतिक्रमण करके 66 झुगियां बनाई। अधिशाही अभियंता, परवाणु ने बताया (जनवरी 2001) कि बोर्ड ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रयत्न किए थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कानूनी कार्रवाई भूमि अतिक्रमण को रोक सकती थी।

मामला सरकार को अप्रैल 2001 में भेजा गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001) था।

ग्रामीण विकास विभाग

6.5 इंदिरा आवास योजना तथा गांधी कुटीर योजना के अंतर्गत अमान्य सहायता

खण्ड विकास अधिकारी, करसोग तथा रिवाल्सर ने 1996-2000 के दौरान अपात्र लाभार्थियों को 14.32 लाख ₹0 की वित्तीय सहायता दी।

इंदिरा विकास योजना तथा गांधी कुटीर योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 1985-86 और 1994-95 में चलाई गई। इंदिरा विकास योजना तथा गांधी कुटीर योजना का मुख्य उद्देश्य एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पहचाने गए बेघर लाभार्थियों को मकानों के निर्माणार्थ क्रमशः 22,000 ₹0 तथा 16,300 ₹0 की वित्तीय सहायता पहुंचाना था।

मार्गदर्शिकानुसार लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा द्वारा की जानी थी तथा अंतिम सूची पूर्णतः ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता पर बनाई गई सूची के अनुसार होनी थी। कोई भी लाभार्थी जिला अथवा खण्ड स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाना था।

³ धर्मशाला, मंडी, शिमला-1 तथा शिमला-11

¹ झुगी: झोपड़ी

मण्डी जिले में दो खण्डों¹ के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (सितम्बर 2000) कि 1996-2000 के दौरान 77 लाभार्थियों को 14.32 लाख ₹ की वित्तीय सहायता दी गई जिनके नाम न तो ग्राम सभा द्वारा सिफारिश किए गए न ही एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सूची में सम्मिलित किए गए थे। खण्ड विकास अधिकारी, करसोग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (सितम्बर 2000) कि इन लोगों की नाजुक वित्तीय स्थिति को देखते हुए वित्तीय सहायता दी गई। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि वित्तीय सहायता स्कीमों की मार्गदर्शिकानुसार नहीं दी गई थी। खण्ड विकास अधिकारी, रिवाल्सर ने बताया (सितम्बर 2000) कि वित्तीय सहायता उन लोगों को दी गई जो गरीबी रेखा से नीचे थे तथा उन लोगों को जिनके नाम बाद में उच्चधिकारियों के निर्देश पर ग्राम सभाओं द्वारा सिफारिश किए गए। इस पर अभिलेखों में इस विचार की पुष्टि हेतु कोई अभिलेख नहीं था।

अतः मार्गदर्शिकानुसार वित्तीय सहायता विनियमित करने में विफल रहने के कारण अपात्र लाभार्थियों को 14.32 लाख ₹ की वित्तीय सहायता दी गई।

मामला सरकार को फरवरी 2001 में भेजा गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001) था।

समाज एवं महिला कल्याण विभाग

6.6 छात्रवृत्ति के भुगतान पर अनधिकृत व्यय

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से उच्च दर पर 1903 व्यक्तियों के छात्रवृत्ति का 38.56 लाख ₹ का अनधिकृत व्यय किया।

भारत सरकार ने सफाईवालों तथा उनके आश्रितों के मुक्ति तथा पुनर्वास हेतु उनके मलमूत्र तथा गंदगी उठाने के व्यवसाय से मुक्ति दिलाने और उन्हें छः महिनों के लिए पहचान किए गए उपयुक्त व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए एक स्कीम आरम्भ (मार्च 1992) की। यह स्कीम राज्य में 1992-93 के दौरान आरम्भ की गई। प्रशिक्षण का समस्त व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना था। 15-50 वर्षों के आयु वर्ग में पहचान किए गए 4272 व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलवाना था। इनमें से 2470 व्यक्ति 1996-2000 के दौरान प्रशिक्षित किए जाने थे। भारत सरकार की मार्ग दर्शिकानुसार प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 150 ₹ प्रति मास से अधिक छात्रवृत्ति नहीं देना था। भारत सरकार ने वजीफे की दरें अप्रैल 1996 से संशोधित (जून 1994) कर दी जो 200 ₹ तथा 500 ₹ प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिमास के मध्य प्रशिक्षण दिलवाने वाली संस्थाओं पर निर्भर करती थी।

प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम, सोलन के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (अक्टूबर 2000) कि स्कीम की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति ने अप्रैल 1996 से भारत सरकार के अनुमोदन बगैर छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 150 ₹ प्रतिमास से 750 ₹ प्रतिमास कर दिया। 1996-2000 के दौरान 1903 व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलवाया गया। इसलिए लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर छात्रवृत्ति के भुगतान में निगम की विफलता के परिणामस्वरूप प्रशिक्षार्थियों को 38.56 लाख ₹ का अनधिकृत भुगतान हुआ।

निगम के महाप्रबन्धक ने बताया (मार्च 2001) की छात्रवृत्ति की दर बहुत कम थी इसलिए राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति ने मार्च 1996 में की गई बैठक में इसे 750 ₹ प्रतिमास कर दिया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि छात्रवृत्ति की दर बढ़ाना भारत सरकार के मानकों तथा मार्गदर्शिका के विपरीत था, विशेषतः जब बढ़ी दर की लागत भी भारत सरकार की निधियों से वहन की जानी थी।

मामला सरकार को अप्रैल 2001 में भेजा गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001) था।

शहरी विकास विभाग

6.7 अनुदान

शहरी विकास निगम ने 1996-2001 के दौरान हिमाचल प्रदेश के 49 शहरी स्थानीय निकायों को 104.93 करोड़* ₹ के अनुदान जलापूर्ति तथा स्वच्छता (7.02 करोड़ ₹), शहरी विकास (29.82 करोड़ ₹), क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन (64.60 करोड़ ₹), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण (0.25 करोड़ ₹) तथा मार्ग एवं पुल (3.24 करोड़ ₹) के अंतर्गत दिए गए।

संस्वीकृति अधिकारी के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित बातों का पता चला (मार्च-अप्रैल 2001):

(i) वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि विभागीय अधिकारी जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से बिल का आहरण किया जाएगा, वह महालेखाकार तथा सम्बद्ध विभागाध्यक्ष के मध्य सहमति के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रयुक्त प्रपत्र में प्रयुक्त प्रमाण-पत्र भेजेगा। 1996-99 के दौरान स्वीकृत अनुदानों के सम्बन्ध में अप्रैल 1997 तथा अप्रैल 2000 के मध्य अनुदानग्राही संस्थाओं से देय 3.65 करोड़ ₹ के प्रयुक्त प्रमाणपत्र प्रतीक्षित (मार्च 2001) थे। इसके अतिरिक्त विभाग आवश्यक जांच किए बिना/अभिलेखित बिना नेमी ढंग से प्रयुक्त प्रमाणपत्रों को प्राप्त कर रहा था। निदेशक, शहरी विकास, शिमला ने बताया (मार्च 2001) कि शहरी स्थानीय निकायों से प्रयुक्त प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे थे जबकि अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्रयुक्त प्रमाणपत्रों पर उपयुक्त जांच करने के पश्चात् ही हस्ताक्षर कर रहे थे। उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि प्रयुक्त प्रमाण-पत्र निदेशक द्वारा विभागीय अधिकारियों द्वारा, जिनके हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर पर बिल का आहरण किया गया, जांच अभिलेखित किए बिना स्वीकार किए गए थे।

(ii) वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि एक बार सहायता अनुदान स्वीकृत होने पर अनुदानग्राही संस्थाएं बिल को तैयार करके प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरार्थ करके कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगी। किसी भी मामले में अनुदानग्राहियों की ओर से स्वीकृति देने वाले अधिकारी का कार्यालय इस कार्य को नहीं कर रहा था। इसके विपरीत, सभी सहायता अनुदान बिल विभाग द्वारा स्वयं ही तैयार करके कोष से राशि का आहरण किया जा रहा था तथा उसके बाद अनुदानग्राही को दी जाती थी। अतिरिक्त निदेशक ने बताया (मार्च 2001) कि निदेशक द्वारा स्वीकृतियों के अनुसार ही अनुदानों का आहरण किया गया था। यह धारणा मान्य नहीं थी, क्योंकि निदेशालय स्तर पर बिलों का आहरण करना वित्तीय नियमों के विपरीत था।

* 1996-97: 12.57 करोड़ ₹; 1997-98: 30.40 करोड़ ₹; 1998-99: 20.58 करोड़ ₹; 1999-2000: 19.30 करोड़ ₹ तथा 2000-2001: 22.08 करोड़ ₹

(iii) अनुदानों के रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में नहीं बनाए गए थे। अतिरिक्त निदेशक ने बताया (मार्च 2001) कि सहायता अनुदानों के दोहरे आहरण को रोकने हेतु बिल रजिस्टर का अनुक्षण किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि सहायता अनुदान रजिस्टर के अनुक्षणार्थ निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

(iv) सरकारी अनुदानों से उपाजित स्थायी तथा अर्ध-स्थायी प्रवृत्ति का परिसम्पत्तियों का रजिस्टर न तो अनुरक्षित किया गया न ही उसकी वार्षिक प्रतियां कभी भी वित्तीय नियमों में अपेक्षितानुसार स्थायी अभिलेखार्थ स्वीकृति देने वाले अधिकारियों को भेजा गया। विभाग ने किसी तंत्र का उपाय भी नहीं किया जिससे पता चलता कि अनुदानग्राही संस्था ने कितनी परिसम्पत्तियां बनाईं तथा सहायता अनुदानों में से ऐसी बनाई गई परिसम्पत्तियाँ इच्छित उद्देश्यार्थ प्रयुक्त की जा रही थी। इस प्रकार स्वीकृति देने वाले अधिकारी वित्तीय नियमों में अपेक्षितानुसार परिसम्पत्ति रजिस्टर का अनुक्षण करने में विफल रहे। निदेशक ने बताया (अप्रैल 2001) कि सृजित परिसम्पत्तियों के परिसम्पत्ति रजिस्टर में निर्धारित ब्यौरा निदेशालय अभिलेखार्थ मांगा जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि वार्षिक रूप से परिसम्पत्ति रजिस्टर की प्रतियों की प्राप्ति बगैर स्वीकृति देने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि निकायों/संस्थाओं द्वारा सरकारी अनुदानों से बनाई गई परिसम्पत्तियां उनके अधिकार में बिना बाधा के हैं और स्वीकृत किए गए उद्देश्य हेतु प्रयोग की जा रही हैं।

(v) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि स्वीकृति देने वाले अधिकारी, यह देखने के लिए कि सहायता अनुदान अनुदानग्राही की वित्तीय स्थिति द्वारा उचित है और यह सुनिश्चित करने को कि पूर्व अनुदान का व्यय इच्छित उद्देश्यार्थ किया गया था, निकाय या संस्था के लेखाओं के लेखापरीक्षा किए गए विवरण प्राप्त करेंगे। 1996-2001 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं के विवरण प्राप्त किए बिना 104.93 करोड़ रू० जारी किए गए। अतिरिक्त निदेशक ने बताया (मार्च 2001) कि अनुदानों को आहरण करने वाली स्वीकृतियों में ऐसी शर्तें नहीं थीं। यह धारण सही नहीं है क्योंकि स्वीकृति दोषपूर्ण थी, जो वित्तीय नियमों की पुष्टि नहीं करती।

निर्धारित समय सीमा से अधिक अप्रयुक्त रहे 1.52 करोड़ रू० के सहायता अनुदानों का सरकारी लेखे में अभ्यर्पण नहीं किया गया।

(vi) (क) हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के भुगतान वाले नियमों में शर्त है कि यदि अनुदान राशि सहायता अनुदान प्राप्ति तिथि से दो वर्षों तक अप्रयुक्त पड़ी रहती है, तो ऐसी अव्ययित राशि का सरकारी कोष में अभ्यर्पण किया जाना चाहिए। वर्ष 1997-98 के दौरान स्वीकृत 0.35 करोड़ रू० के अनुदानों में से शिमला शहरी स्थानीय निकाय के पास अप्रयुक्त पड़े 0.17 करोड़ रू० मार्च, 2001 तक अभ्यर्पित नहीं किए गए। अतिरिक्त निदेशक ने बताया (मार्च 2001) कि सरकार को अव्ययित राशि अभ्यर्पित न करने के कारण नगर निगम, शिमला से प्राप्त किए जा रहे थे।

(ख) नगर निगम, शिमला द्वारा आधुनिक बूचड़खाने के निर्माण हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः मार्च 1995 (0.41 करोड़ रू०) तथा मार्च 1996 (0.20 करोड़ रू०) के दौरान जारी 0.61 करोड़ रू० के सहायता अनुदानों में से केवल 0.01 करोड़ रू० परियोजना रिपोर्ट बनाने में खर्च किए गए। नगर निगम को 0.60 करोड़ रू० की अव्ययित राशि का अभ्यर्पण करने के निर्देश देने के स्थान पर राज्य सरकार ने उसी कार्य के लिए 0.75 करोड़ रू० का और अनुदान स्वीकृत तथा जारी (मार्च 1998) किया। 1.35 करोड़ रू० का समस्त अनुदान नगर निगम, शिमला के पास अप्रयुक्त पड़ा था। अव्ययित राशि को सरकारी कोष में अभ्यर्पण हेतु कार्रवाई अप्रैल 2001 तक नहीं की गई थी।

इस प्रकार उपरोक्त मामलों में अव्ययित 1.52 करोड़ रू० के सहायता अनुदानों का सरकारी लेखे में अभ्यर्पण न करना सहायता अनुदान नियमों के विपरीत था।

(vii) वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि किसी वित्तीय वर्ष में उतना ही अनुदान आहरित किया जाना चाहिए, जो उस वर्ष खर्च किया जा सके।

2.24 करोड़ ₹ के अनुदान आवश्यकता के पूर्व अग्रिम आहरित किए गए थे तथा सरकारी लेखों से बाहर रखे गए थे।

सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में कूड़ा-करकट बाँयो रूपान्तरण संयंत्रों को लगाने हेतु 2.24 करोड़ ₹ का अनुदान स्वीकृत (मार्च 1999) किया। तदनुसार राशि का आहरण (मार्च 1999) निदेशक शहरी विकास द्वारा किया गया तथा बचत बैंक लेखों में रखा गया। विभाग ने पाँच शहरी स्थानीय निकायों की पहचान की तथा प्रत्येक निकाय को 0.50 करोड़ ₹ आबंटित करने का निर्णय (अक्टूबर 1999) लिया। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 0.26 करोड़ ₹ के शेषों को उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता जताई। तदनुसार, शहरी विकास विभाग ने पाँच शहरी स्थानीय निकायों को दिसम्बर 1999-मार्च 2000 के दौरान 2.24 करोड़ ₹ जारी किए किन्तु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निधियां जारी नहीं की गईं। सहायता अनुदान स्थलों/शहरी स्थानीय निकायों का चयन न करने के कारण अनुदान अनधिकृत रूप से अप्रैल 1999-मार्च 2000 के दौरान सरकारी लेखों से बाहर बचत बैंक लेखों में रखे गए। मार्च 2001 तक तीन शहरी स्थानीय निकायों ने 53.51 लाख ₹ प्रयुक्त किए तथा शेष 1.70 करोड़ ₹ अप्रयुक्त पड़े हुए थे। निदेशक ने बताया (अप्रैल 2001) कि निधियों को शहरी स्थानीय निकायों के पास स्थलों की उपलब्धता की सूचना प्राप्त होने पर जारी किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग वित्तीय नियमों के प्रावधानों की पालना करने में विफल रहा।

मामला मई 2001 में सरकार को प्रेषित किया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001) था।

शिमला
दिनांक

(सतीश लुम्बा)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विजय कृष्ण शृंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक


The following information is classified CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION. It contains information the unauthorized disclosure of which could result in the identification of a source of information or the disclosure of intelligence information.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

(S)
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL

परिशिष्ट



(संदर्भ: परिच्छेद 1.1, पृष्ठ.1)

क. सरकारी लेखे

1. संरचना

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।

2. भाग- I समेकित निधि

भारत सरकार के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार के राजस्व, ऋण तथा उनकी वसूली से सम्बद्ध सभी प्राप्तियां राज्य की समेकित निधि में जमा होती हैं। सभी सरकारी व्यय इस निधि से वहन होता है और राज्य विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना इस निधि से किसी भी राशि का प्रत्याहरण नहीं किया जा सकता। इसके दो मुख्य भाग अर्थात् राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, लोक ऋण तथा ऋण इत्यादि) हैं।

भाग - II आकस्मिकता निधि

भारत के संविधान 267 (2) के अन्तर्गत सृजित आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय निधि है जिसे अत्यावश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु राज्य के राज्यपाल के नियंत्रणाधीन रखा गया है और इसे राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत करना अपेक्षित होता है। तदनन्तर ऐसे व्यय के लिए राज्य विधानमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और इतनी ही राशि समेकित निधि से अन्तर्हित करके आकस्मिकता निधि में डाल दी जाती है। इस वर्ष विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत इस निधि से पांच करोड़ ₹ प्राधिकृत किए गए।

भाग - III लोक लेखा

लघु बचतें, भविष्य निधियां, निक्षेप, आरक्षित निधियां, उच्चत प्रेषण, इत्यादि जो समेकित निधि में नहीं आती, उन प्राप्तियां तथा वितरणों को लोक लेखा में लेखाबद्ध किया जाता है तथा इन पर राज्य विधानमण्डल में मतदान नहीं होता।

III. वार्षिक लेखों के फार्म

राज्य सरकार के लेखे में दो खण्डों, अर्थात् वित्त लेखे और विनियोजन लेखे में तैयार किए जाते हैं। वित्त लेखे सरकारी लेखाओं में समुचित वर्गीकरण के अन्तर्गत प्राप्तियां एवं व्यय से सम्बन्धित सभी लेन-देनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर विनियोजन लेखे बजट अनुदानों में राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में राज्य सरकार द्वारा वास्तविक व्ययित राशियों के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक हुए व्यय का विधानमण्डल से नियमन अपेक्षित होता है।

परिशिष्ट III

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4 (क); पृष्ठ 33)

अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों/विनियोजनों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	व्यय	बचत
	राजस्व-दत्तमत	(करोड़ रुपए)			
1.	3- न्याय प्रशासन	24.29	0.65	22.48	2.46
2.	4-सामान्य प्रशासन	203.16	4.51	180.88	26.79
3.	6-आबकारी तथा कराधान	21.01	0.16	17.99	3.18
4.	7-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	173.14	2.88	161.59	14.43
5.	16-वन तथा वन्य प्राणी	226.83	1.30	201.13	27.00
	राजस्व-प्रभारित				
6-	29-वित्त	824.30	30.96	798.29	56.97
	जोड़	1472.73	40.46	1382.38	130.83
	पूजीगत-दत्तमत				
7.	17-सड़कें एवं पुल	196.10	21.03	195.48	21.65
8.	18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज	1.99	0.20	1.56	0.63
9.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (पोषाहार सहित)	2.25	0.30	1.74	0.81
	जोड़	200.34	21.53	198.78	23.09

परिशिष्ट-III

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.4 (ख); पृष्ठ 33)

वास्तविक आवश्यकता से अधिक किए गए अनुपूरक प्रावधानों से सम्बन्धित मामलों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान	मूल प्रावधान	व्यय	अतिरिक्त आवश्यकता	अनुपूरक प्रावधान	बचत
		(करोड़ रुपये)				
राजस्व-वत्तमत						
1.	1-विधानसभा एवं चुनाव	7.40	12.41	5.01	5.32	0.31
2.	11-कृषि	108.40	111.79	3.39	6.08	2.69
3.	14-पशुपालन तथा डेरी विकास	53.25	53.63	0.38	2.13	1.75
4.	18-आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज	36.06	65.76	29.70	31.23	1.53
	जोड़	205.11	243.59	38.48	44.76	6.28
पूजीगत वत्तमत						
5.	10- लोक निर्माण	11.42	15.81	4.39	7.03	2.64
6.	11-कृषि	28.39	30.88	2.49	4.99	2.50
7.	28-जलापूर्ति, सफाई गृह एवं शहरी विकास	105.28	142.72	37.44	62.02	24.58
	जोड़	145.09	189.41	44.32	74.04	29.72
	सकल जोड़	350.20	433.00	82.80	118.80	36.00

पंक्ति IV

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.4 (ग); पृष्ठ 33)

अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान से सम्बन्धित मामलों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	कुल प्रावधान के प्रति आधिक्य
(करोड़ रुपये)					
राजस्व-दत्तमत					
1.	5-भू-राजस्व	81.66	25.03	108.59	1.90
2.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	715.18	35.73	804.36	53.45
3.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	79.80	5.00	86.59	1.79
4.	20-ग्रामीण विकास	80.86	13.43	128.16	33.87
5.	23-जल तथा विद्युत विकास	83.00	26.09	131.90	22.81
6.	24-लेखन एवं मुद्रण	5.47	2.56	9.26	1.23
7.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	259.44	28.01	319.63	32.18
8.	29-वित्त	386.34	11.32	406.52	8.86
9.	31-जनजातीय विकास	166.28	4.80	190.56	19.48
जोड़		1858.03	151.97	2185.57	175.57
पूँजीगत-दत्तमत					
10.	4-सामान्य प्रशासन	29.07	0.13	40.47	11.27
11.	31-जनजातीय विकास	67.96	0.78	72.67	3.93
पूँजीगत-प्रभारित					
12.	29-वित्त	203.27	7.30	1990.98	1780.41
जोड़		300.30	8.21	2104.12	1785.61
चक्रवर्ती जोड़		2158.33	160.18	4289.69	1971.18

परिशिष्ट- V

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.5; पृष्ठ.33)

निरन्तर बचत/आधिक्य के ब्यौरे

क्रमांक	अनुदान	1998-99	1999-2000	2000-2001
		(बचत/आधिक्य की प्रतिशतता)		
	I-बचत			
	क-राजस्व दत्तमत			
1.	4-सामान्य प्रशासन	18	42	13
2.	16-वन एवं वन्य प्राणी	33	25	12
3.	19-सामाजिक सुखा एवं कल्याण (पोषाहार सहित)	7	12	6
4.	21-सहकारिता	11	12	13
	ख-पूजीगत-दत्तमत			
5.	5-भू-राजस्व	44	36	100
6.	22-खाद्यान्न एवं मालगोदाम	9	50	56
	III आधिक्य			
	ग-राजस्व-दत्तमत			
7.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	8	12	7
8.	10-लोक निर्माण	82	73	62
9.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	22	12	11
10.	31-जनजातीय विकास	6	9	11
	पूजीगत-प्रभारित			
12.	29-वित्त	969*	1723*	846*

* ओवरड्राफ्ट व अर्थोपाय अग्रिम के सम्बन्ध में अदायगियां शामिल होती हैं।

परिशिष्ट-VI

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.6; पृष्ठ.33)

मुख्य कारणों सहित महत्वपूर्ण बचतों का विवरण

क्रमांक	अनुदान	बचत की राशि (खसत की प्रतिशतता) (करोड़ रुपए)	सरकार द्वारा दिए गए मुख्य कारण
राजस्व-उत्पन्न			
1.	2.	3.	4.
1.	3-न्याय प्रशासन	2.47(10)	गाड़ियों की कम मरम्मत तथा खाली पदों का न भरा जाना।
2.	4-सामान्य प्रशासन	26.79(13)	खाली पदों का न भरा जाना, टेलेक्स प्रणाली पर कम व्यय।
3.	6-आबकारी एवं कराधान	3.19(15)	पंचायती/ग्रामीण संस्थाओं को अनुदान की कम अदायगी तथा खाली पदों को न भरा जाना।
4.	7-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	14.43(8)	खाली पदों को न भरा जाना, तेल, स्नेहकों पर कम व्यय तथा सामग्री पर कम व्यय तथा गृह रक्षकों का कम लगाना।
5.	11-कृषि	2.69(2)	रिक्त पदों का न भरा जाना, सहायता अनुदान स्कीमों को अंतिम रूप न देना, सबसीडी के कम मामलों को अंतिम रूप देना, दैनिक भोगी कर्मियों की कम नियुक्ति, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहकों पर कम व्यय।
6.	13-भू तथा जल संरक्षण	4.46(19)	रिक्त पदों को न भरा जाना, कृषकों से कम मांग, दैनिक भोगी कर्मियों की कम नियुक्ति।
7.	14-पशुपालन एवं डेरी विकास	1.75(3)	गायों/बैलों के आयात हेतु औपचारिकताओं के पूरा न होने से रिक्त पदों का न भरा जाना, अर्थ व्यवस्था घटाव तथा वाहनों की कम मरम्मत तथा पेट्रोल प्रभारों में कमी।
8.	15-मत्स्य	0.50(10)	सहायता अनुदान मामलों की कम प्राप्ति तथा प्रचार एवं प्रसार पर कम व्यय।
9.	16-वन एवं वन्य प्राणी	27.00(12)	मण्डलीय स्थापना के अन्तर्गत स्टॉफ का पुनर्गठन, दैनिक भोगी कर्मियों का कम लगाना, कम काम करवाना, सामग्री की कम आवश्यकता, परियोजनाओं को अनुमति न देना।
10.	18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज	1.53(2)	कार्यालय उपयोग की वस्तुओं की कम खरीद, सेमीनार/कार्यशालाओं का कम आयोजन, मशीनरी तथा औजारों की कम खरीद, लाभार्थियों से कम मांग, प्रशिक्षकों को स्टाइफण्ड की कम अदायगी, खाली पदों का न भरना, कार्यालय भण्डारों की वस्तुओं की कम खरीद, योजना विभाग से कटौती प्रस्ताव तथा क्षतिपूर्तियों के मामलों को अंतिम रूप न देना।
11.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (पोषाहार सहित)	4.92(6)	रिक्त पदों का न भरना, विद्युत, टेलीफोन बिलों का प्रस्तुत न करना, बैठकें आयोजित न करना तथा मांग के प्रति कम राशन, कपड़े तथा पुस्तकें खरीदना आदि।
12.	21-सहकारिता	1.70(13)	रिक्त पदों का न भरना तथा यात्रा, किराया, दरों एवं करों पर कम व्यय।
13.	22-खाद्य एवं भाण्डागार	6.08(36)	रिक्त पदों का न भरना तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल स्पलाईज कॉर्पोरेशन से सभी दावों का प्राप्त न होना।
14.	27-श्रम एवं रोजगार	3.41(22)	रिक्त पदों का न भरना, छात्रवृत्ति मामलों की कम प्राप्ति, मेडिकल तथा किराया बिलों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं की कम खरीद।

1	2	3	4
	पंजीगत सप्तमत		
15.	10-लोक निर्माण	2.64(14)	रिक्त पदों का न भरना।
16.	11-कृषि	2.50(7)	मशीनरी की कम खरीद तथा कच्चे माल की कम खरीद।
17.	17-सड़कें एवं पुल	21.65(10)	संहिता औपचारिकता की अपूर्णता, प्लान सीमा में कमी अपर्याप्त सिद्ध हुई, स्टॉफ़ सामग्री की कम खरीद तथा लोक निर्माण अभिगमों पर कम व्यय।
18.	18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज	0.64(29)	कार्यालय-प्रयोग की वस्तुओं की कम खरीद, कार्यशालाओं/सेमीनारों का कम आयोजन, गाड़ियों की कम खरीद, मशीनरी तथा औजारों की कम खरीद, लाभार्थियों से कम ढावों की प्राप्ति तथा प्रशिक्षार्थियों को स्टार्टअप की कम अदायगी।
19.	19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषाहार सहित)	0.81(32)	अनुसूचित जाति कॉर्पोरेशन में कम निवेश, कार्यों का कम निष्पादन, भूतपूर्व सैनिक कॉर्पोरेशन में निवेश न करना।
20.	21-सहकारिता	13.05(66)	भवन निर्माण के लिए अधिक प्रावधान अप्रयुक्त रहा। कतिपय अप्रयुक्त प्रावधानों के कारण प्रतीक्षित हैं।
21.	22-खाद्य एवं माण्डागारण	16.07(56)	मुख्यतः कम मांग के कारण गेहूँ की खरीद में कमी, कुछ कार्यालयों द्वारा किराया बिलों को न भेजना, वेतन भोगी गोडाउन चौकीदारों को नियमित न करना, कार्यों को पूर्ण न करना।
22.	23-जल एवं विद्युत विकास	194.47(99)	नाथपा झाकड़ी पावर कॉर्पोरेशन में निवेश न करना।
23.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	24.59(15)	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत कम्प्यूटर तथा अन्य सामग्री की खरीद हेतु प्रावधानों में वृद्धि अत्यधिक सिद्ध हुई, रिक्त पदों का न भरा जाना, कार्यालय वस्तुओं तथा वर्दियों की कम खरीद, मासिक पेट्रोल कोटा को कम निर्धारित करना, मेडिकल तथा यात्रा पर कम व्यय, प्रकाशन सामग्री की कम छपाई आदि।
	राजस्व प्रभारित		
24.	29-वित्त	56.97(7)	कम ऋण लेने से ब्याज अदायगी में कमी, सामान्य भविष्य निधि की अंतिम अदायगी के मामलों की प्रत्याशा से कम प्राप्ति तथा ब्याज दर में कमी, पेशन का कम भुगतान, 2000-2001 आदि में वित्तीय समायोजन के पश्चात पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1986 के अन्तर्गत महालेखाकार पंजाब से डेबिट प्राप्त न होना।
	जोड़	434.32	

परिशिष्ट-VIII

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.7: पृष्ठ 33)

निधियों का अभ्यर्पण

- I. एक करोड़ से अधिक बचत से सम्बन्धित मुख्य विभिन्नताएं जिन्हें पूर्णतया प्रत्यार्पित नहीं किया गया का विवरण

क्रमांक	अनुदान	कुल बचत	प्रत्यार्पित राशि	अप्रत्याशित राशि
(करोड़ रूपए)				
राजस्व-दत्तमत				
1.	4-सामान्य प्रशासन	26.79	3.42	23.37
2.	7-पुलिस एवं अन्य संगठन	14.43	12.32	2.11
3.	11-कृषि	2.69	2.27	0.42
4.	13-भू तथा जल संरक्षण	4.46	3.85	0.61
राजस्व-प्रभारित				
5.	29-वित्त	56.97	—	56.97
जोड़:		105.34	21.86	83.48
पूँजीगत-दत्तमत				
6.	10-लोक निर्माण	2.64	—	2.64
7.	17-सड़कें एवं पुल	21.65	20.55	1.10
8.	21-सहकारिता	13.05	12.13	0.92
9.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	24.59	23.58	1.01
जोड़:		61.93	56.26	5.67
सकल जोड़		167.27	78.12	89.15

II. उपलब्ध बचत से अधिक निधियों से प्रत्यार्पण दर्शाने वाले विवरण

क्रमांक	अनुदान	बचत की राशि	प्रत्यार्पित राशि
		(करोड़ रुपए)	
राजस्व-दत्तमत			
1.	14-पशु पालन तथा डेयरी विकास	1.75	2.48
2.	18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज	1.53	1.97
3.	19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषाहार सहित)	4.92	5.19
	जोड़:	8.20	9.64
पूँजीगत-दत्तमत			
4.	23-जल एवं विद्युत विकास	194.47	197.00
5.	30-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.03	0.25
	जोड़:	194.50	197.25
	सकल जोड़:	202.70	206.89

III. समग्र अत्यधिक व्यय के बावजूद निधियों के प्रत्यार्पण के विवरण

क्रमांक	अनुदान	अत्यधिक व्यय की राशि	प्रत्यार्पित राशि
		(करोड़ रुपए)	
राजस्व-दत्तमत			
1.	5-भू-राजस्व	1.90	6.05
2.	8-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	53.45	1.73
3.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.17	6.22
4.	10-लोक निर्माण	81.30	0.13
5.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1.80	0.08
6.	20-ग्रामीण विकास	33.87	26.18
7.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	32.18	2.19
8.	29-वित्त	8.86	6.60
	जोड़:	213.53	49.18

परिशिष्ट VIII

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.9; पृष्ठ.34)

वसूलियों से मुख्य भिन्नताएं

व्यय की कमी के कारण वसूलियों तथा वास्तविक समायोजित राशियों में मुख्य भिन्नताओं का विवरण

क्रमांक	अनुदान	बजट अनुमान	वास्तविक वसूलियां	भिन्नता	
				राशि	प्रतिशतता
राजस्व		(करोड़ रुपए)			
1.	10-लोकनिर्माण	94.92	178.53	(+)83.61	88
बजट अनुमानों के प्रति अधिक वसुली					
राजस्व					
2.	31-जनजातीय विकास	26.39	23.46	(-)2.93	11
पूजीगत					
3.	11-कृषि	27.20	22.89	(-)4.31	16
4.	17-सड़कें एवं पुल	21.67	19.25	(-)2.42	11
5.	22-खाद्य एवं भाण्डागार	28.21	17.35	(-)10.86	38

परिशिष्ट-IX

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ.34)

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन से सम्बन्धित मामले

I. अप्रयोज्यता के कारण मुख्य पुनर्विनियोजन के मामले जो अविवेकपूर्ण सिद्ध हुए

क्रमांक	अनुदान	लेखांकन इत्यादि का मुख्य/ लघु/उपशीर्ष	उपशीर्ष के पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोजनोपरान्त उपशीर्षाधीन अन्तिम बचत की राशि
			(लाख रुपए)	
1.	13-भू एवं जल संरक्षण	2402-102-04	14.21	33.93
		2402-102-09	2.64	11.67
2.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (पोषाहार सहित)	2235-200-15	1.64	11.03
3.	20-ग्रामीण विकास	2501-101-01	131.81	178.78
4.	21-सहकारिता	4425-001-01	9.00	10.00
5.	28-जल, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	4215-01-101-01	59.07	195.87
		4215-102-01	100.00	1695.33
6.	29-वित्त	2049-200-13	43.42	46.42
7.	31-जनजातीय विकास	2205-796-01	8.13	9.74
		जोड़	369.92	

III. अन्य शीर्षों को किए गए मुख्य पुनर्विनियोजनों के मामले जिनके कारण निम्नलिखित उप-शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य हुए

क्रमांक	अनुदान	लेखांकन इत्यादि का मुख्य/ लघु/उपशीर्ष	उपशीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोजनोपरान्त उपशीर्षधीन अन्तिम बचत की राशि
			(लाख रूपए)	
1.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-02-001-02	2.16	11.04
		2210-04-101-01	0.95	15.67
2.	10-लोकनिर्माण	4059-01-051-02	1.00	6.33
3.	11-कृषि	2401-105-02	4.60	18.83
		2401-119-09	1.00	5.20
		2401-119-45	1.00	4.00
		2401-119-46	6.00	16.70
		4401-119-04	29.25	38.75
4.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2711-01-001-01	7.75	23.11
		4701-318-01	8.79	14.84
5.	24-लेखन एवं मुद्रण	2058-103-01	21.38	120.00
6.	29-वित्त	2047-103-01	4.19	8.90
		2071-104-02	195.00	225.86
7.	31-जनजातीय विकास	2216-03-796-01	40.13	77.28
		2401-796-05	12.91	16.46
		4215-01-796-05	11.00	187.38
		जोड़:	347.11	

परिशिष्ट-X

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1.ख.6 (ii); पृष्ठ 58)
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षयरोग से ग्रसित रोगियों के पंजीकरण तथा उनके उपचार परिणामों को दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	जनसंख्या (लाखों में)	पंजीकृत मामलों की संख्या			उपचारित मामले						
					उपचारित	पुनः उपचारित	मृत	विकल	दोषपूर्ण	अन्य जिलों को स्थानान्तरित	मूल्यांकित कुल मामले
1.	2.	3.			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1996-97	4.00	(i)	नए	644	182	390	24	8	21	19	644
		(ii)	पुनः उपचारित	76	44	9	6	4	6	7	76
			जोड़	720	226	399	30	12	27	26	720
1997-98	4.00	(i)	नए	649	198	379	21	7	33	11	649
		(ii)	पुनः उपचारित	93	60	8	1	7	13	4	93
			जोड़	742	258	387	22	14	46	15	742
1998-99	16.80	(i)	नए	1275	515	593	55	17	86	9	1275
		(ii)	पुनः उपचारित	254	151	32	20	9	35	7	254
			जोड़	1529	666	625	75	26	121	16	1529
1999-2000	17.00	(i)	नए	2444	1071	1128	82	13	147	3	2444
		(ii)	पुनः उपचारित	472	318	59	31	14	47	3	472
			जोड़	2916	1389	1187	113	27	194	6	2916
2000-2001	21.60	(i)	नए	*	2000-2001 में किए गए उपचार के विवरण देय नहीं थे।						
		(ii)	पुनः उपचारित	*							
			जोड़	*							
सकल जोड़		(i)	नए	5012	1966	2490	162	45	287	42	5012
		(ii)	पुनः उपचारित	895	573	108	58	34	101	21	895
			जोड़	5907	2539	2598	240	78	388	63	5907
			प्रतिशतता		43	44	4	1	7	1	

* सकल जोड़ में सम्मिलित नहीं क्योंकि उपचार के परिणाम देय नहीं थे।

परिशिष्ट-XXI

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1.ख.6 (ii); पृष्ठ 58)

नए, आवर्ती तथा विफल मामलों के लार परिवर्तन की उपलब्धि दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	नये मामले			समीक्षित पुनः जीवित मामलों की संख्या			विफल मामले		
	लारयुक्त मरीजों की कुल संख्या	तीन महीनों में ठीक हुए मामले	परिवर्तन की प्रतिशतता	समीक्षित युक्त पुनः जीवित मामलों की संख्या	तीन महीनों में ठीक हुए मामलों की संख्या	परिवर्तन की प्रतिशतता	समीक्षित अक्षय्य मामलों की संख्या	तीन महीनों में ठीक किए हुए मामले	परिवर्तन प्रतिशतता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1996-97	228	201	88	58	51	88	२0०0	२0०0	२0०0
1997-98	234	209	89	62	50	81	२0०0	२0०0	२0०0
1998-99	588	497	85	142	119	84	23	16	70
1999-2000	1197	1103	92	248	204	82	51	34	67
2000-2001	1368	1260	92	366	301	82	64	33	52
जोड़	3615	3270	90	876	725	83	138	83	60

परिशिष्ट - XII

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2.6; पृष्ठ 80)
रोजगार एवं बेरोजगार शिक्षार्थियों का विवरण

क्र०	संस्था का नाम	1996-2000 के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	जिन छात्रों को नोकरी मिली	जिन छात्रों को नोकरी नहीं मिली	बेरोजगारी की प्रतिशतता
1.	आईटीआई चम्बा	642	373	269	42
2.	आईटीआई धर्मशाला	491	24	467	95
3.	आईटीआई मण्डी	965	95	870	90
4.	आईटीआई नुरपूर	33	..	33	100
5.	आईटीआई नाहन	624	57	567	91
6.	आईटीआई पांवटा साहब	144	72	72	50
7.	आईटीआई पालमपुर	244	..	244	100
8.	आईटीआई रामपुर	336	136	200	60
9.	आईटीआई सोलन	806	202	604	75
10.	आईटीआई शाहपुर	2094	93	2001	96
11.	आईटीआई शमशी	988	300	688	70
1.	पोलिटेक्निक, हमीरपुर	329	215	114	35
2.	पोलिटेक्निक, कांगडा	179	69	110	61
3.	पोलिटेक्निक, कण्डाघाट	227	149	78	34
4.	पोलिटेक्निक, रोहडू	242	195	47	19
5.	पोलिटेक्निक, सुन्दरनगर	402	138	264	66
	कुल	8745	2118	6628	76

परिशिष्ट XIII

(संदर्भ परिच्छेद 3.2.14, पृष्ठ 85)
निरर्थक उपस्करों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र०	कार्यालय का नाम	उपस्करों का विवरण	खरीद/प्राप्त करने की तिथि	लागत (लाख रुपए)	जबसे बेकार पड़े	अभ्युक्तियां
1.	प्राध्यापक, पोलिटेक्निक कॉलेज सुन्दरनगर	सीएनसी आधीयुक्त मशीन	दिसम्बर 1999	11.64	दिसम्बर 1999	आपूर्तिकर्ता ने अप्रैल 2001 तक मशीन नहीं लगाई तथा मामला फर्म के साथ पत्राचाराधीन था।
2.		सीएनजी वर्टिकल मशीन मानक सामान सहित	दिसम्बर 1999	21.94	दिसम्बर 1999	आपूर्तिकर्ता ने मशीन को मानक पुर्जा अर्थात् औजारयुक्त, कार्ययुक्त सेवाओं तथा काटने वाले औजार सहित आपूर्ति किया, इन उपस्करों के बिना नमूना प्रस्तुत किया जा सकता है। मामला फर्म से पत्राचाराधीन था।
3.	आईटीआई, शाहपुर	सीएनसी मिलींग मशीन बीसीआर-400	जनवरी 1999	16.62	जनवरी 1999	अप्रैल 2001 तक मशीन चालू नहीं हुई तथा फर्म द्वारा मशीन का प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित था। मामला फर्म के साथ पत्राचाराधीन था।
4.		हाइड्रोलिक हॉसाउट कम्पलीट	फरवरी 1994	0.41	फरवरी 1994	फर्म ने कर्मशाला में फरवरी 2001 में उपस्कर प्रतिष्ठापित किया। उपस्कर को चलाने हेतु हाइड्रोलिक टैंक में कम्प्रेसर लगाना था। निदेशक के साथ खरीद हेतु मामला चल रहा था।
5.	प्राध्यापक, पोलिटेक्निक कॉलेज, हमीरपुर	सीएनसी बर्टिकल मशीन	दिसम्बर 1999	21.94	दिसम्बर 1999	आपूर्तिकर्ता ने मशीन को अप्रैल 2001 तक प्रतिष्ठापित नहीं किया था। मामला फर्म से चल रहा था।
6.	आईटीआई, राहन	मोटर फालट सिमुलेटर सेट	अगस्त 1998	2.29	अगस्त 1998	मशीन सीआरओ तथा बिना प्रिंटर के कम्प्यूटर के कारण बेकार पड़ी थी। अब मामला इसकी खरीद के बारे में निदेशक के साथ उठाया गया था।
	जोड़			74.84		

परिशिष्ट XIV

(संदर्भ परिच्छेद 3.10; पृष्ठ 99)
मार्च 2001 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/पैरों का वर्षवार ब्यौरा

क्र०	अवधि	ग्रामीण विकास विभाग		पर्यापालन		माया, कला एवं सास्कृति	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	पैरा	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैरा	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैरा
1.	मार्च, 1994 तक	243	408	6	7	17	59
2.	1994-95	24	73	5	6	13	40
3.	1995-96	24	68	3	3	1	5
4.	1996-97	41	136	3	4
5.	1997-98	37	175	4	4
6.	1998-99	22	93	1	1
7.	1999-2000	37	233	8	8	3	20
8.	2000-2001	39	371	25	146
	योग	467	1,557	55	170	34	124

परिशिष्ट XV

(संदर्भ परिच्छेद 3.10; पृष्ठ 100)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में चर्चित गंभीर अनियमितताओं को दर्शाने वाली विवरणी

अनियमितताओं का प्रकार	ग्रामीण विकास		पशुपालन		भाषा, कला एवं संस्कृति		सकल जोड़	
	परिच्छेद	राशि (करोड़ रूपए)	परिच्छेद	राशि (करोड़ रूपए)	परिच्छेद	राशि (करोड़ रूपए)	परिच्छेद	राशि (करोड़ रूपए)
आवश्यकता पूर्व निधियों का आहरण	575	57.09	17	0.48	5	0.02	597	57.59
आकस्मिक अग्रिमों का समायोजन न होना	27	0.43	6	2.26	2	0.01	35	2.70
संस्वीकृतियों के बिना अधिक/अनियमित व्यय	206	15.50	44	1.48	24	0.11	274	17.09
निर्र्थक/अलाभकारी व्यय	106	8.36	3	0.06	3	0.09	112	8.51
निधियों का अपवर्तन	23	1.28	23	1.28
अधिक अदायगी, किराये की अवसूली, अग्रिम/विविध वसूलियां	105	1.35	53	12.21	18	0.05	176	13.61
वास्तविक देयी रसीदें प्रस्तुत न करना	12	0.18	6	0.14	9	0.07	27	0.39
बकाया ऋण	65	5.30	65	5.30
बेकार मशीनरी/उपस्कर न चलने वाली गाड़ियों सहित	7	0.29	7	0.08	2	0.01	16	0.38
नकद/भण्डारों का कम या न गिना जाना	58	0.23	6	0.04	9	1.95	73	2.22
भण्डारों/नकदी/निधियों का दुर्विनिबोजन	75	0.86	1	0.02	76	0.88
अधूरे/त्वागे हुए निर्माण कार्य	62	13.71	3	0.21	65	13.92
हानि/चोरी/गबन आदि	44	0.97	10	2.98	54	3.95
प्रयुक्तता प्रमाणपत्रों की अप्रस्तुती	9	3.31	9	0.07	18	0.17	36	3.55
भण्डारों की अप्रयोज्य वस्तुओं का निपटारा न करना	25	0.84	9	0.19	8	0.01	42	1.04
खजानों/बैंकों के साथ समाधान न करना	18	3.65	12	..	30	3.65
सहायता अनुदान की अप्रयुक्ति	2	0.04	1	0.10	3	0.14
खजानों में ब्याज जमा न करना	25	1.75	25	1.75
विविध अनियमितताएं	113	7.11	5	0.02	13	0.03	131	7.16
जोड़	1,557	122.25	179	20.24	124	2.62	1860	145.11

परिशिष्ट-XVI

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.4.5(iii); पृष्ठ 108)

तत्काल आवश्यकता न होते हुए राशियों का आहरण तथा उनका सरकारी लेखाओं से बाहर रखने को दिखाने वाली विवरणी

क्र०	मण्डल का नाम	वाउचर नं० तथा आहरण की तिथि	राशि (करोड़ रूपए)	अभ्युक्तियाँ
1.	बाडूकहर में शाहनहर परियोजना मण्डल नं०II	27 दिनांक 26.3.1999 तथा 30 दिनांक 30.03.1999	0.23 0.22	फरवरी 2001 तक अनुमान तैयार किए बिना तथा वास्तविक निर्माण किए बिना सिघाता मध्यम सिंचाई परियोजना जिला कांगडा के अन्तर्गत अधिशाषी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ज्वाली तथा नूरपुर को चार उठाऊ सिंचाई स्कीमों हरिया (0.08 लाख ₹), बगरूर (0.07 लाख ₹), मरियारा (0.08 लाख ₹) तथा कलदौल (0.22 लाख ₹) के लिए राशियां दी गईं।
2.	चम्बा मण्डल	75 दिनांक 31.03.2000	0.16	नी सिंचाई स्कीमों के प्रति अधिशाषी अभियन्ता चम्बा द्वारा प्राप्त 25.52 लाख ₹ के एलओसी में से 16 लाख ₹ जिलाधीश चम्बा के पास 31 मार्च 2000 को जमा किए गए। सम्पूर्ण राशि मई 2000 में वापस लेली तथा जमा खाते में रखी। इसमें से फरवरी 2001 तक 0.15 करोड़ ₹ अप्रयुक्त पड़े थे। अधिशाषी अभियन्ता ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अन्तिम दिन राशि का प्रयोग न्यायोचित ढंग से नहीं किया जा सकता था, अतः इसे जिलाधीश चम्बा के पास जमा किया गया।
3.	संसारपुर टैरेस में शाहनहर परियोजना मण्डल नं० I	33 दिनांक 31-03-1998	2.25	राशि का आहरण शाहनहर परियोजना में सीमेण्ट कंक्रीट की तह के लिए किया गया था परन्तु वास्तव में इसे जिलाधीश कांगडा के पास मार्च 1998 में जमा किया गया। अधिशाषी अभियन्ता ने सूचित किया कि निर्माण कार्य अनुमानों के संस्वीकृत न होने से राशि जमा की गई। जनवरी 2000 तथा फरवरी 2001 के मध्य पूरी राशि वापस ले ली गई तथा प्रयुक्त की।
		जोड़	2.86	

परिशिष्ट-XVIII

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.6.5; पृष्ठ 116)
सिंचाई सम्भाव्यता की प्रयुक्ति को दर्शाने वाली विवरणी

क्र०	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	कृषीय कमात क्षेत्र	प्रारम्भन वर्ष	घन		अधिकतम (हेक्टेयर में)	अभ्युक्ति
					निर्माणा	परिचालन एवं अनुपूर्णा 1998-99 से 2000-2001 (लाघ रूप)		
			(हेक्टेयर में)				(हेक्टेयर में)	
1.	बग्गी	एफआईएस धांगू	223	1974 से पूर्व	6.41	12.48	11.63(5)	लाभार्थियों ने वाञ्छित फसल पद्धति नहीं अपनाई।
2.	बडसर	(i) एलआईएस मारठल ब्रासग्रान	60	1980-81	6.14	10.19	2.53(4)	किसानों ने नकदी फसलों की बिजाई नहीं की तथा
		(ii) एलआईएस मानखड्ड	60	1981-82	10.45	8.35	1.76(3)	मार्च 2001 तक क्षतिग्रस्त नहरों को ठीक नहीं किया गया।
		(iii) एलआईएस गौखर	70	1991-92	11.00	5.30	1.08(2)	
3.	कुल्चू- II (मुन्तर में)	एफआईएस कोठी सांसेर	107	1992	11.85	1.74	1.17(1)	सितम्बर 1995 के दौरान यारी वर्षा से क्षतिग्रस्त मुख्य नहर को ठीक नहीं किया गया था।
4.	पालमपुर	एलआईएस र्पैरू	58	1988	9.36	3.76	3.00(5)	चक विकास कार्य को न देना तथा आरसीसी वितरण भेन को एसी प्रेशर पाइपों से न बदलना
5.	रामपुर	एफआईएस कुरनु खन्वोली	110	1988	2.39	0.75	1.67(2)	कृषकों ने फसल पद्धति को नहीं बदला था।
6.	सुनी	(i) एलआईएस कोटला भाजोल	54	1985	6.14	4.39	0.84(2)	बिखरी सीरीए तथा मृमि के रेतीलेपन तथा कच्चा होने के बावजूद पक्की क्षेत्र नहरों की व्यवस्था नहीं की थी।
		(ii) एलआईएस धारगी	60	1989	6.84	4.64	2.61(4)	लाभार्थियों ने पानी की कम मांग की।
		जोड़	802		70.58	51.60		

परिशिष्ट XVIII

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.6.6; पृष्ठ 116)
निष्क्रिय सिंचाई स्कीमें दर्शाने वाली विवरणी

क्र०	समूह का नाम	स्कीम का नाम	ए/ए तथा ड/एस का महीना/वर्ष	अनुमानित लागत	सिंचाई योग्य कृषि क्षेत्र	प्रारम्भ की तिथि	निर्माण खर्च पर खर्च	वर्ष जब से रूढ़ मशी है	अव्यक्तियां
				(लाख रुपए)	(हेक्टेयर में)		(लाख रुपए)		
1.	बग्गी	एलआईएस घाटीनागचला	अक्टूबर 1987	30.95	124	1987-88	34.03	1994-95	स्रोत में रेत का जमाव
2.	नालागढ़	(i) ट्यूबवैल घाकेरी (पुचना)	अक्टूबर 1987	12.30	54	1989-90	12.57	जुलाई 1992	असेम्बली पाइप के टूटने के कारण
		(ii) ट्यूबवैल घाकेरी (नई)	अक्टूबर 1995	4.78		मार्च 1997	11.95	मार्च 1997	मार्च 1997 में खोदे गए ट्यूब वैल के लिए सॉल्विंग मेन के कार्य का निष्पादन न करना।
3.	पांवटा साहब	एफआईएस जमना	मार्च 1980	3.60	50	1982	13.13	1985 से पूर्व	कारण नहीं दर्शाए गए हैं।
4.	सुन्नी	एफआईएस उद्धर कोटी	जनवरी 1978	2.29	71	1982	2.66	1952	स्रोत के विवाद को अभी सुलझाना शेष था।
		योग		53.02	299		74.34		

परिशिष्ट- XIX

(संदर्भ परिच्छेद 4.13(ख) पृष्ठ 148)

निजी भूमि पड़ने के कारण अवरूद्ध पड़े सड़क निर्माण कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र०	सड़क का नाम (सड़क एवं निर्माण)	सड़क का नाम	ए/ए तथा ई/एल का व्यंज		पूर्णता की निर्धारित अवधि	आरम्भ करने की तिथि	जब से निर्माण रूका है	आज तक का व्यय	मार्च 2001 तक देरी
			महीना एवं वर्ष	राशि					
			(लाख रूपए)		(वर्ष)			(लाख रूपए)	(महीनों में)
1.	जुबल	लिक रोड़ गांव रोहतान डोगरी तक (0/0 कि०मी० से 6/0 कि०मी०)	फरवरी 1987	12.93	3	मई 1986	दिसम्बर 1990	7.03	143
2.	कुमारसेन	(i) कुमारसेन से किगल बाया चालान सड़क (0/0 से 8/0 कि०मी०)	अगस्त 1988	20.73	3	1999-92	जून 1994	6.11	72
		(ii) किगल से डिगली गांव तक लिक सड़क (0/0 से 1/500 कि०मी०)	प्राप्त नहीं हुए	13.44 (अनुमानित लागत)	3 [#]	दिसम्बर 1995	दिसम्बर 1996	7.81	27
			जोड़	47.10				20.95	

आरम्भिक अनुमान के अनुसार अवधि स्वीकार की जानी अपेक्षित थी।

परिशिष्ट-XX

(संदर्भ परिच्छेद 6.1(ग); पृष्ठ 156)

उन निकायों व प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाली विवरणी जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे

क्र०	विभाग एवं निकाय/प्राधिकरण	जिस वर्ष के लेखे अर्पित थे
	ग्रामीण विकास	
1.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, शिमला	2000-2001
2.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, ऊना	1999-2000, 2000-2001
3.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, सोलन	2000-2001
4.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बिलासपुर	2000-2001
5.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, चम्बा	2000-2001
6.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, नाहन	2000-2001
7.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, मण्डी	2000-2001
8.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कुल्सू	2000-2001
9.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कांगड़ा	2000-2001
10.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, हमीरपुर	1999-2000, 2000-2001
11.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, (एलएण्डएस) केलांग	2000-2001
12.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, किन्नौर	1998-99 से 2000-2001
	भाषा, कला एवं संस्कृति	
13.	भाषा, कला एवं संस्कृति एकादमी, शिमला	1998-99 से 2000-2001
	सामाजिक एवं महिला कल्याण	
14.	हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण, परिषद शिमला	2000-2001
15.	हिमाचल प्रदेश राज्य कल्याण सलाहकार बोर्ड, शिमला	1999-2000, 2000-2001
16.	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति निगम, सोलन	1998-99 से 2000-2001
	कृषि	
17.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय, पालमपुर	1996-97 से 2000-2001
18.	हिमाचल प्रदेश बीज प्रमाणक एजेंसी, शिमला	1998-99 से 2000-2001
	वन खेती तथा संरक्षण	
19.	भारत जर्मनी चंजर परियोजना, पालमपुर	2000-2001
	बागवानी	
20.	डीओ वाई एस परमार बागवानी एवं बानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	2000-2001
	आवास	
21.	हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला	1999-2000 से 2000-2001
	सहकारिता	
22.	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता विपणन तथा उपभोक्ता, निगम, शिमला	1998-99 से 2000-2001
23.	हिमाचल प्रदेश सरकारी संघ, शिमला	1998-99 से 2000-2001
	विज्ञान, तकनीकी तथा पर्यावरण	
24.	हिमऊर्जा	1999-2000 से 2000-2001
25.	हिमाचल प्रदेश राज्य जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं संकथाम बोर्ड, शिमला	1995-96 से 2000-2001
26.	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण राज्य परिषद, शिमला	1999-2000 से 2000-2001
	पशुपालन	
27.	हिमाचल प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ, शिमला	1998-99 से 2000-2001
	निदेशक युवा सेवाएं एवं खेल	
28.	हिमाचल प्रदेश खेल परिषद, शिमला	1997-98 से 2000-2001
29.	हिमाचल प्रदेश युवा बोर्ड, शिमला	1999-2000 से 2000-2001
30.	राष्ट्रीय सेवा स्कीम	1998-99 से 2000-2001
	शिक्षा	
31.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	1998-1999 से 2000-2001
32.	सेंट बिक्स कॉलेज, शिमला	1998-99 से 2000-2001
33.	एमएससीएम, धुरल	1999-2000 से 2000-2001
34.	डीएवी कॉलेज, कांगड़ा	1998-1999 से 2000-2001
35.	डीएवी कॉलेज, दोलतपुर चौक	1999-2000 से 2000-2001
36.	जीजीडीएसडी कॉलेज, बैजनाथ	1997-98 से 2000-2001
37.	एमएलएसएमसी, सुन्दरनगर	1997-98 से 2000-2001
38.	डीएवी कॉलेज, कोटखाई	1999-2000 से 2000-2001
39.	एसवीएसडी कॉलेज, मटोली	1998-99 से 2000-2001
40.	डीएवी, सीनियर सकेण्डरी स्कूल, ऊना	2000-2001
41.	डीएवी, सीनियर सकेण्डरी स्कूल, कांगड़ा	2000-2001
42.	पब्लिक सीनियर सकेण्डरी स्कूल, मटोली	2000-2001
43.	पब्लिक सीनियर सकेण्डरी स्कूल, माटालाहर	2000-2001
44.	एसडी सीनियर सकेण्डरी स्कूल, शिमला	2000-2001
45.	एससीईआरटी, सोलन	1999-2000 से 2000-2001

क्र०	विभाग एवं निकाय/प्राधिकरण	जिस वर्ष के लेखे अपेक्षित थे
	शहरी विकास	
46.	नगर निगम, शिमला	2000-2001
47.	नगर परिषद, सोलन	1997-98 से 2000-2001
48.	नगर परिषद, घर्मशाला	2000-2001
49.	नगर परिषद, नालागढ़	1997-98 से 2000-2001
50.	नगर परिषद, कांगड़ा	1997-98 से 2000-2001
51.	नगर परिषद, नूरपुर	2000-2001
52.	नगर परिषद, चम्बा	1997-98 से 2000-2001
53.	नगर परिषद, डलहौजी	2000-2001
54.	नगर परिषद, मण्डी	2000-2001
55.	नगर परिषद, सुन्दरनगर	2000-2001
56.	नगर परिषद, कुल्बू	1997-98 से 2000-2001
57.	नगर परिषद, हमीरपुर	1997-98 से 2000-2001
58.	नगर परिषद, नाहन	1997-98 से 2000-2001
59.	नगर परिषद, पाँवटा साहब	1997-98 से 2000-2001
60.	नगर परिषद, बिलासपुर	2000-2001
61.	नगर परिषद, ऊना	2000-2001
62.	नगर पंचायत, बदी	1997-98 से 2000-2001
63.	नगर पंचायत, मेहतपुर	2000-2001
64.	नगर पंचायत, संतोषगढ़	1997-98 से 2000-2001
	जोन:	

परिशिष्ट-XXI

(संदर्भ परिच्छेद 6.4.3; पृष्ठ 165)
1996-2000 के दौरान मकानों, फ्लेटों तथा प्लॉटों के लक्ष्य तथा उपलब्धियों को दर्शाने वाली
विवरणणी

क्र०	वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धिया			कसिया		
		आवास	फ्लेट	प्लॉट	आवास	फ्लेट	प्लॉट	आवास	फ्लेट	प्लॉट
(i)	सामाजिक आवास स्कीम									
1.	1996-97	65	..	74	65	..	20	54
2.	1997-98	106	40	79	88	..	2	18	40	77
3.	1998-99	96	12	107	50	12	107	46
4.	1999-2000	283	68	189	268	..	189	15	68	..
	जोड़	550	120	449	471	12	318	79	108	131
(ii)	स्वतः वित्तपोषित स्कीम									
1.	1996-97	125	83	42
2.	1997-98	25	42	41	..	6	..	25	36	41
3.	1998-99	20	20
4.	1999-2000	..	36	32	4	..
	जोड़	170	78	41	103	38	..	67	40	41
(iii)	पुलिश आवास									
1.	1999-2000	..	906	700	206	..
	जोड़	..	906	700	206	..
	सकल जोड़	720	1104	490	574	750	318	146 (20)	354 (32)	172 (35)

* कोष्ठकों के आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं

